निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 32

17 भाद्र 1943 (श0)
पटना, बुधवार,
8 सितम्बर 2021 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	**2-80**
भाग-1-क–स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख–मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2–बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	**81-81**
भाग-3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4–बिहार अधिनियम	---
भाग-5–बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7–संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8–भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9–विज्ञापन	---
भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख–निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	**82-83**
पूरक	---
पूरक-क	**84-86**

भाग–1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं
5 जनवरी 2021

सं0 22/नि0सि0(पट0)03–22/2017–04––श्री कुणाल किशोर (आई0डी0–5502) तत्कालीन अवर प्रमंडल पदाधिकार, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल, हाथीदह के विरूद्ध कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बख्तियारपुर द्वारा गठित आरोप पत्र प्रपत्र–'क' अवर सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के गै0स0प्रे0सं0–676 दिनांक 22.07.17 द्वारा प्राप्त कराया गया। प्राप्त प्रपत्र–'क' में उल्लेखित आरोप के लिए विभागीय पत्रांक–1642 दिनांक 18.09.2017 द्वारा श्री किशोर से स्पष्टीकरण किया गया।

उक्त के आलोक में श्री कुणाल किशोर द्वारा पत्रांक–शून्य दिनांक 06.04.2018 द्वारा अपना जवाब विभाग को समर्पित किया गया। श्री किशोर से प्राप्त जवाब अस्पष्ट होने की स्थिति में पुनः पत्रांक–2673 दिनांक 28.12.2018 द्वारा आरोपों के संदर्भ में बिन्दुवार जवाब समर्पित करने को निदेशित किया गया। जिसके आलोक में श्री किशोर द्वारा अपना जवाब पत्रांक–0 दिनांक 16.16.2019 द्वारा विभाग को समर्पित किया गया। श्री किशोर से प्राप्त जवाब के समीक्षोपरांत जवाब पर मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना से मंतव्य प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। मुख्य अभियंता, बाढ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना का पत्रांक–3137 दिनांक 31.12.2019 द्वारा अपना मंतव्य विभाग को समर्पित किया गया। मुख्य अभियंता, पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत श्री कुणाल किशोर के विरूद्ध अनुशासनहीनता से संबंधित आरोप पत्र विहित प्रपत्र में गठित करने का आदेश प्राप्त हुआ। जिसके आलोक में श्री कुणाल किशोर, तत्का0 अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल, हाथीदह के विरूद्ध निम्न आरोप गठित कर विभागीय पत्रांक–690 दिनांक 19.05.2020 द्वारा आरोप के संदर्भ में स्पष्टीकरण किया गया।

आरोप–1. कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मोकामा शिविर–बख्तियारपुर द्वारा दिनांक 12.09.2015 को प्रमंडलीय कार्यालय में निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए। पुनः दिनांक 09.10.15 को एन0टी0पी0सी0 में चल रहे कार्य के अद्यतन प्रगति के निरीक्षण के लिए कार्यपालक अभियंता द्वारा खोजे जाने पर अपने कार्यालय कक्ष में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए। मोबाईल नंबर भी संपर्क से दूर रहा। स्पष्टतः मोबाईल बंद रहा/यह कृत्य अनुशासनहीनता का द्योतक है।

2. कार्यपालक अभियंता द्वारा अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए पत्रांक–703, दिनांक 16.09.15 एवं पत्रांक–774 दिनांक 09.10.15 द्वारा किए गए स्पष्टीकरण का जवाब न देकर कार्यपालक अभियंता के कार्यालय कक्ष में पहुँच कर अमार्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। यह कृत्य हठधर्मिता एवं उच्चाधिकारी के निदेश की अवहेलना करने का परिचायक है।

3. एकरारनामा सं0–02/2015–16 मुहाने नदी पर तुलसीगढ़ सती स्थान ग्राम के पास बांध के मरम्मति कार्य का विपत्र कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मोकामा शिविर बख्तियारपुर का पत्रांक–869 दिनांक 30.11.15 द्वारा उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया था। बार–बार स्मारित करने के बावजूद इनके द्वारा विपत्र समर्पित नहीं किया गया। जिससे संवेदक के भुगतान में विलंब होने से कार्य पर प्रतिकूल असर पड़ा। यह कृत्य उनके द्वारा सरकारी आदेशों की अवज्ञा करने का परिचायक है।

श्री कुणाल किशोर द्वारा उक्त आरोप के संदर्भ में अपना जवाब पत्रांक–0 दिनांक 23.06.2020 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री किशोर द्वारा प्राप्त जवाब की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत उनके द्वारा अनुशासनहीनता एवं कार्यालय में असहयोगात्मक रवैया अपनाने के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (तृतीय संशोधन) नियमावली 2010 के आलोक में श्री कुणाल किशोर, आई0डी0–5502, तत्का0 अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल, हाथीदह के विरूद्ध निम्न दंड अधिरोपित करने का प्रस्तावित किया गया –

"चेतावनी" जिसकी प्रविष्टि उनके सेवापुस्त/चरित्रपुस्त में की जाएगी।

उक्त दंड प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

उक्त अनुमोदित दंड श्री कुणाल किशोर, आई0डी0–5502, तत्का0 अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल, हाथीदह सम्प्रति अवर प्रमंडल पदाधिकारी, गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा अवर प्रमंडल, दीघा, पटना को अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है –

"चेतावनी" जिसकी प्रविष्टि उनके सेवापुस्त/चरित्रपुस्त में की जाएगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
इन्दुभूषण प्रसाद, अवर सचिव।

5 जनवरी 2021

सं0 22/नि0सि0(सह0)26–01/2018–05––श्री राजेन्द्र प्रसाद केसरी (आई0डी0–3531) तत्कालीन सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध निम्न आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–958 दिनांक 18.04.18 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई –

(i) अपने पदस्थापन की अवधि में एन0आर0ई0पी0 एवं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनाओं के भुगतान हेतु 69,56,685 (उनहत्तर लाख छप्पन हजार छः सौ पचासी) रूपये अस्थाई अग्रिम के रूप में पारित प्रमाणक के विरूद्ध प्राप्त किया गया। इस राशि का समायोजन आपके द्वारा अद्यतन नहीं किया गया। इनका यह कृत्य सरकारी राशि का अनियमित एवं गबन की श्रेणी में है।

(ii) आप दिनांक 13.05.15 से दिनांक 21.05.15 तक बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के अनधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहे तथा इस संबंध में आपसे स्पष्टीकरण पूछे जाने पर आपके द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं किया गया। आपका यह कार्य वरीय पदाधिकारी के आदेश का उल्लंघन एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

श्री केसरी, तत0 सहायक अभियंता से प्राप्त जवाब की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री केसरी द्वारा उल्लेख किया गया है कि सभी अग्रिम का समायोजन हो चुका है। इसलिए Revised LPC में उनके नाम पर अग्रिम शून्य है। किन्तु साक्ष्य स्वरूप Revised LPC की छायाप्रति स्पष्टीकरण के साथ संलग्न नहीं है। उक्त के आलोक में श्री केसरी से विभागीय पत्रांक–1628 दिनांक 27.07.18 द्वारा साक्ष्य की मांग की गई। श्री केसरी को दो स्मार प्रेषित किया गया। परन्तु श्री केसरी द्वारा साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

श्री केसरी द्वारा जवाब अप्राप्त रहने की स्थिति को देखते हुए उक्त आरोप के लिए श्री केसरी के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0–2653 दिनांक 24.12.2018 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री केसरी से विभागीय पत्रांक–417 दिनांक 28.02.20 द्वारा अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) की मांग की गई।

श्री केसरी द्वारा अभ्यावेदन का जवाब समर्पित किया गया जिसमें मुख्य रूप से निम्न का उल्लेख किया गया –

NREP योजना का प्रथम अग्रिम का कार्य पूर्ण कर स्थल निरीक्षणोपरांत द्वितीय अग्रिम दिया गया। पूर्व प्राप्त अग्रिम का मापीपुस्त/प्रमाणक समर्पण के पश्चात ही अगला अग्रिम प्रदत किया गया। समायोजन की कार्रवाई में स्वयं उपस्थित होकर त्रुटि का निराकरण कर दिया गया। परन्तु समायोजन की सूचना नहीं देकर अग्रिम के बाद पुनः समायोजनोपरांत अग्रिम बीस बार दिया जाता रहा तथा स्थानांतरण के पश्चात बकाया अंतर वेतन/अद्यतन मासिक वेतन भुगतान किया गया। कार्यपालक अभियंता द्वारा द्वेष भावना से अपनी प्रोन्नति हेतु LPC में समायोजन राशि का लंबित अग्रिम दर्ज कर भेजा गया।

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की अग्रिम राशि समायोजनोपरांत अवशेष राशि मात्र 618000/– के जगह पर 4786118 रूपये LPC में दर्ज कर प्रेषित किया गया। Revised LPC नहीं प्रेषित होने के कारण आरोपित किया गया। वर्तमान में प्रदत्त अग्रिम H/R (हस्तपावति) पर कनीय अभियंता को प्रदत्त अग्रिम से कार्य पूर्ण के लिए पुनः बिना इनकी सहमति के NOC नियम विरूद्ध सीधे प्रमंडल द्वारा दिया गया। संविदा के कनीय अभियंता को अग्रिम प्रदत्त की वसूली करना है। स्थायी कनीय अभियंता श्री सिंह द्वारा तीन लाख रूपये वापस कर दी गयी परन्तु संविदा के कनीय अभियंता श्री रजक एवं श्री गौरव द्वारा वापस नहीं की गयी। स्थल पर माननीय सांसद के साथ निरीक्षण निदेश के अनुपालन में इन्हें मुख्यालय से अनधिकृत स्पष्टीकरण से संतुष्टि के पश्चात ही पूर्ण वेतन भुगतान किया गया।

श्री केसरी से प्राप्त जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में मुख्य रूप से निम्न तथ्य पाये गये –

आरोप–1–NREP एवं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कुल 2170567/– एवं 4786118/– अर्थात कुल 6956685/– रूपये अस्थायी अग्रिम के रूप में पारित प्रमाणक के रूप में प्राप्त किया गया, परन्तु इस राशि का समायोजन स्मारित करने के बावजूद नहीं किये जाने के कारण सरकारी राशि के गबन होने से संबंधित है।

संचालन पदाधिकारी ने आरोपित पदाधिकारी द्वारा निबंधित पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराये गये बचाव बयान अस्पष्ट तथा सिलसिलेवार नहीं होने की स्थिति में इस आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है।

श्री केसरी द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा (अभ्यावेदन) में इस आरोप के संदर्भ में कहा गया है कि NREP योजना हेतु प्राप्त अग्रिम के समायोजन के कार्रवाई में स्वयं उपस्थित होकर त्रुटियों का निराकरण कर दिया गया तथा स्थानान्तरण मधुबनी से सहरसा के पश्चात बकाया अंतर वेतन/अद्यतन मासिक वेतन भुगतान किया गया एवं द्वेष भावना से कार्यपालक अभियंता अपनी प्रोन्नति हेतु LPC में समायोजित राशि को लंबित अग्रिम दर्ज कर भेजा गया। श्री केसरी द्वारा उक्त कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। अतएव साक्ष्य विहीन कथन स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त अग्रिम के समायोजन के संदर्भ में कहा गया है कि अग्रिम राशि समायोजनोपरांत अवशेष राशि मात्र 6,18000/– के जगह 4786118/– रूपये LPC में दर्ज कर प्रेषित किया गया। जिसमें श्री सिंह, कनीय अभियंता द्वारा तीन लाख वापस कर दी गई। परन्तु संविदा के कनीय अभियंता श्री रजक एवं श्री गौरव द्वारा वापस नहीं किया गया। गबन का मामला कनीय अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध बनता है। श्री केसरी द्वारा उक्त कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए आरोप सं0–1 प्रमाणित माना जा सकता है।

आरोप–2–दिनांक 13.05.15 से 21.05.15 तथा दिनांक 04.01.16 से 23.01.16 तक अनधिकृत रूप से बिना सक्षम प्राधिकार से सहमति प्राप्त किये ही मुख्यालय से अनुपस्थित रहने से संबंधित है।

संचालन पदाधिकारी के द्वारा बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी श्री केसरी न तो स्वयं उपस्थित हुए न ही प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपना पक्ष रखने तथा आरोप से संदर्भित कोई ठोस तथ्य/साक्ष्य नहीं दिये जाने के आलोक में इस आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है। श्री केसरी द्वारा कहा गया है कि स्थल पर माननीय सांसद के साथ स्थल निरीक्षण निदेश के अनुपालन में इन्हें मुख्यालय से अनधिकृत स्पष्टीकरण से संतुष्ट होकर पूर्ण वेतन भुगतान किया गया है परन्तु उक्त कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। अतएव साक्ष्यविहीन कथन को स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है एवं स्वेच्छा से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप बनता प्रतीत होता है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री राजेन्द्र प्रसाद केसरी, तत0 सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध दोनों आरोप को प्रमाणित पाते हुए निम्न दण्ड संसूचित करने का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया गया –

"पचास प्रतिशत (50%) पेंशन पर स्थायी रोक"

उक्त दण्ड प्रस्ताव पर माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना का सहमति प्राप्त है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री राजेन्द्र प्रसाद केसरी, तत0 सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति सेवानिवृत को निम्न दण्ड दिया जाता है –

"पचास प्रतिशत (50%) पेंशन पर स्थायी रोक"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

11 जनवरी 2021

सं0 22/नि0सि0(भाग0)09–05/2018–25––श्री उदय कुमार झा (आई0डी0–जे0 5438), तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल सं0–1, लक्ष्मीपुर संप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बाढ़ संघर्षात्मक कार्य में हुई प्रतिनियुक्ति आदेश का उल्लंघन करने, बिना अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित होने एवं बिना अवकाश स्वीकृत कराए मनमाने ढंग से अवकाश में स्वेच्छापूर्वक प्रस्थान आदि आरोपों के लिए संकल्प सं0–2095 दिनांक 27.09.2019 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

श्री उदय कुमार झा, तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल सं0–01, लक्ष्मीपुर संप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में इन पर लगाए गए आरोपों के संदर्भ में इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य के रूप में संलग्न किए गए कागजातों तथा संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए जाँच प्रतिवेदन में श्री झा पर लगाए गए आरोपों को निष्कर्षतः अप्रमाणित होने का मंतव्य अंकित किया गया है।

श्री उदय कुमार झा, तत्कालीन सहायक अभियंता संप्रति सेवानिवृत पर गठित आरोप, वर्ष 2013 के हैं तथा श्री झा दिनांक 31.05.2018 को सेवानिवृत हो चुके हैं। श्री झा पर लगाए गए आरोपों में सरकार को किसी प्रकार की वित्तीय क्षति होना परिलक्षित नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री उदय कुमार झा, तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल सं0–1, लक्ष्मीपुर, जमुई संप्रति सेवानिवृत को आरोप मुक्त करते हुए इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार के स्तर पर लिया गया है।

अतएव उक्त निर्णय के आलोक में श्री उदय कुमार झा (आई0डी0–जे0 5438), तत्कालीन सहायक अभियंता, संप्रति सेवानिवृत को आरोप मुक्त करते हुए इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
इन्दुभूषण प्रसाद, अवर सचिव।

---

12 जनवरी 2021

सं0 22नि0सि0(डि0)–14–06/2019/31––श्री नरसिंह प्रसाद (ID-J-7694), सहायक अभियंता (असै0), दुर्गावती कार्य प्रमंडल, चेनारी संप्रति उत्तर कोयल बाँध एवं बराज अवर प्रमंडल–2, मोहम्मदगंज का स्थानांतरण विभागीय आदेश सं0–2882 दिनांक–27.07.2018 द्वारा उनके प्रतिनियुक्ति पदस्थापन स्थान दुर्गावती कार्य प्रमंडल, चेनारी से समाप्त करते हुए मूल पदस्थापित स्थान उत्तर कोयल बाँध एवं बराज अवर प्रमंडल–2 मोहम्मदगंज (औरंगाबाद) में योगदान करने हेतु किया गया। परन्तु उक्त आदेश के आलोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक 24.01.2019 (पूर्वाहन) में योगदान करने की सूचना विभाग को उपलब्ध कराई गई।

श्री प्रसाद द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन तत्समय नहीं करते हुए लगभग छः माह के विलम्ब से मूल पदस्थापित स्थान पर योगदान समर्पित किया गया।

विभागीय आदेश का उल्लंघन करने के कारण विभागीय पत्रांक–576 दिनांक 13.02.2019 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, तदालोक में श्री प्रसाद द्वारा स्पष्टीकरण का उत्तर समर्पित किया गया। श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण के सम्यक समीक्षोपरांत विभागीय आदेश की अवहेलना करने के आरोप को प्रमाणित पाते हुए विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–2046 दिनांक–23.09.2019 द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित कर संसूचित किया गया :–

(i) संगत वर्ष के लिए निन्दन की सजा।

(ii) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक।

उक्त अधिसूचित दण्ड के विरूद्ध श्री प्रसाद द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया। श्री प्रसाद से प्राप्त पुनर्विचार अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि पुनर्विचार अभ्यावेदन में उनके द्वारा पूर्व में दिए गए स्पष्टीकरण का जवाब में अंकित तथ्यों को ही दुहराया गया एवं कोई नया तथ्यों का समावेश नहीं किया गया है।

अतएव श्री प्रसाद द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को विभागीय समीक्षोपरांत अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

सरकार द्वारा लिए गए उक्त निर्णय के आलोक में श्री प्रसाद को पूर्व में अधिरोपित दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
इन्दुभूषण प्रसाद, अवर सचिव।

---

14 जनवरी 2021

सं0 22 / नि0सि0(मुज0)–06–10 / 2012–43––श्री संजीव दत्त (आई0 डी0–J 5964), तत्कालीन सहायक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमण्डल, रतवारा, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित थे तो उनके विरूद्ध उक्त प्रमण्डल में पदस्थापन अवधि के दौरान वर्ष 2011–2012 में तिरहुत मुख्य नहर के वि0दू0 740 के पास कराये गये कैनाल लाईनिंग कार्यों में बरती गई अनियमितता की जाँच विभागीय उड़नदस्ता की जाँच पटना द्वारा की गई। उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री दत्त के विरूद्ध विभागीय पत्रांक–100 दिनांक 24.01.2017 द्वारा आरोप प्रपत्र–'क' गठित कर स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री दत्त सेवानिवृत सहायक अभियंता से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1580 दिनांक 11.09.2017 द्वारा श्री दत्त के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम–43(बी) के तहत निम्नलिखित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

आरोप–उड़नदस्ता ने स्थलीय जाँच के दौरान तिरहुत मुख्य नहर के वि0दू0 739.80 के 740.00 तक कराये ये कैनाल लाईनिंग कार्य से एकत्रित नमूनों की जाँच में ईंट का मानक कम्प्रैसिव स्ट्रैन्थ $100kg/cm^2$ के विरूद्ध औसत कम्प्रैसिव स्ट्रैन्थ $61.62kg/cm^2$ पाया गया तथा ईंट के अन्य पारामीटर भी विशिष्टि के अनुरूप नहीं पाया गये साथ ही लाईनिंग कार्य में व्यवहृत पलास्टर कार्य में भी सीमेंट एवं बालू का प्रावधानित अनुपात 1:3 की जगह पर 1:4.75 पाया गया। इस प्रकार कार्य में न्यून विशिष्टि के ईंट का उपयोग करने तथा प्रावधान के अनुरूप पलास्टर कार्य नहीं कराने के लिए श्री दत्त दोषी प्रतीत होते हैं।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में मुख्य रूप से निम्न बातें कही गई हैं :–

तिरहुत मुख्य नहर के वि0दू0 740 पर किये गये लाईनिंग कार्य से प्राप्त ईंट एवं पलास्टर के नमूने की जाँचफल के अनुसार ईंट एवं पलास्ट विशिष्टि के अनुरूप नहीं है इस पर कोई संदेह नहीं है परन्तु वि0दू0 740 पर कराया गया लाईनिंग कार्य श्री संजीव दत्त द्वारा सम्पादित कराया गया है संदेहात्मक है। उड़नदस्ता के मई 2011 के प्रतिवेदन प्रमंडल द्वारा 26.03.2012 को तैयार दसवां विपत्र तथा कार्यपालक अभियंता से संवेदक द्वारा समर्पित विपत्र प्रमंडल में उपलब्ध नहीं रहने से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में यह प्रतीत होता है कि श्री संजीव दत्त वि0दू0 740 पर सम्पादित कार्य के लिए दोषी नहीं है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए असहमति के निम्न बिन्दू पर विभागीय पत्रांक–2101 दिनांक 01.10.2019 द्वारा श्री दत्त सेवानिवृत सहायक अभियंता से लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) की मांग की गई।

संवेदक द्वारा 10वाँ चालू विपत्र के समर्पण के संबंध में कार्यपालक अभियंता, रतवारा से विभागीय पत्रांक–2456 दिनांक 29.11.2018 से प्रतिवेदन की माँग की गयी। जिसके अनुपालन में कार्यपालक अभियंता, रतवारा द्वारा अपने पत्रांक–121 दिनांक 23.02.2019 से संवेदक द्वारा समर्पित 10वाँ चालू विपत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए कहा गया है कि इस प्रमंडल के अन्तर्गत तिरहुत मुख्य नहर के वि०दू० 739 से 740.0 तक के प्रभार में रहने वाले सहायक अभियंता श्री संजीव दत्त की कार्यरत अवधि दिनांक 10.11.2008 से 04.12.2011 है एवं संचिका में रक्षित संवेदक द्वारा समर्पित 10वाँ चालू विपत्र से स्पष्ट है कि वि०दू० 739.0 से 740.0 के बीच दिनांक 01.11.2011 से 25.11.2011 तक लाईनिंग कार्य कराया गया है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत नयून विशिष्टि का कार्य श्री संजीव दत्त, तत्कालीन सहायक अभियंता के कार्यकाल में कराया गया है।

उक्त के आलोक में श्री दत्त, सेवानिवृत सहायक अभियंता द्वारा अपने पत्रांक–0 दिनांक 27.11.19 द्वारा मांगा गया लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया। जिसमें मुख्य रूप से निम्न बातें कही गई हैः–

श्री दत्त से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा के जवाब का मुख्य सार निम्नवत है। कार्यपालक अभियंता के पत्रांक–69 दिनांक 20.01.2012 के आलोक में अपना प्रभार दिनांक 24.01.2012 को श्री अनिल कुमार, सहायक अभियंता को सौंपा गया। कार्यपालक अभियंता के पत्रांक–93 दिनांक 02.09.2019 के अनुसार इनका कार्यरत अवधि 10.11.2008 से 04.12.2011 है।

10वाँ चालू विपत्र जिसपर कार्यपालक अभियंता की डायरी संख्या–1546 दिनांक 30.12.2011 अंकित है, विभाग द्वारा भूलवश उसे 30.12.2011 की जगह पर 03.12.2011 समक्ष लिया गया है। उक्त पत्र में संवेदक द्वारा पैकेज 44 के तिरहुत मुख्य नहर के बि०दू० 739.60 से 746.10 के बीच कराये गये विभिन्न कार्य एवं लाईनिंग कार्य का उल्लेख है।

कार्य की मापी से लेकर भुगतान की प्रक्रिया में संवेदक द्वारा समर्पित विपत्र का कोई महत्व नहीं रहता है। संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक–400 दिनांक 29.06.2018 के द्वारा कार्यपालक अभियंता, रतवारा से संवेदक के द्वारा समर्पित पैकेज सं०–44 के 9वाँ एवं 10वाँ विपत्र की माँग की गयी, जिसके उत्तर में कार्यपालक अभियंता, रतवारा ने पत्रांक–506 दिनांक 19.07.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि, प्रमंडल में संवेदक के द्वारा समर्पित कोई भी विपत्र उपलब्ध नहीं है। साथ ही विभागीय पत्रांक–2456 दिनांक 29.11.2018 से माँगी गयी प्रतिवेदन के अनुपालन में कार्यपालक अभियंता, रतवारा ने अपने पत्रांक–93 दिनांक 09.02.2019 में अंकित किया है कि संवेदक द्वारा 10वाँ विपत्र प्रमंडल में उपलब्ध नहीं है। उक्त वि०दु० 740 पर कराये गये लाईनिंग कार्य का भुगतान दिनांक 30.03.2012 को कर दिया गया है। साक्ष्य के रूप में मापपुस्त 680 में देखा जा सकता है। अतः आरोपमुक्त किया जाय।

श्री दत्त, सेवानिवृत सहायक अभियंता से प्राप्त जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई समीक्षा में निम्न तथ्य पाये गये :–

श्री दत्त, सेवानिवृत सहायक अभियंता द्वारा कहा गया है कि कार्यपालक अभियंता, रतवारा के पत्रांक–69 दिनांक 20.01.2012 के क्रम में वे अपना प्रभार दिनांक 24.01.2012 को श्री अनिल कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता को सौंप चुके थे। संचिका में रक्षित प्रभार प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्री दत्त अपना प्रभार दिनांक 24.01.2012 को श्री अनिल कुमार को सौंप दिए है।

श्री दत्त, सेवानिवृत सहायक अभियंता द्वारा यह भी कहा गया है कि कराये गये कार्यों का विपत्र तैयार करने से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया में संवेदक द्वारा समर्पित विपत्र का कोई महत्व नहीं रह जाता है स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है क्योंकि किसी कार्य के विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वयन के पश्चात संवेदक को अपना विपत्र प्रमंडल में समर्पित करना होता है एवं उसी विपत्र एवं स्थल पर विशिष्टि के अनुरूप कराये गये कार्यों की वास्तविक मापी के मिलान करते हुए मापी, मापपुस्त में दर्ज करते हुए विपत्र तैयार कर भुगतान की कार्रवाई की जाती है।

श्री दत्त, सेवानिवृत सहायक अभियंता द्वारा यह भी कहा गया है कि संचालन पदाधिकारी के द्वारा पत्रांक–400 दिनांक–29.06.2018 के द्वारा कार्यपालक अभियंता, रतवारा से संवेदक द्वारा समर्पित 9वाँ एवं 10वाँ चालू विपत्र की माँग की गयी, जिसके क्रम में कार्यपालक अभियंता, रतवारा ने अपने पत्रांक–506 दिनांक 19.07.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि प्रमंडल में संवेदक द्वारा समर्पित कोई विपत्र उपलब्ध नहीं है साथ हीं विभागीय पत्रांक–2456 दिनांक 29.11.2018 से माँगे गये प्रतिवेदन के अनुपालन में कार्यपालक अभियंता, रतवारा ने अपने पत्रांक–93 दिनांक 09.02.2019 में यह अंकित किया है कि संवेदक द्वारा तैयार किया गया विपत्र सं० 10 प्रमंडल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। संचिका में रक्षित कार्यपालक अभियंता के पत्रांक–43 दिनांक 09.02.2019 से उक्त कथन की पुष्टि होती है परन्तु संचिका में रक्षित संवेदक द्वारा समर्पित 10वाँ चालू विपत्र जिस पर कार्यपालक अभियंता का हस्ताक्षर है तथा प्रमंडल में 1546 दिनांक 30.12.2011 को डायरी किया गया है के अनुसार उक्त रीच यथा बि०दु० 739.80 से 740.0 के बीच लाईनिंग का कार्य दिनांक 01.11.2011 से 25.11.2011 के बीच श्री दत्त के कार्यकाल में कराया गया है। संवेदक द्वारा 10वाँ चालू विपत्र के समपर्ण के संबंध में कार्यपालक अभियंता, रतवारा से विभागीय पत्रांक–2456 दिनांक 29.11.2018 से प्रतिवेदन की माँग की गयी, के अनुपालन में कार्यपालक अभियंता, रतवारा द्वारा पत्रांक–121 दिनांक 23.02.2019 से संवेदक द्वारा समर्पित 10वाँ चालू विपत्र की प्रति संलग्न करते हुए कहा गया है कि प्रमंडल के अन्तर्गत तिरहुत मुख्य नहर के बि०दु० 739.80 से 740.0 तक के प्रभार में रहने वाले सहायक अभियंता श्री संजीव दत्त के कार्य अवधि दिनांक 10.11.2008 से 04.12.2011 है। इस कार्य में संलग्न तत्कालीन कनीय अभियंता श्री हरेन्द्र प्रसाद द्वारा स्वीकार किया गया है कि बिना उनकी जानकारी के मनमाने ढ़ंग से संवेदक द्वारा कार्य करा दिया गया है एवं भुगतान हेतु रनिंग विपत्र प्रमंडल में समर्पित कर दिया गया है, जिसे अमान्य करते हुए मार्त्र, 2012 में भुगतान रोक दिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत न्यून विशिष्टि का कार्य दिनांक 01.11.2011 से 25.11.2011 के बीच श्री दत्त, तत्कालीन सहायक अभियंता के कार्यकाल में संवेदक द्वारा कराया गया है। संवेदक के द्वारा कराये गये न्यून विशिष्टि के कार्यों को अमान्य करते हुए मापपुस्त में इनकी प्रविष्टि नहीं किया गया, जिसके कारण उक्त कार्य का भुगतान नहीं किया जा सका। इस प्रकार श्री दत्त के विरूद्ध कर्त्तव्य में शिथिलता एवं लापरवाही बरतने का आरोप बनता है किन्तु उक्त कार्य का भुगतान नहीं किये जाने से किसी प्रकार के वित्तीय क्षति होना परिलक्षित नहीं होता है।

समीक्षोपरांत श्री संजीव दत्त, सेवानिवृत सहायक अभियंता के विरूद्ध राज्य सरकार को आर्थिक क्षति पहुँचाने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है। अतएव इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

अतएव सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री संजीव दत्त, सेवानिवृत सहायक अभियंता के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होता है तथा इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। उक्त निर्णय श्री

संजीव दत्त, सेवानिवृत सहायक अभियंता, पी0आर0डी0ए0 फ्लैट, ब्लॉक नं0–2/93, फ्लैट नं0–304, पी0आई0टी0 कॉलोनी, कंकडबाग, पटना को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

14 जनवरी 2021

सं0 22/नि०सि०(वीर०)07–10/17–44––श्री राजेश कुमार (आई0डी0–5295), तत्कालीन सहायक अभियंता, पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली, सुपौल द्वारा अपने उक्त पदस्थापन काल में बरती गई अनियमितता के संबंध में मामले की जाँच विभागीय उड़नदस्ता अंचल द्वारा की गई। उड़नदस्ता अंचल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक–1447 दिनांक 25.08.2017 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण किया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। मामले के सम्यक समीक्षोपरांत श्री कुमार के स्पष्टीकरण को अस्वीकारयोग्य पाते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प–सह–पठित ज्ञापांक–2533 दिनांक 09.12.2019 द्वारा श्री राजेश कुमार (आई0डी0–5295), तत्कालीन सहायक अभियंता, पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली, सुपौल के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत निम्न आरोप के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप के मुख्य अंश :–

(i) विस्तारित सिकरहट्टा अंझरी निम्न बाँध (ESMLB) के कि0मी0 6.0 से 11.20 के बीच वर्ष 2017 बाढ़ के पूर्व कराये गये कटाव निरोधक कार्य के तहत कि0मी0 9.40 स्टड के U/S शैक में क्रेटेड बोल्डर पिचिंग कार्य में मानक Voids 20% से 0.92% अधिक पाया गया। एकरारनामा के शर्त्त के अनुसार मानक Voids 20% से अधिक पाये जाने पर तदनुसार विपत्र से कटौती करने का प्रावधान है। इस प्रकार एकरारनामा के शर्त्तो का उल्लंघन करते हुए न्यून विशिष्टि का कार्य कराकर प्रावधान के अनुरूप अनियमित भुगतान किये जाने से संवेदक को लाभ पहुँचाये जाने का मामला बनता प्रतीत होता है।

(ii) प्रश्नगत बाँध के कि0मी0 6.0 से 11.20 एवं 12.30 से 13.35 के बीच बाढ़ 2017 के पूर्व कराये गये कटाव निरोधक कार्य के तहत जियो बैग में बालू भरे बैग से एप्रोन एवं स्लोप पिचिंग कार्य में लगभग हर जगह Undulation एवं पिचिंग कार्य प्रोपर नहीं पाया गया। जिससे न्यून विशिष्टि कार्य होना परिलक्षित है। उक्त न्यून विशिष्टि के कार्य के कारण नदी के तेज प्रवाह से पूरा कार्य क्षतिग्रस्त होने की संभावना व्यक्त की गयी एवं किया गया व्यय Wasteful Expenditure होने की संभावना है। जो Work manship में कमी, दायित्वों के निर्वहन में कमी, निरीक्षण/पर्यवेक्षण में कमी दर्शाता है।

(iii) प्रश्नगत बाँध के कि0मी0 6.0 से कि0मी0 12.38 के बीच बाढ़ 2017 के पूर्व कराये गये कटाव निरोधक कार्य के अन्तर्गत विभिन्न रो में कराये गये परक्युपाईन लेईंग कार्य में अधिकांश भाग में झाँखी भराई कार्य कराया हुआ नहीं पाया गया। कुछ परक्युपाईन में आंशिक झाँखी भराई का कार्य पाया गया, जबकि बाढ़ अवधि में बिना झाँखी भराई किये ही परक्युपाईन की कोई उपयोगिता नहीं रहा जाता है। अतएव समय पर झाँखी भराई कार्य नहीं कराने के लिए आप दोषी प्रतीत होते है।

विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा अधिगम समर्पित किया गया जिसमें आरोप अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री राजेश कुमार को आरोपमुक्त करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री राजेश कुमार (आई0डी0–5295), तत्कालीन सहायक अभियंता, पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली, सुपौल को आरोप मुक्त किया जाता है।

सरकार का उक्त निर्णय श्री राजेश कुमार (आई0डी0–5295), तत्कालीन सहायक अभियंता, पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली, सुपौल को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

14 जनवरी 2021

सं0 22/नि०सि०(वीर०)07–10/17–45––श्री विनोद कुमार (आई0डी0–3392), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली द्वारा अपने उक्त पदस्थापन काल में बरती गई अनियमितता के संबंध में मामले की जाँच विभागीय उड़नदस्ता अंचल द्वारा की गई। उड़नदस्ता अंचल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक–1408 दिनांक–23.08.2017 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण किया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। मामले के सम्यक समीक्षोपरांत श्री कुमार के स्पष्टीकरण को अस्वीकारयोग्य पाते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प–सह–पठित ज्ञापांक–2535 दिनांक–09.12.2019 द्वारा श्री विनोद कुमार (आई0डी0–3392), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत निम्न आरोप के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप के मुख्य अंश :–

(i) विस्तारित सिकरहट्टा अंझरी निम्न बाँध (ESMLB) के कि0मी0 6.0 से 11.20 के बीच वर्ष 2017 बाढ़ के पूर्व कराये गये कटाव निरोधक कार्य के तहत कि0मी0 9.40 स्टड के U/S शैक में क्रेटेड बोल्डर पिचिंग कार्य में मानक Voids 20% से 0.92% अधिक पाया गया। एकरारनामा के शर्त्त के अनुसार मानक Voids 20% से अधिक पाये जाने पर तदनुसार विपत्र से कटौती करने का प्रावधान है। इस प्रकार एकरारनामा के शर्त्तो का उल्लंघन करते हुए न्यून विशिष्टि का कार्य कराकर प्रावधान के अनुरूप अनियमित भुगतान किये जाने से संवेदक को लाभ पहुँचाये जाने का मामला बनता प्रतीत होता है।

(ii) प्रश्नगत बाँध के कि0मी0 6.0 से 11.20 एवं 12.30 से 13.35 के बीच बाढ़ 2017 के पूर्व कराये गये कटाव निरोधक कार्य के तहत जियो बैग में बालू भरे बैग से एप्रोन एवं स्लोप पिचिंग कार्य में लगभग हर जगह Undulation एवं पिचिंग कार्य प्रोपर नहीं पाया गया। जिससे न्यून विशिष्टि कार्य होना परिलक्षित है। उक्त न्यून विशिष्टि के कार्य के कारण नदी के तेज प्रवाह से पूरा कार्य क्षतिग्रस्त होने की संभावना व्यक्त की गयी एवं किया गया व्यय Wasteful Expenditure होने की संभावना है। जो Work manship में कमी, दायित्वों के निर्वहन में कमी, निरीक्षण/पर्यवेक्षण में कमी दर्शाता है।

(iii) प्रश्नगत बाँध के कि0मी0 6.0 से कि0मी0 12.38 के बीच बाढ़ 2017 के पूर्व कराये गये कटाव निरोधक कार्य के अन्तर्गत विभिन्न रो में कराये गये परक्युपाईन लेईंग कार्य में अधिकांश भाग में झाँखी भराई कार्य कराया हुआ नहीं पाया गया। कुछ परक्युपाईन में आंशिक झाँखी भराई का कार्य पाया गया, जबकि बाढ़ अवधि में बिना झाँखी भराई किये ही परक्युपाईन की कोई उपयोगिता नहीं रहा जाता है। अतएव समय पर झाँखी भराई कार्य नहीं कराने के लिए आप दोषी प्रतीत होते है।

विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा अधिगम समर्पित किया गया जिसमें आरोप अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री विनोद कुमार को आरोपमुक्त करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री विनोद कुमार (आई0डी0–3392), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली को आरोप मुक्त किया जाता है।

सरकार का उक्त निर्णय श्री विनोद कुमार (आई0डी0–3392), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

14 जनवरी 2021

सं0 22/नि०सि०(वीर०)07–10/17–46––श्री ओम प्रकाश (आई0डी0–3297), तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध अंचल, सहरसा द्वारा अपने उक्त पदस्थापन काल में बरती गई अनियमितता के संबंध में मामले की जाँच विभागीय उड़नदस्ता अंचल द्वारा की गई। उड़नदस्ता अंचल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक–1407 दिनांक 23.08.2017 द्वारा श्री ओम प्रकाश से स्पष्टीकरण किया गया। श्री ओम प्रकाश द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। मामले के सम्यक समीक्षोपरांत श्री ओम प्रकाश के स्पष्टीकरण को अस्वीकारयोग्य पाते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प–सह–पठित ज्ञापांक–2534 दिनांक 09.12.2019 द्वारा श्री ओम प्रकाश (आई0डी0–3297), तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध अंचल, सहरसा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

श्री ओम प्रकाश के विरूद्ध गठित आरोप के मुख्य अंश :–

पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली के अन्तर्गत Extended sikarhatta Majhar low bundh के कि0मी0 6.0 से 11.20 एवं 12.30 से 13.35 के बीच बाढ़ 2017 के पूर्व कराये गये कटाव निरोधक कार्यों की जाँच में बोल्डर पिचिंग कार्य में मानक Voids 20% के जगह पर 20.92% पाया गया। अर्थात् न्यून विशिष्टि के बोल्डर क्रेटिंग कार्य होना परिलक्षित है। उसी प्रकार कि0मी0 8.67 से 13.55 के बीच विभिन्न स्थलों पर जियो बैग से कराये गये एप्रोन एवं स्लोप पिचिंग कार्य में लगभग हर जगह Undulation एवं प्रोपर नहीं पाया गया। अर्थात् विशिष्टि युक्त कार्य नहीं कराया गया। इस कार्य में परक्युपाईन लेईंग के कार्य में दिनांक–05.06.2017 तक झाँखी भराई कार्य नहीं कराया गया एवं कुछ में आंशिक रूप से झाँखी भराई कराया जाना परिलक्षित है। उक्त से स्पष्ट है कि आपके द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया न ही स्थल का निरक्षण/पर्यवेक्षण तथा समुचित दिशा निदेश दिया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें आरोप अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री ओम प्रकाश को आरोपमुक्त करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री ओम प्रकाश (आई0डी0–3297), तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध अंचल, सहरसा को आरोप मुक्त किया जाता है।

सरकार का उक्त निर्णय श्री ओम प्रकाश, अधीक्षण अभियंता को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

2 फरवरी 2021

सं0 22/नि0सि0(मुज0)–06–13/2010–133––श्री गुंजालाल राम (आई0डी0–3798), तत0 मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर के उनके उक्त अवधि में पदस्थापन के दौरान जल पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के केन्द्रीय भंडार में 5000 घन मीटर बोल्डर की आपूर्ति में बरती गई अनियमितता की जाँच विभागीय उड़नदस्ता अंचल, पटना द्वारा की गई। उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षोपरांत प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–1488 दिनांक 25.07.2010 स्पष्टीकरण पूछा गया। उक्त के आलोक में श्री राम, तत0 मुख्य अभियंता द्वारा अपने पत्रांक–104 दिनांक 09.01.2017 द्वारा अपना जवाब समर्पित किया गया। श्री राम, मुख्य अभियंता से प्राप्त जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई समीक्षोपरांत उनके विरूद्ध निम्न आरोपों के लिए आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1764 दिनांक 05.10.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

आरोप–1–विभागीय पत्रांक–83, दिनांक 13.10.2010 से शीर्ष 2711 में बोल्डर आपूर्ति हेतु प्राप्त स्वीकृत्यादेश तथा विभागीय पत्रांक–724 दिनांक 25.01.2010 से शीर्ष 2711 (गैर योजना मद) में उक्त कार्य हेतु आवंटन प्राप्ति के बावजूद मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक–948 दिनांक 16.07.1986 के कंडिका–8.1.02 में निहित निदेश के गैर योजना मद में मरम्मति एवं अनुरक्षण कार्य के प्राक्कलन जो चालू अनुसूचित दर पर बनाये गये हो उसके उपर किसी प्रकार की बढोतरी अनुमान्य नहीं होगा तथा निविदा निस्तार में अनुसूचित दर से अधिक दर अनुमान्य नहीं होगा। इसके बावजूद आपके द्वारा आलोच्य कार्य का निविदा निस्तार करते हुए अनुसूचित से 6 (छः) प्रतिशत अधिक दर पर कार्यावंटन आदेश निर्गत किया गया। इस संदर्भ में अभियंता प्रमुख, जल निस्सरण एवं बाढ़ नियंत्रण, पटना द्वारा भी मंतव्य दिया गया कि संदर्भित मामले में गैर योजना मद शीर्ष 2711 के तहत बोल्डर भंडारण कराने के संदर्भ में मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग के उक्त पत्र के कंडिका 8.1.02 में उल्लेखित नियम लागू होते है। अतः आपके द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रश्नगत कार्य का कार्यावंटन अनुसूचित से 6 (छः) प्रतिशत अधिक दर पर निर्गत करने के कारण कुल 7,20,688/– रूपये का अधिकाई भुगतान का मामला बनता है। अतएव सरकार को 7,02,688 रूपये की क्षति पहुँचाने के लिए आप दोषी है।

विभागीय कार्यवाही के दौरान संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित बचाव बयान में श्री गुंजालाल राम, तत0 मुख्य अभियंता द्वारा निम्न बातें कही गई हैं –

इस संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र में अंकित किया गया है कि मेरे तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित था, तो मेरे विरूद्ध उक्त परिक्षेत्र के अन्तर्गत जल पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर में वर्ष 2009–10 में बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु लिये गये बोल्डर में अनियमितता के क्रम में मेरे उपर प्रपत्र–क गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के प्रावधान के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु भवदीय को संचालन पदाधिकारी एवं श्री अशोक सिंह ठाकुर, कार्यपालक अभियंता, अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन का कार्यालय, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त के आलोक में भवदीय प्रासंगिक पत्र द्वारा आज दिनांक 25.05.2018 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है, जिसके आलोक में आज दिनांक 25.05.2018 को मैं उपस्थित हूँ। इस संबंध में कहना है कि–

(1) मैं दिनांक 31.10.2017 को मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार के पद से सेवानिवृत हो चुका हूँ।

(2) संबंधित विभागीय कार्यवाही का संकल्प मेरे सेवा में रहने की अवधि के समय निर्गत हुआ था। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–1893 दिनांक 14.06.2011 के कंडिका–15 में यह अंकित है कि–**"विभागीय कार्यवाही के चलते रहने के दरम्यान आरोपित सरकारी सेवक के सेवानिवृत हो जाने पर विभागीय कार्यवाही चलती रहेगी। ऐसे मामले में नियम–43(बी) के तहत कोई नया आदेश निर्गत नहीं कर कार्यवाही के नियम–43(बी) के तहत स्वतः परिवर्त्तन संबंधी एक आदेश निर्गत करना ही पर्याप्त होगा"।** सुलभ प्रसंग हेतु उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न है जिस परिशिष्ट–1 पर देखा जा सकता है। उक्त दिशा–निर्देश के आलोक में विभागीय अधिसूचना निर्गत हुआ है, तो उसकी छायाप्रति उपलब्ध कराने का निर्देश प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को देना चाहेंगे।

(3) उपरोक्त संबंध में यह भी कहना है कि–

(क) कृपया आरोप पत्र के परिशिष्ट–क का अवलोकन करना चाहेंगे, जिसमें मेरे उपर यह आरोप लगाया गया है कि उड़नदस्ता द्वारा जल पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के केन्द्रीय भण्डार में बोल्डर के भण्डारण के लिए बाढ़ अवधि में संभावित

स्थिति से निपटने हेतु शीर्ष 2711 में स्वीकृत्यादेश निर्गत किया गया था। उक्त स्वीकृत्यादेश के तहत विधिवत निविदा आमंत्रित की गयी थी। निविदा के निस्तार जो मेरे द्वारा किया गया था, उसकी जाँच उड़नदस्ता द्वारा की गयी थी।

(ख) उक्त प्रतिवेदन के आलोक में मुझसे विभागीय पत्रांक–586 दिनांक 24.04.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। उक्त के आलोक में मैंने अपने पत्रांक–101 दिनांक 07.06.2017 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया था। सुलभ प्रसंग हेतु उक्त स्पष्टीकरण की छायाप्रति संलग्न है, जिसे परिशिष्ट–2 पर देखा जा सकता है।

(ग) वर्तमान में जो विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया है, उसका मुख्य आधार वही है जिस बिन्दु पर मुझसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। आरोप पत्र में यह अंकित है कि–**"इस संदर्भ में अभियंता प्रमुख, जल निस्सरण एवं बाढ़ नियंत्रण, पटना द्वारा भी मंतव्य दिया गया कि संदर्भित मामले में गैर योजनामद शीर्ष 2711 के तहत बोल्डर भंडारण कराने के संदर्भ में मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग के उक्त पत्र के कंडिका 8.1.02 में उल्लेखित नियम लागु होते है"।** इससे यह स्पष्ट है कि मेरे उपर लगाये गये आरोप का मुख्य आधार मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग के पत्र के कंडिका 8.1.02 है।

(घ) उक्त पत्र के कंडिका 8.1.02का अवलोकन करना चाहेंगे, जिसमें यह अंकित है कि–**"मरम्मति एवं अनुरक्षण कार्य के प्राक्कलन जो चालू अनुसूचित दर के आधार पर बनाये गये हों, उनके उपर किसी प्रकार की बढ़ोतरी अनुमान्य नहीं होगी"।** इससे यह स्वतः स्पष्ट है कि मरम्मति एवं अनुरक्षण कार्य हेतु यह शर्त्त जो कि बिहार लोक निर्माण विभागीय संहिता के 2005 में संशोधन के उपरांत पुनर्ख्यापित/संशोधन नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में लोक निर्माण विभाग के संकल्प सं0–2676 दिनांक 15.05.2005 के कंडिका–6 के आलोक में वर्तमान में लागू नहीं है।

(ड.) इस संबंध में यह भी कहना आवश्यक है कि संबंधित दिशा–निर्देश मरम्मति एवं अनुरक्षण से संबंधित है, जबकि आरोप पत्र से स्पष्ट होगा कि "संबंधित कार्य बोल्डर के भण्डारण से संबंधित था अर्थात यह क्रय का मामला था न कि अनुरक्षण या मरम्मति का कोई कार्यमद इसमें निहित था, जिसकी सम्पुष्टि जल संसाधन विभाग के पत्रांक 83 दिनांक 13.01.2010 द्वारा निर्गत बोल्डर भण्डारण स्वीकृति पत्र से भी की जा सकती है।"

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए आवश्यक निर्णय लेना चाहेंगे। इस हेतु मैं सदा आभारी रहूँगा।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में निम्न बातें कही गई हैं–

आरोपी पदाधिकारी श्री गुंजालाल राम, तत्कालीन मुख्य अभियंता के बचाव बयान की समीक्षा की गई। श्री राम, तत्कालीन मुख्य अभियंता द्वारा बचाव बयान में सेवानिवृत होने के उपरांत नियम–43 (बी) के तहत परिवर्तन संबंधी आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया है जो प्रशासी प्राधिकार से संबंधित है।

आरोपी पदाधिकारी के बचाव–बयान में यह स्पष्ट किया गया है कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक–948 दिनांक 16.07.86 के कंडिका 8.1.02 में "मरम्मति एवं अनुरक्षण कार्य" का उल्लेख है।

श्री राम, तत्कालीन मुख्य अभियंता आरोपी पदाधिकारी के इस कथन से सहमत हुआ जा सकता है कि संबंधित कार्य बोल्डर के भंडारण से संबंधित था अर्थात यह क्रय का मामला था न कि अनुरक्षण या मरम्मति का कोई कार्यमद इसमें निहित था, जिसकी सम्पुष्टि जल संसाधन विभाग के पत्रांक–83 दिनांक 13.01.2010 द्वारा निर्गत बोल्डर भंडारण स्वीकृति पत्र से भी की जा सकती है।"

अतः उक्त कार्य को "मरम्मति एवं अनुरक्षण कार्य" मानना युक्ति संगत नहीं है। विभागीय पत्रांक–83 दिनांक 13.01.2010 से भी यह स्पष्ट है कि कार्य मात्र बोल्डर भंडारण से संबंधित है जिसका व्यय गैर योजना मद शीर्ष से भारित किये जाने का आदेश निर्गत किया गया है। मात्र गैर योजना मद में व्यय की स्वीकृति के कारण भंडारण कार्य को "मरम्मति एवं अनुरक्षण कार्य" मानना न्यायोचित नहीं प्रतीत होता है।

अतएव उपर्युक्त मंतव्य के आलोक में श्री गुंजालाल राम, तत्कालीन मुख्य अभियंता के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया।

विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में श्री राम, मुख्य अभियंता के दिनांक 31.10.17 को सेवानिवृत हो जाने के कारण उनके विरूद्ध पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही का विभागीय आदेश सं0–63 सह ज्ञापांक–1465 दिनांक 09.07.18 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) में सम्परिवर्तित किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी जिसमें निम्न तथ्य पाये गये। संचालन पदाधिकारी निम्न तथ्यों के आलोक में आरोप प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया है–

(i) आरोपी पदाधिकारी के बचाव बयान में यह स्पष्ट किया गया है कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक 948 दि० 16.07.86 के कंडिका 8.1.02 में **"मरम्मति एवं अनुरक्षण कार्य"** का उल्लेख है जबकि संबंधित कार्य बोल्डर के भंडारण से संबंधित था। अर्थात यह क्रय का मामला था न कि अनुरक्षण या मरम्मति का कोई कार्य मद इसमें निहित था। जिसकी सम्पुष्टि विभागीय पत्रांक 83 दि० 13.01.10 द्वारा निर्गत बोल्डर भंडारण स्वीकृति पत्र से भी होती है।

उक्त कार्य का मरम्मति एवं अनुरक्षण कार्य मानना युक्ति संगत नहीं है विभागीय पत्रांक 83 दि० 13.01.10 से भी स्पष्ट है कि यह कार्य मात्र बोल्डर भंडारण से संबंधित है जिसका व्यय गैर योजना मद शीर्ष से भारित किये जाने का आदेश निर्गत किया गया है। मात्र गैर योजना मद में व्यय की स्वीकृति के कारण भंडारण कार्य को मरम्मति एवं अनुरक्षण कार्य मानना न्यायोचित नहीं प्रतीत होता है।

अभिलेखों से स्पष्ट है कि श्री राम, तत0 मुख्य अभियंता के विरूद्ध आरोप का गठन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प 948 दि० 16.07.1986 पर आधारित है। प्रश्न यह है कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प सं० 948 दि० 16.07.1986 वर्ष 2009–10 में प्रभावी था अथवा नहीं। विदित हो कि लोक निर्माण संहिता के संशोधित पत्रांक 2676 दि० 15.05.2005 के कंडिका–6 में स्पष्ट रूप से उद्धित है कि बिहार लोक निर्माण संहिता के अन्तर्गत

तकनीकी परीक्षक कोषांग मंत्रिमंडल निगरानी विभाग एवं सभी कार्य विभागों द्वारा समय–समय पर जारी कार्यपालक आदेशों की समीक्षा कर संबंधित विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार पुर्नप्रख्यापित (Reiterate) किये जाये अन्यथा तीन माह के बाद इन कार्यपालक आदेशों का प्रभाव समाप्त समझा जाये। साथ ही बिहार लोक निर्माण विभाग के संशोधित संहिता के कंडिका 9 एवं 10 के अनुसार उक्त कंडिका 6 पर वित्त विभाग, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग विधि विभाग की सहमति प्राप्त है एवं मुख्य सचिव सह विशेष परामर्शी एवं महामहिम राज्यपाल का अनुमोदन प्राप्त है।

उक्त के आलोक में यह ज्ञात करना आवश्यक हो गया था कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प सं० 948 दि० 16.07.1986 को संशोधित बिहार लोक निर्माण संहिता के कंडिका–6, 9 एवं 10 के आलोक में पुर्नस्थापित (Reiterate) किया गया है अथवा नहीं। वर्ष 2009–10 में उक्त संकल्प प्रभावी था अथवा नहीं। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग से मंतव्य की माँग की गयी परन्तु मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने उक्त संकल्प प्रभावी रहने के संदर्भ में कोई मंतव्य नहीं दिया गया एवं वित्त विभाग से मंतव्य प्राप्त करने का परामर्श दिया गया। ततपश्चात मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय के संकल्प सं० 948 दि० 16.02.1986 के प्रभावी होने अथवा नहीं होने के संबंध में वित्त विभाग से परामर्श हेतु संचिका पृष्ठांकित किया गया। वित्त विभाग द्वारा भी उक्त संकल्प प्रभावी होने अथवा नहीं होने के संबंध में कोई मंतव्य नहीं दिया गया तथा वित्त विभाग ने पथ निर्माण विभाग के साथ–साथ अन्य संबंधित विभाग मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से परामर्श प्राप्त करने की अनुशंसा की गयी। उक्त परामर्श के आलोक में पुनः संचिका मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग को पृष्ठांकित किया गया। परन्तु मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा उक्त संकल्प के प्रभावी होने अथवा नहीं होने के संदर्भ में कोई मंतव्य नहीं दिया गया।

उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक 83 दि० 13.01.10 द्वारा गैर योजना शीर्ष 2711 के तहत बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु कुल 5000 घन मी० बोल्डर की भंडारण की स्वीकृति प्रदान की गयी। जिसके तहत विधिवत निविदा आमंत्रित किया गया एवं निविदा निस्तारोपरान्त आरोपी तत्कालीन मुख्य अभियंता द्वारा अनुसूचित दर से 6 प्रतिशत अधिक दर पर कुल 117.0134 लाख के लिये मे० दीपशिखा कन्स० प्रा० लि० को कार्य आवंटित किया गया।

संशोधित बिहार लोक निर्माण संहिता के कंडिका 292 के उप कंडिका (vi) (i) में मुख्य अभियंता को प्रदत्त शक्ति के अनुसार to pass all excess of not more than 10% of the amounts of original estimate sanctioned by him or by a higher authority अर्थात माना जा सकता है कि परिणाम विपत्र में उद्धित दर से 10 प्रतिशत अधिक दर पर कार्यावंटन निर्गत करने के लिये मुख्य अभियंता सक्षम है।

बोल्डर आपूर्ति की मात्रा पर कोई विवाद नहीं है क्योंकि आपूरित बोल्डर की कुल मात्रा 5440.47 घन मी० अन्य प्रमंडल यथा चम्पारण प्रमंडल, मोतिहारी को 536.656 घन मी० एवं बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा को कुल 4963.81 घन मी० यानी कुल 5440.47 घन मी० हस्तांतरित किया जा चुका है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प सं० 948 दि० 16.07.1986 को बिहार लोक निर्माण संहिता (संशोधित) पत्रांक 2676 दिनांक 15.05.2005 के कंडिका 6 के आलोक में पुर्नख्यापित (Reiterate) किये जाने के संदर्भ में कोई भी विभाग द्वारा किसी तरह का कोई मंतव्य नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में माना जा सकता है कि संकल्प सं० 948 दि० 16.07.1986 को पुर्नख्यापित (Reiterate) नहीं हो सका है। फलतः यह संकल्प वर्ष 2009–10 के पूर्व से ही निष्प्रभावी माना जा सकता है एवं अनुसूचित दर से 6 प्रतिशत से अधिक निविदा निस्तार एवं कार्यावंटन बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 292 के कंडिका (vi) के आलोक में उचित प्रतीत होता है। इस मामले में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य कि बोल्डर आपूर्ति मरम्मति एवं अनुरक्षण कार्य नहीं है से सहमत हुआ जा सकता है। अतएव आरोप अप्रमाणित होता है।

समीक्षोपरांत श्री गुंजालाल राम, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण आरोपमुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

अतएव सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री गुंजालाल राम, सेवानिवृत मुख्य अभियंता, B-2, विनीता विला, सिद्धार्थ नगर, पो0–वी0 भी0 कॉलेज, जगदेवपथ, पटना के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण आरोप मुक्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

4 फरवरी 2021

सं0 22 / नि0सि0(विविध)मुज0–21–32 / 2016–144––श्री अंशुमान ठाकुर (आई0डी0–3501) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल मोतिहारी को उनके उक्त प्रमंडल में पदस्थापन अवधि के दौरान वर्ष 2016 में बगहा शहर के नजदीक रतनमाला एवं पुअर हाउस में कराये गये कटाव निरोधक कार्य में बरती गई वित्तीय अनियमितता एवं सरकारी राशि की क्षति के लिए विभागीय ज्ञापांक सं०–1526 दिनांक 27.07.2016 द्वारा श्री ठाकुर को निलंबित किया गया एवं तदोपरांत विभागीय ज्ञापांक सं०–1585 दिनांक 29.07.16 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 में विहित रीति से प्रपत्र–क में उल्लेखित निम्न आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

(1) उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन के कंडिका 2.0.1 एवं 5.0.0 (1) के क्रम में प्रश्नगत कार्य के स्वीकृत प्राक्कलन के मद सं०–4 एवं 5 (बोल्डर क्रेटिंग एवं बोल्डर पीचींग कार्य) में बोल्डर ढुलाई मद में Loading एवं Unloading के लिए रूपये

145.04 प्रति घनमीटर तथा Stacking कार्य में रूपये 39.73 प्रति घनमीटर का अधिक दर स्वीकृत होने के कारण क्रमशः 7691833/– एवं 2106990/– अर्थात कुल रू0 97,98,824/– का अधिकाई भुगतान होना संभावित प्रतीत होता है। उक्त प्राक्कलन का गठन प्रस्ताव का सर्मपण एवं अनियमित भुगतान में आपकी संलिप्तता रही है।

(2) उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन की कंडिका 2.0.2 एवं 5.0.0 के उप कंडिका–3 से स्पष्ट है कि प्रश्नगत कार्य में जंगल सफाई कार्य का प्राक्कलन में प्रावधानित मात्रा 23250 वर्गमी0 का हूबहू मापपुस्त में अंकित कर भुगतान करने की कार्रवाई की गई है। जबकि स्थल पर प्रावधानित लंबाई 1550 मीटर के विरूद्ध 1490 मीटर पाया गया। इस प्रकार जंगल सफाई मद में अधिकाई भुगतान करने के लिये आप दोषी है।

(3) उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन के कंडिका 3.0.1 एवं 5.0.0(3) के समीक्षा में पाया गया कि एप्रोन लेईंग का Alignment बिना सक्षम प्राधिकार के स्वीकृत प्राप्त किये ही नदी के किनारे से 2.8मी0 से 6.25मी0 Back Shift कर गलत alignment पर कार्य कराया गया। जिसके कारण ग्रामीणों का आवासीय एवं उपजाऊ भूमि बर्बाद होने के साथ–साथ सरकार के भूमि अधिग्रहण मद एवं फसल मुआवजा मद तथा मिट्टी कटाई मद में सरकारी राशि का अपव्यय होना परिलक्षित है। यदि apron laying को बिना back shift किये हुए कार्य कराया जाता तो उपरोक्त अपव्यय को बचाया जा सकता है। परन्तु आपके द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

(4) उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन के कंडिका 3.03 से स्पष्ट है कि प्रश्नगत कार्य प्राक्कलन के प्रावधानित के विरूद्ध LWL 80.96 से 0.16मी0 से 0.95मी0 उपर तक कार्य प्रारंभ कराया गया है जिसके कारण एप्रोन सिंक करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति में इस योजना पर किया गया व्यय अनुपयोगी होने की प्रबल संभावना बनती है। इस प्रकार न्यूनतम जलस्तर से उपर एप्रोन का कार्य कराया गया।

(5) उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन की कंडिका 3.0.4 से स्पष्ट है कि उड़नदस्ता जाँच दल द्वारा स्थलीय जाँच में Boulder Crating कार्य में 20.25 तथा Uncrated Boulder Pitching कार्य में 21.43 प्रतिशत voids पाया गया है, जो निर्धारित मानक 20 प्रतिशत से अधिक है। फलतः अनियमित भुगतान होना परिलक्षित होता है। अतएव न्यून विशिष्टि के कार्य कराकर भुगतान प्रावधान के अनुरूप कया गया।

(6) जाँच प्रतिवेदन के कंडिका 4.0.1 से स्पष्ट है कि स्थलीय जाँच में एकरारनामा में प्रावधानित विशिष्टि के विरूद्ध Boulder Crating कार्य में Oversize Boulder 39.95% एवं Under Size Boulder 48.22% पाया गया उसी प्रकार पैनल में Uncrated Boulder Pitching कार्य में Over Size Boulder 49.37% तथा Under size boulder 30.22% पाया गया। इससे परिलक्षित है कि विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं कराया गया परन्तु भुगतान प्रावधान के अनुरूप करने के फलस्वरूप अधिकाई भुगतान होना स्पष्ट रूप से परिलक्षित है।

(7) उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन की कंडिका 4.0.2 से स्पष्ट है कि उड़नदस्ता के स्थलीय जाँच में स्वीकृत प्राक्कलन/एकरारनामा में प्रावधानित G.I. Binding Wire का व्यवहार क्रेट बांधने में नहीं किया गया है। फलतः B.A Wire Crate के साईज सिंक कर छोटा हो गया है। अतएव बिना G.I. Binding wire के उपयोग किये ही निम्न विशिष्टि के कार्य कराने के बावजूद भुगतान एकरारित दर से करने के कारण इस मद में अधिकाई भुगतान परिलक्षित है।

(8) उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन की कंडिका 4.0.3 से स्पष्ट है कि स्थलीय जाँच में Boulder Crating एवं Boulder Pitching कार्य में एकरारनामा तथा GOI, CWC द्वारा प्रकाशित Hand Book के पारा 5.3.4 के विपरीत भरे हुए बोल्डर तथा कम मोटाई के समतल (Flat) Boulder का उपयोग कर न्यून विशिष्टि का बोल्डर कार्य उपयोग कर न्यून विशिष्टि का कार्य कराया गया है एवं भुगतान प्रावधान के अनुरूप होने के फलस्वरूप अधिकाई भुगतान होना परिलक्षित है।

(9) जाँच प्रतिवेदन के कंडिका 4.0.4 एवं 5.0.0 के उप कंडिका 10 से बोध होता है कि एप्रोन एवं स्लोप के मिलन बिन्दु पर 1 फीट का गैप रह गया है, जिसके कारण अभी से ही बिना कटाव के ही स्लोप पिचींग फिसल रहा है एवं कुछ भाग के स्लोप पीचींग क्षतिग्रस्त भी हो गया है। जिसके कारण सरकार को एक बड़ी राशि का अपव्यय होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतएव इस प्रकार के अनियमित कार्य कराकर सरकारी राशि की अपव्यय की गयी।

(10) जाँच प्रतिवेदन की कंडिका 1.0.1 से बोध होता है कि उड़नदस्ता जाँच पदाधिकारी द्वारा जाँचित कार्य से संबंधित दस्तावेज दिनांक 17.06.16 को विशेष दूत से भेजने हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु आपके द्वारा दिनांक 19.06.2016 को शाम 5 बजे तक आंशिक दस्तावेज ही उपलब्ध कराया गया। अतएव वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने के लिए आप दोषी हैं।

संचालन पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में श्री ठाकुर, कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध आरोप सं०–03, 04, 05, 06, 07, 08 एवं 09 को पूर्णतः प्रमाणित एवं आरोप सं०–02 एवं 10 को अप्रमाणित तथा आरोप सं०–1 में 76,91,833/– (छिहत्तर लाख इकानवे हजार आठ सौ तैतीस) रूपये के अधिकाई भुगतान को प्रमाणित पाया है। इसी आरोप में रू0 21,06,990/– रूपये के अधिकाई भुगतान को अप्रमाणित पाया गया है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गई । समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति श्री ठाकुर को विभागीय पत्रांक–494, दिनांक 10.04.2017 द्वारा उपलब्ध कराते हुए द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

उक्त के आलोक में श्री ठाकुर, कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने पत्रांक–0 दिनांक 19.05.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब विभाग में समर्पित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बाते कही गई हैं :–

आरोप सं०–1– 69,22,650/– रूपये की अनियमित भुगतान संबंधी आरोप को प्रमाणित पाये जाने हेतु संचालन पदाधिकारी कई तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो निम्नवत है :–

(क) प्राक्कलन में 2 times loading or unloading के लिये 2x143.60 का प्रावधान किया जाना जो Font end loader से Loading & Unloading by tripper का है। उसमें मैनुअल लोडिंग एवं अनलोडिंग का प्रावधान नहीं रहने के कारण मेरा बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं माना गया है। जबकि मैनुअल लोडिंग एवं अनलोडिंग किया गया है।

(ख) मेरे द्वारा पूरक बचाव बयान में मिर्जापुर एवं बेतिया स्टेशन पर मात्र Manual Means से लोडिंग एवं अनलोडिंग करने के प्रावधान के साथ दर विशलेषण एवं तुलनात्मक विवरणी के माध्यम से सं० 16,07,736/—राशि की बचत को मात्र इस आधार पर सही नहीं माना गया कि गणना सही प्रतीत नहीं होता है।

(ग) उड़नदस्ता संगठन द्वारा मात्र एक ही बार लोडिंग एवं अनलोडिंग को सही बताया जाना।

(घ) अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना द्वारा मंतव्य दिया जाना कि ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त प्राक्कलन में बोल्डर की ढुलाई में Originating Station एवं Destination Station का क्रमशः मात्र एक ही लोडिंग एवं अनलोडिंग का प्रावधान होना चाहिये।

आरोप को मात्र संभावना के आधार पर प्रमाणित मान लिया गया है। पूर्व के बचाव बयान के कंडिका 1.1.1 (क) को अस्वीकार योग्य माना जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। रेलवे द्वारा माल ढुलाई हेतु रैंक में 59 बोगी को Standard पाया गया है। प्रति बोगी की क्षमता अधिकतम 66 टन रहने पर एक रैक में 59x66=3894 टन बोल्डर ढुलाई की जा सकती है। इस हिसाब से उक्त स्थल पर कार्य हेतु बोल्डर 106276 टन की ढुलाई हेतु 106276/3894=27 रैक की आवश्यकता होती। प्रति रैक 3894 टन बोल्डर [3894x0.499=1943.106M_3]की ढुलाई की जा सकती है। 1943.106M_2 को सीधे क्वेरी साईट से 74कि0मी0 दूरी पर स्थित मिर्जापुर रेलवे रैक प्वाईंट पर लाकर 9 घंटे के अन्दर बोगी में लोड करना एवं इसको बेतिया स्टेशन पर पहुँचाने के पश्चात रैक प्वाईंट पर अनलोड कर पुनः 9 घंटे के अन्दर रैक प्वाईंट खाली कर 68कि0मी0 स्थित कार्य स्थल पर पहुँचाना कतई संभव नहीं है। इस स्थिति में निश्चित रूप से यह दण्डात्मक शुल्क का मामला बनता है।

रेलवे द्वारा सामग्री रेल यार्ड में संग्रहन के बाद ही रैक दिया जाता है। पुनः रैक लगने के बाद वहाँ Font end leader से टिपर में लोड करने के पश्चात उसे रैक प्वांइट पर अनलोड कर मैनुअली बोगी में डाला जाना था। उसी प्रकार बेतिया में मैनुअली बोगी से अनलोड कर Front end Loader से पुनः टिपर में डाल कर रैक प्वाईंट को निर्धारित समय में खाली कराना आवश्यक था। उक्त कारणों से दो लोडिंग एवं अनलोडिंग का प्रावधान प्राक्कलन गठन के समय किया गया था। इस प्रकार मात्र मैनुअल लोडिंग अनलोडिंग का प्राक्कलन में प्रावधान नहीं रहने के कारण मेरे बचाव बयान अस्वीकार करना न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है।

यहाँ पर उल्लेखनीय है कि रेल द्वारा बोल्डर ढुलाई मद में दर विशलेषण में Originating एवं destination दोनों ही स्टेशन पर एक—एक बार अर्थात कुल दो बार लोडिंग एवं अनलोडिंग का प्रावधान एवं विवेक एवं व्यवहारिक बाध्यता के अनुसार good intention से किया गया था। जिसे अधीक्षण अभियंता ने अनुमोदन किया एवं मुख्य अभियंता भी सहमत होते हुए तकनीकी स्वीकृति हेतु प्राक्कलन मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध पटना के अनुशंसित किया गया। ततपश्चात मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, पटना द्वारा उक्त दर विशलेषण को सही मानते हुए प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति दी गयी। जिसके आधार पर पर BOQ की स्वीकृति मुख्य अभियंता, मोतिहारी द्वारा दी गई एवं अनुमोदित परिमाण विपत्र के आधार पर निविदा का निष्पादन किया गया।

आरोप सं०—3—इस बिन्दु को पूर्णतः प्रमाणित पाये जाने का उल्लेख है। जबकि संचालन पदाधिकारी द्वारा विषयांकित कार्य को सही एलाईनमेंट पर कराये जाने संबंधी तथ्य को स्वीकार योग्य माना गया। मात्र रेखांकण की विधिवत स्वीकृत सक्षम प्राधिकार से प्राप्त नहीं किये जाने हेतु ही मुझे दोषी माना गया है।

कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व संबंधित मुख्य अभियंता से कार्यालय कक्ष में वार्ता के उपरांत एलाइनमेंट का निर्धारण किया गया। कार्य सम्पादन अवधि में मुख्य अभियंता द्वारा एलाइनमेंट पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं किये जाने से उसकी पुष्टि होती है। मेरे उक्त कृत्य से न तो सरकारी राजस्व की क्षति ही हुई है एवं न ही कार्य की गुणवता पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है एवं आज की तारीख में भी कार्य पूर्णतः Intact है एवं उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है।

आरोप सं०—4—आरोप का यह बिन्दु एप्रोन LWL से 0.16मी0 से 0.95मी0 उपर से प्रारंभ किये जाने से संबंधित है। उड़नदस्ता के जाँच के पश्चात एप्रोन के Bottom Level की जाँच कार्य से संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा दिनांक 14.08.2016 को की गई एवं अन्तर अधिकतम 0.14मी0 पाया गया। वर्णित स्थिति में संचालन पदाधिकारी से पुनः उड़नदस्ता जाँच कराने का अनुरोध किया गया। परन्तु उड़नदस्ता जाँच में कनीय अभियंता/सहायक अभियंता स्थल पर उपस्थित थे के आधार पर अमान्य कर दिया गया। जबकि उड़नदस्ता जाँच के समय कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता का लेवल लेने में कोई सहभागिता नहीं थी।

आरोप सं०—5—क्रेटेड बोल्डर पिचिंग कार्य में Voids की मात्रा 20प्रतिशत के विरूद्ध 20.25 प्रतिशत पाये जाने से संबंधित है। इस नगन्य अन्तर को मान्य सीमा से अन्दर माना जाना न्यायोचित है।

कार्य में कुल 10814 अद्द क्रेटस में से मात्र एक क्रेट की जाँच कर पुरे कार्य के संबंध में अवधारणा बनाया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता है। क्रेटेड बोल्डर पिचिंग कार्य में यदि जाँचित एवं प्रावधानित Voids में अन्दर का आकलन किया जाय तो यह (20.25—20)=0.25 प्रतिशत आता है। जिसे नगन्य माना जा सकता है।

आरोप सं०–6–यह आरोप विशिष्टि के विरूद्ध बोल्डर क्रेटिंग कार्य में अन्दर साईज एवं ओभर साईज बोल्डर की मात्रा अपेक्षित मात्रा से अधिक पाये जाने से संबंधित है। इस क्रम में पुनः उल्लेखनीय है कि –

(क) अनुसूचित दर में 150mm एवं Below से लेकर 30mm एवं above size का बोल्डर का Basic rate at Quarry site पर समान है। अतः, यदि प्रावधान से छोटे एवं बडे आकार के बोल्डर का उपयोग किये जाने पर भी वित्तयी अनियमितता का मामला नहीं बनता है।

(ख) IS Code 14262-1998 के अनुसार यदि क्रेटेड बोल्डर पीचिग कार्य में बोल्डर का आकार मेस साईज से बड़ा हो तो मान्य किया जा सकता है।

(ग) तकनीकी परीक्षक कोषांग भी क्रेट में Voids की मात्रा नियंत्रित करने के लिए छोटे आकार के बोल्डर के व्यवहार को मान्य बताया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में न्यून विशिष्टि का कार्य कराये जाने का आरोप प्रमाणित माना जाना उचित नहीं है।

आरोप सं०–7–यह आरोप क्रेट के बाँधने में GI winding wire के जगह पर क्रेट बुनाई में इस्तेमाल किये जाने वाले 10SWG GI Wire को ही आवश्यतानुसार अधिक लंबाई में छोड़कर फिर उसी से क्रेट को बांधन का कार्य किया गया।

क्रेट बांधने का कार्य अकुशल मजदूर द्वारा किया जाता है। लोहे के रौड से क्रेट को कसकर बाँधने में कही–कहीं क्रेट के मेस में मामूली सिकुडन उत्पन्न हो जना स्वभाविक है। उक्त कृत से अधिकाई भुगतान होने जैसी संभावना उत्पन्न होने का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया मुक्त करने की कृपा की जाय।

आरोप सं०–8– यह बिन्दु भरे हुए बोल्डर एवं कम मोटाई के समतल बोल्डर कार्य में उपयोग करने से संबंधित है। संचालन पदाधिकारी का कहना है कि मुख्य अभियंता के निदेश के बाद भी कार्य में भरे एवं समतल बोल्डर का उपयोग किया गया। उल्लेखनीय है कि मुख्य अभियंता दिनांक 01.03.2016 को स्थल निरीक्षण के पश्चात दिये गये निरीक्षण प्रतिवेदन में कही पर भरे पत्थर का स्थल पर पाये जाने का उल्लेख नहीं है। स्थल पर पाये गये कतिपय Heant/flat बोल्डर को स्थल से हटाने का उनके द्वारा निदेश दिया गया था। जिसका अनुपालन प्रतिवेदन पत्रांक–437 दिनांक 26.03.2016 द्वारा मुख्य अभियंता, द्वारा उपलब्ध करा दिया गया था। इसके पश्चात दिनांक 16.03.2016 एवं दिनांक 17.04.2016 को अध्यक्ष, अनुवीक्षण दल, मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण में कार्य को संतोषप्रद बताया गया है एवं बोल्डर की गुणवत्ता पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य कि मुख्य अभियंता के निदेश के बावजूद न्यून विशिष्टि के बोल्डर कार्य में प्रयुक्त किया गया है। आधारहीन एवं तथ्य के परे है।

आरोप सं०–9–यह आरोप एप्रोन एवं स्लोप के मिलान बिन्दु पर गैप से संबंधित है। नदी के जलस्तर में वृद्धि के पश्चात कहीं–कहीं एप्रोन में मामूली रूप से सेटल होने के फलस्वरूप एप्रोन एवं स्लोप के मिलान बिन्दु पर कहीं–कहीं मामूली गैप होने लगा था। परन्तु कार्य defeat liability अवधि के अन्तर्गत रहने के कारण संवेदक द्वारा तत्क्षण मुख्य अभियंता के दिशा निदेश के अनुरूप सुधारात्मक कार्य अपने खर्च पर ही कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त व्यय भी नहीं हुआ है। आज की तिथि में कार्य मूलरूप में विद्यमान है। इसमें किसी प्रकार की सरकारी राशि का अपव्यय नहीं हुआ है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी अभियंता श्री ठाकुर, कार्यपालक अभियंता से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा निम्न तथ्य पाये गये हैं –

आरोप सं० –1 में उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन के अनुसार Quarry site से मिर्जापुर स्टेशन एवं बेतिया स्टेशन पर पहुँचाने में प्राक्कलन में प्रावधानित 2 time loading एवं Unloading को अनियमित बताते हुए 2 times के बदले एक बार मिर्जापुर स्टेशन पर लोडिंग एवं एक बार बेतिया स्टेशन पर रैक से Unloading होना बताया गया है तथा इसी आधार पर One time loading एवं Unloading मद में किये गये भुगतान को अधिकाई भुगतान होने का मंतव्य दिया गया है।

उक्त आरोप के संदर्भ में श्री सिंह, कनीय अभियंता (निलंबित) का कथन की प्राक्कलन गठन में मेरी कोई संलिप्तता नहीं रही है। क्योंकि मेरी प्रतिनियुक्ति के पूर्व कार्य प्रारंभ था एवं 40 प्रतिशत कार्य हो चुका था एवं एकरारनामा एवं प्राक्कलन के अनुरूप भुगतान करना मेरी बाध्यता थी को स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है। क्योंकि प्राक्कलन में बोल्डर ढुलाई के दर में अगर कोई त्रुटि थी तो श्री सिंह का दायित्व था कि भुगतान से पूर्व उक्त तथ्यों को उजागर करते हुए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर भुगतान करते परन्तु इनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर गलत भुगतान में सहयोग किया जाना परिलक्षित है। अतएव संचालन पदाधिकारी के मंतव्य सहमत होते हुए श्री सिंह के विरूद्ध आरोप सं०–1 का अंश यथा बोल्डर ढुलाई मद में कुल 69,22,650/– के अनियमित भुगतान होने में संलिप्तता होने के आरोप को प्रमाणित पाया गया है तथा बोल्डर स्टैकिंग मद में अनियमित भुगतान होने के आरोप को प्रमाणित नहीं माना गया है।

आरोप सं० –3 जो Revetment कार्य का एलाइनमेंट बिना सक्षम पदाधिकारियों से स्वीकृत प्राप्त किये ही नदी के किनारे से Back shift कर गलत एलाइनमेंट पर कार्य कराने के कारण मुआवजा मद तथा मिट्टी कटाई मद में सरकारी राशि के अपव्यय होने से संबंधित है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा एलाइनमेंट की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार यथा मुख्य अभियंता से लेने के आधार पर इस आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है विदित हो कि कि एलाइनमेंट के संदर्भ में अभियंता प्रमुख बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण से आरोपी अभियंता के बचाव–बयान पर मंतव्य की मांग की गई थी। जिसके आलोक में अभियंता प्रमुख अपने मंतव्य में अंकित किया है कि बिना सक्षम प्राधिकार से विधिवत स्वीकृत प्राप्त किये ही एलाइनमेंट कार्य कराया गया। उक्त के आलोक में माना जा सकता है कि कार्य सही रेखांकण पर कराया गया है परन्तु रेखांकण के लिये विधिवत स्वीकृत प्राप्त नहीं किया गया है।

आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव बयान में यही तथ्य उद्धित किया गया है जो इनके अतिरिक्त कोई नया तथ्य नहीं दिया गया है। अतएव संचालन पदाधिकारी के मंतव्य एवं अभियंता प्रमुख के मंतव्य से सहमत होते हुए बिना सक्षम पदाधिकारी से एलाइनमेंट का अनुमोदन प्राप्त किये ही कार्य कराया जाना स्थापित होता है। अतएव आरोप सं०–3 प्रमाणित होता है।

आरोप सं० –4 जो प्राक्कलन में प्रावधानुसार के विरूद्ध LWL से 0.16मी0 से 0.95 मी0 उपर के लेवल से कार्य प्रारंभ करने के कारण एप्रोन सिंक करने ही प्रबल संभावना होने से संबंधित है।

संचालन पदाधिकारी ने आरोपी का कथन की उड़नदस्ता जाँच के पश्चात कार्य से संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा लेवल की जाँच करने पर मात्र 0.14मी0 का अन्तर है को उड़नदस्ता जाँच के समय कार्य से संबंधित सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता की उपस्थिति में जाँच दल द्वारा लेवल की जाँच किये जाने के आधार पर अस्वीकार योग्य मानते हुए इस आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया कि श्री ठाकुर द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में वहीं तथ्य उद्धित किया है जो इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष कही गयी थी। अतएव संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री ठाकुर को LWL से 0.16मी0 से 0.95मी0 उपर से कार्य प्रारंभ करने के लिए दोषी माना जाता है अतः आरोप सं०–4 प्रमाणित होता है।

आरोप सं० –5 जो बोल्डर क्रेटिंग कार्य के मानक से अधिक Voids पाये जाने के फलस्वरूप न्यून विशिष्टि का कार्य कराकर प्रावधान के अनुरूप अनियमित भुगतान होने से संबंधित है।

संचालन पदाधिकारी ने आरोपी का कथन की वरीय पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा इस त्रुटियों की ओर इंगित नहीं किया है उक्त कथन को उड़नदस्ता टीम ने क्रेट खोलकर विधिवत Sand replacement method and density volume method से Voids की जाँच की गयी। जाँच Scientific है के आलोक में अस्वीकार योग्य मानते हुए आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है।

आरोपी अभियंता द्वारा कहा गया है कि कार्य में प्रयुक्त कुल 10814 अद्द क्रेट में से मात्र एक क्रेट जाँच कर पूरे कार्य के संबंध में अवधारणा बनाया जाना उचित नहीं है को स्वीकार योग्य माना जा सकता है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि जाँचित एवं प्रावधानित Voids में अन्तर मात्र 20.25–20.00=0.25 प्रतिशत आता है जिसे मैनुअली कार्य कराने के कारण Voids में यह अन्तर आना स्वभाविक है को आलोच्य कार्य में मैनुअली रूप से कराये गये कुल 10814 अद्द क्रेट में मात्र एक क्रेट में Voids की गणना में मात्र 0.84 प्रतिशत अनुमान्य सीमा से अधिक पाये जाने की स्थिति को स्वीकार योग्य माना जा सकता है अतएव आरोप सं०–5 अप्रमाणित होता है।

आरोप सं० –6 जो एकरारनामा/प्राक्कलन के विरूद्ध कार्य में मानक से काफी अधिक मात्रा में अन्डर साईज एवं ओभर साईज बोल्डर का उपयोग कर न्यून विशिष्टि के कार्य कराकर अनियमित भुगतान करने से संबंधित है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी का कथन की अलग–अलग साईज के बोल्डर का बेसिक रेट अनुसूचित दर तालिका में एक होने के कारण वित्तयी अनियमितता नहीं हुआ है। विभिन्न साईज के बोल्डर के दर एक होने का अर्थ यह नहीं है कि किसी साईज का बोल्डर का प्रयोग किया जाय। प्राक्कलन/एकरारनामा के प्रावधान के विपरीत न्यून विशिष्टि का कार्य के कारण सिस्टम फेल हो सकता है दर एक होना अलग चीज है। साईज के आधार पर गुणवत्ता अलग महत्व रखता है के आधार पर स्वीकार योग्य नहीं माना गया तथा आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है।

आरोपी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कोई नया तथ्य एवं साक्ष्य नहीं दिया गया है बल्कि वही तथ्य को दुहराया गया है। अतएव संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए आरोप सं०–6 को प्रमाणित माना जाता है।

आरोप सं० –7 जो प्रावधान के अनुसार बोल्डर क्रेटिंग कार्य में क्रेट बांधने में Binding wire का उपयोग नहीं कर न्यून विशिष्टि का कार्य कराकर प्रावधान के अनुरूप अनियमित भुगतान करने से संबंधित है।

संचालन पदाधिकारी ने कहा है कि आरोपी अभियंता का कथन की Binding wire के बदले GI Wire क्रेट के निर्मित तार से क्रेट को खींचकर बाँधने का कार्य किया गया है। फलतः मोटे तौर से गुणवत्ता में सुधार हुआ है को क्रेट में मोटे तार को खींचकर ही बाँधने का भी कार्य उसी तार से किये जाने के कारण क्रेटिंग का साईज में भी कमी हो गयी जो खतरनाक स्थिति है एवं इस आरोप को आरोपी अभियंता द्वारा स्वीकार किया गया है के आधार पर स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है। आरोपी अभियंता द्वारा अपने बचाव बयान में वही तथ्य उद्धित किया गया है। जो उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन में कहा गया था। इसके अतिरिक्त कोई नया तथ्य नहीं दिया गया है। आरोपी का कथन की 12–14Garge के जगह पर SWG GI Wire से बाँधने पर गुणवत्ता प्रभावित नहीं हुआ है को स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है। क्योंकि उड़नदस्ता जाँच के क्रेट के साईज एवं मेस की संख्या में कमी पायी गयी है इस प्रकार विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं कराकर प्रावधान के अनुरूप भुगतान किये जाने से अधिकाई भुगतान परिलक्षित होता है। अतएव आरोप सं०–7 प्रमाणित होता है।

आरोप सं० –8 जो बोल्डर पीचींग कार्य में प्रावधान के विपरीत भरे हुए/कम मोटाई बोल्डर का उपयोग कर न्यून विशिष्टि के कार्य कराकर प्रावधान के अनुरूप अनियमित भुगतान करने से संबंधित है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी का कथन कि कार्य के दौरान गुणवत्ता जाँचफल तथा अधीक्षण अभियंता मुख्य अभियंता तथा अनुवीक्षण दल द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज नहीं की गई थी तथा इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है को स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए आरोप प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है।

आरोपी द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कोई नया तथ्य नहीं दिया गया है। मात्र कहा गया है कि मुख्य अभियंता के दिनांक 01.03.2016 के स्थल निरीक्षण के पश्चात दिये गये कतिपय Lean/Flat बोल्डर को स्थल से हटवाते हुए अनुपालन प्रतिवेदन पत्रांक–437, दिनांक 26.03.16 से मुख्य अभियंता को दिया गया। इसके पश्चात किसी भी पदाधिकारी के स्थल निरीक्षण में उक्त तथ्यों का उल्लेख नहीं है एवं कार्य में भरे हुए/समतल बोल्डर का उपयोग नहीं किया गया है। जबकि उड़नदस्ता अंचल जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट अंकित है कि एप्रोन के टॉप एवं स्लोप में कहीं–कहीं भरा हुआ एवं कम मोटाई का पत्थर लगा हुआ पाया गया तथा मुख्य अभियंता के निरीक्षण प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि स्थल पर भरे एवं समतल बोल्डर उपलब्ध थे एवं मुख्य अभियंता के निदेश के बावजूद भी कार्य में न्यून विशिष्टि के बोल्डर का उपयोग किया जाना परिलक्षित है। अतएव संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए कार्य में न्यून विशिष्टि के बोल्डर का उपयोग कर प्रावधान के अनुरूप अनियमित भुगतान होने के आरोप को प्रमाणित माना गया है। अतः आरोप सं०–08 प्रमाणित होता है।

आरोप सं०–9 जो स्लोप एवं एप्रोन के बीच 1 फीट गैप पाये जाने के कारण स्लोप पीचींग कार्य क्षतिग्रस्त होने की संभावना के कारण सरकारी राशि अपव्यय होने से संबंधित है।

संचालन पदाधिकारी ने अपने समीक्षा में कहा है कि आरोपी अभियंता का कथन की नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण गैप परिलक्षित हुआ था। जिसे संवेदक द्वारा Defect Liability Period में सुधार करा लिया गया है। परन्तु कार्य संवेदक द्वारा करवाया गया अथवा नहीं उसका स्पष्ट प्रमाण नहीं होना तथा गैप होना प्रमाणित होने के कारण अस्वीकार योग्य मानते हुए आरोप प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है।

आरोपी अभियंता श्री ठाकुर द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कोई नया तथ्य एवं साक्ष्य नहीं दिया गया है अतएव श्री ठाकुर, कनीय अभियंता का बचाव–बयान को संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए अस्वीकार किया जाता है। अतः आरोप सं० –9 प्रमाणित होता है।

समीक्षोपरांत उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री अंशुमण ठाकुर, तत0 कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी को विभागीय अधिसूचना संख्या–1584, दिनांक 11.09.2017 द्वारा निलंबन से मुक्त करते हुए तदोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या–2288, दिनांक 21.12.17 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया :–

"3 (तीन) वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक"।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री ठाकुर, कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने पत्रांक–01, दिनांक 01.03.18 द्वारा पूणर्विलोकन अर्जी विभाग में समर्पित किया गया जिसमें मुख्य रूप से निम्न बातें कही गई है।

श्री ठाकुर द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Roop Singh Negi V/s Punjab National Bank & other (2009) 2 Sec-570, State of Uttar Pradesh & Other Vs Saroj Kumar Singh (2010) 2 SSC 772, में पारित आदेश का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह के मामले में CWJC 11962/1995 में दिनांक 22.07.10 को पारित न्याय निर्णय में उद्धित करते हुए दिये गये दण्ड को निरस्त करते हुए सभी लाभ देने का आदेश दिया था। अतएव बिना प्रतिपरीक्षण के संचालन पदाधिकारी द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन न्याय के विपरीत है।

आरोप से संदर्भित निम्न तथ्य दिया गया है।

आरोप–1 :–अभियंता प्रमुख द्वारा मंतव्य दिया जाना कि ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त प्राक्कलन में बोल्डर की ढुलाई में Originating Station एवं Destination Station पर क्रमशः मात्र एक ही लोडिंग एवं अनलोडिंग का प्रावधान होना चाहिए था। इसका मतलब है कि एक ही लोडिंग/अनलोडिंग का प्रावधान के प्रतीत संभावना के आधार पर है कोई तथ्यात्मक साक्ष्य नहीं है एवं न ही प्रावधानित दो लोडिंग एवं अनलोडिंग के समर्थन में उनके द्वारा दिये गये तथ्य का कोई खण्डन ही किया गया है।

रेल से बोल्डर ढुलाई का जो दर विश्लेषण प्राक्कलन में उनके द्वारा दिया गया है। उसमें Originating एवं Destination दोनों ही स्टेशन पर एक एक बार अर्थात कुल दो बार लोडिंग एवं अनलोडिंग का प्रावधान स्थलीय स्थिति एवं Wharpage, damage बचाने के उद्देश्य से अपने विवेक एवं व्यवहारिक बोध के अनुसार किया गया। जिसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा किया गया। बिना किसी ill Motive के स्थलीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्वविवेक से प्रस्तुत दर विश्लेषण जिसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकार के पश्चात निविदा आमंत्रित कर निविदा के अनुमोदनोपरांत कार्य कराकर भुगतान करने के लिये दोषी ठहराना न्यायोचित नहीं है।

आरोप–3 :–कार्य सम्पादन अवधि में निरीक्षण के दौरान संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा एलाईनमेंट पर कभी कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं किये जाने से उसकी अनुमति एवं सहमति में निर्धारण किये जाने की स्वतः पुष्टि होती है। उक्त कृत से न तो सरकारी राजस्व की क्षति ही हुई एवं न ही कार्य की गुणवत्ता पर ही कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। विगत दो बाढ़ अवधि के सम्पादन कार्य की उपयोगिता सिद्ध हो गया एवं आज की तिथि में भी कार्य पूर्णतः Intact है एवं उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है।

आरोप–4:– LWL से एप्रोन का Bottom level 14Cm. उपर पाया जाना परिस्थितिजन्य था।

आरोप–5:– अनुसूचित दर में 15mm and below से लेकर 300mm and above size के बोल्डर का Basic rate at quary site समान है। अतः छोटे बड़े आकार के बोल्डर का उपयोग कार्य में किया जाता है तो वित्तीय अनियमितता का मामला नहीं बनता है।

IS code 14262-1995 के अनुसार क्रेटेड बोल्डर पीचिंग कार्य में बोल्डर कार्य में बोल्डर का आकार मेश साईज से बड़ा हो तो इसे मान्य किया गया है।

आरोप–6:–प्रावधानित 12–14 SWG, GI Binding wire के जगह पर क्रेट बुनाई के क्रम में ही को 10 SWG GI Wire आवश्यकतानुसार अधिक लंबाई में छोडा गया था। क्रेटिंग के समय क्रेट बाँधने के समय छोड गये तार से क्रेट बाँधने का कार्य किया गया था। क्रेट कस कर बाँधने से क्रेट के मेस साईज में मामूली अन्तर होना एक स्वभाविक प्रक्रिया है।

आरोप–7 :– मुख्य अभियंता के द्वारा दिनांक 01.03.16 को स्थल निरीक्षण के पश्चात दिये गये निरीक्षण प्रतिवेदन में कही पर मरे पत्थर का स्थल पर पाये जाने का उल्लेख नहीं है, स्थल पर पाये गये कतिपय Lean/ Flat बोल्डर को स्थल से हटाने के दिये गये निदेश का अनुपालन प्रतिवेदन पत्रांक–437, दिनांक 26.03.16 द्वारा मुख्य अभियंता को उपलब्ध करा दिया गया था। दिनांक 16.03.16 को अध्यक्ष अनुवीक्षण दल एंव अधीक्षण अभियंता तथा दिनांक 17.04.16 को पुनः स्थल निरीक्षण में कार्य को संतोषजनक बताया गया है एवं बोल्डर की गुणवत्ता पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी। ऐसी स्थिति में निदेश के बावजूद न्यून विशिष्टि के बोल्डर का कार्य में प्रत्युक्त किया गया है आधारहीन एवं तथ्य से परे है।

आरोप–8 :– कार्य पूर्ण विशिष्टि के अनुरूप कराया गया था, किन्दु नदी के जल स्तर में वृद्धि के पश्चात कहीं–कहीं एप्रोन में मामूली रूप से सेटल होने के फलस्वरूप एप्रोन एवं स्लोप के मिलान बिन्दु पर कहीं–कहीं गैप होने लगा था, परन्तु कार्य Defect liablity अवधि के अन्तर्गत रहने के कारण संवेदक द्वारा तुरन्त सुधरात्मक कार्य अपने ही खर्च पर करा दिया गया था। इसके लिए किसी सरकारी राशि का अतिरिक्त व्यय भी नहीं हुआ।

आरोप–9 :– यह आरोप एप्रोन एवं स्लोप के मिलन बिन्दु के गैप से संबंधित है उल्लेखनीय है कि कार्य पूर्ण विशिष्टि एवं आलेख्य के अनुरूप सम्पादित कराया गया था। कहीं–कहीं एप्रोन के मामूली रूप से Settle होने के फलस्वरूप एप्रोन एवं स्लोप के मिलन बिन्दु पर कही–कहीं मामूली गैप परिलक्षित होने लगा था, परन्तु कार्य Defect liability अवधि के अन्तर्गत रहने के कारण संवेदक द्वारा तत्क्षण सुधारात्मक कार्य अपने ही खर्च पर करा दिया गया। जिससे कार्य भी विशिष्टि के अनुरूप हो गया एवं इसके लिए किसी सरकारी राशि का अतिरिक्त व्यय भी नहीं हुआ। वर्ष 2016–17 के बाढ़ अवधि में गंडक नदी में क्रमशः लगभग 4.00लाख एवं 5.75लाख क्यूसेक जलश्राव होने के बावजूद भी कार्य अभी भी मूल रूप में विद्यमान है। जिससे स्पष्ट है कि कार्य गुणवत्ता के अनुरूप है एवं इसमें किसी प्रकार की सरकारी राशि का अपव्यय नहीं हुआ है। अतः आरोप से मुक्त करने की कृपा की जाय।

श्री अंशुमान ठाकुर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई समीक्षा में निम्न तथ्य पाये गये :–

अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री ठाकुर के विरूद्ध गठित आरोपों के लिए विधिवत विभागीय कार्यवाही संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोप सं0–1 का प्रथम अंश तथा आरोप 3, 4, 6, 7, 8 एवं 9 के लिये "तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड" विभागीय अधिसूचना सं0–2288, दिनांक 21.12.17 से संसूचित है। जिसके विरूद्ध श्री ठाकुर द्वारा पुर्णविलोकन अर्जी दिया गया है। जिसकी समीक्षा आरोपवार नीचे की जा रही है।

आरोप–1:– जो प्रश्नगत कार्य में प्रत्युक्त बोल्डर की ढुलाई मद में कुल 69,22,650/– रूपये की अधिकाई भुगतान से संबंधित है।

श्री ठाकुर द्वारा इस आरोप के संदर्भ में वही तथ्य दिया गया है तो उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन में संचालन पदाधिकारी एवं द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में दिया गया है। इनके द्वारा कोई नया तथ्य नहीं दिया गया है। इनके द्वारा मुख्य रूप से कहा गया है कि बोल्डर ढुलाई मद में दो लोडिंग एवं अनलोडिंग का प्रावधान स्थलीय स्थिति के अनुरूप स्वविवेक के आधार पर किया गया है। चूँकि उनके द्वारा बोल्डर ढुलाई मद में रेलवे रैंक में 2 times loading एवं Unloading का किये गये प्रावधान के संदर्भ में कोई तथ्यात्मक तथ्य नहीं दिया गया है। अतएव इनका पुनर्विलोकन अर्जी स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है साथ ही यह भी कहा गया है कि अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण के द्वारा संभावना के आधार पर दिये गये मंतव्य को उचित नहीं माना गया है। परन्तु इनके द्वारा भी उक्त तथ्य के संदर्भ में कोई नया साक्ष्य नहीं दिया गया है। अतएव आरोप प्रमाणित होता है।

आरोप–3:–जो रिभेटमेंट कार्य का एलाईनमेंट बिना सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त किये ही नदी के किनारे से back Shift कर गलत एलाईनमेंट पर कार्य कराने के कारण भू–मुआवजा मद तथा मिट्टी कटाई मद में सरकारी राशि के अपव्यय किये जाने से संबंधित है।

इस आरोप के संदर्भ में श्री ठाकुर द्वारा वही तथ्य दिया गया है तो इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान संचालन पदाधिकारी एवं द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में दिया जिसकी समीक्षा पूर्व में की गयी है। चूँकि इनके द्वारा कोई नया तथ्य एवं साक्ष्य इस आरोप के संदर्भ में नहीं दिया गया है ऐसी स्थिति में SRC के विपरीत बिना एलाईनमेंट अनुमोदन कराये ही कार्य कराने के लिये दोषी माने गये है। अतएव आरोप प्रमाणित होता है।

आरोप–6:– जो बोल्डर क्रेटिंग कार्य में मानक से अधिक अंडर साईज एवं ओभर साईज बोल्डर का उपयोग किये जाने के फलस्वरूप न्यून विशिष्टि का कार्य कराकर प्रावधान के अनुरूप अनियमित भुगतान होने से संबंधित है।

श्री ठाकुर द्वारा इस आरोप के संदर्भ में लगभग वही तथ्य दिया गया है जो इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान संचालन पदाधिकारी एवं द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में दिया गया है जिसकी समीक्षा पूर्व में की गई है। श्री ठाकुर

द्वारा कहा गया है कि अनुसूचित दर में 150mm and below से लेकर 300mm and above बोल्डर का Basic rate at Quary side पर समान है। अतएव इस मद में अधिकाई भुगतान नहीं हुआ है। स्वीकार योग्य है परन्तु एकरारनामा के अनुसार प्रश्नगत कार्य में 225mm से 300mm साईज के बोल्डर का उपयोग किया जाना था। जबकि उड़नदस्ता जाँच में 39.95% over size एवं 48.22% Under size boulder का उपयोग किये जाने का उल्लेख है जो प्रावधान के विपरीत है। अतएव श्री ठाकुर का कथन स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है। अतएव आरोप प्रमाणित होता है।

आरोप–7:– जो प्रावधान के अनुरूप बोल्डर क्रेटिंग कार्य में बाईडिंग वायर का उपयोग बांधने में नहीं कर न्यून विशिष्टि के कार्य कराकर प्रावधान के अनुरूप अनियमित भुगतान से संबंधित है।

इस आरोप के संदर्भ में कहा गया है कि बाईडिंग वायर के स्थान पर जिस तार से क्रेट बुनाई की गयी थी उसी तार से क्रेट को बाँधा गया है। परन्तु उक्त कथन के संदर्भ में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। ऐसे भी प्रावधान के अनुसार प्रत्येक क्रेट को 12–14गैज के बाईडिंग वायर से बाँधा जाना है। ऐसी स्थिति में इनका कथन स्वीकार योग्य नहीं है। अतएव आरोप प्रमाणित होता है।

आरोप–8:– जो बोल्डर पिचिंग कार्य में प्रावधान के विपरीत मरे हुए एवं समतल आकार के बोल्डर का उपयोग कर न्यून विशिष्टि के कार्य कराकर प्रावधान के अनुरूप अनियमित भुगतान करने से संबंधित है।

इस आरोप के संदर्भ में वही तथ्य दिया गया है जो इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान संचालन पदाधिकारी एवं द्वितीय कारण पृच्छा में दिया गया है। चूँकि इनके द्वारा कोई नया तथ्य एवं साक्ष्य नहीं दिया गया है। अतएव इनका कथन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः आरोप प्रमाणित होता है।

आरोप–9:– जो स्लोप एवं एप्रोन के बीच एक फीट के गैप पाये जाने के कारण स्लोप पिचिंग कार्य क्षतिग्रस्त होने की संभावना के कारण सरकारी राशि का अपव्यय होने से संबंधित है।

श्री ठाकुर द्वारा इस आरोप के संदर्भ में कहा गया है कि कार्य विशिष्टि के अनुरूप कराया गया है एवं नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण एप्रोन में मामूली सेटलमेंट होने के कारण एप्रोन एवं स्लोप के मिलान बिन्दु पर गैप होना स्वभाविक है। स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है क्योंकि Launching apron का कार्य है कि एप्रोन के अग्र भाग Launch करते हुए मिट्टी Surface को प्रोजेक्ट करना होता है न कि एप्रोन का सेटलमेंट होता है। इससे स्पष्ट है कि कार्य प्रावधान के अनुरूप नहीं हुआ है। अतएव आरोप प्रमाणित होता है।

समीक्षोपरांत श्री ठाकुर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के द्वारा दिये गये पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–1756, दिनांक 20.08.2019 द्वारा अधिरोपित दण्ड यथा **"3 (तीन) वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक"** को यथावत रखते हुए संसूचित किया गया।

उक्त दण्डादेश के क्रियान्वयन के संबंध में महालेखाकार (ले0 एवं हक0) का कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा निम्न बिन्दुओं पर विभागीय निर्णय/मंतव्य से अवगत कराने का अनुरोध किया गयाः–

1. विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–2643 दिनांक 26.12.2016 द्वारा श्री अंशुमान ठाकुर, तत0 कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी को दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया।
2. विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–2288 दिनांक 21.12.2017 द्वारा पुनः श्री अंशुमान ठाकुर, तत0 कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी को तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया।
3. श्री ठाकुर दिनांक 27.07.2016 से 10.09.2017 तक निलंबित रहे। जिसके लिए केवल जीवन निर्वाह भत्ता आदेय है।

निलंबन में रहने के कारण श्री अंशुमान ठाकुर, तत0 कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी को दिनांक 01.07.2017 को वेतन वृद्धि आदेय नहीं था अतः विभागीय अधिसूचना सं0–2643 दिनांक 26.12.2016 के आलोक में जुलाई 2018 एवं जुलाई 2019 को आदेय दो वेतनवृद्धि को असंचयात्मक प्रभाव से रोका गया, परन्तु द्वितीय दण्डादेश के कार्यान्वयन हेतु तीन वेतन वृद्धियों को संचयात्मक प्रभाव से रोका जाना है जिसका अनुपालन संभव नहीं है चुँकि श्री ठाकुर दिनांक 31.10.2021 को सेवानिवृत हो रहे हैं। अतः प्रथम दण्डादेश के कार्यान्वयन के पश्चात श्री ठाकुर को सेवानिवृति तक मात्र दो वेतन वृद्धि ही आदेय होती है। दण्डादेश के अनुपालन के संबंध में विभागीय मंतव्य/निर्णय से इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

महालेखाकार (ले0 एवं हक0) का कार्यालय, बिहार, पटना से प्राप्त पत्र की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत चूँकि निर्गत दण्डादेश यथा **"3 (तीन) वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक"** का क्रियान्वयन पूर्णरूपेण संभव नहीं है अतः विभागीय अधिसूचना संख्या–2288 दिनांक 21.12.2017 द्वारा निर्गत दण्डादेश यथा **"3 (तीन) वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक"** को निरस्त करते हुए निम्न दण्ड संसूचित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

"कालमान वेतनमान में दो प्रक्रम पर स्थायी रूप से अवनति। भावी वेतन वृद्धि देय नहीं होगी"।

अतएव सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री अंशुमान ठाकुर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, त्रिवेणी नहर प्रमंडल, नरकटियागंज (प0 चम्पारण) को निम्न दण्ड अधिरोपित करते हुए संसूचित किया जाता है।

"कालमान वेतनमान में दो प्रक्रम पर स्थायी रूप से अवनति। भावी वेतन वृद्धि देय नहीं होगी"।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

4 फरवरी 2021

सं0 22/नि0सि0(वीर)07–03/2016–150––श्री नीलोत्पल विपिन (आई0डी0–5466) तत0 सहायक अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल, राघोपुर (सुपौल) के पद पर पदस्थापित थे तब उनके विरूद्ध निम्न आरोप के लिए विभागीय संकल्प सं0–92 दिनांक 12.01.18 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई :–

CWJC सं0–15161/2015 करूणा कांत झा बनाम बिहार सरकार एवं अन्य के मामले में दायर वाद के विरूद्ध प्रतिशपथ–पत्र दायर करने हेतु कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, राघोपुर द्वारा प्रतिवेदित तथ्यात्मक विवरणी से पथ निर्माण विभाग द्वारा इमामगंज लघु नहर के वि0दू0 6.05 (बाँये) से निसृत जलवाहा के वि0दू0 1.50 से वि0दू0 5.50 के बीच बगैर NOC प्राप्त किये मिट्टी भरकर सड़क निर्माण कराये जाने का मामला प्रकाश में आया। साथ ही उक्त जलवाहा के रेखांकण पर वर्ष 2010–11 में ग्रामीण सड़क भी बनाया गया। उक्त 5500 फीट लंबे जलवाहा का निर्माण विभाग द्वारा अधिगृहित भूखंड पर कराया गया था। इस प्रकार करीब 4000 फीट में जलवाहा पर सड़क निर्माण कराये जाने से करीब 50 एकड़ में सिंचाई सुविधा बाधित हुआ। परन्तु आपके द्वारा उक्त पूर्व निर्मित ग्रामीण सड़क के संदर्भ में उच्चाधिकारियों को सूचित नहीं किया गया। साथ ही पथ निर्माण विभाग द्वारा आपके पदस्थापन अवधि में निर्माण कराये जा रहे सड़क की ससमय रोकथाम एवं उच्चाधिकारियों को ससमय सूचित किये जाने की कार्रवाई नहीं किया जाना परिलक्षित होता है। इस प्रकार आपके पदस्थापन अवधि में जानकारी के बावजूद बिना NOC प्राप्त किये पथ निर्माण विभाग/अन्य विभाग द्वारा सड़क निर्माण के लिए जलवाहा को मिट्टी से भरकर अनुपयोगी बनाया जाना विभागीय कार्य के प्रति स्पष्ट आपकी निष्क्रियता, लापरवाही एवं निरीक्षण/पर्यवेक्षण में कमी दर्शाता है, जिसके लिए आप दोषी प्रतीत होते है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री विपिन से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा (अभ्यावेदन) के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में मुख्य रूप से निम्न तथ्य पाये गये :–

श्री विपिन द्वारा दिनांक 24.07.15 को सिंचाई अवर प्रमंडल, राघोपुर का प्रभार ग्रहण किया गया है जबकि अभिलेखों से स्पष्ट है कि वर्ष 2010–11 में मनरेगा द्वारा प्रश्नगत जलवाहा पर कच्ची सड़क का निर्माण किया गया है। अतएव श्री विपिन का यह कथन स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री नीलोत्पल विपिन, तत0 अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल, राघोपुर सम्प्रति सहायक अभियंता को आरोपमुक्त करने का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री नीलोत्पल विपिन, तत0 अवर प्रमंडल पदाधिकारी सम्प्रति सहायक अभियंता को आरोपमुक्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

5 फरवरी 2021

सं0 22/नि0सि0(औ0)17–07/2019–155––श्री अरविन्द कुमार (आई0डी0–4398), कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, औरंगाबाद को विभाग द्वारा आवंटित CUG MOBILE NO. 7463889720 दिनांक 02.05.2019 को GSM BASED CLOSE USER GROUP के तहत विभाग द्वारा किया गया रैन्डम मोबाईल ट्रैकिंग के दौरान अपने कार्यक्षेत्र से भिन्न पाया गया। कार्यस्थल से भिन्न स्थल पर उपस्थिति के संबंध में विभागीय पत्रांक–1051 दिनांक 27.05.2019 द्वारा स्पष्टीकरण किया गया।

उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा कहा गया है कि CWJC No 8551/2019 भीम सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक 02.05.19 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में GA-02 के सरकारी अधिवक्ता से तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु पटना गए थ जिसकी सूचना अधीक्षण अभियंता, उत्तर कोयल नहर अंचल, औरंगाबाद को पत्रांक–01, दिनांक 01.05.2019 द्वारा दी गई।

विभागीय पत्रांक–2060 दिनांक 24.09.2019 द्वारा श्री कुमार द्वारा समर्पित जवाब पर अधीक्षण अभियंता, उत्तर कोयल नहर अंचल, औरंगाबाद से मंतव्य की मांग की गई। जिसके आलोक में अधीक्षण अभियंता, औरंगाबाद का पत्रांक–1711 दिनांक 20.12.19 द्वारा सूचित किया गया कि श्री कुमार बिना आवेदन समर्पित किए एवं बिना अनुमति के कार्यालय से बाहर थे।

श्री कुमार द्वारा समर्पित जवाब एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा समर्पित मंतव्य के समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरूद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर पत्रांक–720 दिनांक 22.05.2020 द्वारा स्पष्टीकरण किया गया।

आरोप–(1) दिनांक 02.05.2019 को रैन्डम मोबाईल ट्रैकिंग के क्रम में श्री अरविन्द कुमार, कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, औरंगाबाद को विभाग द्वारा आवंटित CUG MOBILE No 7463889720 उनके कार्यक्षेत्र से भिन्न स्थान पर पाया गया।

(2) उक्त के आलोक में पूछे गए स्पष्टीकरण के प्रतिउत्तर में श्री अरविन्द कुमार द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत किया गया।

उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा अपने प्रतिउत्तर में अंकित किया गया है कि CWJC No 8551/2019 भीम सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में तथ्य कथन तैयार कराने हेतु दिनांक 02.05.2019 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अभिलेख के साथ आये थे इसलिए मोबाईल का लोकेशन कार्यक्षेत्र से अन्यत्र पाया गया। इस संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में अधीक्षण अभियंता द्वारा अपना मंतव्य अंकित किया गया है कि श्री कुमार बिना सूचना एवं बिना अनुमति के कार्यालय से बाहर थे। इस प्रकार श्री अरविन्द कुमार के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित होता है।

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–19 के तहत निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया –

1. **"एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"।**

उक्त दण्ड निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अतएव श्री अरविन्द कुमार, कार्यपालक अभियंता (आई0डी0–4398) उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, औरंगाबाद के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के लिए उक्त अनुमोदित दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

1. **"एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"।**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
इन्दुभूषण प्रसाद, अवर सचिव।

---

9 फरवरी 2021

सं0 22/नि0सि0(डि0)14–04/2019–183––श्री रामविनय सिंह (आई0डी0 सं०–जे–7645), तत्कालीन सहायक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, आरा सम्प्रति सेवानिवृत को सोन नहर अंचल आरा के अन्तर्गत रामनगर आई0बी0 जीर्णोद्धार एवं आई0बी0 के पथों के निर्माण कार्य में कार्य सम्पादन की प्रक्रिया में अनियमितता एवं अन्य कार्यों में बरती गयी गंभीर अनियमितता के लिए सरकार के स्तर पर पूर्ण समीक्षोपरांत लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–9(1) के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या–1669 दिनांक 06.08.2019 द्वारा निलंबित किया गया था। तदुपरांत आरोप पत्र के साथ स्पष्टीकरण करते हुए मामले में अग्रेत्तर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

श्री सिंह दिनांक 31.01.2021 को सेवानिवृत हो चुके हैं।

अतएव श्री सिंह, सहायक अभियंता (सेवानिवृत) को सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 31.01.2021 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री रामविनय सिंह, तत्का0 सहायक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत को दिनांक 31.01.2021 के प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
इन्दुभूषण प्रसाद, अवर सचिव।

---

18 फरवरी 2021

सं0 22/नि0सि0(गोपा0)27–03/2019–216––मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, गोपालगंज के नव निर्मित सरकारी आवास पर दिनांक–29.08.2019 को घटित घटना के संदर्भ में मुख्य अभियंता, गोपालगंज के आवास निर्माण योजना के अद्यतन भुगतान एवं लंबित भुगतान से संबंधित अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल–01 जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक–18 दिनांक–31.08.2019 से प्राप्त प्रारंभिक जॉच प्रतिवेदन में मुख्य अभियंता के आवास निर्माण में प्राक्कलन से बाहर जाकर अतिरिक्त कार्य कराने, कार्य कराकर संवेदक को भुगतान नहीं करने, सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बगैर अपने मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने आदि कतिपय प्रतिवेदित आरोपों के लिए **श्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह (आई0डी0 सं०–3356), अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, गोपालगंज** को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के प्रावधानों के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या–1887 दिनांक 01.09.2019 द्वारा निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–998 दिनांक 12.08.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. श्री सिंह का स्वर्गवास दिनांक 13.08.2020 को हो जाने संबंधी सूचना उनके निर्धारित मुख्यालय [संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के गै0स0प्रे0सं0–546 दिनांक 07.10.2020] से प्राप्त हुआ।

3. उक्त सूचना के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया है :–

(i) श्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, गोपालगंज के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–998 दिनांक 12.08.2020 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को उनकी मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप समाप्त करते हुए संबंधित आरोप प्रकरण को संचिकास्त किया जाय।

(ii) श्री सिंह की निलंबन की तिथि तथा मृत्यु की तिथि के बीच की अवधि (दिनांक 01.09.2019 से दिनांक 13.08.2020 तक) सभी प्रयोजनों के लिए कर्त्तव्य पर मानी जाय।

4. अनुशासनिक प्राधिकार के उक्त निर्णय के आलोक में (i) श्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, गोपालगंज के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–998 दिनांक 12.08.2020 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को उनकी मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप समाप्त करते हुए संबंधित आरोप प्रकरण को संचिकास्त किया जाता है तथा

(ii) श्री सिंह की निलंबन की तिथि तथा मृत्यु की तिथि के बीच की अवधि (दिनांक 01.09.2019 से दिनांक 13.08.2020 तक) सभी प्रयोजनों के लिए कर्त्तव्य पर मानी जायेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

18 फरवरी 2021

सं0 22/नि०सि०(पट०)03–17/2017/217––श्री सुभाष सिंह (आई0डी0–जे0 7681), तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, आरा के पद पर पदस्थापन काल में इनके विरूद्ध बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, आरा के अन्तर्गत बाढ़ 2016 के दौरान विभिन्न स्थल पर कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–853 दिनांक 29.04.2019 द्वारा आरोप पत्र गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

श्री सिंह दिनांक 31.12.2020 को सेवानिवृत हो गए हैं।

अतएव श्री सुभाष सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता के विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजीव कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव।

---

19 फरवरी 2021

सं0 22/नि0सि0(मोति0)08–02/2017–228––विभागीय उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–उद0–1–001/2016–04 दिनांक 23.01.2017 के आलोक में भी विधानन्द प्रसाद (आई0डी0– 4517) तत्कालीन सहायक अभियंता, सिकरहना तटबंध प्रमंडल, मोतिहारी के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–951 दिनांक 14.06.2017 द्वारा निम्नांकित आरोपों के लिए स्पष्टीकरण की माँग की गईः–

1. तटबंध पर हुए अतिक्रमण को हटाने हेतु ठोस एवं कारगर कार्रवाई हेतु उन्हे निदेशित किया गया, किन्तु उनके द्वारा कोई कार्रवाई नही की गयी।

2. तटबंधों पर दरार, क्षरण, कटाव, चुहा एवं अन्य जानवरों से निर्मित छिद्र रेन कट्स आदि भागों की मरम्मति हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेश के बावजूद भी उनके द्वारा तटबंधों का सम्पोषण कार्य नही कराया गया। इसके चलते आगामी बाढ़ 2015 में किसी भी प्रतिकूल स्थिति से इन्कार नही किया जा सकता था, परन्तु उनके द्वारा सूचित किया गया कि इसे राम–भरोसे छोड़ देना ही उचित होगा।

3. बाढ़ 2014 में लालपरसा, बिगुईया एवं लक्ष्मीनिया स्थल पर कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्य में ढुलाये गये स्थानीय बालू का लीड प्लान कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में समर्पित नही किया गया।

4. परिसम्पति के ब्योरा की माँग की गई, परन्तु उनके द्वारा समर्पित नही किया गया।

5. जिला पदाधिकारी के पत्रांक–299 दिनांक 01.05.2015 के निदेशानुसार कार्यपालक अभियंता को सभी सहायक अभियंताओं के साथ आपदा प्रबंधन से संबंधित विडियो कॉन्फ्रेसिंग में दिनांक–02.05.2015 को भाग लेना था, दिनांक–01.05.2015 को उनको कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में इस संबंध में बताने एवं मोबाईल सं0–9430891373 एवं 9473197316 से भी एस0एम0एस0 दिये जाने के पश्चात भी उनके द्वारा विडियों कॉन्फ्रेसिंग में भाग नही लिया गया।

दिनांक 12.02.2015 एवं दिनांक 17.04.2015 को कार्यपालक अभियंता के साथ अधीक्षण अभियंता के द्वारा बाढ़ 2015 के पूर्व एजेण्डा सं0–126/38 के अन्तर्गत बेलवतिया स्थल पर कराये जा रहे कटाव निरोधक कार्य का निरीक्षण के दौरान वे अनुपस्थित थे जबकि पूर्व से इसकी सूचना उनको दी गयी थी।

6. अध्यक्ष, कटाव निरोधक समिति, मुख्य अभियंता परिक्षेत्र, वाल्मीकिनगर के द्वारा दिनांक 10.04.2015 को स्थल निरीक्षण के दौरान बिना पूर्व सूचना के स्थल से अनुपस्थित पाये गये।

7. कार्यपालक अभियंता, सिकरहना तटबंध प्रमंडल, मोतिहारी को आयोजन एवं गुण नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी के अतिरिक्त प्रभार में रहने के समय सिकरहना तटबंध प्रमंडल, मोतिहारी में निरीक्षण वाहन सं0–BRE 9545 एवं BPE-70 चालू अवस्था मे है। सिकरहना तटबंध प्रमंडल, मोतिहारी में एक ही ड्राइवर महमूद आलम है। इसलिए इस प्रमंडल में दोनो गाड़ी एक साथ नही चल पाती है। यह चालक गाड़ी चलाने में टाल–मटोल भी करता है, किन्तु आयोजन एवं गुण नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी का निरीक्षण वाहन चलाने में सक्रिय रहता है। दिनांक 13.05.2015 के पूर्व निरीक्षण वाहन BRE 7980 का बैट्री डाउन हो गया था, जिसके कारण गाड़ी चलाने में चालक को दिक्कत था। सरकारी कार्यहित में सिकरहना तटबंध प्रमंडल, मोतिहारी के नियंत्रणाधीन निरीक्षण वाहन सं0–BPE-70 की बैट्री को कार्यपालक अभियंता के समक्ष निकालकर उसे आयोजन एवं गुण नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी के नियंत्रणाधीन वाहन BRE 7980 में लगा दिया गया। इसकी जानकारी चालक महमूद आलम को दी गयी थी, फिर भी उनके द्वारा कार्यपालक अभियंता से बिना पुछे नाका प्रभारी, नाका–04, राजा बाजार को उनके पत्रांक–111 दिनांक 13.05.2015 द्वारा सूचना दी गयी कि BRE 70 का बैट्री अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गयी है, जिसका खण्डन कर इसकी सूचना कार्यपालक अभियंता के पत्रांक–559 दिनांक 14.05.2015 के द्वारा नाका प्रभारी, नाका सं0–04, राजा बाजार को दी गयी। उनके पत्रांक–111 दिनांक 13.05.2015 की प्रति अग्रेतर कार्रवाई हेतु कार्यपालक अभियंता

के पत्रांक–643 दिनांक 05.06.2015 द्वारा माँगी गयी परन्तु उसे उपलब्ध नही कराया गया। उनके द्वारा कार्यपालक अभियंता को परेशान करने एवं मानसिक प्रताड़ना के नियत से नाका प्रभारी को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बैट्री चोरी होने की सूचना दी गयी। इस संबंध में अधीक्षण अभियंता के पत्रांक–640 दिनांक–17.06.2015 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण भी किया गया।

8. उनके द्वारा प्रपत्र 8,9 एवं 10 कार्यपालक अभियंता के कार्यालय को एक ही प्रति में उपलब्ध कराया गया जबकि इसे चार प्रति में माँग की गई थी, परन्तु उनके द्वारा चार प्रति में उपलब्ध नही कराया गया। निदेश के बावजूद भी मापी पुस्त में रिकार्ड इन्ट्री के अनुसार प्रपत्र 8 एवं 9 में सुधार नही किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि वे कर्त्तव्य के प्रति लापरवाह एवं अनुशासनहीन है।

9. श्री अबुल हसन, कनीय अभियंता, सिकरहना तटबंध अवर प्रमंडल–03, मोतिहारी एवं श्री रामनरेश अनुज, कनीय अभियंता, सिकरहना तटबंध अवर प्रमंडल–04 को उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया।

10. एजेण्डा सं0–125/80 (कटहॉ RBGE 43–44)बाढ़ 2015 के पूर्व कराये जा रहे कटाव निरोधक कार्य दिनांक 09.03.2015 को निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता के द्वारा निदेश दिया गया था कि स्थल पर पूर्व मे कराये गये Purcu Pine को यथावत छोड़कर उसमें झाँकी भरा जाय। कार्यपालक अभियंता के पत्रांक–345 दिनांक–19.03.2015 द्वारा भी उनको पूर्व में कराये गये Purcu Pine कार्य में झाँकी भरने का निदेश दिया गया किन्तु उनके द्वारा ऐसा नही किया गया बल्कि मुख्य अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के आदेश का उल्लंधन किया गया।

11. अभियंता प्रमुख (उ0) के पत्रांक–140 दिनांक 03.07.2015 के द्वारा भुधारियों के लंबित भुगतान हेतु लालबोगिया घाट पर कराये गये ग्राम सुरक्षात्मक कार्य एवं कटहाँ स्थल पर कराये गये कटाव निरोधक कार्य में भू–अर्जन मद में क्रमशः रू0 44.23480/लाख एवं रू0 195.95626लाख का आवंटन प्राप्त हुआ जिसके भुगतान हेतु विपत्र तैयार करने के लिए कार्यपालक अभियंता के पत्रांक–840 दिनांक 09.07.2015, पत्रांक–868 दिनांक 14.07.2015 एवं 870 दिनांक–15.07.2015 द्वारा उनको निदेशित एवं स्मारित किया गया किन्तु कनीय अभियंता के द्वारा माँग किये जाने पर उनके द्वारा न तो पुष्टि दी गयी और न ही कनीय अभियंता के द्वारा तैयार विपत्र पर हस्ताक्षर किया गया।

इस प्रकार सरकारी कार्य में उदासीनता बरतना, दायित्वों का ससमय निर्वहन नही करना, कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता, अधीनस्तों के साथ अभ्रद व्यवहार आदि के लिए वे प्रथम दृष्टया दोषी है।

उक्त आलोक में श्री प्रसाद द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण पर मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर से विभागीय पत्रांक–1160 दिनांक 23.05.2018 द्वारा आरोपवार मंतव्य की माँग की गयी।

मुख्य अभियंता के पत्रांक–2566 दिनांक 25.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये मंतव्य में श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित कुल 11 आरोपों में से आरोप सं0–2, 5, 6, 7, 8 एवं 10 को प्रमाणित होने तथा आरोप सं0–1, 3, 4, 9 एवं 11 को प्रमाणित नही होने का मंतव्य दिया गया।

श्री प्रसाद द्वारा अपने नियंत्री पदाधिकारी एवं अधीक्षण अभियंता से किये गये पत्राचार के आधार पर निर्दोष होना बताया गया है तथा कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पर भी कई तरह के आरोप लगाये गये थे। इसी परिपेक्ष्य में श्री प्रसाद का बचाव–बयान तथा मुख्य अभियंता के स्तर से आरोप पत्र में गठित आरोप पत्र पर मुख्य अभियंता से मंतव्य प्राप्त किया गया। मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोप सं0– 2, 5, 6, 7, 8 एवं 10 जो क्रमशः उच्चाधिकारी के आदेश के बावजूद तटबंध की मरम्मति कर्य में रूचि नही लेना, सूचना दिये जाने के बावजूद जिला पदाधिकारी के स्तर से आयोजित विडियो कॉन्फ्रसिंग भाग नही लेना, अनुमति प्राप्त किये बिना अनुपस्थित रहना, गलत ढ़ंग से बिना नियंत्री पदाधिकारी को सूचना दिये ही अनावश्यक रूप से बैट्री चोरी की सूचना थाना को दिया जाना, कटाव निरोधक कार्य का विपत्र 8, 9 एवं 10 के प्रेषण में लापरवाही बरतना एवं कर्त्तव्य का निर्वहन नही करना एवं मुख्य अभियंता के निदेश के बावजूद एजेंडा सं0–125/80 मे कराये गये परक्यूपाईन लेईग कार्य में झाँकी भराई नही कराने के आरोप को प्रमाणित माना गया।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री विद्यानन्द प्रसाद (आई0डी0–4517) तत्कालीन सहायक अभियंता, सिकरहना तटबंध प्रमंडल, मोतिहारी के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या–803 दिनांक 16.04.2019 द्वारा "दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक" का दण्ड अधिरोपित करते हुए उन्हें संसूचित किया गया।

उक्त संसूचित दण्ड के विरूद्ध श्री प्रसाद द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया जिसका मुख्य अंश निम्नवत हैः–

(i) कार्यपालक अभियंता के द्वारा पत्रांक 617 दि० 27.05.15 द्वारा कार्यक्रम की स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियंता के भेजे जाने की सूचना दी गयी। जिसकी सूचना कार्यपालक अभियंता द्वारा पत्रांक 831, दिनांक 08.07.15 से इन्हें दि० 09.07.15 को दी गयी। जिसमें अंकित था कि बाढ़ अवधि में तटबंध सम्पोषण कार्य नहीं कराया जाता है। कार्यक्रम स्वीकृत है किन्तु दिनांक 15.10.15 के बाद तटबंध की स्थिति के अनुसार सम्पोषण कार्य कराये जायेंगे एवं कार्यक्रम संशोधित करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इससे स्पष्ट है कि कार्यक्रम की स्वीकृति नहीं मिली थी एवं कार्यपालक अभियंता का ही तटबंध सम्पोषण कार्य कराने का मन नहीं था। दिनांक 29.05.15 को कनीय अभियंता को वास्तविक प्राक्कलन समर्पित करने के लिये कहा गया। कार्यपालक अभियंता के पत्रांक 648 दि० 06.06.15 द्वारा एवं 653 दि० 06.06.15 से प्राप्त मास्टर रौल दोनों कनीय अभियंता को पत्रांक 163 दि० 06.06.15 एवं 85 दि० 06.06.15 द्वारा प्राप्त कराया गया एवं दिनांक 15.06.15 तक कार्य कराने का निदेश दिया गया। पुनः कनीय अभियंता को दिनांक 11.06.15 को तटबंध मरम्मति कराने के लिये कहा गया। पुनः प्राक्कलन एवं श्रम शक्ति पत्रांक 180 दि० 11.06.15 एवं 90 दि० 13.06.15 कार्यपालक अभियंता को स्वीकृति हेतु समर्पित किया गया। दोनों कनीय अभियंता द्वारा सक्षम पदाधिकारी से कार्यक्रम एवं श्रम शक्ति स्वीकृति नहीं होने के कारण तटबंध

मरम्मति कार्य नहीं कराया गया। कार्यपालक अभियंता द्वारा पत्रांक 831 दि० 08.07.15 द्वारा यह लिखते हुए कि कार्यक्रम स्वीकृत है किन्तु 15/10/2015 के बाद तटबंध की स्थिति के अनुसार तटबंध सम्पोषण कार्य कराया जायेगा। इस प्रकार कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य पर रोक लगा दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 08.06.15 को दोनों कनीय अभियंता को मजदूर उपलब्ध करा दिया गया था।

(ii) जिला पदाधिकारी के पत्रांक 249 दि० 01.05.15 के निदेशानुसार कार्यपालक अभियंता को आपदा प्रबंधन से संबंधित विडियो कॉन्फ्रेसिंग में दिनांक 02.05.15 को भाग लेना था। इस संबंध में इनकी पुत्री को दि० 03.05.15 को AIPMT प्रवेश परीक्षा में पटना में शामिल होना था, जिसकी सूचना कार्यपालक अभियंता को एक सप्ताह पूर्व में ही मौखिक रूप से दिया था। वे अपने पत्रांक 99 दि० 02.05.15 से कार्यपालक अभियंता को दि० 02.05.15 से 03.05.15 के लिये आकस्मिक अवकाश रविवारीय अवकाश का आवेदन देकर अपनी बेटी को AIPMT प्रवेश परीक्षा में शामिल कराने के लिये पटना लेकर चले गये।

कार्यपालक अभियंता के साथ अधीक्षण अभियंता के द्वारा दिनांक 12.02.15 को बेलबगिया स्थल का निरीक्षण किया गया जिसकी पूर्व सूचना कार्यपालक अभियंता से नहीं मिली थी। उस दिन वे सुन्दरपुर स्थल पर कनीय अभियंता के साथ कटाव निरोधक कार्य करा रहे थे। अधीक्षण अभियंता द्वारा पूछे गये कारण पृच्छा के लिये मैंने अपने पत्रांक 31 दि० 18.02.15 से कॉल डिटेल निकलवाकर लोकेशन पता लगाकर इनकी उपस्थिति देखने का अनुरोध किया।

पुनः कार्यपालक अभियंता के साथ अधीक्षण अभियंता द्वारा दिनांक 17.04.15 को बेलवगिया स्थल का निरीक्षण किया गया। जिसकी सूचना कार्यपालक अभियंता से प्राप्त नहीं हो सकी। इस दिन भी सुन्दरपुर स्थल का कटाव निरोधक कार्य करा रहा था। अधीक्षण अभियंता के पत्रांक 465 दि० 17.04.15 से पूछे गये कारण पृच्छा के लिये मैंने अपने पत्रांक 76 दि० 20.04.15 से कॉल डिटेल निकलवाकर लोकेशन पता लगाने का अनुरोध किया ।

(iii) अध्यक्ष कटाव निरोधक समिति, मुख्य अभियंता के द्वारा दिनांक 10.04.15 को स्थल निरीक्षण के दौरान बिना पूर्व सूचना के स्थल से अनुपस्थित पाये जाने का लगाये गये आरोप के संदर्भ में कहा गया है कि 10.04.15 को अध्यक्ष महोदय के लिये कार्यपालक अभियंता के आदेशानुसार भाड़े की गाड़ी उपलब्ध करा दिया गया था एवं कनीय अभियंता के साथ गाड़ी भेजवाकर कार्यपालक अभियंता को दूरभाष पर सूचना देकर दिनांक 10.04.15 से 11.04.15 के लिये आकस्मिक अवकाश का आवेदन श्री रामनरेश अनुज से भेजवाकर अपनी पुत्री को दिनांक 11.04.15 को पटना में आयोजित ICAR परीक्षा में शामिल कराने दि० 10.04.15 को पटना चला गया था।

(iv) सिकरहना तटबंध प्रमंडल, मोतिहारी अन्तर्गत सिकरहना तटबंध अवर प्रमंडल–4 का प्रभार दि० 04.07.14 को ग्रहण किया था। पूर्व में दोनों वाहनों का सम्पोषण एवं मरम्मति कार्यपालक अभियंता के द्वारा श्री राम लखन रजक अवर प्रमंडल पदाधिकारी, अवर प्रमंडल–3, मोतिहारी से करवाते थे। श्री रजक दोनों वाहनों का सम्पोषण एवं मरम्मति कार्य दि० 16.06.14 तक किये थे। जो शैलेन्द्र मोहन ठाकुर, अवर प्रमंडल सं०–1 के पत्रांक 112 दि० 16.07.14 जो कार्यपालक अभियंता को लिखा गया है से स्पष्ट है कि बाद में कार्यपालक अभियंता के द्वारा पत्रांक 565 दि० 16.06.14 से दोनों गाड़ियों की मरम्मति कार्य का प्रभार श्री शैलेन्द्र मोहन ठाकुर, अवर प्रमंडल–1 को सौंप दिया गया एवं लिखा गया कि गाड़ी सं० BP-70 केवल कार्यरत स्थिति में था जो कार्यालय छोड़कर कार्यक्षेत्र में ले जाने लायक नहीं था। वाहन BRE-9545 की हालत बहुत खराब था जो कार्यपालक अभियंता के आवास के सामने खड़ी थी।

जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार दि० 10.05.15 को श्री महमूद आलम चालक वाहन BPE-70 को सुबह 6.0.0 बजे जिला कोषांगार में पहुँचाने के लिये जब कार्यपालक अभियंता के आवास के सामने खड़ी वाहन को लाने गया था तो गाड़ी का बैट्री ताला तोड़कर गायब था। इस संबंध में श्री आलम द्वारा कार्यपालक अभियंता को सूचना दी गयी। श्री प्रसाद द्वारा भी कार्यपालक अभियंता को सूचना दी गयी परन्तु कार्यपालक अभियंता द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया। दिनांक 11.05.15 को श्री महमूद आलम, चालक के द्वारा वाहन BPE-70 की बैट्री गायब होने की सूचना दी गयी। इस आवेदन के आधार पर पत्रांक 111 दि० 11.05.15 से अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध थाना में सूचना दी गयी। दिनांक 13.05.15 को बैट्री के गायब हो जाने की जाँच पड़ताल करने के लिये पुलिस आयी एवं जाँच कर चली गयी। इसके बाद कार्यपालक अभियंता के द्वारा मनगढ़त बात रखकर यह बात छिपाने का कोशिश किया गया कि वाहन BRE-7980 का बैट्री लो हो जाने के कारण वाहन BPE-70 का बैट्री खोलकर वाहन BRE-7980 में लगाया गया। यह भी कहना है कि जब वाहन BPE-70 या BRE-9545 को चलवाना चाहिए था। परन्तु ऐसा उनके द्वारा नहीं किया गया। बल्कि बचने के लिये मनगढ़ंत बात गढ़ ली गयी। वास्तव में कार्यपालक अभियंता इस बैट्री का उपयोग अपने निजी कार्य में अपने आवास पर अपने इनभर्टर में कर रहे थे। श्री महमूद आलम चालक द्वारा बैट्री गायब होने की सूचना लिखित आवेदन देने के बाद अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध थाना में सूचना दी गयी।

(v) श्री अनुज कनीय अभियंता के द्वारा प्रपत्र 8, 9, 10 की एक प्रति ही दिनांक 28.05.15 एवं 29.05.15 को उपलब्ध कराया गया था। इनके द्वारा अपने पत्रांक 148 दि० 30.05.15 से श्री रामनरेश अनुज, कनीय अभियंता के द्वारा समर्पित किया गया, प्रपत्र 8, 9 एवं 10 की एक एक प्रति का तीन–तीन प्रति फोटो स्टेट कराकर कार्यपालक अभियंता को समर्पित किया गया। साथ ही कार्यपालक अभियंता के निदेश के आलोक में माप पुस्त में रिकार्ड इंट्री के अनुसार प्रपत्र 8 एवं 9 में सुधार श्री अनुज कनीय अभियंता को कार्यपालक अभियंता के पास भेजकर कराया गया एवं एक–एक प्रति फोटो स्टेट कनीय अभियंता से करवाकर कार्यपालक अभियंता को समर्पित किया गया।

(vi) एजेण्डा सं० 125/80 के कटाव निरोधक कार्य का दि० 09.03.15 को निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता के निदेशानुसार पूर्व में कराये गये परक्युपाईन को यथावत छोड़कर उसमें झाँकी भरवाने का निदेश मिला। संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति कार्यपालक अभियंता द्वारा पत्रांक 345 दि० 19.03.15 से प्राप्त होते ही इसकी प्रति तुरन्त श्री रामनरेश अनुज, कनीय अभियंता को प्राप्त कराते हुए अविलम्ब झाँकी भरने का आदेश दिया गया। इनके द्वारा झाँकी भरने हेतु संवेदक को भी कहा गया। परन्तु बाढ़ पूर्व 2015 में कराये गये कटाव निरोधक कार्य के स्वीकृत प्राक्कलन में परक्युपाईन में झाँकी भरने का प्रावधान नहीं होने के कारण संवेदक द्वारा झाँकी नहीं भराया गया।

कटहा स्थल पर बहुत पूर्व वर्षो में कराये गये परक्युपाईन के आगे एवं पीछे एजेण्डा सं० 125/80 के अन्तर्गत दो बेडवार बनाने का सुझाव अध्यक्ष कटाव समिति द्वारा TAC के द्वारा सलाह दिया गया एवं दोनों बेडवारों के बीच में परक्युपाईन में पड़ने के कारण इसमें झाँकी भराने का सलाह न तो TAC द्वारा दी गयी एवं न ही SRC द्वारा इसकी अनुशंसा की गयी। इस कारण स्वीकृत प्राक्कलन में झाँकी भरने का प्रावधान नहीं था।

इनके द्वारा श्री अनुज कनीय अभियंता को परक्युपाईन में झाँकी भरने का प्राक्कलन बनाने के लिये कहा गया एवं पत्रांक 75 दि० 18.04.15 के खण्ड (iv) में कार्यपालक अभियंता से विभाग से 50.00 हजार रूपये आवंटन प्राप्त कराने का अनुरोध किया गया। इस कार्य हेतु न तो अग्रिम दी गयी, न ही संवेदक पर दबाव बनाया गया। कनीय अभियंता द्वारा भी झाँकी भराने का न तो प्राक्कलन बनाया गया था न ही कहने के बाद भी कार्यपालक अभियंता से अग्रिम प्राप्त करने के लिये अग्रिम हेतु आवेदन दिया गया।

श्री प्रसाद द्वारा उक्त पुनर्विलोकन अर्जी के क्रम में पुनः समर्पित अभ्यावेदन दिनांक–07.05.2020 में मुख्य रूप से उनके द्वारा दिये गये पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक–13.07.2019 पर की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ निम्न कथन अंकित किया गया :–

(क) कार्यपालक अभियंता, सिकरहना तटबंध प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा लगाया गया आरोप 2, 5, 6, 7, 8 एवं 10 झूठा एवं मनगढ़त है। यदि ये सभी आरोप मुझपर बनता है तो इसके लिए श्री राम नरेश अनुज को भी दोषी होना चाहिए। कार्यपालक अभियंता, सिकरहना तटबंध प्रमंडल, मोतिहारी को श्री राम नरेश अनुज, कनीय अभियंता के विरूद्ध इन सभी आरोपों के लिए प्रपत्र ''क'' भरकर उनपर भी दंड के लिए विभाग से आग्रह करना चाहिए था। परन्तु कार्यपालक अभियंता, सिकरहना तटबंध प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा श्री राम नरेश अनुज कनीय अभियंता का पक्ष लेकर सिर्फ मुझपर आरोप लगाया गया है। दरअसल ये सभी आरोप झूठा एवं मनगढ़ंत है, जिसके लिए विभाग के द्वारा मुझे दंड नहीं दिया जा सकता है।

(ख) कार्यपालक अभियंता, सिकरहना तटबंध प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा लगाये गये आरोप संख्या–5 एवं 6 के लिए कुछ साक्ष्य अनुलग्न किया जा रहा है, जिससे स्पष्ट होगा कि सारा आरोप झूठा एवं मनगढ़ंत है।

आरोप सं०–5 में दिनांक–02.05.2015 को जिला पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण के यहाँ आपदा प्रबंधन से संबंधित विडियों कॉनफ्रेसिंग में भाग नहीं लेने का आरोप लगाया गया है तथा आरोप सं०–6 में अध्यक्ष कटाव निरोधक समिति, मुख्य अभियंता परिक्षेत्र वाल्मीकिनगर के द्वारा दिनांक–10.04.2015 को स्थल निरीक्षण के दौरान बिना पूर्व सूचना के स्थल से अनुपस्थित होने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में कहना है कि मेरे द्वारा पुत्री की परीक्षा हेतु दिनांक–02.05.2015 से 03.05.2015 तक आकस्मिक अवकाश का आवेदन तथा दिनांक–10.04.2015 से 11.04.2015 तक आकस्मिक अवकाश का आवेदन दिया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–06.03.2019 को सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–2513/2016 पर दिये गये आदेश में दिनांक 10.04.2015, 11.04.2015, 02.05.2015 एवं 03.05.2015 को आकस्मिक अवकाश माना जाय के आलोक में कार्यपालक अभियंता सिकरहना तटबंध प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा दिनांक–02.05.2015 से 03.05.2015 आकस्मिक अवकाश के आवेदन के लिए दिनांक 03.05.2015 का वेतन भुगतान कर दिये जाने के कारण इस दिन को अवकाश स्वीकृत मान लिया गया है और उनके द्वारा दिनांक 10.04.2015, 11.04.2015 एवं 02.05.2015 को अनाधिकृत रूप से बिना सूचना के अनुपस्थित मान लिया गया है। पुनः विभागीय पत्रांक–1538 दिनांक 05.08.2019 के आलोक में दिनांक–10.04.2015 से 11.04.2015 के आकस्मिक अवकाश के आवेदन पर विचार करते हुए सिर्फ 11.04.2015 का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया है, जो एक मानसिक यातना देने योग्य कार्रवाई है। दिनांक 10.04.2015 से 11.04.2015 के लिए एक ही आकस्मिक अवकाश के आवेदन के लिए सिर्फ एक दिन 11.04.2015 के लिए आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति कैसे दी जा सकती है। दिनांक–10.04.2015 के लिए अवकाश स्वीकृत नहीं करने का क्या आधार है।

उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कार्यपालक अभियंता सिकरहना तटबंध प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा मेरे साथ पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर प्रपत्र ''क'' भरा गया है, जिसके आधार पर विभाग द्वारा मुझे दंड देने का कोई वैद्य आधार नहीं है।

श्री विद्यानन्द प्रसाद द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी की समीक्षोपरांत निम्न तथ्य पाये गये :–

श्री प्रसाद तत्कालीन सहायक अभियंता के विरूद्ध सिकरहना तटबंध प्रमंडल, मोतिहारी के अन्तर्गत पदाधिकारियों के बीच उत्पन्न आपसी समन्वय कमी के फलस्वरूप संबंधित पूरे मामले की जाँच उड़नदस्ता से करायी गयी। उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन एवं मुख्य अभियंता, मोतिहारी से प्राप्त आरोप पत्र को समेकित रूप से समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद से आरोप पत्र के साथ स्पष्टीकरण की माँग की गयी। प्राप्त स्पष्टीकरण पर मुख्य अभियंता मुजफ्फरपुर से मंतव्य की माँग की गयी। मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद को उपरोक्त प्रमाणित आरोप यथा उच्च पदाधिकारी के आदेश के बावजूद तटबंध की मरम्मति नहीं कराने, सूचना दिये जाने के बाद भी जिला पदाधिकारी के स्तर से आयोजित विडियो कॉन्फ्रेसिंग में भाग नहीं लेने, अनुमति प्राप्त किये बिना ही अनुपस्थित रहने, गलत ढंग से बिना नियंत्री पदाधिकारी को

सूचना दिये ही अनावश्यक रूप से बैट्री चोरी की सूचना थाना को दिये जाने, कटाव निरोधक कार्य में लापरवाही बरतने एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं करने एवं मुख्य अभियंता के निदेश के बावजूद भी एजेण्डा सं० 125/80 के तहत पूर्व के परक्युपाईन लेईंग कार्य में झाँकी भराई नहीं करने के लिये "दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक" का दण्ड संसूचित किया गया है। उक्त संसूचित दण्ड के क्रम में श्री प्रसाद द्वारा अपना पुनर्विलोकन अर्जी एवं अभ्यावेदन उपलब्ध कराया गया है। उक्त पुनर्विलोकन अर्जी में कार्यपालक अभियंता, सिकरहना तटबंध प्रमंडल, मोतिहारी पर कई तरह का दोषारोपण किये जाने के क्रम में मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर से मंतव्य की माँग की गयी। मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 3262 दि० 18.12.19 में कहा गया कि उनके पत्रांक 2566 दि० 25.08.18 से पूर्व में प्राप्त बिन्दुवार मंतव्य से सहमति व्यक्त की गयी है। उक्त पत्र के साथ संलग्न मंतव्य विवरणी से स्पष्ट है कि श्री प्रसाद के विरूद्ध वर्णित आरोपों को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है। श्री प्रसाद के पुनर्विलोकन अर्जी एवं अभ्यावेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनके द्वारा आरोप–प्रत्यारोप के संदर्भ में की गयी पत्राचार का मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है एवं तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिकरहना तटबंध प्रमंडल, मोतिहारी के विरूद्ध कई तरह का आरोप लगाया गया है। जबकि इन्हें आरोपवार अपने बचाव हेतु तथ्यों का उल्लेख करते हुए ठोस साक्ष्य उपलब्ध कराना चाहिए था। पुनर्विलोकन अर्जी में दिये गये अधिकांश तथ्य लगभग वही है जो इनके द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण में दिया गया है जिस पर मुख्य अभियंता से मंतव्य प्राप्ति के पश्चात विभागीय स्तर पर समीक्षोपरान्त उपरोक्त उद्धृत आरोपों को प्रमाणित पाया गया है। इनके द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी में कोई नया तथ्य ठोस साक्ष्य के साथ नहीं दिया गया है। अतएव इनका पुनर्विलोकन अर्जी स्वीकार योग्य नहीं है।

वर्णित तथ्यों एवं मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 3262 दि० 18.12.19 से प्राप्त मंतव्य के आलोक में श्री प्रसाद द्वारा समर्पित का पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री विद्यानन्द प्रसाद (आई0डी0–4517) तत0 सहायक अभियंता, सिकरहना तटबंध प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या–803 दिनांक 16.04.2019 द्वारा संसूचित दण्ड यथा "दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक के विरूद्ध समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

22 फरवरी 2021

सं0 22/नि०सि०(पू0)–01–03/2015/229––श्री शैलेन्द्र कुमार (आई0डी0–3803), तत्कालीन सहायक अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल, खगौल को मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियाँ के अधीन पूर्वी कोशी नहर पुनर्स्थापन कार्य से संबंधित योजना में गलत गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन देने, कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने, पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने इत्यादि आरोपों के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप सरकार के स्तर पर लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–1607, दिनांक 25.07.2018 द्वारा निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प सं0–2465, दिनांक 28.11.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में ही श्री कुमार द्वारा अभ्यावेदन दिया गया कि वे दिनांक 29.02.2020 को सेवानिवृत हो रहे हैं। श्री कुमार से प्राप्त अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत इनकी सेवानिवृति को देखते हुए दिनांक 29.02.2020 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री शैलेन्द्र कुमार, तत्का0 सहायक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता (निलंबित) को दिनांक 29.02.2020 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

22 फरवरी 2021

सं0 22/नि०सि०(पू0)–01–03/2015/230––श्री विजय शंकर सिंह (आई0डी0–जे 7643), तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, कटिहार को मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियाँ के अधीन पूर्वी कोशी नहर पुनर्स्थापन कार्य से संबंधित योजना में प्राक्कलन की विशिष्टियों एवं गुणवत्ता का ध्यान नहीं रख कर न्यून विशिष्टि का कार्य कराने, पक्की संरचनाओं में सीमेंट की मात्रा कम होने, कराये गये मिट्टी कार्य में सेटलमेंट मद में मिट्टी की मात्रा की कटौती किये बगैर संवेदक को भुगतान करने, बिना सर्वेक्षण किये ही स्थल के अनुरूप DPR प्राक्कलन में प्रावधान नहीं करने, कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने, पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने इत्यादि आरोपों के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप सरकार के स्तर पर लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–1600, दिनांक 25.07.2018 द्वारा निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प सं0–2468, दिनांक 28.11.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में ही श्री विजय शंकर सिंह दिनांक 31.12.2020 को सेवानिवृत हो गये हैं। श्री सिंह की सेवानिवृति को देखते हुए दिनांक 31.12.2020 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री विजय शंकर सिंह, सेवानिवृत सहायक अभियंता (निलंबित) को दिनांक 31.12.2020 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

22 फरवरी 2021

सं0 22/नि०सि०(पू0)–01–03/2015/231––श्री शिवदानी पासवान (आई0डी0–4670), तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, मुरलीगंज को मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियाँ के अधीन पूर्वी कोशी नहर पुनर्स्थापन कार्य से संबंधित योजना में प्राक्कलन की विशिष्टियों एवं गुणवत्ता का ध्यान नहीं रख कर न्यून विशिष्टि का कार्य कराने, पक्की संरचनाओं में सीमेंट की मात्रा कम होने, कराये गये मिट्टी कार्य में सेटलमेंट मद में मिट्टी की मात्रा की कटौती किये बगैर संवेदक को भुगतान करने, बिना सर्वेक्षण किये ही स्थल के अनुरूप DPR प्राक्कलन में प्रावधान नहीं करने, कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने, पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने इत्यादि आरोपों के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप सरकार के स्तर पर लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–1609, दिनांक 25.07.2018 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा विभागीय पत्रांक–3146, दिनांक 25.09.2018 द्वारा आरोप पत्र के साथ स्पष्टीकरण की मांग की गई।

प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षा के क्रम में ही श्री शिवदानी पासवान दिनांक 31.01.2021 को सेवानिवृत हो गये हैं। श्री पासवान की सेवानिवृति को देखते हुए दिनांक 31.01.2021 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री शिवदानी पासवान, सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता (निलंबित) को दिनांक 31.01.2021 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

1 मार्च 2021

सं0 22/नि0सि0(डा0) 13–102/99(छाया)–271––श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता (यांत्रिक) सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता, विद्युत अवर प्रमंडल, मंडल, पलामू के पदस्थापन अवधि में वर्ष 1997–98 में हुई चोरी की विभिन्न घटनाओं की जाँच विभागीय जाँच समिति द्वारा की गयी। जाँच समिति से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री वर्मा के विरूद्ध सिविल सर्विसेज, क्लासीफिकेशन, कंट्रोल एंव अपील रूल्स के नियम–55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी एवं जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय आदेश संख्या–99 दिनांक 07.05.2002 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया :–

(i) "निन्दन" वर्ष 1999–2000

(ii) संचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री वर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No-14841/2008 दायर किया गया जिसमें दिनांक 07.02.2017 को न्याय निर्णय पारित करते हुए विभागीय आदेश सं0–99 दिनांक 07.05.2002 द्वारा निर्गत दण्ड को निरस्त करते हुए नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश दिया गया। तदालोक में विभागीय आदेश सं0–72 दिनांक 28.08.17 द्वारा विभागीय दण्डादेश सं0–99 दिनांक 07.05.2002 द्वारा संसूचित दण्ड को निरस्त किया गया एवं श्री वर्मा के सेवानिवृत हो जाने के कारण पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश सं0–73 दिनांक 28.08.17 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) में सम्परिवर्तित करते हुए पुनः संचालन पदाधिकारी एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर निम्न आरोप के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी :–

याँत्रिक प्रमंडल (पलामू) अन्तर्गत विद्युत अवर प्रमंडल (मंडल) के भंडार में वर्ष 1997–98 में हुई चोरी की विभिन्न घटनाओं की जाँच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये जिसकी जाँच विभागीय समिति द्वारा की गयी एवं जाँचोपरांत विभागीय जाँच समिति द्वारा पाया गया कि दिनांक 01.04.1999 से 03.04.1999 तक विद्युत अवर प्रमंडल, मंडल, पलामू के भंडार के भौतिक सत्यापन में बुक भैल्यू के अनुसार 10.07 लाख रूपये के समानों की कमी पायी गयी है। उपुर्यक्त भंडार की सुरक्षा के प्रभारी के रूप में सुरक्षा कर्मियों (चौकीदारों) पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रखने, चोरी की सूचना प्राप्त होते ही प्राथमिकी तुरंत दर्ज नहीं कराने एवं जाँच कार्य में कार्यपालक अभियंता को सहयोग नहीं करने के लिए श्री वर्मा को उत्तरदायी पाया गया। बिहार लोक निर्माण सेवा संहिता के नियम–110 के अनुसार समय पर भंडार लेखा तैयार नहीं करने के लिए श्री वर्मा उत्तरदायी पाये गये।

विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया जिसमें श्री वर्मा के विरूद्ध आरोप को अप्रमाणित पाया गया। जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए असहमति के निम्न बिन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा की गयी :–

"श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता (याँत्रिक) सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता के विरूद्ध विद्युत अवर प्रमंडल, मंडल (पलामु) के भंडार वर्ष में वर्ष 1997–1998 तक आकस्मिक अवकाश का आवेदन बिना नियंत्री पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किये मुख्यालय से बाहर यह जानते हुए प्रस्थान कर गए कि जब जब श्री वर्मा छुट्टी में प्रस्थान किये है, उसी अवधि में भंडारगृह में सुरक्षाकर्मी/चौकीदारों की लापरवाही के कारण पूर्व में चोरी की घटना भी घटित हुई है। इस प्रकार भंडार के सुरक्षाकर्मी/चौकीदारों का मासिक अनुपस्थिति विवरणी आपके द्वारा दिये जाने के बचाव के आलोक में भंडार के सुरक्षा के प्रभारी के रूप में सुरक्षाकर्मी/चौकीदारों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रखने के कारण भंडार में हुई चोरी के लिए आप दोषी परिलक्षित होते हैं।"

श्री वर्मा द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा (अभ्यावेदन) का जवाब दिया गया है, जो निम्नवत है :–

जिस विषय पर आपने मुझसे द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की है उसका कंडिकावार विस्तृत रूप से जाँच पदाधिकारी द्वारा अभिलेख के आधार पर स्पष्ट रूप से कह दिया गया है जो मूलतः सही है। मैं फिर भी पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिस परिस्थिति में मैंने आकस्मिक अवकाश या अवकाश लिया था वह मेरे लिए आपातकालीन स्थिति था।

विभागीय अभिलेख से यह स्पष्ट हो जायेगा कि वर्ष 1999 से 1998 में मैंने जिस भी अवधि में आकस्मिक अवकाश या अवकाश पर रहा है उसे सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। अतः उसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गयी है। कोई भी पदाधिकारी जब आकस्मिक अवकाश या अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है उसे मूलतः जाँच करने के बाद ही स्वीकृत करता है। मेरे आकस्मिक अवकाश एवं अवकाश की स्वीकृति करने के बाद मुझे उस अवधि का नियमतः वेतन भुगतान भी कर दिया गया है। जहाँ तक मेरे अवकाश पर होने की अवधि में विभागीय कार्य का प्रश्न है वह ऊँचे पदाधिकारी द्वारा नियंत्रित एवं देखभाल की जाती है। इस तरह मेरे अवकाश अवधि में रहने के दरम्यान मेरे ऊँचे पदाधिकारी द्वारा नियंत्रित एवं देखभाल की जाती है। इस तरह मेरे अवकाश अवधि में रहने के दरम्यान मेरे ऊँचे पदाधिकारी भंडार एवं चौकीदार का नियंत्रण करते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि चौकीदार का नियंत्रण करते है। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि चौकीदार पर मेरा नियंत्रण नहीं था, लेकिन जब मैं छुट्टी पर था तो वह नियंत्रण समकक्ष या ऊँचे पदाधिकारी द्वारा किया जाता है। जाँच पदाधिकारी इस बात की जाँच कागजात एवं अभिलेख के आधार पर किया। जिससे भिन्न होने की कोई औचित्य नहीं बनता है। जाँच पदाधिकारी इस बात की जाँच की और पाया कि मैं किसी रूप में दोषी नहीं हूँ। मेरे आकस्मिक अवकाश या अवकाश के दरम्यान अगर कोई चोरी की घटना घटी तो दूसरे पदाधिकारी जो उक्त वक्त कार्य पर थे उनके नियंत्रण में भंडार या चौकीदार दोनों होता है। इसलिए उक्त में किसी घटना के लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

जहाँ तक कर्मचारी के अनुपस्थिति विवरणी देने का प्रश्न है नियमतः यह अनुपस्थिति विवरणी उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षरित हाजरी के आधार पर दिया जाता है और मैंने भी नियम का पालन करते हुए अनुपस्थिति विवरणी हस्ताक्षरित हाजरी के आधार पर दिया। अतः उसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गयी है और उस कार्य के लिए मुझे किसी प्रकार से भी दोषी या जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है।

यहाँ मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने उन्हीं चौकीदार का अनुपस्थिति विवरणी दिया जो मेरे नियंत्रण में था, दूसरे चौकीदार का अनुपस्थिति विवरणी दूसरे पदाधिकारी के द्वारा दिया गया। पुनः यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैने जिन चौकीदारी का अनुपस्थिति विवरणी दिया वह हस्ताक्षरित हाजरी पंजी के आधार पर दिया गया। जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गयी है और उसमें किसी पदाधिकारी द्वारा किसी प्रकार की शिकायत नहीं की गयी है क्योंकि उसमें मेरे द्वारा कोई गलती नहीं की गयी है।

यहाँ श्रीमान् के विचारार्थ यह भी कहना चाहता हूँ कि चौकीदार पर पूर्ण नियंत्रण अवर प्रमंडल पदाधिकारी का होता है क्योंकि व्यवहारिक रूप से अवर प्रमंडल पदाधिकारी चौकीदार के कार्य का बंटवारा करते हैं। इस प्रकार मेरे छुट्टी में होने पर चौकीदार पर नियंत्रण दूसरे पदाधिकारी का होता है जो भंडार सहित दूसरे कार्य का नियंत्रण करते है। मैंने पूर्व में भी अपने बचाव–बयान में आकस्मिक अवकाश या अवकाश के संबंध में चोरी की घटना के संबंध में किसी भी प्रकार से मेरी जिम्मेवारी नहीं होने के संबंध में, अनुपस्थिति विवरणी के संबंध में एवं चौकीदार पर नियंत्रण के संबंध में तथा अन्य के संबंध में विस्तृत रूप से कह चुका हूँ। जिसे भी श्रीमान् द्वारा देखा जा सकता है।

यहाँ मैं एक बार पुनः श्रीमान् को स्पष्ट करना चाहूँगा कि जाँच पदाधिकारी के मुझसे संबंधित सारे अभिलेखों की जाँच कर उन्होंने मुझे पूर्णतः निर्दोष पाया। अतः मैं पूर्ण रूप से निर्दोष हूँ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्रीमान् से करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे इस द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को स्वीकार करते हुए मुझे पूर्ण रूप से दोष मुक्त किया जाय।

श्री वर्मा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी जो निम्नवत है :–

श्री वर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता के विरूद्ध अवर प्रमंडल, मंडल (पलामू) के पदस्थापन अवधि में वर्ष 1997–1998 के बीच आकस्मिक अवकाश का आवेदन बिना नियंत्री पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किये मुख्यालय से बाहर रहने की अवधि में सुरक्षाकर्मी/चौकीदारों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रखने के कारण भंडार में हुई चोरी के लिए दोषी पाये जाने का आरोप है जबकि इनके द्वारा चौकीदारों/सुरक्षाकर्मियों का मासिक अनुपस्थिति विवरणी दिया गया है।

श्री वर्मा द्वारा अपने बचाव बयान में उल्लेख है कि जिस विषय पर द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई है उसका विस्तृत उत्तर जाँच पदाधिकारी को स्पष्ट रूप से कह दिया गया है जो मूलतः सही है। तत्समय उनके द्वारा लिये गये आकस्मिक अवकाश को आपातकालीन स्थिति में लिये जाने का उल्लेख करते हुए कहा है कि वर्ष 1999 से 1998 में ली गयी आकस्मिक अवकाश/अवकाश को सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत करते हुए उस अवधि का भुगतान भी कर दिया गया है।

संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विद्युत अवर प्रमंडल, मंडल (पलामू) के भंडार गृह से वर्ष 1997 से 1998 के बीच चार अलग–अलग चोरी की घटनाओं में चोरी से संबंधित बरवाडीह थाना कांड सं0–50/97 दिनांक 24.07.1997, कांड सं0–17/1998 दिनांक 08.04.1998 एवं कांड सं0–36/1998 दिनांक 24.07.1998 दर्ज है। प्रथम चोरी की घटना के समय (थाना कांड सं0–50/97 दिनांक 24.07.1997) श्री वर्मा दिनांक 01.07.1997 से 13.08.1997 तक अपने पिता का मद्रास में इलाज हेतु लगातार छुट्टी पर रहने एवं उक्त अवधि के लिए उपार्जित अवकाश के रूप में अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) अंचल, राँची के पत्रांक–373 दिनांक 09.03.2000 द्वारा स्वीकृति दिये जाने का उल्लेख है।

तीसरे एवं चौथी चोरी की घटना क्रमशः 15.07.98 एवं 18.07.98 (थाना कांड सं0–36 दिनांक 19.07.98) के दिन श्री वर्मा दिनांक 13.07.98 से दिनांक 19.07.98 तक आकस्मिक अवकाश में रहने का उल्लेख है। श्री वर्मा के आकस्मिक अवकाश

दिनांक 13.07.98 से 19.07.98 तक का आवेदन पर उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति किया जाना परिलक्षित होता है। इस प्रकार श्री वर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता को चोरी का प्रथम, तृतीय एवं चतुर्थ घटना के समय अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का उल्लेख किसी भी उच्चाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित नहीं रहने एवं उक्त दोनों आवेदनों की स्वीकृति प्रदान किये जाने के कारण प्रथम, तृतीय एवं चतुर्थ चोरी की घटनाओं के समय स्थल/मुख्यालय में उपस्थित नहीं रहना परिलक्षित होता है। चूँकि भंडार से चोरी हुई सामग्री भंडारपाल के जिम्मे था एवं इन सामग्रियों के प्रभारी श्री वर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता नहीं थे ऐसी स्थिति में प्रथम एवं तृतीय थाना कांड संख्या के रूप में तत्समय प्राथमिकी दर्ज नहीं करने एवं सुरक्षाकर्मियों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रखने के आरोप को संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से अप्रमाणित बताये जाने से सहमत हुआ जा सकता है। परन्तु चोरी की दूसरी घटना (थाना कांड सं0–17/98 दिनांक 08.04.1998) के समय दिनांक 01.04.1998 से 05.04.1998 से 05.04.1998 तक आकस्मिक अवकाश संबंधित श्री वर्मा के आवेदन की स्वीकृति दिया जाना प्रतीत नहीं होता है। उक्त आवेदन पर 01.04.1998 के तिथि में किसी कर्मी का हस्ताक्षर है, परन्तु उक्त हस्ताक्षर उनके नियंत्री पदाधिकारी श्री राधेश्याम पाण्डेय का होना प्रतीत नहीं होता है। संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन में भी आकस्मिक अवकाश स्वीकृत होने का उल्लेख नहीं है। बचाव बयान के साथ अवकाश की स्वीकृति से संबंधित अभिलेख भी संलग्न नहीं है। इस प्रकार बिना नियंत्री पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किये अवकाश में जाना प्रमाणित होता है। जिससे यह प्रतीत होता है कि श्री वर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता द्वारा यह जानते हुए भी कि जब वे छुट्टी में प्रस्थान करते है उसी अवधि में भंडार गृह में सुरक्षा कर्मियों/चौकीदारों की लापरवाही के कारण चोरी की घटना घटित होती है, फिर भी बिना सुरक्षा के समुचित व्यवस्था किये दिनांक 01.04.98 से 05.04.98 तक आकस्मिक अवकाश के बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त किये ही मुख्यालय से बाहर चले गये एवं मात्र उपस्थिति पंजी पर सुरक्षा कर्मी/चौकीदारों द्वारा हस्ताक्षर के आधार पर वेतन भुगतान हेतु मासिक अनुपस्थिति विवरणी देकर अपनी जवाबदेही से बचते रहे जबकि भंडार में सुरक्षा कर्मियों/चौकीदारों की लापरवाही से चोरी की घटना होती रही। इस प्रकार भंडार की सुरक्षा के प्रभारी के रूप में सुरक्षा कर्मियों (चौकीदारों) पर पूर्ण नहीं रखने का आरोप प्रमाणित प्रतीत होता है। चूँकि उक्त वर्णित चार चोरी की घटनाओं में से मात्र एक चोरी की घटना के समय दिनांक 01.04.98 से 05.04.98 तक बिना नियंत्री पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किये मुख्यालय छोड़ने तथा उसी अवधि में बिना सुरक्षा के समुचित व्यवस्था किये आकस्मिक अवकाश में प्रस्थान कर जाने तथा भंडार में चोरी की घटना होने के आरोप को आंशिक प्रमाणित पाया गया है। इस प्रकार श्री वर्मा के विरूद्ध आरोप को आंशिक प्रमाणित पाये जाने का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया गया है।

उक्त के आलोक में प्रमाणित आरोप के लिए श्री वर्मा, तत0 कनीय अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया गया है।

"10% (दस प्रतिशत) पेंशन की कटौती अगले पाँच (05) वर्षों के लिए"

अतएव श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा, तत0 कनीय अभियंता (यॉत्रिक), विधुत अवर प्रमंडल, मंडल (पलामू) सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के लिए निम्न दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जात है :–

"10% (दस प्रतिशत) पेंशन की कटौती अगले पाँच (05) वर्षों के लिए"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
इन्दुभूषण प्रसाद, अवर सचिव।

---

2 मार्च 2021

सं0 22/नि0सि0(दर0)16–02/2015–273––श्री प्रसुन कुमार (आई0डी0–3405), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल–02, बेनीपुर (पैतृक विभाग, जल संसाधन विभाग) द्वारा अपने उक्त पदस्थापन काल में बरती गई अनियमितता के संबंध में जिलाधिकारी, दरभंगा द्वारा योजना एवं विकास विभाग को आरोप पत्र साक्ष्य सहित समर्पित किया गया। योजना एवं विकास विभाग द्वारा अपने पत्रांक–5893, दिनांक 15.12.14 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु जल संसाधन विभाग से अनुरोध किया गया। मामले की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत लिये गये निर्णय के आलोक में श्री कुमार से विभागीय पत्रांक–1098, दिनां 13.05.15 द्वारा स्पष्टीकरण किया गया।

श्री कुमार ने अपने पत्रांक–01पी0, दिनांक 29.01.16 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया। श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत श्री कुमार के स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य पाते हुए श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प–सह–पठित ज्ञापांक–991, दिनांक 27.05.16 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप :–

आरोप सं0–01–13 कब्रिस्तान घेराबन्दी की योजना (प्राक्कलित राशि 22169530.00 रूपये) की मात्र 2 योजना में कार्य प्रारंभ किये जाने शेष 11 योजना में निविदा के बावजूद एकरारनामा कई माह से निष्पादित नहीं किये जाने तथा अद्यतन कोई समय सीमा भी नहीं बताने से कार्य के प्रति लापरवाही एवं अरूचि का आरोप।

आरोप सं0–02–बडी संख्या में निविदा निस्तार हेतु निविदोपरांत एकरारनामा हेतु तथा एकरारनामा के उपरांत योजनाएँ कार्यान्वयन हेतु लंबित रहने से विलंब के कारण प्राक्कलन में वृद्धि होने, योजनाओं के पूर्ण न होने का आरोप।

आरोप सं0–03–सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में 30 योजनाओं का एवं 2013–14 में 60 योजनाओं (कुल प्राक्कलित राशि 673.272 लाख) में से जून माह 2014 तक एक भी योजना के पूर्ण नहीं होने, मात्र 8 योजनाओं में कार्य प्रगति पर बताये जाने, आवंटित 388.909 लाख रूपये के विरूद्ध मात्र 13.79लाख रूपये व्यय किये जाने से कार्य के प्रति अरूचि एवं अकर्मन्यता का आरोप।

आरोप सं0–04– प्रमंडलीय कार्यालय, बेनीपुर में अवस्थित होने के बावजूद कार्यपालक अभियंता का अधीनस्थ सभी सहायक अभियंता/कनीय अभियंता के साथ मुख्यालय से नहीं रहकर दरभंगा में रहने का आरोप।

श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी ने अपने पत्रांक–233, दिनांक 14.06.17 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया। जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा निम्न निष्कर्ष अंकित किया गया।

(i) आरोप सं0–01 – आरोप पूर्णतः प्रमाणित नहीं है।

(ii) आरोप सं0–02 – आरोप अप्रमाणित है।

(iii) आरोप सं0–03 – यह आरोप पूर्णतः प्रमाणित नहीं है।

(iv) आरोप सं0–04– यह आरोप अप्रमाणित है।

जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा अंकित आरोप सं0–01, 02 एवं 03 से संबंधित मंतव्य से सहमत होते हुए एवं आरोप सं0–04 से संबंधित मंतव्य से असहमत होते हुए असहमति के निम्न बिन्दू पर द्वितीय कारण पृच्छा (अभ्यावेदन) करने का निर्णय लिया गया।

आरोप सं०–4 से संबंधित असहमति के बिन्दु :–

संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से परिलक्षित होता है कि इनके द्वारा बिना साक्ष्य की समीक्षा किये ही आरोपित का कथन कि वे प्रमंडल कार्यालय बेनीपुर में रहते थे, को स्वीकार योग्य मानते हुए आरोप प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया। जबकि दिनांक 08.07.14 को जिला पदाधिकारी के समीक्षात्मक बैठक से संबंधित प्रतिवेदन की कंडिका–06 में श्री कुमार को निदेश दिया गया है कि वे प्रतिदिन 10 बजे से 05बजे तक बेनीपुर स्थित प्रमंडलीय कार्यालय में सभी अधीनस्थ सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के साथ कैम्प करते हुए सभी आवंटित कार्यों का निष्पादन करे एवं इसकी प्रति आरोपित को भी गई तथा जिलाधिकारी द्वारा गठित आरोप पत्र में अंकित किया गया है कि दिनांक 08.07.14 की बैठक में पूछताछ के क्रम में आरोपित पदाधिकारी द्वारा बताया गया है कि प्रमंडलीय कार्यालय, बेनीपुर में अवस्थित है परन्तु उनके सहित उनके अधीनस्थ सभी सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता प्रमंडलीय कार्यालय में नहीं रहकर दरभंगा में रहते है। इनके इस आचरण से योजनाओं की प्रगति बाधित है।

उक्त से स्पष्ट है कि श्री कुमार का कथन कि वे प्रमंडलीय कार्यालय बेनीपुर में ही रहते थे, संदिग्ध प्रतीत है। आरोपित द्वारा बेनीपुर में रहने से संबंधित कोई साक्ष्य (यथा आवासीय पता, अन्य अभिलेख जिससे स्थापित हो सके कि वे बेनीपुर में रहकर कार्यों का निष्पादन करते थे) उपलब्ध नहीं कराया गया। अतएव साक्ष्य के अभाव में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप सं0–4 प्रमाणित होता है।

उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक–1403, दिनांक 23.08.17 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया। द्वितीय कारण पृच्छा का पत्र निबंधित डाक से प्रेषित किया गया। कई स्मार के बावजूद श्री कुमार द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित नहीं किया गया जबकि भेजे गये सभी पत्र श्री कुमार को delivered हुए। इससे स्पष्ट हुआ कि आरोपित बिन्दुओं पर श्री कुमार को कुछ नहीं कहना है। इस प्रकार श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित पाए गए।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री प्रसुन कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल–2, बेनीपुर के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–1178 दिनांक 12.06.2019 द्वारा "**चार (04) वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक"** का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया। मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। जिसमें नये तथ्य एवं साक्ष्य का अभाव पाया गया। असहमति के बिन्दु पर पुनर्विचार अर्जी में श्री कुमार द्वारा कहा गया कि वे बेनीपुर में ही रहते थे एवं साक्ष्य के रूप में मकान मालिक यथा श्री मिथलेश राय, पूर्व जदयू प्रखंड अध्यक्ष, देवका टोला, बेनीपुर का घोषणा पत्र संलग्न किया गया। उक्त घोषणा पत्र के समर्थन में श्री कुमार द्वारा मकान किराया पर लेने के संबंध में मकान मालिक के साथ किये गये एकरारनामा की प्रति तथा घोषणा पत्र में अंकित अवधि का मकान किराया, मकान मालिक को भुगतान करने से संबंधित किराया का रसीद (Rent Receipt) साक्ष्य के रूप में संलग्न नहीं किया। अतएव बेनीपुर में किराया के मकान में रहने संबंधी श्री कुमार द्वारा दिया गया साक्ष्य स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

मामले के सम्यक समीक्षोपरांत श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विचार अर्जी को अस्वीकार करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री प्रसुन कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–02, बेनीपुर के विरूद्ध अधिसूचना सं0–1178 दिनांक 12.06.19 द्वारा निर्गत दण्ड यथा **"चार (04) वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक"** को बरकरार रखते हुए श्री कुमार के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकार किया जाता है।

सरकार का उक्त निर्णय श्री प्रसुन कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–02, बेनीपुर को संसूचित किया जाता है।

सरकार के उक्त निर्णय में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

4 मार्च 2021

सं0 22/नि0सि0(सह0)–26–06/2018–283––श्री अमरेन्द्र नारायण (आई0डी0–3664) तत0 कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, वीरपुर के विरूद्ध उनके पदस्थापन अवधि में सिंचाई प्रमंडल, वीरपुर के तहत फुलकाहा वितरणी के बाँध कटान/टूटान की मरम्मति के नाम पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनावश्यक रूप से प्राक्कलन तैयार करने संबंधी बरती गई अनियमितता की जाँच उड़नदस्ता अंचल, पटना से कराई गई। उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत श्री नारायण से निम्न आरोप के लिए आरोप पत्र के साथ विभागीय पत्रांक–350, दिनांक 25.02.2019 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई :–

विभागीय स्तर से शीर्ष 2245 में फुलकाहा वितरणी के विभिन्न बिन्दुओं पर हुए टूटान/कटान की मरम्मति हेतु कुल 68.861लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत किया गया। आपात स्थिति में उक्त टूटान/कटान की मरम्मति विभागीय रूप से कराये गये कार्यों में कार्यरत श्रमिकों का भुगतान श्रम बल स्वीकृति के पश्चात मास्टर रौल पर किया गया था। परन्तु प्रश्नगत कार्य तो विभागीय स्तर पर कराये गये कार्यों का भुगतान मास्टर रौल पर नहीं कर Petty voucher के माध्यम से नियम के विरूद्ध किया गया। यहाँ तक की विभागीय रूप से कराये गये कार्यों का विभाग द्वारा दिये गये घटनोत्तर स्वीकृति जिसमें Mechanical means एवं श्रमबल के माध्यम से नियमानुसार भुगतान करने का भी निदेश दिया गया है। जिसे नियमानुकूल नहीं माना जा सकता है। अतः नियम के विरूद्ध भुगतान करने के लिए आप दोषी प्रतीत होते हैं।

प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। इनके द्वारा कहा गया है कि विभागीय रूप से बरसात के मौसम के कई बिन्दुओं पर क्षतिग्रस्त सेवा पथ बाधित होने की स्थिति में प्रतिवेदन एक साथ कई स्थलों पर कराये जाने वाले कार्यों/मजदूरों सीमित समय में सत्यापन कर मशीन एवं श्रम बल के आधार पर अलग कर भुगतान करना संभव नहीं होने एवं इतने बडे पैमाने पर हुए टूटान/कटान की मरम्मति सीमित तकनीकी बल के आधार पर सीमित समय में विभागीय रूप से कराने के अव्यवहारिक/असंभव मौखिक निदेश दिया गया। श्रम बल के आधार पर कार्य कराने के लिए एजेंसी के रूप में कार्यरत एक मात्र कनीय अभियंता को प्रतिदिन हर टूटान/कटान पर कम से कम दो बार मजदूरों की उपस्थिति एवं कराये गये कार्यों का सत्यापन करना आवश्यक था। जो संभव नहीं था। साथ ही नियोजित मजदूरों का भुगतान प्रतिदिन करना संभव नहीं था क्योंकि न तो आवंटन था न ही बिना पारित प्रमाणकों के कोषागार से राशि अग्रिम निकासी संभव था। ऐसे में विभागीय रूप से कार्य कराना संभव नहीं था। खरीफ पटवन के दरम्यान ही जलश्राव देकर सिंचाई कराने के बाध्यकारी विभागीय निदेश के ध्यान में रखते हुए एक मात्र उपाय Petty voucher से भुगतान किया जाना व्यवहारिक एवं संभव प्रतीत हुआ। परिस्थितिजन्य स्वीकार योग्य माना जा सकता है परन्तु अगर कनीय अभियंता/सहायक अभियंता की कमी थी तो इन्हें उच्च पदाधिकारी को अवगत कराते हुए वांछित आदेश की मांग की जानी चाहिए थी। परन्तु ऐसा कोई कार्य नहीं कर अपने मन से नियम के विरूद्ध भुगतान की प्रक्रिया अपनाया जाना परिलक्षित होता है। इनके द्वारा कहा गया है कि विभागीय पत्रांक–15, दिनांक 04.01.18 द्वारा विभागीय रूप से कार्य कराने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर अनुमति प्रदान किया गया। जबकि टूटान कटान की मरम्मति का कार्य उच्चाधिकारियों के निदेशानुसार अगस्त 2017 में ही प्रारंभ किया गया था। विभागीय रूप से कार्य कराने के प्रस्ताव पर विभागीय अनुमति प्राप्त होने पर श्रमबल की अधियाचना एवं स्वीकृति मिलने के उपरांत Back Date में मास्टर रौल पर श्रमबल से कार्य कराया जाना संभव एवं नियमानुकूल नहीं होता तथा ससमय आवश्यक नहर मरम्मति कार्य नहीं होने से विभागीय उच्चाधिकारी द्वारा पूर्व में स्थल पर दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं पाता, स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इनके द्वारा उक्त प्रस्ताव दिनांक 16.12.17 को अधीक्षण अभियंता को दिया गया जबकि इनके द्वारा टूटान/कटान का कार्य विभागीय रूप से अगस्त में ही प्रारंभ किया गया है। इनका प्रथम दायित्व था कि नियमानुसार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व ही विभागीय रूप से कार्य कराने का प्रस्ताव देते।

इनके द्वारा यह कहा जाना की वैकल्पिक व्यवस्था के तहत Petty voucher के माध्यम से भुगतान करना श्रेष्कर एवं व्यवहारिक समझा गया स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है क्योंकि यदि विभागीय रूप से कार्य कराने का लिखित आदेश प्राप्त नहीं था तो विभागीय रूप से कार्य कैसे प्रारंभ किया गया। अगर मौखिक रूप से विभागीय रूप से कार्य कराने का आदेश दिया गया तो उसकी सम्पुष्टि हेतु इनके स्तर से कौन सी कार्रवाई की गई का उल्लेख नहीं किया गया है।

इनके द्वारा कहा गया है कि कार्य की मात्रा तथा जटिलता को देखते हुए अधिकाशतः मशीनो द्वारा कार्य कराया गया है। इस कारण Petty voucher से भुगतान किया गया है। प्राक्कलन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्राक्कलन में व्यवधानित कार्य मद यथा राजस्थानी ट्रैक्टर से मिट्टी भराई कार्य, EC Bag, Pitching bamboo pilling के कार्य एवं NC कार्य में मजदूरों को नियोजित करने का प्रावधान है। अतएव इनका कथन स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्री अमरेन्द्र नारायण को प्रश्नगत कार्य में नियम के विरूद्ध विभागीय रूप से कराये गये कार्यों का मास्टर रौल पर नहीं कर Petty voucher पर भुगतान कर बरती गयी प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिए दोषी प्रतीत होते हैं।

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार द्वारा श्री अमरेन्द्र नारायण विभागीय अधिसूचना सं0–2440, दिनांक 26.11.2019 द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया है :–

(i) "दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"।

उक्त संसूचित दण्ड के विरूद्ध श्री नारायण द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया। जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में मुख्य रूप से निम्न तथ्य पाये गये :–

इनके द्वारा कहा गया है कि पथ निर्माण विभाग द्वारा अत्यावश्यक/आकस्मिक प्रकार के कार्यों की विभागीय कार्रवाई किस प्रकार करायी जाय के संबंध में पूर्व से कोई दिशा निदेश नहीं रहने के फलस्वरूप पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं0–1725 दिनांक 18.02.2019 एवं जल संसाधन विभाग के पत्रांक–155 दिनांक 26.02.2019 द्वारा दिशा निदेश निर्गत किये गये है जिसमें विभागीय कार्यों को भी निविदा/कोटेशन तथा श्रमिकों का भुगतान labour Contact द्वारा किया जाना है स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है क्योंकि पथ निर्माण विभाग का उक्त पत्र दिनांक 18.02.2019 को निर्गत है। अर्थात पथ निर्माण विभाग के यह पत्र दिनांक 18.02.2019 से प्रभावी माना जा सकता है, जबकि प्रश्नगत कार्य वर्ष 2017–18 का है। अतएव प्रशनगत कार्य में पायी गयी प्रक्रियात्मक त्रुटि पर इस पत्र का लागू होना नहीं माना जा सकता है।

इनके द्वारा यह भी कहा गया है कि मुख्य नहर सहित इससे निस्तृत नहर प्रणालियों में अत्याधिक टूटान/कटान के मद्देनजर मुख्य अभियंता के पत्रांक–1293 दिनांक 22.08.17 द्वारा दिनांक 23.08.17 को पूर्णतः बाधित सिंचाई कार्य एवं नहर के सेवा पथ क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण अवरूद्ध आवागमन को बहाल करने हेतु एक बैठक आयोजित किया गया। निदेशानुसार कराये गये/कराये जा रहे मरम्मति कार्यों का मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा मुख्य नहर सहित फुलकाहा वितरणी की मरम्मति युद्ध स्तर पर कराकर खरीफ सिंचाई 2017 बहाल करने के निदेश के आलोक में मरम्मति कार्य कर सिंचाई सुविधा बहाल किया गया। मुख्य अभियंता के निरीक्षण प्रतिवेदन में विभागीय रूप से कराये गये कार्यों का भुगतान के प्रक्रिया पर कोई निदेश नहीं दिया गया है। अतएव इनका कथन स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री अमरेन्द्र नारायण, कार्यपालक अभियंता द्वारा दिये गये पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करने का निर्णय सरकार के स्तर पर किया गया।

अतः श्री अमरेन्द्र नारायण, कार्यपालक अभियंता द्वारा दिये गये पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

4 मार्च 2021

सं0 22/नि0सि0(सह0)–26–06/2018–284––श्री दयाशंकर राय (आई0डी0–जे–7719) सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, वीरपुर के विरूद्ध उनके पदस्थापन अवधि में सिंचाई प्रमंडल, वीरपुर के तहत फुलकाहा वितरणी के बाँध कटान/टूटान की मरम्मति के नाम पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनावश्यक रूप से प्राक्कलन तैयार करने संबंधी बरती गई अनियमितता की जाँच उड़नदस्ता अंचल, पटना से कराई गई। उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत श्री राय से निम्न आरोप के लिए आरोप पत्र के साथ विभागीय पत्रांक–348, दिनांक 25.02.2019 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई :–

विभागीय स्तर से शीर्ष 2245 में फुलकाहा वितरणी के विभिन्न बिन्दुओं पर हुए टूटान/कटान की मरम्मति हेतु कुल 68.861लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत किया गया। आपात स्थिति में उक्त टूटान/कटान की मरम्मति विभागीय रूप से कराये गये कार्यों में कार्यरत श्रमिकों का भुगतान श्रम बल स्वीकृति के पश्चात मास्टर रौल पर किया गया था। परन्तु प्रश्नगत कार्य तो विभागीय स्तर पर कराये गये कार्यों का भुगतान मास्टर रौल पर नहीं कर Petty voucher के माध्यम से नियम के विरूद्ध किया गया। यहाँ तक की विभागीय रूप से कराये गये कार्यों का विभाग द्वारा दिये गये घटनोत्तर स्वीकृति जिसमें Mechanical means एवं श्रमबल के माध्यम से नियमानुसार भुगतान करने का भी निदेश दिया गया है। जिसे नियमानुकूल नहीं माना जा सकता है। अतः नियम के विरूद्ध भुगतान करने के लिए आप दोषी प्रतीत होते हैं।

प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। इनके द्वारा कहा गया है कि विभागीय रूप से बरसात के मौसम के कई बिन्दुओं पर क्षतिग्रस्त सेवा पथ बाधित होने की स्थिति में प्रतिवेदन एक साथ कई स्थलों पर कराये जाने वाले कार्यों/मजदूरों सीमित समय में सत्यापन कर मशीन एवं श्रम बल के आधार पर अलग कर भुगतान करना संभव नहीं होने एवं इतने बडे पैमाने पर हुए टूटान/कटान की मरम्मति सीमित तकनीकी बल के आधार पर सीमित समय में विभागीय रूप से कराने के अव्यवहारिक/असंभव मौखिक निदेश दिया गया। श्रम बल के आधार पर कार्य कराने के लिए एजेंसी के रूप में कार्यरत एक मात्र कनीय अभियंता को प्रतिदिन हर टूटान/कटान पर कम से कम दो बार मजदूरों की उपस्थिति एवं कराये गये कार्यों का सत्यापन करना आवश्यक था। जो संभव नहीं था। साथ ही नियोजित मजदूरों का भुगतान प्रतिदिन करना संभव नहीं था क्योंकि न तो आवंटन था न ही बिना पारित प्रमाणकों के कोषागार से राशि अग्रिम निकासी संभव था। ऐसे में विभागीय रूप से कार्य कराना संभव नहीं था। खरीफ पटवन के दरम्यान ही जलश्राव देकर सिंचाई कराने के बाध्यकारी विभागीय निदेश के ध्यान में रखते हुए एक मात्र उपाय Petty voucher से भुगतान किया जाना व्यवहारिक एवं संभव प्रतीत हुआ। परिस्थितिजन्य स्वीकार योग्य माना जा सकता है परन्तु अगर कनीय अभियंता/सहायक अभियंता की कमी थी तो इन्हें उच्च पदाधिकारी को अवगत कराते हुए वांछित आदेश की मांग की जानी चाहिए थी। परन्तु ऐसा कोई कार्य नहीं कर अपने मन से नियम के विरूद्ध भुगतान की प्रक्रिया अपनाया जाना परिलक्षित होता है। इनके द्वारा कहा गया है कि विभागीय पत्रांक–15, दिनांक 04.01.18 द्वारा विभागीय रूप से कार्य कराने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर अनुमति प्रदान किया गया। जबकि टूटान कटान की मरम्मति का कार्य उच्चाधिकारियों के निदेशानुसार अगस्त 2017 में ही प्रारंभ किया गया था। विभागीय रूप से कार्य कराने के प्रस्ताव पर विभागीय अनुमति प्राप्त होने पर श्रमबल की अधियाचना एवं स्वीकृति मिलने के उपरांत Back Date में मास्टर रौल पर श्रमबल से कार्य कराया जाना संभव एवं नियमानुकूल नहीं होता तथा ससमय आवश्यक नहर मरम्मति कार्य नहीं होने से विभागीय उच्चाधिकारी द्वारा पूर्व में स्थल पर दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं

पाता, स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इनके द्वारा टूटान/कटान का कार्य विभागीय रूप से पहले ही प्रारंभ किया गया है। इनका प्रथम दायित्व था कि नियमानुसार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व ही विभागीय रूप से कार्य कराने का प्रस्ताव देते।

इनके द्वारा यह कहा जाना की वैकल्पिक व्यवस्था के तहत Petty voucher के माध्यम से भुगतान करना श्रेष्कर एवं व्यवहारिक समझा गया स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है क्योंकि यदि विभागीय रूप से कार्य कराने का लिखित आदेश प्राप्त नहीं था तो विभागीय रूप से कार्य कैसे प्रारंभ किया गया। अगर मौखिक रूप से विभागीय रूप से कार्य कराने का आदेश दिया गया तो उसकी सम्पुष्टि हेतु इनके स्तर से कौन सी कार्रवाई की गई का उल्लेख नहीं किया गया है।

इनके द्वारा कहा गया है कि कार्य की मात्रा तथा जटिलता को देखते हुए अधिकाशतः मशीनो द्वारा कार्य कराया गया है। इस कारण Petty voucher से भुगतान किया गया है। प्राक्कलन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्राक्कलन में व्यवधानित कार्य मद यथा राजस्थानी ट्रैक्टर से मिट्टी भराई कार्य, EC Bag, Pitching bamboo pilling के कार्य एवं NC कार्य में मजदूरों को नियोजित करने का प्रावधान है। अतएव इनका कथन स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्री दयाशंकर राय, सहायक अभियंता को प्रश्नगत कार्य में नियम के विरूद्ध विभागीय रूप से कराये गये कार्यों का मास्टर रौल पर नहीं कर Petty voucher पर भुगतान कर बरती गयी प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिए दोषी प्रतीत होते हैं।

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार द्वारा श्री दयाशंकर राय को विभागीय अधिसूचना सं0–2438 दिनांक 26.11.2019 द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया :–

(i) "तीन वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"।

उक्त संसूचित दण्ड के विरूद्ध श्री राय द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया। जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में मुख्य रूप से निम्न तथ्य पाये गये :–

इनके द्वारा कहा गया है कि पथ निर्माण विभाग द्वारा अत्यावश्यक/आकस्मिक प्रकार के कार्यों की विभागीय कार्रवाई किस प्रकार करायी जाय के संबंध में पूर्व से कोई दिशा निदेश नहीं रहने के फलस्वरूप पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं0–1725 दिनांक 18.02.2019 एवं जल संसाधन विभाग के पत्रांक–155 दिनांक 26.02.2019 द्वारा दिशा निदेश निर्गत किये गये है जिसमें विभागीय कार्यों को भी निविदा/कोटेशन तथा श्रमिकों का भुगतान labour Contact द्वारा किया जाना है स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है क्योंकि पथ निर्माण विभाग का उक्त पत्र दिनांक 18.02.2019 को निर्गत है। अर्थात पथ निर्माण विभाग के यह पत्र दिनांक 18.02.2019 से प्रभावी माना जा सकता है, जबकि प्रश्नगत कार्य वर्ष 2017–18 का है। अतएव प्रशनगत कार्य में पायी गयी प्रक्रियात्मक त्रुटि पर इस पत्र का लागू होना नहीं माना जा सकता है।

इनके द्वारा यह भी कहा गया है कि मुख्य नहर सहित इससे निस्तृत नहर प्रणालियों में अत्याधिक टूटान/कटान के मद्देनजर मुख्य अभियंता के पत्रांक–1293 दिनांक 22.08.17 द्वारा दिनांक 23.08.17 को पूर्णतः बाधित सिंचाई कार्य एवं नहर के सेवा पथ क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण अवरूद्ध आवागमन को बहाल करने हेतु एक बैठक आयोजित किया गया। निदेशानुसार कराये गये/कराये जा रहे मरम्मति कार्यों का मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा मुख्य नहर सहित फुलकाहा वितरणी की मरम्मति युद्ध स्तर पर कराकर खरीफ सिंचाई 2017 बहाल करने के निदेश के आलोक में मरम्मति कार्य कर सिंचाई सुविधा बहाल किया गया। मुख्य अभियंता के निरीक्षण प्रतिवेदन में विभागीय रूप से कराये गये कार्यों का भुगतान के प्रक्रिया पर कोई निदेश नहीं दिया गया है। अतएव इनका कथन स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री दयाशंकर राय, सहायक अभियंता द्वारा दिये गये पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करने का निर्णय सरकार के स्तर पर किया गया।

अतः श्री दयाशंकर राय, सहायक अभियंता द्वारा दिये गये पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

4 मार्च 2021

सं0 22/नि0सि0(सह0)–26–06/2018–285––मो0 शफी अहमद (आई0डी0–3257) तत0 अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, सहरसा के विरूद्ध उनके पदस्थापन अवधि में सिंचाई प्रमंडल, वीरपुर के तहत फुलकाहा वितरणी के बाँध कटान/टूटान की मरम्मति के नाम पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनावश्यक रूप से प्राक्कलन तैयार करने संबंधी बरती गई अनियमितता की जाँच उड़नदस्ता अंचल, पटना से कराई गई। उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत मो0 अहमद से निम्न आरोप के लिए आरोप पत्र के साथ विभागीय पत्रांक–349, दिनांक 25.02.2019 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई :–

प्रश्नगत कार्य का प्राक्कलन आपके स्तर से संवेदक लाभ एवं Over head charge घटाकर स्वीकृत किया गया तथा उक्त कार्यों का विभागीय रूप से कराने हेतु आपके द्वारा अनुशंसा का प्रस्ताव मुख्य अभियंता को समर्पित किया गया। तत्पश्चात विभाग से प्रश्नगत कार्य को Mechanical means एवं श्रमबल से कराने की घटनोत्तर स्वीकृति के पत्र को आपके द्वारा पृष्ठांकित करते हुए प्राक्कलन एवं अन्य अभिलेखों की माँग की गयी। इससे स्पष्ट है कि आप भली–भाँति अवगत थे कि प्रश्नगत कार्य विभागीय रूप से कराया जा रहा है। उक्त कार्यों के व्यय की समीक्षा भी की गयी, परन्तु नियमानुसार उक्त कार्य में कार्यरत श्रमिकों का श्रमशक्ति की अधियाचना एवं उसकी स्वीकृति के दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई। फलतः नियम विरूद्ध कार्यपालक अभियंता द्वारा श्रमिकों का भुगतान Master roll पर नहीं कर Petty Voucher से करने

की पूरी छूट मिल गयी, जबकि आपके स्तर से विभागीय रूप से कराये जा रहे कार्यों का नियमानुसार Master roll पर भुगतान कराना चाहिए था। इससे स्पष्ट है कि उक्त प्रक्रियात्मक त्रुटि होने में आपकी सहभागिता रही है एवं आपके द्वारा अपने कर्त्तव्य का निर्वहन में लापरवाही बरती गयी है। जिसके लिए आप दोषी प्रतीत होते हैं।

मो0 अहमद से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। मो0 अहमद द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कहा गया है कि वर्ष 2017–18 में नहर टूटान के पश्चात पत्रांक–18, दिनांक 05.01.18 द्वारा कार्यपालक अभियंता से कार्यक्रम एवं प्राक्कलन सभी वांछित अभिलेख के साथ मांग की गई। कार्यपालक अभियंता द्वारा विषयांकित कार्य का प्राक्कलन एवं कार्यक्रम वित्तीय वर्ष के अंतिम समय दिनांक 08.02.2018 को प्राप्त करायी गयी एवं श्रमबल प्राप्त नहीं कराई गई। जिसके प्राक्कलन की स्वीकृति दिनांक 16.02.18 को स्वीकृत कार्यक्रम के आधार पर दी गई। प्राक्कलन की स्वीकृति के पश्चात भी श्रमबल अधियाचना उपलब्ध नहीं कराया गया। इनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार स्वीकार योग्य प्रतीत होते है। परन्तु उनका उक्त कार्रवाई कार्य समाप्ति के पश्चात की गई। जबकि मो0 अहमद टूटान मरम्मति के प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रश्नगत कार्य का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण किया गया है। इनका दायित्व था कि कार्य के प्रारंभ से ही कराये गये कार्यों के विभागीय नियम का अनुपालन कराते ताकि भुगतान की प्रक्रिया में किसी तरह की त्रुटि नहीं हो सके। अगर कार्य0 अभि0 द्वारा इनकी बात नहीं सुन रहे थे तो उनके विरूद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा करते। इनके द्वारा कहा गया है कि कार्यपालक अभियंता से Petty Voucher के आधार पर भुगतान करने की सहमति पर उनकी कोई वार्ता नहीं हुई थी एवं न ही इसके लिए कोई आदेश दिया गया है, स्वीकार योग्य प्रतीत होता है क्योंकि जाँच प्रतिवेदन अथवा कार्यपालक अभियंता द्वारा दिये गये बचाव बयान में ऐसा कोई अभिलेख नहीं है जिससे स्थापित हो सके की Petty Voucher से भुगतान करने का आदेश इनके द्वारा निर्गत किया गया है अतएव माना जा सकता है कि Petty Voucher से भुगतान होने में इनकी सहभागिता नहीं रही है परन्तु उक्त प्रक्रियात्मक त्रुटि पर रोक लगाने की दिशा में कोई कार्रवाई किया जाना प्रतीत नहीं होता है। अतएव नियम के विपरीत Master roll की जगह पर Petty Voucher पर भुगतान होने में प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिए कुछ हद तक जिम्मेवार प्रतीत होते है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मो0 शफी अहमद, अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, सहरसा को प्रश्नगत विभागीय रूप से कराये गये कार्यों के तहत विभागीय नियम के विरूद्ध मास्टर रौल पर नहीं कर Petty voucher पर किये गये भुगतान में बरती गयी प्रक्रियात्मक त्रुटि पर रोक लगाने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए दोषी प्रतीत होते हैं।

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना सं0–2436 दिनांक 26.11.19 द्वारा निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया है :–

(i) निन्दन वर्ष 2017–2018

उक्त संसूचित दण्ड के विरूद्ध मो0 शफी अहमद, तत0 अधीक्षण अभियंता द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया है जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में मुख्य रूप से निम्न तथ्य पाये गये–

इनके द्वारा कहा गया है कि Petty Voucher से भुगतान करने में इनकी कोई सहभागिता नहीं रही है। स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है क्योंकि कराये गये कार्य का नियम के विरूद्ध कार्यपालक अभियंता द्वारा Petty Voucher से भुगतान किया गया है। परन्तु उक्त प्रक्रियात्मक त्रुटि पर इनके स्तर से कोई रोक लगाने के दिशा में कोई कार्रवाई किया जाना परिलक्षित नहीं होता है जबकि इनके स्तर से ही प्राक्कलन एवं कार्यक्रम के स्वीकृति के दिशा में अग्रेत्तर कार्रवाई की गई है। प्राक्कलन में संवेदक लाभ घटाकर स्वीकृत किया गया है इससे स्पष्ट है कि इन्हें ज्ञात था कि यह कार्य विभागीय स्तर से की जा रही है। जिसकी घटनोत्तर स्वीकृति विभाग से प्रदान की गई है इसके बावजूद भी इनके स्तर से भुगतान की प्रक्रिया पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। फलतः नियम के विपरीत भुगतान मास्टर रौल पर नहीं कर Petty Voucher पर होना परिलक्षित है अतएव इनका पुनर्विलोकन अर्जी स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त स्थिति में मो0 शफी अहमद, तत0 अधीक्षण अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा दिये गये पुनर्विलोकन अर्जी को सरकार के स्तर पर अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त निर्णय के आलोक में मो0 शफी अहमद, तत0 अधीक्षण अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा दिये गये पुनर्विलोकन अर्जी अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

5 मार्च 2021

सं0 22/नि०सि०(ल०सिं0)–05–06/2018/297––श्री अरविन्द कुमार (आई0डी0–4398), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, झाझा, जमुई सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, औरंगाबाद के विरूद्ध लघु सिंचाई प्रमंडल, झाझा, जमुई के तहत फरवरी 2008 से मार्च, 2010 के बीच राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत 45 करोड़ रूपये में से 10 करोड़ रूपये का बन्दरबाँट किये जाने से संबंधित मामले की जाँच तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा श्री गिरीश सिंह, खैम, सिकन्दरा, जमुई से प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में किया गया। जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा लघु जल संसाधन विभाग द्वारा करते हुए आरोपी पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त की गयी। तत्पश्चात आरोपी पदाधिकारियों में से श्री अरविन्द कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (जिनका संवर्ग जल संसाधन विभाग है) आरोप पत्र गठित करते हुए अग्रेत्तर कारवाई हेतु लघु जल संसाधन विभाग द्वारा अपने पत्रांक 3173 दि० 26.07.18 से जल संसाधन विभाग को उपलब्ध

कराया गया। मामले के समीक्षोपरान्त आरोप पत्र गठित करते हुए पुनः स्पष्टीकरण की माँग श्री अरविन्द कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता से की गयी।

लघु सिंचाई प्रमंडल, झाझा, जमुई अन्तर्गत फरवरी 2008 से मार्च 2010 के बीच राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत विभिन्न स्थलों पर कराये गये इनलेट वेल एवं डगवेल योजनाओं के कार्यान्वयन में बिना कार्य कराये/पूर्ण कराये ही कुल 2,93,652/– रुपये का अधिकाई भुगतान कर सरकारी राशि का दुरूपयोग करने के आरोप के लिये श्री अरविन्द कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को विभागीय अधिसूचना संख्या–250 दिनांक 12.02.2020 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गयाः–

(i) रु० 2,93,652/– रूपये की वसूली।

(ii) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त संसूचित दंड के आलोक में श्री अरविन्द कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा पुर्नविलोकन अर्जी समर्पित किया गया है। श्री कुमार, तत्कालीन कर्यपालक अभियंता के विरूद्ध निम्न आरोप है :–

आरोप :–

एकरारनामा सं०–31F_2/2007–08 एवं 32F_2/2007–2008 के तहत विभिन्न स्थलों पर कराये गये इनलेट वेल एवं डग वेल योजनाओं के कार्यान्वयन में बिना कार्य कराये/ पूर्ण किये ही कुल 293652/– रुपये का अधिकाई भुगतान कर सरकारी राशि का दुरूपयोग करना।

बचाव–बयान :–

श्री अरविन्द कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता से प्राप्त पूर्नविलोकन अर्जी का मुख्य अंश निम्नवत है –

(i) यह आरोप लघु जल संसाधन विभाग से संबंधित है। लघु जल संसाधन विभाग द्वारा रु० 102359/– का अधिकाई भुगतान के लिये जवाबदेह माना गया है, परन्तु जल संसाधन विभाग द्वारा रु० 293652/– के अनियमित भुगतान का दोषी ठहराया गया है एवं तदनुसार दंड भी अधिरापित कर दिया गया है।

(ii) जल संसाधन विभाग द्वारा आरोप पत्र के तृतीय भाग में अंकित किया गया है कि श्री कुमार द्वारा एकरारनामा के तहत तृतीय चालू विपत्र के माध्यम से बिना कार्य कराये ही कितने डग्वेल एवं कितने पम्प हाउस का भुगतान किया गया है। इसका आकलन जाँच प्रतिवेदन में अलग से नहीं किया गया है। फिर भी कुल रु० 293652/– की अधिकाई भुगतान के लिये दोषी ठहराकर उसकी वसूली कर, दंड अधिरोपित किया गया है।

(iii) पुख्ता साक्ष्य समर्पित करने के बावजूद यदि अधिकाई भुगतान का दोषी ठहराया गया है तो कार्यपालक अभियंता के रूप में इनके साथ–साथ संबंधित सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता भी उत्तरदायी होंगे। ऐसी स्थिति में दण्ड स्वरूप परिगणित अधिकाई भुगतान का 10% ही कार्यपालक अभियंता के रूप में इनसे वसुलना न्यायोचित होगा।

(iv) लघु जल संसाधन विभाग को दिये गये स्पष्टीकरण तथा आरोपों के संबंध में इस विभाग को दिये गये स्पष्टीकरण के जवाब में इनके द्वारा सरकारी निर्मित डग्वेल योजनाओं के पम्प का फोटोग्राफ साक्ष्य के रूप में संलग्न किया गया। परन्तु इनके द्वारा दिये गये पुख्ता साक्ष्य को नकारकर एक पक्षीय निर्णय लिया गया, जिस पर पुर्नविचार किये जाने की आवश्यकता है।

समीक्षाः–

आरोपः–राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत एकरारनामा सं०–31F_2/2007–08 एवं 32F_2/2007–2008 के तहत विभिन्न स्थलों पर इनलेट वेल एवं डग वेल के कार्यान्वयन में बिना कार्य कराये ही कुल 2,93,652/– रुपये का अधिकाई भुगतान करने से संबंधित है।

इनके द्वारा कहा गया है कि लघु जल संसाधन विभाग द्वारा कुल रु० 1,02,359/– का अधिकाई भुगतान के लिये जिम्मेवार माना गया है जबकि जल संसाधन विभाग द्वारा कुल रु० 2,93,652/–के अनियमित भुगतान के लिये दोषी ठहराते हुए कुल 2,93,652/– रुपये की वसूली का आदेश निर्गत किया गया है। इनके द्वारा अनियमित भुगतान की राशि की कोई गणना नहीं दी गयी है न ही लघु जल संसाधन विभाग द्वारा अनियमित भुगतान की आकलन से संबंधित प्रतिवेदन ही दिया गया है। इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षित टिप्पणी में की गयी गणना से स्पष्ट है कि प्रश्नगत कार्य में कुल 2,93,652/– रुपये का अनियमित भुगतान होना परिलक्षित है। अतएव इनका कथन स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

इनके द्वारा यह भी कहा गया है कि यदि बिना कार्य कराये ही अधिकाई भुगतान के लिये इन्हें दोषी ठहराया गया है तो उक्त अनियमित भुगतान के लिये इनके साथ–साथ सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता भी उत्तरदायी होगें। ऐसी स्थिति में दंड स्वरूप परिगणित अधिकाई भुगतान का 10% राशि ही कार्यपालक अभियंता के रूप में वसुलना न्यायोचित है। P.W.D Code के अनुसार कार्यपालक अभियंता को किसी भी कार्य मापी की जाँच 10% करना होता है, परन्तु कार्य की गुणवत्ता तथा मापी से संतुष्ट होकर ही भुगतान करने का प्रावधान है। चुंकि यह मामला कम कार्य कराकर अधिक भुगतान किये जाने से संबंधित नहीं है, बल्कि बिना कार्य कराये ही अनियमित ढ़ंग से संवेदक को लाभ पहूँचाने के लिये भुगतान किये जाने से संबंधित है, ऐसी स्थिति में इस तरह की लापरवाही बरता जाना स्थापित करता है कि श्री कुमार द्वारा कार्य का बिना स्थल पर जाँच किये ही भुगतान की कार्रवाई की गयी है। अतएव श्री कुमार का कथन स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है।

अतएव उपर्युक्त वर्णित स्थिति में सरकार के स्तर पर सम्यक समीक्षोपरांत, श्री अरविन्द कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता का पुनर्विलोकन अर्जी में कोई नया तथ्य अथवा साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त निर्णय के आलोक में श्री अरविन्द कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, झाझा, जमुई से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए अधिसूचना सं0–250 दिनांक 12.02.2020 द्वारा संसूचित दण्ड को यथावत रखा जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

5 मार्च 2021

सं0 22 / नि0सि0(मोति0)–08–03 / 2013(अंश–1)(खण्ड–ख)–298––श्री अजीत कुमार (आई0डी0–5190), तत्कालीन सहायक अभियंता, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल, वाल्मीकिनगर के विरूद्ध तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत नेपाल हितकारी योजना–2009 गंडक परियोजना अन्तर्गत मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल, वाल्मीकिनगर के अधीन मुख्य पश्चिमी नहर के पुनर्स्थापन कार्य में बरती गयी अनियमितता संबंधी निम्नांकित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1985 दिनांक 09.11.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

नेपाल हितकारी योजना–2009 गंडक प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल, वाल्मीकिनगर के अधीन मुख्य पश्चिमी नहर के पुनर्स्थापन कार्य में एकरारनामा के विरूद्ध स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया। तकनीकी परीक्षक कोषांग निगरानी विभाग के जाँच में पाया गया कि स्थानीय सामग्री यथा स्टोन मेटल, स्टोन चिप्स, बालू के प्रयोग के बावजूद भी सामग्री ढुलाई मद का भुगतान वास्तविक लीड के बजाय एकरारनामा में प्रावधानित मद दर के अनुरूप किया गया है। फलस्वरूप सिर्फ सामग्री ढुलाई मद में 24.65 करोड़ रूपये का अनियमित भुगतान हुआ है। आलोच्य कार्य में की गई अनियमित भुगतान की गणना हेतु एक समिति गठित की गयी। समिति द्वारा कुल 8.9933624 करोड़ रूपये मात्र सामग्री (स्टोन मेटल, स्टोन चिप्स) ढुलाई मद में अनियमित / अधिकाई भुगतान की गणना की गयी है। साथ ही साथ प्रावधान के अनुरूप स्टोन मेटल, स्टोन चिप्स का उपयोग नहीं किये जाने से स्पष्ट स्थापित है कि निम्न विशिष्टि का कार्य कराया गया है। अतएव निम्न विशिष्टि का कार्य कराने एवं अधिकाई भुगतान करने में सहयोग करने के लिए वे दोषी हैं।

उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–1084 दिनांक–14.12.2018 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक–05 दिनांक–02.01.2019 द्वारा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री कुमार से अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) की माँग की गयी। तत्पश्चात मामले के समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोप के लिए मंत्रिपरिषद से अनुमोदन प्राप्त करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–2627 दिनांक 19.12.2019 द्वारा उनके विरूद्ध "सेवा से बर्खास्तगी" का दण्ड संसूचित किया गया।

उक्त संसूचित दण्ड के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी के समीक्षा में पाया गया कि संचालन पदाधिकारी ने निम्न तथ्यों के आलोक में आरोप प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है :–

(i) आरोपी पदाधिकारी द्वारा स्थानीय सामग्री के उपयोग होने के बाद भी एकरारनामा के प्रावधानित लीड के आधार पर भुगतान की प्रक्रिया अपनाई गयी। इनके द्वारा न तो स्पष्ट रूप से स्थानीय सामग्री के उपयोग पर रोक लगायी गयी एवं न ही चालू विपत्र के मापपुस्त में वास्तविक लीड का उल्लेख किया गया, जो विभागीय नियम के विपरीत है। जिसके फलस्वरूप निम्न विशिष्टि का कार्य सम्पादित कराया गया एवं संवेदक को अधिक भुगतान प्राप्त करने में सहयोग किया जाना माना जायेगा।

(ii) निगरानी जाँच दल ने जाँच प्रतिवेदन में सम्पूर्ण कार्य में ब्रोकेन सिंगल्स की औसत प्रत्युक्ति 61.62 प्रतिशत पायी गयी। शेष 38.38 प्रतिशत स्टोन मेटल ही शेखपुरा के है। इनके उक्त कृत से सरकार को आर्थिक क्षति हुई एवं संवेदक को मात्र ढुलाई मद में 8.9933624 करोड का अधिक भुगतान किया गया। इससे स्पष्ट है कि इनके द्वारा विभागीय नियम के अनुरूप दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया गया।

उनके द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी में कहा गया है कि मुख्य पश्चिमी नहर अवर प्रमंडल, सुरजपुरा अन्तर्गत कनीय अभियंता द्वारा माप पुस्त में कार्यों की मापी की प्रविष्टि को उनके द्वारा अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रमंडलीय कार्यालय में समर्पित किया गया था। जिसका Abstract of Cost प्रमंडलीय कार्यालय द्वारा प्राधिकृत कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा तैयार किया गया। उनके कार्यक्षेत्र वि0दू0 40.0 से वि0दू0 62.50 में कार्य विशिष्टि एवं गुणवत्ता के अनुरूप कार्य कराया गया है। सामग्री की ढुलाई का सत्यापन एवं भुगतान की पूरी प्रक्रिया प्रमंडल स्तर पर सम्पन्न की गयी है इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। परन्तु उपरोक्त कथन के समर्थन में कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया है जबकि नियमानुसार सभी अवर प्रमंडल के अधीन कराये गये कार्यों की मापी के साथ श्रोत से प्राप्त समीक्षा का लीड अंकित करते हुए समेकित रूप से विपत्र तैयार किया गया है। अएतव उनका उपरोक्त कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

उनके द्वारा कहा गया है कि सड़क निर्माण हेतु RBM. WMM, बिटुमिनस मटेरियल आदि का मिश्रण बैचिंग प्लान्ट से प्राप्त मिश्रण का लेईंग कार्य कनीय अभियंता के पर्यवेक्षण में कराया जाता था एवं कराये गये कार्य की मापी को संबंधित कनीय अभियंता द्वारा मापपुस्त में प्रविष्ट किया जाता था। उक्त माप पुस्त उनके द्वारा अग्रेत्तर कारवाई हेतु प्रमंडलीय

कार्यालय में भेजा जाता था। उनके उक्त कथन से परिलक्षित होता है कि उनका दायित्व मात्र माप पुस्त को अग्रसारित करने का था जबकि PWD code के अनुसार सहायक अभियंता का दायित्व अवर प्रमंडलाधीन चल रहे सभी कार्यों का पर्यवेक्षण करते हुए गुणवत्ता पूर्ण कराये गये कार्यों की मापी जाँच करने के पश्चात विपत्र प्रमंडल में भेजना है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि सामग्री की ढुलाई के संबंध में लीड का सत्यापन प्रमंडलीय नोडल अभियंता द्वारा किया जाता था ततपश्चात विपत्र तैयार किया जाता था। जिसे पुनः प्रमंडलीय स्तर पर लेखा लिपिक, लेखा पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा सत्यापन के उपरांत विपत्र पारित किया जाता था स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि कार्य में संलग्न पदाधिकारी का दायित्व था कि कार्य में उपयोग हो रहा सामग्री किस खादान से लाया गया है उसका लीड मापी के साथ माप पुस्त में दर्ज करना होता है।

साथ ही यह भी कहा गया है कि कार्य गुणवत्ता अनुरूप कराया गया है क्योंकि गुण नियंत्रण जाँचफल एवं प्रयोगशाला जाँचफल में कार्य की विशिष्टि एवं गुणवत्ता पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि गुणवत्ता जाँचफल में कार्य में प्रत्युक्त स्थानीय सामग्री को रेखांकित नहीं करने के लिए गुणवत्ता जाँच में संलग्न पदाधिकारियों/कर्मियों को आरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत दण्ड अधिरोपित किया जा चुका है।

उनके पुनर्विलोकन अर्जी के कंडिका 14 से 19 तक में विभागीय कार्यवाही के दौरान संचालन पदाधिकारी एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के स्तर पर कृत कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जाँच प्रतिवेदन की प्रमाणिकता का परीक्षण नहीं किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके बचाव बयान पर सम्यक रूप से विचार नहीं किया गया। संचालन पदाधिकारी ने जाँच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया है कि विभागीय नियम के अनुरूप दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, किन्तु किस विभागीय नियम का उल्लंघन किया, स्पष्ट नहीं किया गया। संचालन पदाधिकारी ने नियम 17 (23) में उपबंध प्रावधानों को पूर्णतः अनदेखी किया है क्योंकि प्रत्येक आरोप से संबंधित साक्ष्य का पृथक रूप से न तो मूल्यांकण किया गया न ही प्रत्येक आरोपों के संबंध में पृथक रूप से स्पष्ट मंतव्य दिया गया है। परन्तु उपरोक्त कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। अतएव उनका कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

2. मामले के समीक्षोपरांत वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री अजीत कुमार (आई0डी0–5190), तत्कालीन सहायक अभियंता, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल, वाल्मीकिनगर सम्प्रति सेवा से बर्खास्त द्वारा विभागीय अधिसूचना सं0–2627 दिनांक 19.12.2019 से संसूचित दण्ड यथा "सेवा से बर्खास्तगी" के विरूद्ध समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. उक्त निर्णय के आलोक में श्री अजीत कुमार (आई0डी0–5190), तत्कालीन सहायक अभियंता, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल, वाल्मीकिनगर सम्प्रति सेवा से बर्खास्त द्वारा विभागीय अधिसूचना सं0–2627 दिनांक 19.12.2019 से संसूचित दण्ड यथा "सेवा से बर्खास्तगी" के विरूद्ध समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए पूर्व संसूचित दण्ड को यथावत रखा जाता है।

4. श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

12 मार्च 2021

सं0 22/नि0सि0(भाग0)–09–05/2003–307––श्री ईश्वरचन्द्र सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल सं0–2, जमुई सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध वर्ष 2000–01 में शीर्ष '2701' के अन्तर्गत कराए गए कार्यों की उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आरोप पत्र प्रपत्र–'क' गठित करते हुए सिविल सर्विसेज क्लासीफिकेशन कन्ट्रोल एण्ड अपील रूल्स के नियम–55"A" के तहत अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की गई। उक्त आरोपित पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक–332 दिनांक 10.06.2004 द्वारा आरोप पत्र के साथ स्पष्टीकरण पूछा गया। प्राप्त स्पष्टीकरण एवं आरोप पत्र के आलोक में समीक्षोपरांत श्री ईश्वरचन्द्र सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत को सिविल सर्विसेज क्लासीफिकेशन, कन्ट्रोल एण्ड अपील रूल्स के नियम–55"A" के तहत की गई कार्रवाई को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) में परिवर्तित करते हुए पूर्व के दण्ड प्रस्ताव के समतुल्य दण्ड (पेंशन की कटौती के रूप में) प्रस्ताव पर सहमति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा गया।

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा असहमति प्रदान किए जाने पर विभागीय समीक्षा के फलस्वरूप श्री ईश्वरचन्द्र सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध नए सिरे से बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत विभागीय संकल्प सं0–1395 दिनांक 22.06.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

श्री ईश्वर चन्द्र सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत, सिंचाई प्रमंडल सं०–2, जमुई के विरूद्ध नये सिरे से बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43बी के तहत संकल्प निर्गत कर वर्ष 2000–01 में कराये गये कार्यों की विभागीय उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आरोपों के आधार पर संचालित विभागीय कार्यवाही में दो आरोपों के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी द्वारा दोनों आरोपों को प्रमाणित पाया गया, जिसकी समीक्षा निम्नवत् हैः–

आरोप सं०–1 गिद्धेश्वर पईन नहर के चेन संख्या–105–432 तक टूटान मरम्मति कार्य हेतु 6.73 लाख रुपये की निविदा का आमंत्रण एवं प्रकाशन दैनिक समाचार–पत्र में नहीं किया गया।

आरोप सं०–2 अपर किऊल मुख्य नहर के चेन 0.50 (दाँया), 1.50 बाँया, चेन 2.00 (बाँया) एवं चेन 7.00 (बाँया) बांध पर टूटान भराई कार्य में निविदा का प्रकाशन दैनिक समाचार–पत्र में नहीं किया गया।

असहमति के बिन्दूः– संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप सं०–1 एवं आरोप सं०–2 के प्रमाणित होने के मंतव्य से सहमत होते हुए दोनों आरोप प्रमाणित बताया गया है। कार्यहित में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन को कार्यहित में बताया जाना स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अल्पावधि में कार्य कराने हेतु कार्यहित में विभागीय स्तर से भी कार्य कराने की अनुमति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर बिना निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन किये कार्य पूरा किया जा सकता था, जो आरोपी पदाधिकारी द्वारा नहीं किये जाने से दोनों आरोप प्रमाणित परिलक्षित होता है।

विभागीय समीक्षा–संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन के समीक्षा में उल्लेख किया गया है कि दोनो आरोप समान है। आरोप पत्र के साथ संलग्न परि०–14/3 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आरोपित पदाधिकारी के पत्रांक–1754 दिनांक–18.10.2000 द्वारा कुल 06 अदद कार्य जिसमें क्रमांक 6 के अंतर्गत 7 अदद विभिन्न ग्रुपों में कुल 6.73 लाख रु० के अनुमानित मूल्य की निविदा सूचना स्थानीय रूप से निर्गत की गयी। बिहार सरकार, मुख्य सचिव के परिपत्र सं०–1/स्था०–108–81–462 दिनांक–30.03.1982 द्वारा कार्यों के निविदा के संबंध में मार्ग–दर्शन निहित है, जिसके भाग–2 के कंडिका–3 के अनुसार एक निविदा सूचना में कार्यो की कुल राशि का योग 0.50 लाख रु० से ज्यादा होने पर समाचार–पत्रों के माध्यम से निविदा आमंत्रित करने का स्पष्ट प्रावधान है। जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि कार्यहित में विभागीय निदेशानुसार निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया में निर्धारित मापदंड से समझौता किया गया है। इस प्रकार संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में आरोपों को प्रमाणित माना गया है, परन्तु निर्धारित नियम का उल्लंघन कार्यहित में किया जाना बताया गया है, जिससे आरोप प्रमाणित होने के मंतव्य से सहमत होते हुए उक्त दोनों आरोपों के लिए द्वितीय कारण पृच्छा की जा सकती है। जहाँ तक निर्धारित नियम का उल्लंघन कार्यहित में बताये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में उचित होता है कि अल्पावधि में कार्य कराने हेतु कार्यहित में विभागीय स्तर से कार्य कराने की अनुमति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर ली गई होती तब भी निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं होता परन्तु वर्णित मामले में ऐसा नहीं किया गया। आरोपित पदाधिकारी द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों एवं असहमति के बिन्दु पर अपना बचाव बयान विभाग को न देकर संचालन पदाधिकारी को दिया गया है। कार्यों की निविदा समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित नहीं करने संबंधी निर्धारित नियम के उल्लंघन को कार्यहित में बताये जाने के संबंध में बचाव बयान में कहा गया है कि सितम्बर 2000 में व्यापक एवं भारी वर्षा से नहर प्रणालियों में हुई क्षति की मरम्मति युद्ध स्तर पर तुरंत कार्य प्रारंभ करने हेतु आयुक्त एवं सचिव द्वारा आहूत बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में इसे विभागीय आदेश मानते हुए कार्य कराया गया। उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन के परिशिष्ट–1 पृ0–2 से कार्य को युद्ध स्तर पर प्रारम्भ करने का उक्त निदेश बैठक की कार्यवाही में किए जाने का उल्लेख नहीं है। आरोपित पदाधिकारी के बचाव बयान से स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य की विभागीय स्तर से कार्य कराने की भी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त नहीं की गई और न ही निर्धारित प्रक्रिया के तहत समाचार पत्रों के माध्यम से निविदा प्रकाशित किये जाने का साक्ष्य है। इस प्रकार द्वितीय कारण पृच्छा का बचाव बयान अस्वीकार योग्य होने से निविदा की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने संबंधी आरोप सं0–1 एवं 2 प्रमाणित होता है।

श्री ईश्वरचन्द्र सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल सं0–2, जमुई सम्प्रति सेवानिवृत से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर एवं उपर्युक्त समीक्षा के आलोक में सिंचाई प्रमंडल सं0–2, जमुई अन्तर्गत वर्ष 2000–01 में गिद्धेश्वर पईन नहर के चेन सं0–105–432 एवं अपर किउल मुख्य नहर के चेन सं0–0.50 दायाँ से चेन सं0–7.00 बायाँ बाँध का टूटान मरम्मति कार्य की निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया में निर्धारित मापदंडों का अनुपालन नहीं किए जाने संबंधी विभागीय कार्यवाही के आरोपों में संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित होने के मंतव्य पर द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से आरोप सं0–1 एवं 2 प्रमाणित प्रतीत होता है।

अतएव उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री ईश्वरचन्द्र सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल सं0–2, जमुई सम्प्रति सेवानिवृत को **"एक वर्ष तक पाँच प्रतिशत पेंशन पर रोक"** का दण्ड संसूचित किये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

उक्त दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

अतएव सरकार के स्तर पर लिए गए उक्त निर्णय के आलोक में ईश्वरचन्द्र सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल सं0–2, जमुई सम्प्रति सेवानिवृत को निम्न दण्ड अधिरोपित कर उन्हें संसूचित किया जाता है।

"एक वर्ष तक पाँच प्रतिशत पेंशन पर रोक"।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
इन्दुभूषण प्रसाद, अवर सचिव।

---

12 मार्च 2021

सं0 22/नि0सि0(भाग0)–09–05/2003–308––श्री जय प्रकाश प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध वर्ष 2000–01 में शीर्ष '2701' के अन्तर्गत कराए गए कार्यों की उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आरोप पत्र प्रपत्र–'क' गठित करते हुए सिविल सर्विसेज क्लासीफिकेशन कन्ट्रोल एण्ड अपील रूल्स के नियम–55"A" के तहत अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की गई। उक्त आरोपित पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक–331 दिनांक 10.06.2004 द्वारा आरोप पत्र के साथ स्पष्टीकरण पूछा गया।

श्री जय प्रकाश प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत को सिविल सर्विसेज क्लासीफिकेशन, कन्ट्रोल एण्ड अपील रूल्स के नियम–55"A" के तहत की गई कार्रवाई को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) में

परिवर्तित करते हुए पूर्व के दण्ड प्रस्ताव के समतुल्य दण्ड (पेंशन की कटौती के रूप में) प्रस्ताव को बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति के लिए भेजा गया।

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा उपर्युक्त मामले में असहमति प्रदान किए जाने पर विभागीय समीक्षोपरांत श्री जय प्रकाश प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध नए सिरे से बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत विभागीय संकल्प सं0–1396 दिनांक 22.06.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

श्री जय प्रकाश प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के तकनीकी समीक्षोपरांत, असहमति का बिन्दु निर्धारित करते हुए उनसे लिखित अभ्यावेदन/द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई।

प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा निम्नवत है :–

श्री जय प्रकाश प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा में वर्ष 2000–01 में सामान्य सम्पोषण मद के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की विभागीय उड़नदस्ता जाँच के आलोक में आरोपों के आधार पर संचालित विभागीय कार्यवाही में चार आरोपों के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप सं०–01 एवं 04 को अप्रमाणित एवं आरोप सं०–02 एवं 03 को आंशिक प्रमाणित बताया गया है।

आरोप संख्या :–1 सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा के अधीन सिकन्दरा शाखा नहर के चेन संख्या–163.00 से 170.00 तक पहुँच पथ की मरम्मति एवं टो वाल का निर्माण कार्य में मिट्टी संबंधी कार्य किये जाने का प्रमाण पाया गया। निविदा आमंत्रण सूचना दैनिक समाचार पत्र में नहीं करने एवं कार्यों की गुणवता की जाँच गुण नियंत्रण प्रमंडल, देवघर से कराने की बात कही गयी है परन्तु अभिलेखों एवं माप पुस्त से स्पष्ट है कि प्रीलेवल की मापी असंबद्ध टीम से नहीं करायी गयी है।

असहमति के बिन्दू :– आरोपी के कथनानुसार कार्य इनके प्रभार के पूर्व यानी दिनांक–06.05.2000 के पूर्व से ही इनके पूर्ववर्ती पदाधिकारी द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसके सर्मथन में कोई साक्ष्य नहीं रहने से प्री–लेवल असम्बद्ध टीम से नहीं कराने के लिए इन्हें ही जवाबदेह माना जा सकता है। पूर्ववर्ती पदाधिकारी द्वारा दिनांक–29.04.2000 को कार्य का एकरारनामा करने के बाद कार्य आरोपी पदाधिकारी द्वारा कराने से कार्य के पूर्व प्री–लेवल की असम्बद्ध टीम से जाँच के साथ–साथ गुणवता जाँच गुण नियंत्रण प्रमंडल, देवघर से नहीं कराने के लिए दोषी माना जा सकता है।

विभागीय समीक्षा– संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप के समीक्षा में उल्लेखित है कि वर्णित कार्य की निविदा आमंत्रण सूचना सं०–10/99–2000 के क्रमांक–8 पर निविदा प्राप्ति की तिथि–30.11.1999 रखी गयी है तथा कार्य संपादित करने की अवधि मात्र एक माह निर्धारित है। एकरारनामा दिनांक–29.04.2000 को किया गया है। प्रभार प्रतिवेदन के अनुसार आरोपित पदाधिकारी द्वारा प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता का प्रभार दिनांक–06.05.2000 को ग्रहण किया गया है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 29.04.2000 एवं कार्य समापन की निर्धारित अवधि एक माह है। उक्त परिपेक्ष्य में आरोप में वर्णित निविदा का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में नहीं करने एवं कार्य के प्री–लेवल की जाँच नहीं कराने के लिए ये दोषी प्रतीत नहीं होते है क्योंकि इनके कथनानुसार कार्य इनके प्रभार के पूर्व से ही प्रारंभ था। कार्य प्रारंभ हो जाने के पश्चात प्री लेवल की जाँच का औचित्य नहीं रहता है। इस प्रकार संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया है। परन्तु कार्य का एकरारनामा आरोपी पदाधिकारी के पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक–29.04.2000 को किये जाने से यह स्थापित नहीं होता है कि कार्य का Prelevel इनके दिनांक 06.05.2000 को प्रभार ग्रहण करने के पूर्व एवं एकरारनाम की तिथि के बीच लिया गया है। चूँकि कार्य आरोपी पदाधिकारी द्वारा कराया गया परिलक्षित होता है। इस प्रकार संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से पूर्णरूपेण सहमत नहीं हुआ जा सकता है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के बचाव बयान में उल्लेखित किया है कि पूर्ववर्ती कार्यपालक अभियंता सरयू सिंह द्वारा एकरारनामा के उपरांत कार्य भी शुरू करा दिया गया था। निधि के अभाव में भुगतान नहीं होने के कारण अगले वित्तीय वर्ष (2000–2001) के कार्यक्रम में डाल दिया गया। दिनांक 06.05.2000 को प्रभार लेने के बाद कुछ ही कार्य मेरे द्वारा कराया गया। उक्त कथन स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है क्योंकि कार्य का एकरारनामा पिछले वित्तीय वर्ष का न होकर 2000–2001 का ही है तथा कार्य समाप्ति की अवधि भी मात्र एक माह निर्धारित थी। इस प्रकार आरोप सं0–1 आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतीत होता है।

आरोप सं०:–2 मोरवे बांध के निम्न धार (डी०एस०) में पुर्नस्थापन हेतु रेन कट्स की मरम्मति एवं ढ़लान के सुदृढ़ीकरण कार्य में बांध मरम्मति संबंधित महत्वपूर्ण कार्य के लिए मिट्टी के कंपैक्शन की जाँच नहीं कराना एवं बांध ढ़लान की चौड़ाई माप पुस्त में अंकित मापी के अनुसार नहीं पाया जाना यानी माप पुस्त में गलत मापी दर्ज रहने के लिए आप दोषी है।

उड़नदस्ता द्वारा बांध के ढ़लान पर नाला जीर्ण–शीर्ण एवं टूटी स्थिति में देखा गया। ढ़लान नाला से सटे कहीं–कहीं रेन कट्स भी देखा गया। बांध शीर्ष से रॉक टो के बीच बांध ढ़लान की चौड़ाई भिन्न–भिन्न चेनो पर भिन्न–भिन्न पाया गया तथा 0.5 चेन पर 88′0′′,2 चेन पर 102′,3 चेन से 7 चेन तक 116′, तथा 8 चेन से 12 चेन तक 136′ इत्यादि। रेन कट्स में पीट्स एवं मिट्टी भराई संबंधी उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं किया गया है।

असहमति के बिन्दू :– आरोपी पदाधिकारी द्वारा बाँध के स्लोप भाग में कराये गये कार्य की रैन्डम रूप से प्रावधानित 10% मापी की भी जाँच किये जाने का साक्ष्य परिलक्षित नहीं होता है। अगर Randomly 10 प्रतिशत की जाँच आरोपी पदाधिकारी द्वारा की गई होती तो गलत मापी पकड़ में आने की संभावना बनती परन्तु ऐसा नहीं किये जाने से मापपुस्त में दर्ज गलत मापी की जाँच नहीं किये जाने के लिए दोषी प्रतीत होते है।

विभागीय समीक्षा:– अभियंता प्रमुख (मध्य), जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा दिनांक–18.12.2000 एवं 19.12.2000 को सचिव, जल संसाधन विभाग के साथ किये गये स्थल निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों के आलोक में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के पत्रांक–4205 दिनांक–22.12.2000 (परि०–48) द्वारा अधीनस्थ पदाधिकारी को निदेशित किया

गया है जिसमें मोरवे जलाशय योजना के शीर्ष में डैम में काफी संख्या में रेन कट्स होने के साथ–साथ स्लोप एवं बर्म ड्रेन भी क्षतिग्रस्त होने के कारण विस्तृत प्राक्कलन तैयार करते हुए एक माह के अन्दर मरम्मति कर लेने का निर्देश दिया गया है। इसी पत्र के क्र०सं०–10 में रेन कट्स भरने हेतु विशेष ध्यान देते हुए 3'' की परत में मिट्टी डालने तथ इस पर पानी का छिड़काव करते हुए कम्पैक्शन करने का निर्देश दिया गया है।

उड़नदस्ता द्वारा की गयी जाँच में बांध के चेन 0.5 पर स्लोप की चौड़ाई 88', चेन 2.0 पर चौड़ाई 102' तथा चेन 3.00 से 7.00 के बीच चौड़ाई 116' पायी गयी है, जो उड़नदस्ता के प्रतिवेदन के कंडिका–6.0.4 में उल्लेखित है। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने समीक्षा में उल्लेख किया है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित बचाव बयान में संलग्न कंपैक्शन जाँच में डैम के चेन 0 से 17 के बीच मिट्टी कार्य का वांछित जाँचफल 95% से ज्यादा है, जिससे स्पष्ट होता है कि मिट्टी कार्य का कंपैक्शन कराया गया है एवं इसका परिमाण भी संतोषजनक है। बांध के स्लोप की चौड़ाई की मापी औसतन रूप से 122 फीट ली गयी है, जबकि उड़नदस्ता द्वारा जाँच में इसकी चौड़ाई विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न–भिन्न पाया गया। आलोच्य भाग में यह चौड़ाई 88 फीट से 116 फीट के बीच ही पाया गया, जिससे ली गयी मापी के गलत होने का प्रमाण परिलक्षित होता है। रेन कट्स भरने में पानी का छिड़काव एवं कम्पैक्शन किया गया है यानी उच्चाधिकारी के निदर्शों का पालन आरोपित पदाधिकारी द्वारा किया गया है। इस प्रकार संचालन पदाधिकारी द्वारा मुख्य रूप से तीन भाग में बांटा गया है।

(1) कम्पैक्शन नहीं करना
(2) गलत मापी लेना एवं
(3) उच्चाधिकारी के निदेश का पालन नहीं करना।

संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त मिट्टी भराई का 95 प्रतिशत से अधिक का कम्पैक्शन प्रतिवेदन रहने से कम्पैक्शन करने एवं उच्चाधिकारी के निदेश का पालन किये जाने के मंतव्य से सहमत हुआ जा सकता है परन्तु बाँध के स्लोप की चौड़ाई मापपुस्त में गलत मापी दर्ज रहने के उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन के आरोप को संचालन पदाधिकारी द्वारा मान्य करार देने पर भी इस आधार पर आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित करना कि कार्यपालक अभियंता के लिए विपत्रों की मात्रा का 10 प्रतिशत भाग की ही जाँच किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे गलत मापी के लिए 10 प्रतिशत भाग के लिए ही जवाबदेह है, स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि आरोपी पदाधिकारी द्वारा रैन्डम रूप से 10 प्रतिशत मापी की भी जाँच किये जाने का साक्ष्य नहीं है। अगर Randomly 10 प्रतिशत की जाँच आरोपी पदाधिकारी द्वारा की गई होती तो गलत मापी पकड़ में आने की संभावना बनती परन्तु ऐसा नहीं किये जाने से माप पुस्त में गलत मापी की जाँच नहीं किये जाने के लिए दोषी प्रतीत होते है।

आरोप सं०:–3 मोरवे बांध के स्केप (लिंक नहर) के चेन 0.00 (दाँया) पर क्षतिग्रस्त बाँध का सुरक्षात्मक कार्य तथा उच्च स्तरीय मुख्य नहर के चेन 114.0 (एस०एल०आर०) तथा स्केप के 0.0 चेन पर क्षतिग्रस्त विंगवाल पर मरम्मति कार्य में स्टोन मैसोनरी 246.36 घनफीट का गलत भुगतान करना। विंगवाल के पीछे मिट्टी भरा हुआ नहीं देखा गया जबकि मापपुस्त में बैक फिल दिखलाया गया। मापपुस्त में अंकित सभी संरचनाओं के उपर 1:2:4 में 6'' मुटाई के पी०सी०सी० दिखाया गया है। जबकि निरीक्षण के समय पी०सी०सी० को नहीं पाया गया। अतः कम कार्य कराकर माप पुस्त में ज्यादा मापी करने एवं माप पुस्त में पी०सी०सी० कार्य नहीं करने के लिए आप दोषी है।

असहमति के बिन्दू :– संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप संख्या– 03 का अंश भाग प्रमाणित होने का मंतवय मात्र इस आधार पर दिया जाना कि संबंधित कार्यपालक अभियंता को 10 प्रतिशत भाग की जाँच किये जाने का प्रावधान है, से असहमत हुआ जा सकता है। क्योंकि आरोपी कार्यपालक अभियंता द्वारा नियमानुसार मापपुस्त पर अंकित मापी 10 प्रतिशत भाग की Random जाँच कर ली गई होती तो माप पुस्त पर अंकित गलत मापी पकड़ में आ जाती जिसके लिए दोषी परिलक्षित होते है।

विभागीय समीक्षाः–आरोपित पदाधिकारी पर स्केप के चेन 0.00 (दाँया) पर क्षतिग्रस्त बाँध का सुरक्षात्मक कार्य, उच्च स्तरीय मुख्य नहर के चेन 114 पर पुलिया, स्केप के चेन 0.00 पर विंगवाल की मरम्मति में स्टोन मैसोनरी 246.36 घन फीट मात्रा का गलत भुगतान, विंगवाल के पीछे मिट्टी भरा हुआ नहीं देखा गया जबकि मापपुस्त में इसे भरने का कार्य दिखलाने संबंधी आरोप है। संरचनाओं के उपर 6 ईंच की मुटाई में पी०सी०सी० (1:2:4) दिखाया गया था जबकि निरीक्षण के दौरान यह नहीं पाया गया था। उक्त कारणों से कम कार्य कराकर माप पुस्त में ज्यादा मापी अंकित करने एवं पी०सी०सी० का कार्य नहीं कराने के लिए आरोपित किया गया है।

उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के कंडिका–6.0.5 में स्थल निरीक्षणोपरांत वर्णित किया गया है कि लिंक नहर के चेन 0.00 पर विंग वाल की मरम्मति की मापी संबंद्ध पदाधिकारियों की उपस्थिति में की गयी जो 9'×2'3''×2'6'' यानी 50.63 घनफीट पाया गया जबकि माप पुस्त में इसकी मापी 24'× 2'3''× 5'6'' यानी 297 – 50.63 = 246.37 घनफीट का गलत भुगतान का मामला बनता है। विंग वाल के पीछे बैक फील में मिट्टी भरा हुआ नहीं पाया गया जबकि मापपुस्त में बैक फील दर्ज है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने समीक्षा में उल्लेख किया गया है कि उड़नदस्ता द्वारा उच्चस्तरीय मुख्य नहर के चेन 114 पर विंग वाल को मजबूत स्थिति में पाया गया। मापपुस्त 1364 के पृष्ठ–1–2 पर संरचनाओं के उपर पी०सी०सी० (1:2:4) 6'' की मोटाई में दर्ज है। परन्तु निरीक्षण के दौरान पी०सी०सी० नहीं पाया गया। उड़नदस्ता द्वारा विशेष रूप से सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को मापपुस्त में गलत मापी के लिए जिम्मेदार माना गया है।

आरोप पत्र के साथ संलग्न परि०–53 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि माप पुस्त सं०–1364 के पेज–1 पर डैम से स्केप (लिंक कैनाल) के विंग वाल में Stone Masonry की दर्ज मापी 24'-0"×2'-3"× 5'6" =297cft है जिसे

उड़नदस्ता द्वारा जाँच के दौरान मात्र 50.63 घनफीट हीं पाया गया। इस प्रकार 246.37 घन फीट बोल्डर मैसनरी की मापी गलत ली गयी। इसी माप पुस्त के पृष्ठ–2 पर विंग वाल के पीछे बैक फील के रूप में 240 घनफीट कार्य दर्ज किया गया है।

माप पुस्त–1364 के पृष्ठ संख्या–1 एवं 2 पर डैम स्केप के विंग वाल पर 24'-0"× 2'-3"×0'6" =27cft, हाई लेवल लिंक कैनाल के विंग वाल पर 15' × 2' × 0'6" =15cft पी०सी०सी० की मापी ली गयी है। उड़नदस्ता द्वारा अपने प्रतिवेदन में पाया गया है कि पी०सी०सी० का कार्य स्थल पर नहीं पाया गया। जबकि आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि कार्य कराया गया था जो आतंकवादी द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया जिसे पुनः बाद में कराया गया।

बोल्डर मैसोनरी की माप पुस्त में दर्ज मात्रा 297 घन फीट है। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि 246.7 घन फीट मात्रा क्षतिग्रस्त कर दिये जाने के कारण उड़नदस्ता द्वारा इसे संज्ञान में नहीं लिया गया। जबकि उड़नदस्ता द्वारा स्थल प्रभारी अभियंताओं के सामने ही मापी किये जाने का जिक्र किया गया है। उड़नदस्ता द्वारा विंग वाल के पीछे बैक फील में मिट्टी भरा हुआ नहीं पाया गया। इस संबंध में आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि वर्षा एवं नहर से पानी रिसाव के कारण मिट्टी का क्षरण हो गया। जाहिर है कि क्षरण कुछ अंश भाग का ही हो सकता है पूरी मिट्टी का नहीं।

अंत में संचालन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया कि माप पुस्त में मापी संबंधित कनीय अभियंता द्वारा ली गयी है, जिसकी जाँच सहायक अभियंता द्वारा की गयी है। नियमानुसार कार्यपालक अभियंता को 10 प्रतिशत भाग की जाँच किये जाने का प्रावधान है। अतएव संचालन पदाधिकारी द्वारा गलत मापी के लिए मुख्य रूप से कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता को जिम्मेदार माना गया है। इस प्रकार आरोप संख्या–3 का अंश भाग आरोपित पदाधिकारी के संदर्भ में प्रमाणित बताये जाने से सहमत नहीं हुआ जा सकता है क्योंकि आरोपी कार्यपालक अभियंता द्वारा नियमानुसार माप पुस्त पर अंकित मापी का 10 प्रतिशत भाग की जाँच किये जाने का साक्ष्य भी उपलब्ध कराया गया परिलक्षित नहीं होता है। अतः संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप संख्या–3 का अंश भाग प्रमाणित होने के मंतव्य से असहमत होते हुए आरोप सं०–3 का पूर्ण आरोप प्रमाणित प्रतीत होता है।

श्री जय प्रकाश प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा सम्प्रति सेवानिवृत से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा का बचाव बयान एवं उपर्युक्त समीक्षा के आलोक में सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा अन्तर्गत वर्ष 2000–2001 में सामान्य संपोषण मद के तहत कराये गये कार्यों में अनियमितता पर संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत असहमति के बिन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से आरोप सं0–1 एवं आरोप सं0–2 आंशिक प्रमाणित तथा आरोप सं0–3 प्रमाणित परिलक्षित होता है।

अतएव उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री जय प्रकाश प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा सम्प्रति सेवानिवृत को **"एक वर्ष तक दस प्रतिशत पेंशन पर रोक"** का दण्ड संसूचित किए जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकार के स्तर पर लिया गया है।

उक्त दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

अतएव सरकार के स्तर पर लिए गए उक्त निर्णय के आलोक में श्री जय प्रकाश प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा सम्प्रति सेवानिवृत को निम्न दण्ड अधिरोपित कर उन्हें संसूचित किया जाता है।

"एक वर्ष तक दस प्रतिशत पेंशन पर रोक"।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
इन्दुभूषण प्रसाद, अवर सचिव।

---

18 मार्च 2021

सं0 22नि0सि0(वीर0)–07–05/2018/326––श्री सतीश कुमार वर्मा (ID-3651), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, सुपौल सम्प्रति सेवानिवृत के द्वारा अपने पदस्थापन अवधि में बरती गयी निम्न अनियमितता के लिए विभागीय संकल्प सं0–626 दिनांक 25.03.19 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। श्री वर्मा को दिनांक 31.07.19 को सेवानिवृत होने के फलस्वरूप पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश सं0–113 दिनांक 12.09.19 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) में सम्परिवर्तित किया गया :–

आरोप निम्न है :–

(1) श्री सतीश कुमार वर्मा, तत0 कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, सुपौल द्वारा Prefab Structure चेक पोस्ट के लिए कोटेशन आमंत्रित किया गया था। जिसे नियमानुसार सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से प्रकाशित कराकर निस्तार किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। यह बिहार PWD Code के विरूद्ध है।

(2) श्री वर्मा द्वारा कोटेशन के तुलनात्मक विवरणी में न्यूनतम दर वाले कोटेशन दाता को विशिष्टि के अनुरूप नहीं होने का हवाला देकर उच्च दर वाले कोटेशन दाता का अनुशंसा किया गया जो बिहार वित्त नियामवली के बिल्कुल विपरीत है।

(3) श्री वर्मा द्वारा जिस कार्य के लिए कोटेशन आमंत्रित किया गया था उस कोटेशन में किसी भी प्रकार की विशिष्टि का जिक्र नहीं किया गया था। फिर भी कोटेशन में न्यूनतम दर वाले को विशिष्टि का हवाला देकर उच्च दर वाले कोटेशन दाता को चयन किया गया जो गलत था।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री वर्मा से विभागीय पत्रांक–1545 दिनांक 22.07.19 द्वारा अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) की मांग की गई।

श्री वर्मा, तत0 कार्यपालक अभियंता से प्राप्त जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री वर्मा द्वारा अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से निम्न का उल्लेख किया गया हैः–

(1) आकस्मिक/आपातकालीन/अति आवश्यक कार्य जिसकी प्राक्कलित राशि पन्द्रह लाख से कम है के कार्यों के लिए स्थानीय स्तर पर नियत समय के लिए वृहत प्रचार प्रसार सुनिश्चित करते हुए निविदा आमंत्रित कर कार्यों का कार्यान्वयन किया गया। इसके लिए दैनिक समाचार पत्रों/इंटरनेट पर प्रकाशन आवश्यक नहीं है।

यह कोटेशन आमंत्रण का मामला था एवं प्री फैब बंक हाउस बिहार शराबबंदी योजना का था, जिसका दर अज्ञात था एवं Non Schedule Item था जो विभिन्न कंपनियों द्वारा विभिन्न तरह का बनाकर रेडीमेड सप्लाई किया जाता है एवं इसे कार्य स्थल पर Install किया जाता है। जब दर ही अज्ञात है तो राशि एवं प्राक्कलन का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसी को प्राप्त करने के लिए कोटेशन आमंत्रित की गयी थी।

(2) संचालन पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि प्री फैब बंक हाउस के लिए दर एवं विशिष्टियां उत्पादन एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा जिला प्रशासन को नहीं दिया गया था। इसमें केवल मानवीय आवश्यकताओं एवं प्रहरी के ठहराव के लिए यथा बिजली, पानी, शौचालय की अनियवर्यता पर विशेष निदेश था, उसी निदेश के आलोक में कोटेशन आमंत्रित एवं प्राप्त की गयी। कोटेशन का तुलनात्मक विवरणी तैयार करते समय यह देखा एवं पाया गया कि न्यूनतम दर वाले कोटेशन दाता M/S Mitra Management, Infra Resources Pvt. Ltd. कंकडबाग वाले का Proposal आमंत्रित कोटेशन के अनुरूप नहीं था। इसमें न तो शौचालाय के अवयवों विधुत पानी की व्यवस्था थी और न तो इसका क्षेत्रफल कोटेशन एवं विभागीय निदेश पत्रांक–584, दिनांक 09.02.16 का अनुपालन कर रहा था। इस प्रकार शत–प्रतिशत उपयोगी की संभावना नही बनती थी। बिना शौचालय व्यवस्था एवं जल व्यवस्था तथा विद्युत फिटींग के प्रहरी रात्रि में या गर्मी के दिनों में इसका उपयोग कैसे करते।

इस प्रकार जिला प्रशासन एवं अधीक्षण अभियंता भी सहमत नहीं थे। इसे अनुशासित नहीं किया गया एवं इसके बाद वाले कोटेशनदाता APS Enterprises थे। इसकी उपयोगिता एवं ब्रॉड को देखते हुए अनुशंसा पर अधीक्षण अभियंता, सहरसा को समर्पित किया गया तथा अधीक्षण अभियंता के कार्यालय द्वारा पूरी तरह जांच कर दर से संतुष्ट होने के पश्चात ही एजेंसी निर्धारित करते हुए कार्य सम्पन्न करने का आदेश दिया गया। इसमें किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है।

(3) विभाग द्वारा जब विशिष्टि दिया ही नहीं गया तो इसको कोटेशन आमंत्रण में इसे कैसे निकाला जा सकता था। प्री फैब बंक हाउस एवं Non Schedule Readymade house है जिसे विभिन्न कंपनियों द्वारा बनाया जाता है और इसके विशिष्टियां भी एकरूप नहीं होती है और न ही दर अनुरूप होता है। इस कार्यस्थल पर Install किया जाता है यह Totally supply item है।

यह भी स्मरणीय है कि आज तक इसका सप्लाई अग्रीम के अभाव में प्रशासन द्वारा नहीं लिया गया है। अपना प्रभार दिनांक 12.09.17 को दिया है। कार्यादेश देने के करीब ढाई वर्ष बाद भी उक्त कार्यादेश को न तो कार्यपालक अभियंता, सुपौल न अधीक्षण अभियंता, सहरसा न मुख्य अभियंता, पटना ने ही रद्द किया है और न ही निर्णय लिया गया।

श्री वर्मा से प्राप्त अभ्यावेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई, जो मुख्य रूप से निम्न है–

पथ निर्माण विभाग के ज्ञापांक–5676(5) दिनांक 24.06.15 के कंडिका 2.1 से स्पष्ट होता है कि PWD Code 159(क) (1) को संशोधित करते हुए योजना एवं विकास विभाग के अधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के अतिरिक्त सभी विभागों के विभिन्न आकस्मिक/आपातकालीन/अतिआवश्यक कार्य जिसकी प्राक्कलित राशि 15.0 लाख से अधिक है के लिए निविदा का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र/इंटरनेट पर आवश्यक होगा तथा पन्द्रह लाख अथवा उससे कम राशि के लिए स्थानीय स्तर पर एक नियमित समय के लिए वृहत प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाना है। प्रश्नगत कार्य के आमंत्रित कोटेशन के आलोक में तीनों कोटेशनदाता से प्राप्त कोटेशन की अधिकतम राशि सात लाख अस्सी हजार रूपये होना परिलक्षित होता है जो पन्द्रह लाख से कम है। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा आमंत्रित कोटेशन नियमानुकूल प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्री वर्मा का इस आरोप के संदर्भ में दिये गये बचाव बयान स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आरोप सं0–2– संचालन पदाधिकारी के द्वारा निम्न तथ्यों के आलोक में आरोप प्रमाणित माना गया है।

आमंत्रित कोटेशन में विशेष तथ्यों का जिक्र नहीं किया गया है। सभी कोटेशन दाता का कोटेशन आमंत्रित कोटेशन के अनुरूप पाया गया। ऐसी परिस्थिति में न्यूनतम दर वाले कोटेशन दाता को छोड़कर उच्च दर वाले कोटेशनदाता का अनुमोदन हेतु इनके द्वारा अनुशंसा किया जाना सही प्रतीत नहीं होता है।

श्री वर्मा द्वारा कहा गया है कि कोटेशन का तुलनात्मक विवरणी तैयार करते समय यह देखा एवं पाया गया कि न्यूनतम दर वाले कोटेशन M/S Mitra Management Infra Resource pvt. ltd. का proposal आमंत्रित कोटेशन के अनुरूप नहीं था। इसमें न तो शौचालय के अवयवों विघुत पानी की व्यवस्था थी और न तो इसका क्षेत्रफल कोटेशन एवं विभागीय निदेश पत्रांक–584 दिनांक 09.02.16 का अनुपालन कर रहा था।

अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत कार्य में तीन निविदादाता M/S Mitra Management Infra Resources Pvt. Ltd. का निविदत कर छह लाख तीन हजार सात सौ बीस रूपये मे0 अतरी इन्टरप्राइजेज का निविदत दर सात लाख अस्सी हजार रूपये एवं APS Enterprises का निविदत दर सात लाख पच्चीस हजार रूपये द्वारा कोटेशन दिया गया। उक्त से स्पष्ट है कि M/s Mitra Management Infra Resources Pvt. Ltd. का दर सबसे कम था। तुलनात्मक विवरणी से स्पष्ट है कि M/s Mitra Management Infra Resources Pvt. Ltd. का कोटेशन बिना स्पष्ट कारण दर्ज किये ही मात्र यह अंकित करते हुए कि इनका कोटेशन विशिष्टि के अनुरूप नहीं है, अमान्य कर दिया गया। कोटेशन आमंत्रण सूचना में मात्र प्री फैब रूप एवं प्री फैब शौचालाय का निर्माण करने का उल्लेख है एवं M/S Mitra Management Infra Resources Pvt. Ltd. के द्वारा दिये गये कोटेशन में प्री फैब रूप एवं प्री फैब शौचालय निर्माण हेतु अलग–अलग राशि अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त कोटेशन आमंत्रण सूचना में किसी प्रकार के कोई विशिष्टि का जिक्र नहीं किया गया था। यहां तक की तीसरे कोटेशनदाता यथा अतरी इन्टरप्राईजेज के कोटेशन में भी उक्त सभी कार्य सम्मिलित है जो M/S Mitra Management Infra Resources Pvt. Ltd. में कोटेशन में सम्मिलित है। इसके बावजूद मे0 अतरी इन्टरप्राईजेज के कोटेशन का मान्य किया गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री APS Enterprises के कोटेशन दर का न्यूनतम दर बनाने के परिक्षेत्र में मे0 मिश्रा मैनेजमेंट इन्फ्रा रिसर्च प्रा0 लि0 का कोटेशन को बिना स्पष्ट कारण दर्शाते हुए अमान्य कर दिया गया। अतएव आरोप सं0–2 के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए प्रमाणित माना जा सकता है।

आरोप सं0–3– संचालन पदाधिकारी ने अमांत्रित कोटेशन में विशेष विशिष्टि का जिक्र नहीं किये जाने एवं सभी कोटेशनदाता का कोटेशन आमंत्रित कोटेशन के अनुरूप पाया गया। ऐसी परिस्थिति में न्यूनतम दरदाता को छोड़कर उच्च दर वाले कोटेशनदाता को कोटेशन अनुमोदन हेतु तत0 कार्यपालक अभियंता श्री वर्मा द्वारा अनुशंसा किया जाना सही प्रतीत नहीं होता है के आधार पर आरोप प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है।

श्री वर्मा द्वारा लगभग वही तथ्य दिया गया है जो इनके द्वारा आरोप सं0–2 के संदर्भ में दिया गया है। उक्त के आलोक में परिलक्षित है कि इनके द्वारा द्वितीय न्यूनतम दर दाता APS Enterprises के दर को न्यूनतम दर दाता बनाने के लिए M/S Mitra Management Infra Resources Pvt. Ltd. के कोटेशन को गलत ढंग से बिना किसी कारण के अमान्य कर दिया गया है जबकि M/S Mitra Management Infra Resources Pvt. Ltd. के कोटेशन आमंत्रित कोटेशन सूचना के अनुरूप ही था।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए आरोप सं0–3 प्रमाणित माना जा सकता है।

वर्णित स्थिति में श्री सतीश कुमार वर्मा, तत0 कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध प्रमाणित आरोप सं0–2 एवं 3 के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या–939 दिनांक 03.07.2020 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया –

'पांच प्रतिशत पेंशन पर एक वर्ष के लिए रोक'।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री वर्मा द्वारा पुर्नविलोकन अर्जी विभाग में समर्पित किया गया। श्री वर्मा, सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता द्वारा समर्पित पुर्नविलोकन अर्जी की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में मुख्य रूप से निम्न तथ्य का उल्लेख किया गया –

श्री वर्मा, सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता द्वारा नया तथ्य के रूप में एक तुलनात्मक विवरणी संलग्न करते हुए कहा गया है कि प्राप्त कोटेशन में न्यूनतम दर दाता M/S Mitra Management Infra Transit Resources Pvt. Ltd. का दर सभी अवयवों के साथ जोड़ने पर कुल राशि 7,63,220/– रूपये था। जबकि द्वित्तीय कोटेशन दाता APS Enterprises का दर 7,25,000/– रूपये ही था फलतः APS Enterprises को कार्यावंटन हेतु अनुशंसा की गई, स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि निविदा आमंत्रण सूचना में किसी विशिष्टि का उल्लेख नहीं है।

ऐसी स्थिति में M/S Mitra Management Infra Transit Resources Pvt. Ltd. का कोटेड दर 6,03,720/– रूपये ही था, जो कि तीनों निविदादाता के दर में इनका दर सबसे न्यूनतम था।

उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त इनके द्वारा उन्हीं तथ्यों को दुहराया गया है जो इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में दिया गया है।

वर्णित स्थिति में श्री सतीश कुमार वर्मा, तत0 कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत का पुनर्विलोकन अर्जी अस्वीकार करने का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया गया।

उपरोक्त निर्णय के आलोक में श्री सतीश कुमार वर्मा, तत0 कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा दिये गये पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

26 मार्च 2021

सं0 22/नि०सि०(पट0)–03–01/2017/360––श्री ईश्वर सहाय राम (आई0डी0–4570), तत्का0 कार्यपालक अभियंता, सम्प्रति अनिवार्य सेवानिवृत जब तकनीकी सलाहकार, उत्तर कोयल नहर अंचल, औरंगाबाद के पद पर पदस्थापित थे, तो उनके विरूद्ध सरकारी आदेशों का अनुपालन नहीं करना, स्वेच्छापूर्वक अनधिकृत अनुपस्थित रहना, विभाग से अनावश्यक पत्राचार करते रहना, प्रभार ग्रहण से लेकर अब तक अनधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहने, स्वेच्छाचारिता, हठधर्मिता एवं अनुशासनहीनता का आरोप प्रतिवेदित करते हुए आरोप पत्र प्रपत्र–'क' संयुक्त सचिव (प्रबंधन) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का गै0स0प्रे0सं0–327 दिनांक 13.04.2017 द्वारा साक्ष्य सहित उपलब्ध कराया गया।

आरोप–

1. विभागीय अधिसूचना सं०–3526 दिनांक 30.06.2013 के द्वारा कार्यपालक अभियंता, जल विज्ञान प्रमंडल (मध्य) पटना से श्री ईश्वर सहाय राम का स्थानांतरण तकनीकी सलाहकार, पश्चिमी कोशी नहर अंचल–1, दरभंगा किया गया। दिनांक 12.07.13 के पूर्वाह्न में कार्यपालक अभियंता सम्प्रति उप निदेशक, जल विज्ञान प्रमंडल (मध्य) पटना का प्रभार सौंपकर तकनीकी सलाहकार, पं0 कोशी नहर अंचल–1, दरभंगा का प्रभार ग्रहण करने जा रहा हूँ का उल्लेख उनके द्वारा प्रभार प्रतिवेदन में किया गया लेकिन उक्त पद का प्रभार ग्रहण नहीं किया गया।
2. श्री ईश्वर सहाय राम द्वारा बिना किसी आदेश के मुख्यालय में दिनांक 12.07.2013 को योगदान करने संबंधी आवेदन समर्पित किया गया। जिसे विभागीय पत्र सं०–4288 दिनांक 06.08.2013 के द्वारा दिनांक 12.07.2013 के प्रभाव से योगदान संबंधी आवेदन को अस्वीकृत करते हुए इनके गृह पता पर निबंधित डाक से भेजा गया, जो बिना प्राप्ति के वापस आ गया। विभागीय पत्रांक–5420 दिनांक 07.10.2013 द्वारा अविलंब स्थानांतरित पद का प्रभार ग्रहण करने का निदेश के साथ गृह पता (निबंधित डाक) पर पत्र भेजा गया, जो बिना प्राप्ति के वापस आ गया। इस प्रकार आप स्वेच्छापूर्वक उक्त पद का प्रभार ग्रहण नहीं किए तथा लगभग एक वर्ष तक (दिनांक 12.06.2013 से दिनांक 01.07.2014 तक) अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे है, जो स्वेच्छाचारिता, सरकारी आदेश की अवहेलना एवं हठधर्मिता का परिचायक है।
3. विभागीय अधिसूचना संख्या–3058 दिनांक 30.06.2015 द्वारा जलपथ प्रमंडल, मोहनियाँ से स्काडा प्रमंडल, डिहरी के पद पर स्थानांतरित करते हुए पदस्थापन किया गया। सोन कमांड क्षेत्र विकास एजेंसी स्काडा, पटना के द्वारा स्काडा प्रमंडल, भभुआ में पदस्थापन किया गया। भभुआ पदस्थापन के समय श्री दिनेश चन्द्र राम, अवर प्रमंडल पदाधिकारी, कर्मनाशा के बीच सामंजस्य का अभाव एक दूसरे पर दोषारोपण सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल होने के कारण इनको अकार्य कोटि के पद पर पदस्थापन विभागीय आदेश सं0–3023 दिनांक 01.06.2016 के द्वारा स्काडा प्रमंडल, भभुआ से स्थानांतरित करते हुए तकनीकी सलाहकार (अकार्य कोटि) उत्तर कोयल नहर अंचल, औरंगाबाद के पद पर पदस्थापन किया गया। सचिव, सोन कमांड क्षेत्र विकास एजेंसी, पटना का कार्यालय आदेश सं0–70 दिनांक 13.06.2016 का अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया गया। जिसके कारण दिनांक 13.06.2016 को श्री वृन्दा प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, स्काडा प्रमंडल, डिहरी द्वारा स्काडा प्रमंडल, भभुआ का स्वतः प्रभार ग्रहण किया गया। इनके द्वारा स्थानांतरित पद का प्रभार ससमय ग्रहण नहीं किया गया एवं अनावश्यक रूप से स्थानांतरण आदेश को रद्द करने के लिए विभाग से अनावश्यक पत्राचार किया जाता रहा।
4. अंततः इनके द्वारा विभागीय आदेश संख्या–3023 दिनांक 01.06.2016 के आलोक में उक्त पद का प्रभार (तकनीकी सलाहकार, उत्तर कोयल नहर अंचल, औरंगाबाद) दिनांक 15.02.2017 (प्रभार प्रति की छायाप्रति संलग्न) को ग्रहण करना किया गया। जो लंबे समय तक अनावश्यक रूप से स्वेच्छापूर्वक अनधिकृत अनुपस्थित रहना, सरकारी आदेश का अनुपालन नहीं करना, विभाग से अनावश्यक पत्राचार करते रहना इनके स्वेच्छाचारिता, हठधर्मिता एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है। साथ ही प्रभार से लेकर अब तक अनधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहने का प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होता है।

   उक्त आरोप पत्र प्रपत्र–'क' में अंकित आरोपों की जाँच के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1028 दिनांक 23.06.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 विहित रीति के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में संचालन पदाधिकारी–सह–अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–114/सिं0, दिनांक 03.08.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

   इसी क्रम में एक अन्य मामले में विभागीय अधिसूचना सं0–22/नि0सि0(डि0)14–13/ 2016–1444 दिनांक 10.07.2019 द्वारा आदेश निर्गत तिथि से अनिवार्य सेवानिवृत का दण्ड अधिरोपित किया गया। जिसके फलस्वरूप श्री ईश्वर सहाय राम के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय अधिसूचना सं0–2722 दिनांक 13.12.2019 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया।

श्री ईश्वर सहाय राम के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के क्रम में संचालन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया है। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में अंकित मंतव्य से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक–1881 दिनांक 30.08.2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। जिसके आलोक में श्री ईश्वर सहाय राम द्वारा पत्रांक–1620 दिनांक 21.12.2018 द्वारा जवाब विभाग को समर्पित किया गया। जिसकी समीक्षा विभाग के स्तर पर की गई।

समीक्षा–

आरोप	संचालन पदाधिकारी का मंतव्य	द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब
आरोप–1 विभागीय अधिसूचना संख्या–3526, दिनांक 30.06.2013 के द्वारा कार्यपालक अभियंता, जल विज्ञान प्रमंडल, पटना से आपका स्थानांतरण तकनीकी सलाहकार, प0 कोशी नहर अंचलसं0–01, दरभंगा किया गया। दिनांक 12.07.13 के पूर्वाह्न में कार्यपालक अभियंता सम्प्रति उप निदेशक, जल विज्ञान प्रमंडल (मध्य), पटना का प्रभार सौंपकर तकनीकी सलाहकार, प0 कोशी नहर अंचल सं0–01, दरभंगा का प्रभार करने जा रहा हूँ का उल्लेख आपके द्वारा प्रभार प्रतिवेदन में किया गया लेकिन उक्त पद का प्रभार ग्रहण नहीं किया गया।	इस आरोप के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य अंकित किया गया कि श्री ईश्वर सहाय राम द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या–3526, दिनांक 30.06.13 के अनुपालन में स्थानांतरित पद का प्रभार ग्रहण नहीं किया गया तथा निरर्थक असंगत तथ्य उच्च पदाधिकारी को समर्पित किया गया। आरोपी पदाधिकारी को आदेश का अनुपालन करते हुए समस्याओं को सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए था, जो आरोपी पदाधिकारी को आदेश का अनुपालन करते हुए समस्याओं को सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए था, जो आरोपी पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया। आरोप प्रमाणित किया गया।	उक्त के संदर्भ में श्री ईश्वर सहाय राम द्वारा अपने जवाब में उल्लेखित किया गया है कि विभागीय अधिसूचना सं०–3526, दिनांक 30.06.13 के आलोक में तकनीकी सलाहकार पश्चिमी कोशी नहर अंचल सं०–01, दरभंगा में योगदान करने पर पूरे परिवार की हत्या होने की प्रबल संभावना की जानकारी पत्रांक–351, दिनांक 01.07.2013 से दी गई थी (पृ0 150–148/प0 संलग्न फोल्डर)।
आरोप–2 बिना किसी आदेश के मुख्यालय में दिनांक 12.07.2013 को योगदान करने संबंधी आवेदन समर्पित किया गया। जिसे विभागीय पत्र–4288, दिनांक 06.08.2013 के द्वारा दिनांक 12.07.13 के प्रभाव से योगदान संबंधी आवेदन अस्वीकृत करते हुए आपके गृह पता पर निबंधित डाक से भेजा गया, जो बिना प्राप्ति के वापस आ गया। विभागीय पत्रांक–5420, दिनांक 07.10.13 द्वारा अविलंब स्थानांतरित पद का प्रभार ग्रहण करने का निदेश के साथ गृह पता (निबंधित डाक) पर भेजा गया, जो बिना प्राप्ति के वापस आ गया। इस प्रकार आप स्वेच्छा पूर्वक उक्त पद का प्रभार ग्रहण नहीं किए तथा लगभग एक वर्ष तक (दिनांक 12.06.13 से दिनांक 01.07.2014 तक) अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हैं, जो आपके स्वेच्छाचारिता सरकारी आदेश की अवहेलना एवं हठधर्मिता का परिचायक है।	आरोप सं0–2 के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी द्वारा कहा गया है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा बिना किसी स्थानांतरण संबंधी आदेश के दिनांक 12.07.2013 को संयुक्त सचिव (प्र0), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अधीन योगदान कर लिया गया। जिसे विभागीय पत्रांक–4288, दिनांक 06.08.13 के द्वारा दिनांक 12.07.13 के प्रभाव से अस्वीकृत करते हुए उनके गृह पता पर उक्त पत्र वापस भेजा गया, जो बिना प्राप्ति के वापस आया। दिनांक 16.06.2013 से दिनांक 01.07.14 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के समर्थन में कोई ठोस अभिलेखीय साक्ष्य या संतोषप्रद कारण आरोपी पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। यदि आरोपी पदाधिकारी को उनका हत्या का अनदेशा था तो उन्हें विभागीय आदेश के अनुपालन में योगदान करते हुए संभावित खतरे को स्थानीय प्रशाखा एवं प्रधान सचिव के संज्ञान में लाना चाहिए था, किन्तु आरोपी पदाधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार अनधिकृत अनुपस्थिति एवं सरकारी आदेश के	श्री ईश्वर सहाय राम द्वारा कहा गया है कि श्री अनिल कुमार, प्रतिस्थानी कार्यपालक अभियंता के योगदान के पश्चात विभागीय अधिसूचना–3526, दिनांक 30.06.2013 के अनुपालन में उप निदेशक, जल विज्ञान प्रमंडल (मध्य), पटना का प्रभार दिनांक 12.07.13 को सौंपा गया। दरभंगा योगदान करने पर हत्या की प्रबल संभावना को देखते हुए संशोधित आदेश निर्गत की प्रत्याशा में संयुक्त सचिव (प्र0) को उसी दिन दिनांक 12.07.2013 को योगदान किया गया। विभागीय आदेश सं0–4288, दिनांक 06.08.13 योगदान अस्वीकृति का पत्र गृह पते पर भेजना तथा डाकिया द्वारा लिफाफे पर घर पर नहीं रहते उल्लेखित कर वापसी प्राप्त होने के पश्चात भी पत्रांक–4708, दिनांक 29.08.2013 एवं बार–बार भेजना और लौटने का मतलब समझ से परे है। श्री ईश्वर सहाय राम द्वारा उल्लेखित किया गया कि उनके द्वारा विभाग को दी गई सूचना के आधार पर कोई सार्थक कार्रवाई नही की गई। अतएव उक्त आरोप पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आरोप से मुक्त करने की कृपा की जाए।

	अनुपालन नहीं करने के संबंध में कोई ठोस कारण एवं अभिलेखीय साक्ष्य आरोपी पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। जो आरोप प्रमाणित पाया गया।	
आरोप–3 विभागीय अधिसूचना संख्या–3058, दिनांक 30.06.2015 द्वारा जलपथ प्रमंडल, मोहनियाँ से स्काडा प्रमंडल, डिहरी के पद पर स्थानांतरित करते हुए पदस्थापन किया गया। सोन कमांड क्षेत्र विकास एजेन्सी, स्काडा, पटना द्वारा स्काडा प्रमंडल, भभुआ में पदस्थापन किया गया। भभुआ पदस्थापन के समय श्री दिनेश चन्द्र राम, अवर प्रमंडल पदाधिकारी, कर्मनाशा के बीच सामंजस्य का अभाव एक–दूसरे पर दोषारोपण सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल होने के कारण आपको अकार्य कोटि के पद पर पदस्थापन विभागीय आदेश सं०–3023, दिनांक 01.06.2016 द्वारा स्काडा प्रमंडल, भभुआ से स्थानांतरित करते हुए तकनीकी सलाहकार (अकार्य कोटि) उत्तर कोयल नहर अंचल, औरंगाबाद के पद पर पदस्थापन किया गया। सचिव, सोन कमांड क्षेत्र विकास एजेन्सी, पटना का कार्यालय आदेश सं0–70, दिनांक 13.06.2016 का अनुपालन आपके द्वारा नहीं किया गया। जिसके कारण दिनांक 13.06.2016 को भी श्री वृन्दा प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, स्काडा प्रमंडल, डिहरी द्वारा स्काडा प्रमंडल, भभुआ का स्वतः प्रभार ग्रहण किया गया। आपके द्वारा स्थानांतरित पद का प्रभार ससमय ग्रहण नहीं किया गया एवं अनावश्यक रूप से स्थानांतरण आदेश को रद्द करने के लिए विभाग से अनावश्यक पत्राचार किया जाता रहा है। अंततः आपके द्वारा विभागीय आदेश संख्या–3023, दिनांक 01.06.2016 के आलोक में उक्त पद का प्रभार (तकनीकी सलाहकार, उत्तर कोयल नहर अंचल, औरंगाबाद) दिनांक 15.02.2017 को ग्रहण किया गया। जो लंबे समय तक अनावश्यक रूप से स्वेच्छापूर्वक अनधिकृत अनुपस्थित रहना, सहकारी आदेश का अनुपालन नहीं करना, विभाग से अनावश्यक पत्राचार करते रहना आपके स्वेच्छाचारिता, हठधर्मिता एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है। साथ ही प्रभार ग्रहण से लेकर अब तक अनधिकृत रूप से कार्यालय से	इस आरोप के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में उल्लेखित किया गया है कि विभागीय आदेश संख्या–3023, दिनांक 01.06.2016 द्वारा भभुआ में पदस्थापित अवर प्रमंडल पदाधिकारी, कर्मनाशा के साथ सामंजस्य के अभाव एवं एक दूसरे पर दोषारोपण की स्थिति के कारण आरोपी पदाधिकारी को तकनीकी सलाहकार (अकार्यकोटि) उत्तर कोयल नहर अंचल, औरंगाबाद के पद पर स्थानांतरित किया गया। जिसका अनुपालन आरोपी पदाधिकारी द्वारा किए जाने के बजाए स्थानांतरण आदेश को रद्द करने के लिए अनावश्यक पत्राचार किया जाना सार्थक नहीं है साथ ही स्थानांतरण आदेश का अनुपालन न कर लगातार कार्यालय से अनुपस्थित रहना भी दायित्व निर्वहन के प्रति लापरवाही का द्योतक है। इस संबंध में भी आरोपी पदाधिकारी द्वारा कोई ठोस कारण/आधार/अभिलेखीय साक्ष्य अपने बचाव हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।	उक्त के संदर्भ में श्री ईश्वर सहाय राम द्वारा अपने जवाब में कहा गया है कि हत्या होने के डर से ससमय नए पद स्थापित पद पर प्रभार ग्रहण नहीं किया गया है।

अनुपस्थित रहने का प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होता है।		

विभागीय आदेश संख्या–3023, दिनांक 01.06.2016 द्वारा भभुआ में पदस्थापित अवर प्रमंडल पदाधिकारी, कर्मनाशा के साथ सामंजस्य के अभाव एवं एक–दूसरे पर दोषारोपण की स्थिति के कारण आरोपी पदाधिकारी को तकनीकी सलाहकार, उत्तर कोयल नहर अंचल, औरंगाबाद के पद पर स्थानांतरित किया गया। जिसका अनुपालन आरोपी पदाधिकारी द्वारा किए जाने के बजाए स्थानांतरण आदेश को रद्द करने के लिए अनावश्यक पत्राचार किया जाना सार्थक नहीं है, साथ ही स्थानांतरण आदेश का अनुपालन न कर लगातार कार्यालय से अनुपस्थित रहना भी दायित्व निर्वहन के प्रति लापरवाही का द्योतक है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा कोई ठोस कारण/अभिलेखीय साक्ष्य अपने बचाव हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है।

उक्त वर्णित स्थिति में श्री ईश्वर सहाय राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति अनिवार्य सेवानिवृत के विरूद्ध गठित आरोपों के लिए संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया। साथ ही इनके द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान से समीक्षोपरांत असहमत होते हुए निम्न दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

5% (पाँच प्रतिशत) पेंशन पाँच वर्षों तक रोक"।

उक्त निर्णित दण्ड पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अतएव श्री ईश्वर सहाय राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (आई0डी0–4570) सम्प्रति अनिवार्य सेवानिवृत के विरूद्ध निम्न अनुमोदित दण्ड संसूचित एवं अधिरोपित किया जाता है।

5% (पाँच प्रतिशत) पेंशन पाँच वर्षों तक रोक"।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
इन्दुभूषण प्रसाद, अवर सचिव।

---

8 अप्रील 2021

सं0 22नि0सि0(वीर0)–07–16/2019/404––श्री सुदामा राय (आई0डी0–3272) कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली, सुपौल के विरूद्ध अपने अधीनस्थ कर्मियों के साथ अमानवीय व्यवहार करने, अमर्यादित आचरण आदि आरोप के मामले में विभागीय अधिसूचना–51 दिनांक 16.01.2020 द्वारा निलंबित किया गया। श्री सुदामा राय दिनांक 31.12.2020 को सेवानिवृत हो गये। उक्त की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत श्री राय को सेवानिवृति की तिथि से निलंबन मुक्त करते हुए इनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

अतः उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुदामा राय, तत0 कार्यपालक अभियंता को दिनांक 31.12.2020 से निलंबन मुक्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

8 अप्रील 2021

सं0 22/नि0सि0(वीर0)–07–16/2019/405––श्री राजेश कुमार (आई0डी0–5295) तत0 सहायक अभियंता, पश्चिमी तटबंध अवर प्रमंडल, निर्मली द्वारा बिहार सरकारी सेवक हेतु निर्धारित आचरण के विपरीत अपने उच्च पदाधिकारी के साथ व्यवहार करने संबंधी प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–50 दिनांक 16.01.20 द्वारा निलंबित किया गया। साथ ही आरोप पत्र के साथ उक्त कृत्य के लिए विभागीय पत्रांक–940 दिनांक 03.07.2020 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया।

श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण के जवाब एवं पुलिस अधीक्षक, सुपौल के ज्ञापांक–2081 दिनांक 18.06.2020 के समीक्षात्मक टिप्पणी की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना सं0–1151 दिनांक 21.09.2020 द्वारा श्री कुमार को निलंबन मुक्त किया गया।

श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, वीरपुर से मंतव्य की माँग की गई। मुख्य अभियंता, वीरपुर से प्राप्त मंतव्य में मुख्य रूप से निम्न का उल्लेख किया गया–

प्राप्त जवाब के अवलोकनोपरांत पाया गया कि श्री राय द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण कि "मैं अकेला अपने सरकारी आवास में आवासित था" स्वयं उनके द्वारा अपने पत्रांक–2349 दिनांक 14.12.2019 (श्री राजेश कुमार के विरूद्ध निर्मली थाना में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु प्रेषित पत्र) एवं पत्रांक–2356 दिनांक 18.12.2019 में अंकित तथ्यों के विपरीत है। उपर्युक्त चर्चित पत्रों में उनके द्वारा स्पष्टतः अंकित किया गया है कि "घटित घटना के समय उनके आवासीय कार्यालय में अन्य व्यक्ति मौजूद थे। कालांतर में निर्मली थाना कांड सं0–206/2019 में पुलिस अधीक्षक, सुपौल के द्वारा जाँचोपरांत प्रतिवेदित रिपोर्ट से भी श्री राय का कथन स्वतः अप्रमाणित एवं श्री राजेश कुमार के पत्रांक–414 में वर्णित तथ्य कि उनके उपर कार्यपालक अभियंता द्वारा निर्मली थाना में झूठा प्राथमिकी दर्ज कराया गया है आदि स्वतः प्रमाणित होता है।

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, वीरपुर से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत श्री राजेश कुमार के विरूद्ध संचालित मामले को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया।

अतः उक्त निर्णय के आलोक में श्री राजेश कुमार, सहायक अभियंता के विरूद्ध संचालित मामले को संचिकास्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

13 अप्रील 2021

सं0 22 / नि०सि०(मंत्रि0)मोति0–3012 / 89 / 439––श्री दिग्विजय सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, घोड़ासहन नहर प्रमंडल, रक्सौल संप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध प्रभावी निगरानी थाना कांड सं0–17 / 87 में विशेष न्यायालय (निगरानी), मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक–07.05.2011 को पारित आदेश में गंभीर अपराध के लिए दोषी करार देते हुए दण्डित किये जाने के फलस्वरूप विभागीय पत्रांक–1272 दिनांक–07.08.2017 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(क) के आलोक में गंभीर अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने के कारण ''इनका पूर्ण पेंशन क्यों न जब्त कर लिया जाय?'' के बिन्दु पर उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गई।

उक्त आलोक में श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में अंकित किया गया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में उनके द्वारा अपील (Criminal appeal No-577 / 2011) दायर किया गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने विचारण कोर्ट द्वारा दिए गये अर्थदण्ड की सजा को स्थगित कर दिया है। श्री सिंह द्वारा यह भी कहा गया कि सेवानिवृत के बीस वर्ष बाद पेंशन जब्त करने का कोई औचित्य नहीं है।

बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(क) में प्रावधानित है कि ''भविष्य सदाचार हर पेंशन प्रदान की मानी हुई शर्त है। राज्य सरकार को पेंशन या उसके किसी अंश को रोक रखने या वापस लेने का अधिकार होगा, यदि पेंशन भोगी गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया जाए या घोर कदाचार का दोषी हो। इस नियम के अधीन समूची पेंशन या उसका कोई अंश रोक रखने या वापस ले लेने के संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम और निर्णयक होगा।'' विचारण न्यायालय द्वारा श्री सिंह को निगरानी थाना कांड सं0–17 / 87 में भा0द0वि0 की धारा 467, 468, 472, 420, 109, 120(बी0) एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1947 की धारा 5(2) सहपठित धारा 5(1)(डी0) के अन्तर्गत दोषी पाते हुए दस वर्ष का सश्रम करावास एवं पचास हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। श्री सिंह द्वारा दायर अपील में मात्र अर्थदण्ड की सजा पर रोक लगायी गयी, पुरी सजा पर रोक अथवा सजा को निरस्त नहीं किया गया है।

मामले के सम्यक समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना सं०–1277 दिनांक 11.06.2018 द्वारा श्री दिग्विजय सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, घोड़ासहन नहर प्रमंडल, रक्सौल संप्रति सेवानिवृत का **शत प्रतिशत पेंशन जब्त** किया गया।

विभागीय अधिसूचना सं0–1277 दिनांक 11.06.2018 द्वारा शत प्रतिश पेंशन जब्त किये जाने के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया :–

कोरोना काल में अप्रैल 2020 से मासिक पेंशन बन्द कर दिया गया, जो उनके लिये अमानवीय वेदना है। वे 83 वर्ष के हो गये है। ऐसी परिस्थिति में पेंशन अचानक से बंद हो जाना पूरे परिवार के भुखमरी एवं जानलेवा सिद्ध होगा।

दिनांक–11.10.2017 के स्पष्टीकरण में अनुरोध किया गया था कि मिस कैरेज ऑफ जस्टीस ड्यू टु नन प्लेसमेंट ऑफ टेक्निकल फैक्ट्स बाई एडवोकेट्स इन्हें सजा मिल गयी है। बिना प्री–सेक्शन एवं पोस्ट सेक्सन मेजरमेंट के ही आरोप मढ़ दिया गया है कि घोड़ासाहन एवं त्रिवेणी बाँध में मिट्टी भराई के कार्य में हमलोग के द्वारा कम मात्रा में मिट्टी भरा गया है। प्री–सेक्शन मेजरमेंट कार्य शुरू होने से पहले होता है। जबकि प्री–सेक्शन मजरमेंट कार्य समाप्ति के 6 माह बाद, बाढ़ में मिट्टी क्षय होने के बाद प्री–सेक्शन लिया गया वह भी बहती हुई जलधारा में।

बिहार पेंशन नियमावली–139 में यह स्पष्ट है कि पेंशन नियमावली के नियम 43(क) या 43(ख) का प्रयोग पेंशन मंजूर करने वाले प्रथम आदेश की तारीख से 3 वर्ष बीत जाने पर नहीं किया जायेगा। इसका अर्थ है कि यदि पेंशन का आदेश हो चुका है तो पेंशन के आदेश की तिथि से 3 वर्षों के बाद पेंशन बन्द करने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

मुजफ्फरपुर निगरानी थाना काण्ड सं०–17 / 87 (स्पेशल केश नं०–101 / 2002) में उनके साथ कनीय अभियंता, श्री पारस नाथ शर्मा, दिनांक–04.05.2011 को एक साथ न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये एवं उनको आजतक पेंशन प्राप्त हो रहा है, जबकि इनका पेंशन बन्द कर दिया गया है यह अन्याय एवं भेदभावपूर्ण कार्रवाई है।

मुजफ्फरपुर निगरानी थाना काण्ड सं०–17 / 87 (स्पेशल केश नं०–101 / 2002) में सजा मिली है। सिमिलर केश में दूसरे साईट के संबंध में मुजफ्फरपुर निगरानी थाना कांड सं०–24 / 87 (स्पेशल केश नं०–104 / 2002) भी संस्थापित हुआ था, जिसमें 21.12.2016 को जजमेंट हुआ है, जिसमें कनीय अभियंता श्री सुरेन्द्र देव सिन्हा एवं सहायक अभियंता श्री वैद्यनाथ झा को सजा मुर्करर हुआ, जिसपर इन दोनों ने क्रिमीनल अपील सं०(SJ)192 / 2017 माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया, जिसमें आई०ए० फाईल हुआ और दिनांक–14.02.2020 को आदेश पारित किया गया कि निर्णय के प्रभाव को क्रि० अपील 192 / 2017 के फाईनल डिस्पोजल तक Abeyance में रखा जाय। कनीय अभियंता श्री सुरेन्द्र देव सिन्हा एवं सहायक अभियंता श्री वैद्यनाथ झा दोनों ही मासिक पेंशन पा रहें है।

अतः निवेदन है कि इस आवेदन पर पुर्नविचार किया जाय एवं मासिक पेंशन Continue करते हुए मासिक पेंशन देने की कृपा की जाय।

श्री सिंह द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन के समीक्षा में निम्नवत तथ्य पाये गयेः–

श्री सिंह के विरूद्ध सांस्थित निगरानी थाना काण्ड सं०–17/87 में माननीय विचारण न्यायालय (विशेष न्यायालय, निगरानी, मुजफ्फरपुर) द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं पचास हजार रुपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी, जिसके विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में क्रिमीनल अपील (SJ) सं०–578/2011 दायर किया गया, माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 16.11.2011 को आदेश पारित कर इस अपील में अर्थदण्ड की सजा स्थगित करते हुए श्री सिंह को जमानत दी गयी है, किन्तु विचारण न्यायालय के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया।

उनके द्वारा आरोप के संदर्भ में कहा गया है कि बिना प्री–सेक्शन एवं पोस्ट सेक्शन मेजरमेंट लिये ही आरोप मढ़ दिया गया है कि घोड़ासाहन एवं त्रिवेणी बाँध में मिट्टी भराई के कार्य में कम मात्रा में मिट्टी भरा गया है। आरोपी द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। अतएव इनका कथन स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है।

इसके अतिरिक्त श्री सिंह द्वारा अपने बचाव–बयान में बिहार पेंशन नियमावली 139 एवं नियम–43(क) एवं 43(ख) का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि पेंशन के आदेश की तिथि से 3 वर्षों बाद पेंशन बन्द करने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(क) में प्रावधान है कि भविष्य सदाचार हर पेंशन प्रदान की मानी हुई शर्त है। राज्य सरकार को पेंशन या उसके किसी अंश को रोक रखने या वापस लेने का अधिकार होगा, यदि पेंशन भोगी गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया जाय या घोर कदाचार का दोषी हो। इस नियम के अधीन समूची पेंशन या उसका कोई अंश रोक रखने या वापस ले लेने के संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा। विचारण न्यायालय द्वारा श्री सिंह को निगरानी थाना कांड सं0–17/87 में दोषी पाते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं पचास हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है। अतएव इनका यह कथन स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है।

श्री सिंह द्वारा यह भी कहा गया है कि इनके साथ कनीय अभियंता श्री पारसनाथ शर्मा एक साथ न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये एवं उनको आज तक पेंशन प्राप्त हो रहा है, यह अन्याय एवं भेदभावपूर्ण कार्रवाई है एवं निगरानी थाना कांड सं0–24/87 (स्पेशल केस नं0–104/2002) में दिनांक–21.12.2016 को पारित आदेश में कनीय अभियंता श्री सुरेन्द्र देव सिन्हा एवं सहायक अभियंता श्री बैद्यनाथ झा को सजा मुकर्रर हुआ है। उल्लेखनीय है कि विभागीय आदेश सं0–115 दिनांक सहपठित ज्ञापांक–2283 दिनांक 09.10.18 द्वारा श्री पारसनाथ शर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता, घोड़ासहन नहर अवर प्रमंडल, छौड़ादानों एवं विभागीय आदेश सं0–110 सहपठित ज्ञापांक–1846 दिनांक 27.08.2018 द्वारा श्री सुरेन्द्र देव सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता, त्रिवेणी नहर अवर प्रमंडल, रक्सौल का पेंशन विचारण न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाने के कारण बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(क) के प्रावधान के आलोक में जब्त किया जा चुका है। श्री बैद्यनाथ झा, तत्कालीन सहायक अभियंता, त्रिवेणी नहर अवर प्रमंडल, मनियारी के झारखंड राज्य से पेंशन प्राप्त करने के कारण विभागीय पत्रांक–215 दिनांक 17.02.2021 द्वारा उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु जल संसाधन विभाग, झारखंड से अनुरोध किया गया है। अतएव उनका यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0–1277 दिनांक 11.06.2018 के विरूद्ध श्री दिग्विजय सिंह, सेवानिवृत सहायक अभियंता द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन को विभाग द्वारा अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री दिग्विजय सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, घोड़ासहन नहर प्रमंडल, रक्सौल सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–1277 दिनांक 11.06.2018 द्वारा संसूचित **"शत प्रतिशत पेंशन जब्त"** करने के निर्णय को यथावत रखा जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

21 जून 2021

सं0 22/नि0सि0(मुज0)06–11/2016–505––श्री राम विनय शर्मा (आई0डी0–3612) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर के उनके उक्त प्रमंडल में पदस्थापन अवधि के दौरान गंडक बराज में दिनांक 21.07.2016 के शाम से दिनांक 22.07.2016 के सुबह तक गंडक नदी के जलश्राव में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण गंडक बराज के गेट संख्या–33 क्षतिग्रस्त हो जाने एवं पूर्वी मुख्य नहर में तीव्र गति से पानी प्रवेश करने तथा 6.00 RD पर नहर बाँध ओभरटॉप करने एवं जिसके कारण त्रिवेणी पावर हाउस के यंत्रो की क्षति तथा कॉलोनी के घरों की क्षति होने में बरती गई अनियमितता की जाँच मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर, मुख्य अभियंता, (याँत्रिक) एवं जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण के द्वारा गठित त्रि–सदस्यीय समिति द्वारा की गई। प्राप्त तीनों जाँच प्रतिवेदनों के समीक्षोपरांत श्री शर्मा के विरूद्ध प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या–1661, दिनांक 03.08.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–9(1) के तहत निलंबित किया गया एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक सं0–1703, दिनांक 05.08.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(2) में विहित रीति से निम्न आरोपों के लिए प्रपत्र–'क' गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

आरोप :– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–01 (बराज) कैम्प, दिनांक 23.07.16 में स्पष्ट उल्लेख है कि मुख्य अभियंता द्वारा आपको अनेको बार दूरभाष एवं पत्रांक 297 दिनांक 18.07.16 से आपात स्थिति से निपटने के लिये पर्याप्त संख्या में मजदूर रखने का निदेश दिया गया था एवं विशेष रूप से हिदायत दी गई थी कि गंडक बराज के गेटों एवं बाँधों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाय। परन्तु आपके द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण गेटों को कम से कम समय में उठाया जाना संभव नहीं हुआ। जिसके कारण बराज का गेट सं० 33 क्षतिग्रस्त हो गया। उक्त से स्पष्ट है कि आपके द्वारा दायित्वों का निर्वहन में घोर उपेक्षा की गयी जिससे एक विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हो सकती थी एवं जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी हैं।

(2) श्री संजय कुमार तिवारी, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिंटरिंग प्रमंडल संख्या–5, (प्रतिनियुक्त बगहा स्थल) द्वारा दिनांक 22.07.16 को सुबह 6 बजे गंडक नदी का जलश्राव अत्यधिक बढ जाने एवं इससे हुई क्षति की सूचना देने हेतु आपको जगाने का प्रयास किया गया फिर भी आप न तो जागे एवं न हीं आपके द्वारा कोई प्रत्युत्तर दिया गया। ज्ञातव्य है कि घटना की अवधि में गंडक बराज से 2.00 लाख घनसेक से अधिक का जलश्राव प्रवाहित हो रहा था एवं जिस अवधि में आपसे सामान्य से अधिक कार्य सजगता की अपेक्षा की गयी, उस विषम परिस्थिति में भी आप अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाह रहते हुए सोये रहे। मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–01 (बराज) कैम्प, दिनांक 23.07.16 से स्पष्ट होता है कि निदेश देने के बावजूद भी (पत्रांक–290, दिनांक 15.07.2016, 338, दिनांक 21.07.16) आपके द्वारा नेपाली सिम क्रय नहीं किया गया। इससे परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा अपने उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना की गई है। जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी हैं।

(3) दिनांक 22.07.16 को गेट के संचालन में हुए गंभीर चूक से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा समय समय पर निरीक्षी पदाधिकारी के रूप में कार्यस्थल का निरीक्षण नहीं किया जाता रहा। और न ही अधीनस्थों के कार्यकलाप पर नियंत्रण ही रखा गया। आपकी कर्त्तव्य उपेक्षा के कारण एक विनाशकारी र्दुघटना की स्थिति उत्पन्न हुई। जो आपकी पूर्ण अक्षमता को प्रमाणित करता है एवं जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी है।

(4) आपके द्वारा कार्य पर्यवेक्षण को नजर अंदाज किये जाने के कारण गंडक बराज वाल्मीकिनगर का एक गेट पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया। गेटिंग व्यवस्था के अन्य अव्यव भी काफी क्षतिग्रस्त हुए जिसकी प्रतिपूर्ति में एक बहुत बड़ी सरकारी राशि का व्यय होगा। यह व्यय एक Avoidable Expenditure था, जिसके लिये आप दोषी हैं।

संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक–47, दिनांक 27.02.2017 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री राम विनय शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में गठित सभी आरोप यथा आरोप सं0–01, 02, 03 एवं 04 को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–1943, दिनांक 07.11.17 द्वारा श्री शर्मा, तत0 कार्यपालक अभियंता से द्वितीय कारण पृच्छा (अभ्यावेदन) की गई।

उक्त के आलोक में श्री शर्मा, तत्का0 कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने पत्रांक–0, दिनांक 06.12.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब विभाग में समर्पित किया गया। जिसमें मुख्य रूप से निम्न बातें कही गई हैं :–

विभागीय अभिमत में उन्हें दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करने, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने के लिये दोषी माना गया है तथा क्षतिग्रस्त गेट के मरम्मति पर होने वाले व्यय के लिये दोषी नहीं माना गया है।

संचालन पदाधिकारी ने विभागीय मंतव्य को नहीं मानते हुए गठित चारों आरोपों को सही होने का मंतव्य दिया गया है, जो बिहार सरकारी सेवक के नियमावली 2005 में विहित रिति के बिल्कुल ही विपरीत है। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन का बिन्दुवार उत्तर निम्नवत् है :–

(1) आलोच्य गेट का रख–रखाव, मरम्मति, पुनर्स्थापन, निर्माण तथा संचालन याँत्रिक प्रभाग के जिम्मे था। चार वर्ष पूर्व से ही प्रमंडल द्वारा बराज गेटों के संचालन हेतु मजदूर नहीं रखे जा रहे थे। नदी में जलश्राव अत्याधिक वृद्धि के कारण ससमय गेटों को खोलना एवं अन्य याँत्रिक कार्य कराने में इनकी कोई भूमिका नहीं थी। अतः उन्हें जिम्मेवार नहीं माना जा सकता है।

जहाँ तक गेट सं०–33 के टूटने का प्रश्न है, Expert Review Committee द्वारा अनुशंसित Under Sluice Gate 1 से 6, 31 से 36 का S.S. Plate का Repair नहीं हो पाया था। यह याँत्रिक प्रभाग का कार्य था। कमिटी गेट सं० 7, 8, 9, 21 एवं 23 को Buckled पाया था। जब गेट सं० 33 का S.S. Plate क्षतिग्रस्त था एवं उक्त गेट में पेड़ फँस जाने के कारण गेट को शीघ्र उठाव नहीं हो सका एवं क्षतिग्रस्त हो गया। मैं अपने पत्रांक 3 दिनांक 09.06.16 से गेट सं० 31 से 33 की खराबी के ओर ध्यान याँत्रिक प्रभाग को आकृष्ट किया था। इस तरह गेट टूटने में उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है।

(2) गेटों का संचालन का दायित्व याँत्रिक प्रभाग की थी। उनके द्वारा संचालन एवं सहयोग हेतु कोई पत्र या सुझाव नहीं दिया गया था। इस प्रकार गेटों के संचालन एवं सुरक्षा में उनके द्वारा लापरवाही नहीं बरती गयी है। जाँच पदाधिकारी द्वारा भी गेट टूटने एवं गेट के संचालन के लिये याँत्रिक प्रभाग को जिम्मेवार माना है।

(3) दिनांक 21.07.16 के मध्य रात्रि के बाद ही जलस्तर में तीव्र गति से वृद्धि होने की सूचना सहायक अभियंता द्वारा दिनांक 22.07.16 को सुबह 5:00 बजे दी गयी। उसके पश्चात सभी आवश्यक कारवाई की गयी।

(4) जेनेरेटर में तेल खत्म होने पर सुरक्षित भंडार में रखे गये डीजल से कुछ ही मिनट में तेल डाला गया। यह आरोप तथ्य आधारित नहीं है।

(5) वे शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर में पदस्थापित थे परन्तु बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बगहा के कार्यपालक अभियंता एवं अंचल में तकनीकी सलाहकार के प्रभार में भी था एवं क्षेत्राधीन दोनों प्रमंडलों के क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु अनवरत भ्रमण करता रहता था।

(6) बराज गेट टूटना प्रमाणित है परन्तु यह गेट याँत्रिक प्रमंडल की निगरानी में टूटा है। गेट के टूटने में मेरी कोई भूमिका नहीं है। दिनांक 21.07.16 को पूरी तरह अपने कार्य स्थल वाल्मीकिनगर एवं बगहा के कार्य स्थलों का निरीक्षण किया है। अतः यह आरोप मनगढ़ंत है। मेरे द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती गयी है।

(7) जिलाधिकारी बेतिया के जाँच प्रतिवेदन में भी गेट टूटने तथा गेट के संचालन के लिए याँत्रिक प्रमंडल को जिम्मेवारी माना गया है।

(8) बराज गेट टूटने को प्रमाणित माना गया है, परन्तु यह गेट याँत्रिक प्रमंडल के निगरानी में टूटा है यह भी प्रमाणित है। गेट के टूटने में मेरी कोई भूमिका नहीं है यह प्रमाणित होता है दिनांक 21.07.2016 को मैं पूरी तरफ से अपने कार्यस्थल वाल्मीकिनगर एवं बगहा कार्यस्थलों का निरीक्षण किया। इसलिए कार्यस्थल से नदारज संबंधी आरोप पूर्णतः मनगंढत है मेरे द्वारा कर्त्तव्य निर्वहन में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। मेरे द्वारा बाढ अवधि में न्यूनतम से न्यूनतम (3 से 4 घंटा) सोने की अवधि थी। इसलिए कार्य के बजाय सोने का आरोप लगाना अधारहीन है। बाढ़ के समय दो–दो प्रमंडलों को सुनिश्चित रखना ही अपने आप में बहुत ही मेहनत एवं भाग–दौड़ वाला काम है। लेकिन गेट टूटने के लिए जिम्मेवार मानना तथ्यों पर आधारित नहीं है उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि मेरे विरूद्ध लगाये गये लेस मात्र भी प्रमाणित नहीं होते हैं। अतः सभी आरोपों से मुक्त करने की कृपा की जाय।

श्री शर्मा, तत्का0 कार्यपालक अभियंता से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई, जिसमें निम्न तथ्य पाये गयेः–

श्री शर्मा द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में लगभग वही तथ्यों को संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया है। जो उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान संचालन पदाधिकारी को दिया गया है। आरोपी द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया है। श्री शर्मा के द्वारा विभागीय कार्यवाही के दरम्यान दिये गये बचाव बयान की समीक्षा संचालन पदाधिकारी द्वारा की गयी जो निम्नवत है :–

(1) इस मामले में घटना यही है कि वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज में दिनांक 21.07.2016 के शाम से 22.07.2016 के सुबह तक गंडक नदी के जलश्राव में अत्याधिक वृद्धि के कारण गंडक बराज का गेट सं0–33 क्षतिग्रस्त हो गया। पानी तीव्र गति से ओभरटॉप कर त्रिवेणी पावर हाउस के यंत्रों की क्षति एवं कॉलोनी के घंटो में क्षति हुई। अभियंतागण की लापरवाही के कारण विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हो सकती थी।

(2) आरोपी अभियंता पर मुख्य आरोप है कि मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर के द्वारा अनेको बार दूरभाष पर एवं पत्रांक–297, दिनांक 18.07.2016 द्वारा आपात स्थिति से निपटने के लिये पर्याप्त संख्या में मजदूर रखने का निर्देश दिया गया। किन्तु इस निर्देश का पालन नहीं हुआ। गेट समुचित रख–रखाव वे देखभाल नहीं हुआ गेट टूट गया। दिनांक 22.07.16 के सुबह में उन्हें घर जगाने गया तो नहीं उठें। कार्यस्थल का सम्यक निरीक्षण नहीं किये जाने के कारण गेट संचालन में गंभीर चूक हुई। अब क्षतिग्रस्त गेट को बनाने जो बनाने में व्यय होगा, वह Avoidable Expenditure हुआ।

(3) आरोपी अभियंता ने बचाव बयान दिया है, उसमें से उन्होंने गेट संचालन कार्य के लिए मुख्य अभियंता (याँत्रिक), मुजफ्फरपुर को जिम्मेवार माना है। इनके अनुसार इन्होंने मुख्य अभियंता (याँत्रिक), मुजफ्फरपुर एवं वरीय अधिकारी को गेटों के Machanically संचालित करने की विवशता की सूचना दी थी। SCADA System Disfunction था। एजेंसी PI System Pvt. Ltd. पर कार्रवाई करने एवं सभी गेटों का संचालन SCADA System से सुनिश्चित करने हेतु मुख्य अभियंता (याँत्रिक) मुजफ्फरपुर को लिखा गया था।

(4) संक्षेप में गेट टूटने के लिए याँत्रिक प्रमंडल, मुजफ्फरपुर एवं संबंधित एजेंसी को मानते हैं।

(5) जबकि कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, वाल्मीकिनगर श्री सुभाष कुमार वर्मा (जो इस मामले में आरोपी भी हैं) ने अपने बचाव बयान में कहा है कि दिनांक 15.06.2016 तक वाल्मीकिनगर में कैम्प कर 52 गेट को स्काडा से चालू कराया। 52 गेट संचालित था। मात्र 12 एवं 19 का इन्डोर खराब होने के कारण इसे बदलने हेतु पाई सिस्टम को निर्देश दिया।

(6) किन्तु यहाँ प्रश्नगत विभागीय कार्यवाही में आरोपी के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में गठित मुख्य आरोप है कि मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर के निर्देश के बावजूद गेट की सुरक्षा के लिए पर्याप्त मजदूर नहीं रखें गये तथा दिनांक 22.07.2016 को घर में जगाने का प्रयास करने पर भी नहीं जगे।

(7) गेट का रख–रखाव पूर्व से नहीं हो रहा था, इसके लिए संबंधित संवेदक और याँत्रिक प्रमंडल के अभियंता स्थिति स्पष्ट करेंगे कि बाढ़ के समय आरोपी अभियंता की जो जिम्मेवारी थी, उसका उन्होंने निर्वहण नहीं किया।

(8) जिलाधिकारी, बेतिया के रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 21.07.2016 को रात्रिकालीन पाली (10:00 बजे रात्रि से सुबह 06:00 बजे) में गंडक बराज कंट्रोल रूम में रोस्टर के अनुसार (1) सुबोध प्रसाद शर्मा, सहायक अभियंता, सिविल (2) श्री रंजन कुमार, कनीय अभियंता, सिविल (3) श्री अभिमन्यु शर्मा, निम्नवर्गीय लेखा लिपिक (4) श्री ओम प्रकाश महतो, कार्यालय परिचारी (5) श्री शत्रुधन राम, कार्यालय परिचारी तथा पाई सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड एस0के0 नगर, पटना के द्वारा नियुक्त संविदा कर्मी (6) श्री मनीष कुमार एवं (7) श्री मनीष तिवारी की ड्युटी थी। परंतु जाँच के क्रम में पाया गया कि पाई सिस्टम, प्राईवेट लिमिटेड के दोनों कर्मी अपनी ड्युटी के समय सोये हुए थे, सहायक अभियंता उपर वाले कमरे में सोये हुए थे तथा शेष सभी कर्मी एवं पदाधिकारी अपनी ड्युटी से अनुपस्थित थे। ड्युटी से अनुपस्थित इन कर्मियों द्वारा 10:00 बजे रात्रि के बाद Log Book पर पानी का नदी से निस्सरण की मात्रा का पाठ्यांक भी नोट नहीं किया गया था, जिससे यह पता चलता है कि अधिक जलश्राव होने के कारण तिरहुत कैनाल का फाटक बंद कर नदी का बंद फाटक खोला गया। 01:00 बजे रात्रि के बाद पानी का श्राव इतना बढ़ गया कि बराज के गिरे हुए फाटक के उपर से पानी बहने लगा।

(9) बाढ़ के समय इन्हें घर में सोने या आराम करने की जिम्मेवारी नहीं दी गई थी। प्रपत्र–'क' में गठित आरोप, आरोपी के बचाव बयान एवं विभागीय समीक्षा एवं अभिमत से स्पष्ट है कि दिनांक 21.07.16 को ही उक्त बराज गेट पर पानी

का दबाव काफी बढ गया। आरोपी अभियंता को पूरी सजगता बरतनी चाहिए। दिनांक 21.07.2016 को यदि स्थल का निरीक्षण करते तो उसी दिन वहाँ की स्थिति के बारे में जिलाधिकारी सहित सभी वरीय पदाधिकारी को सूचित करते, किन्तु दिनांक 21.07.2016 को उनलोगों के द्वारा स्थल पर उपस्थित रहने एवं उचित कार्रवाई करने का कोई प्रमाण नहीं।

(10) बराज गेट पर पर्याप्त मजदूर रखने का निर्देश था। यहाँ जो स्थिति हो रही है कि जेनरेटर में तेल नहीं था, जिस कारण गेट को मशीन के बदले Manually कुछ मजदूर से उठाने का प्रयास हुआ। इससे विलंब हुआ। गेट पर दबाव बढा और गेट टूट गया। आपात स्थिति में भी बराज गेट पर मजदूर नहीं रखने और जेनरेटर में तेल नहीं रहने से सिविल के अभियंतागण की घोर लापरवाही है।

(11) बाढ के समय इस तरह के कार्य की अपेक्षा वरीय पदाधिकारी से नहीं की जाती है। बाढ़ का समय आपात काल की स्थिति है। थोडी से लापरवाही से जानमाल की बडी क्षति हो सकती है। इस समय 24 घंटे अलर्ट रहने की जरूरत है।

(12) बराज गेट टूट गया यह प्रमाणित है। दिनांक 21.07.2016 को आरोपी अभियंता कार्यस्थल से नदारद थे, यह भी प्रमाणित है। गेट टूटने पर दौड–भाग करते है। आरोपी अभियंता ने कर्त्तव्य निर्वहण में घोर लापरवाही बरती है। बाढ के समय इनके लिए ड्युटी के बजाय सोना ज्यादा महत्वपूर्ण था। अतएव गेट टूटने के लिए ये जिम्मेवार माने जाते हैं।

संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा गठित आरोप से संबंधित साक्ष्य, आरोपी के बचाव बयान तथा विभागीय अभिमत के सम्यक समीक्षोपरान्त श्री शर्मा के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को पूर्णतः प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है चूँकि श्री शर्मा द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में आरोप से संदर्भित न तो कोई नया तथ्य ही दिया गया है न ही कोई नया साक्ष्य ही दिया है। अतएव संचालन पदाधिकारी के मंतव्य एवं विभागीय अभिमत के समय समीक्षित टिप्पणी के आलोक में श्री शर्मा को उच्चाधिकारी के निदेश देने के बावजूद आपात स्थिति से निपटने तथा घटित घटना का ससमय सूचना देने की ठोस व्यवस्था नहीं कर दायित्वों में लापरवाही बरतने के कारण गेट टूटने जैसी घटित घटना के लिये दोषी माना जाता है। अतएव आरोप प्रमाणित होता है।

समीक्षोपरांत वर्णित तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री राम विनय शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को उच्चाधिकारी के आदेश देने के बावजूद आपात स्थिति से निपटने एवं ससमय सूचना देने हेतु ठोस व्यवस्था नहीं कर दायित्व के निर्वहन में लापरवाही बरतने के कारण गेट टूटने जैसी घटना से संबंधित प्रमाणित आरोपों के लिए श्री शर्मा को निलंबन से मुक्त करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्शोपरांत विभागीय अधिसूचना सं0–1346 दिनांक 04.07.2019 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया –

"तीन वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक"

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री राम विनय शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर के पत्रांक–34 दिनांक 09.01.2020 से पुनर्विलोकन अर्जी विभाग में समर्पित किया गया। जिसमें मुख्य रूप से निम्न बातें कही गई है –

आरोप –1 :–अभियंता प्रमुख (उत्तर) के बेतार संवाद संख्या–201 दिनांक–21.07.2016 से स्पष्ट है कि गेट सं०–33 के साथ अन्य गटों की मरम्मति एवं स्काडा सिस्टम से गेटों का संचालन की व्यवस्था को दिनांक–21.07.2016 तक ठीक नही कराया जा सका था। दिनांक–15.07.2016 को प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा बराज के निरीक्षण/ समीक्षा के दौरान सभी गेटों के सम्पोषण एवं स्काडा सिस्टम के तहत संचालन हेतु अविलम्ब ठीक करने का निदेश संवेदक एवं याँत्रिक प्रभाग के अभियंताओं को विभागीय पत्रांक–65 दिनांक–27.07.2016 द्वारा दी गयी थी।

स्थल पंजी एवं उनके द्वारा उच्चाधिकारियों का ध्यान गेटों की खराबी एवं स्काडा सिस्टम के Dysfunctional होने के कारण गेटों को उठाये जाने में कठिनाई की ओर आकृष्ट किया जाता रहा है। जिस क्रम में मुख्य अभियंता एवं प्रधान सचिव के स्तर पर आवश्यक निदेश याँत्रिक प्रभाग को दिया जाता रहा है, जिनके जिम्मे गेटों के संधारण एवं संचालन की मुख्य जिम्मेवारी थी। परन्तु उनके द्वारा उदासीनता बरतने के कारण दिनांक–21.07.2016 तक सभी गेटों की मरम्मति एवं स्काडा सिस्टम में संचालन को ठीक नहीं किया गया।

SCADA System से Automation द्वारा गेटों के संचालन की व्यवस्था के साथ सभी 36 गेटों की मरम्मति नहीं की जाती है। तबतक 36 गेटों को Manually किसी आपात स्थिति में अचानक एकाएक उठाने हेतु कितने भी मजदूर लगाये जाये गटों को उठाना कतई संभव नहीं है।

घटना के लिये इन्हें दोषी ठहराये जाने का क्या आधार हो सकता है, जब गटों के संचालन सम्पोषण का जिम्मा याँत्रिक प्रभाग एवं उनके द्वारा अनुबंधित संवेदक का था, जिन्होने घटना की तिथि से पूर्व तक बार–बार ध्यान आकृष्ट कराये जाने के बाद भी न तो गेटों की मरम्मति की और न ही SCADA System के Automation को ही क्रियाशील बनाया गया। वैसी स्थिति में आपातकाल में बराज के 36 गटों को (HR के 16 गेटों को छोड़कर) तत्काल एक साथ Manually उठाना मुश्किल ही नहीं असभव है, चाहे जितने भी मजदूर रखे जाये तब भी, तब जब कई गेट खराब थे एवं क्रियाशील नहीं थे।

आरोप –2 :–सूचना प्राप्त होने पर 5:00 बजे सुबह बराज गेट सं०–33 पर था को इस आधार पर संदिग्ध बताया गया कि मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर द्वारा काफी प्रयास के पश्चात 7.45 बजे सुबह रंजन कुमार कनीय अभियंता से 33 Nos गेट क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई वैसी स्थिति में मुझे 5:00 बजे कैसे सूचना प्राप्त हुई होगी। ज्ञात हो की मेरा निवास शीर्ष कार्य से मात्र 1/2 km की दूरी पर ही था, जहाँ सहायक अभियंता ने स्वयं आकर सूचना दिया। बराज नेपाल भाग में

अवस्थित होने की वजह से भारतीय सिम द्वारा दूरभाष पर कही भी मुस्किल से सम्पर्क स्थापति होता पाता था। इसी वजह से नेपाली सिम लेन का आदेश हुआ था। इसी कारण मुख्य अभियंता को देरी से सूचना मिली एवं इन्हें पहले।

आरोप –3 :–यॉंत्रिक प्रभाग के गेट पर अवस्थित स्थल पंजी में दिनांक–15.06.2016 से ही निरीक्षण, गेटों की मरम्मति एवं संचालन व्यवस्था को ठीक कराने के लिए लगातार टिप्पणी दर्ज करते हुए यॉंत्रिक प्रभाग एवं उस प्रभाग द्वारा निर्धारित संवेदक का ध्यान आकृष्ट कराया जाता रहा है। बेतार संवाद सं०–65 दिनांक–13.07.2016 एवं 134 दिनांक–19.07.2016 द्वारा गटों की खामिया एवं गेट संचालन की व्यवस्था संबंधी कमियों को उजागर करते हुए ठीक कराने निमित उच्चाधिकारियों को लिखा गया है, जिसका संज्ञान लेते हुए अभियंता प्रमुख (उत्तर) ने अपने संवाद 154 दिनांक–13.07.02016 एवं 201 दिनांक–21.07.2016 से यॉंत्रिक प्रभाग को दिशा निदेश दिया है।

प्रमंडलान्तर्गत 13 कनीय अभियंता के स्वीकृत बल के विरूद्ध मात्र 3 कनीय अभियंता थे, उसमें से भी 2 कनीय अभियंता को मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–01 दिनांक–18.06.2016 द्वारा नवसृजित बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बगहा में प्रतिनियुक्त कर दिया गया। जिस कारण मात्र 1 कनीय अभियंता से बराज पर तीनों पालियों में ड्यूटि कराये जाने की विवशता थी। फलतः अभियंता की कमी के कारण पाली ड्युटि प्रभावित होना स्वाभाविक है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि निरीक्षण के क्रम में स्थल पंजी में दर्ज खामियॉं एवं अन्य पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराने के फलस्वरूप ही अभियंता प्रमुख एवं प्रधान सचिव महोदय द्वारा संज्ञान लेते हुए यॉंत्रिक प्रभाग को ससमय यथोचित दिशा निदेश दिया गया। परन्तु मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर ने यॉंत्रिक खामियों को दूर करने का कोई पहल नहीं किया और अधीनस्थ पर दोषारोपन कर स्वयं को पाक साफ करने का प्रयास किया गया।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि आवश्यक निरीक्षण करते हुए गेटों के संचालन की खामियों को स्थल पंजी में अंकित किया है एवं अधीनस्थों पर नियंत्रण रखते हुए उच्चाधिकारियों को सतत स्थिति से अवगत कराया है, जिसके कर्त्तव्य पालन का सम्यक बोध होता है, जिसे विभाग ने भी माना है साथ ही कनीय अभियंता की कमी के कारण पाली ड्यूटी में हुई कठिनाई में भी माना गया है।

आरोप –4 :– गेटों का रख–रखाव एवं संचालन का दायित्व यॉंत्रिक प्रभाग एवं उनके द्वारा अनुबंधित संवेदक PI System Pvt. ltd. था एवं घटना की तिथि दिनांक–21.07.2016 तक गटों में पाई गई कमियों को ठीक करना एवं स्काडा System से गटों के संचालन हेतु उच्चाधिकारियों एवं इनके स्तर से निदेश दिये जाने के बावजूद यॉंत्रिक प्रभाग एवं संवेदक द्वारा ठीक नहीं कराया जा सका तथा साथ ही जेनरेटर के संचालन हेतु Automatic Voltage Stabilizer की व्यवस्था भी यॉंत्रिक प्रभाग द्वारा नहीं कराये जाने के कारण गेटों में उठाव शीघ्र नहीं हो सका एवं गेट सं०–33 पेड़ फस जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया।

श्री डी० के० श्रीवास्तव की अध्यक्षता में Safety Review of large dams and barrage के लिये एक विशेषज्ञ समिति का गठन विभाग द्वारा किया गया था, जिसका प्रतिवेदन दिनांक–28.12.2014 को विभाग को प्रेषित किया गया था, जिसमें 18 गेटों में यॉंत्रिक खराबी पायी गयी थी। उसमें से 5 गेट ठनवासक पाये गये थे। इस हेतु यॉंत्रिक प्रभाग के मुख्य अभियंता ने दिनांक–11.01.2016 के पत्र द्वारा प्राक्कलन विभाग को समर्पित किया गया था, जिसे अभियंता प्रमुख ने दिनांक–03.07.2016 के पत्र द्वारा कतिपय टिप्पणी के साथ सुधार कर भेजने का निदेश दिया था। इस तरह Expert Review Committee ने प्रतिवेदन पर अनुशंसित कार्रवाई घटना की तिथि तक नहीं हो सकी थी। इसके लिए वे दोषी नहीं है। विभाग स्तर पर भलीभॉंति बराज के गेटों की स्थिति विदित थी और इस परिस्थिति में अचानक बाढ़ आने की स्थिति मे ं36 गेटों में से आधे क्षतिग्रस्त गटों का उत्तोलन प्रणाली के Dysfunction होने की स्थिति में शीघ्रतापूर्ण Manually उठाना कठीन ही नहीं असंभव Task है, जिसके लिये सिविल पदाधिकारी को कदापी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, विशेषकर जबकि गेटों के संधारण एवं Weighting Arrangement में SCADA System के Automation को Functional रखते हुए गेटों के उठाव की जिम्मेवारी यॉंत्रिक प्रभाग एवं उनके द्वारा अनुबंधित संवेदक की थी।

इनके द्वारा कंडिका–6.0.0, 6.0.1, 6.0.2 में State of U.P. vs Saroj Kumar Sinha जो (2010) 25cc, 777 की कंडिका–22, Sri Brij Bihari Singh v/s Bihar State Financial Corporation जो (2015) 175cc 541 की कंडिका–9 तथा CWJC no 16258/2017 में दिनांक–04.12.2018 को पारित न्यायादेश का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आरोपों को प्रमाणित करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्यों के उनके Authors के प्रतिपरिक्षण एवं परिक्षण कराकर सम्पूष्ट कराये बिना मात्र उन दस्तावेजों के आधार पर दोषी मानकर दंडित कर दिया गया था। इसी तरह दस्तावेजी साक्ष्यों को उनके Author द्वारा उनके मामले में भी गवाही लेकर प्रमाणित कराये बिना दोषी ठहराने का जो मंतव्य संचालन पदाधिकारी ने दिया है वह विधि सम्मत नहीं होने के कारण अवैध एवं अमान्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं न्याय निर्णय के आलोक में दोषमुक्त कर मेरे विरूद्ध पारित कठोर दण्डादेश को निरस्त करने पर पुनर्विचार किया जाय।

श्री शर्मा, कार्यपालक अभियंता से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई समीक्षा में निम्न तथ्य पाये गये –

आरोप :–(1) जो मुख्य अभियंता के पत्रांक–297 दिनांक–18.07.2016 में निहित निदेश के आलोक में आपात स्थिति से निपटने हेतु पर्याप्त सं० में मजदूरों को नहीं रखना तथा गंडक बराज के गेटों एवं बॉंधों की विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था नहीं करना फलतः गेट नं०–33 का क्षतिग्रस्त होना।

मुख्य अभियंता (याँ०) के पत्रांक–1508 दिनांक–11.07.2016, Expert Review Committee का परामर्श एवं मुख्य अभयंता (याँ०) के पत्रांक–74 दिनांक–11.01.2016 एवं 362 दिनांक–03.07.2016, 1575 दिनांक–20.07.2016 तथा अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि गंडक बराज के गेट सं०–33 के साथ गटों के संचालन में खराबी थी। दिनांक–20.07.2016 तक सभी गेटो की मरम्मति एवं सुगमता से संचालन हेतु ठीक नहीं किया जा सका था। संचिका में रक्षित विभागीय पत्रांक–65 दिनांक–27.07.2016 से स्पष्ट होता है कि दिनांक–15.07.2016 को प्रधान सचिव द्वारा head regulator एवं 52 गेटों के संचालन स्काडा सिस्टम के तहत कार्य करने के स्थिति की समीक्षा की गयी है, जिसमें संवेदक को अविलम्ब गेटों को ठीक करने तथा स्काडा सिस्टम के संचालन के तहत संचालित करने का निदेश दिया गया है।

आरोपी दोनों पदाधिकारी द्वारा कहा गया है कि इनके बेतार संवाद संख्या–65 दिनांक–13.07.2016 एवं 134 दिनांक–19.07.2016 से गेटों को मैकनिकली संचालित नहीं होने की विवसता की सूचना देने के क्रम में अभियंता प्रमुख (उत्तर) के बेतार संवाद 154 दिनांक–13.07.2016 एवं 201 दिनांक–21.07.2016 से सभी अक्रियाशील गेट की मरम्मति तथा स्काडा से सभी गेटों का संचालन सुनिश्चित करने का निदेश याँत्रिक प्रभाग को दिया गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि दोनों आरोपी पदाधिकारी द्वारा गटों के संचालन में हो रही कठीनाई को उजागर करते हुए उच्च पदाधिकारी एवं विभाग को सूचित किया गया है। परन्तु याँत्रिक प्रभाग एवं संवेदक द्वारा कार्य में उदासीनता बरतने के कारण दिनांक–21.07.2016 तक बराज के सभी गेटों की मरम्मति एंव संचालन स्काडा सिस्टम से नहीं हो सका। फलतः गेट No 33 क्षतिग्रस्त होगा। मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–297 दिनांक–18.07.2016 से आपात स्थिति से निपटने हेतु आवश्यक संख्या में श्रम बल रखने हेतु दिये गये निदेश के आलोक में आरोपी द्वारा कहा गया है कि गेटो का संचालन याँत्रिक प्रभाग एवं संवेदक को करना था। इसके बावजूद भी 4 अदद अकुराल मजदूर दिनांक–11.07.2016 से नियोजित किया गया था एवं गेटों के खराबी के कारण घटना के दिन तक ठीक नहीं होने के बावजूद घटना के समय याँत्रिक प्रभाग के 9 अदद मजदुर की सहायता से गटों को उठाने का प्रयास किया गया परन्तु संभव नहीं हो सका। गेट सं०–33 में पेड़ फस जाने के कारण तत्काल उक्त गेटों को नहीं उठाया जा सका।

मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–297 दिनांक–18.07.2016 (NR 106 दिनांक–18.07.2016) के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह पत्र को अधीक्षण अभियंता द्वारा दिनांक–18.07.2016 को कार्यपालक अभियंता को पृष्ठांकित किया गया है एवं पत्र में अंकित है कि आपात स्थिति में गेटों को उठाने एवं गिराने हेतु समुचित सं० में मजदूरों को रखना सुनिश्चित करेगें, जिसका अनुपालन इन दोनों पदाधिकरियों द्वारा नहीं कर मात्र दिखाने के लिये मात्र 3 अदद मजदूर रखना एवं यह कहना की गेट मैनुअली उठाना संभव नहीं था स्वीकार योग्य नहीं है।

आरोप :–(2) जो श्री संजय तिवारी, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनेटरिंग अंचल, पटना (प्रवास बगहा) के द्वारा दिनांक–22.07.2016 को सुबह जगाने का प्रयास करने पर कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया।

इनके द्वारा कहा गया है कि दिनांक–22.07.2016 को सहायक अभियंता से सुबह 5:09 में सूचना प्राप्त होने पर अधीक्षण अभियंता के साथ बराज के गेट सं०–33 के पास पहुँचा एवं उक्त गेट को खुलवाने का प्रयास किया जा रहा था एवं बाद में श्री तिवारी से बराज पर वाल्मीकिनगर से बगहा जाने के क्रम में मुलाकात हुई मेरे आवास पर 80 वर्षिय माँ एवं 54 वर्षिय पत्नी रहती थी। यदि श्री तिवारी द्वारा दरवाजा खटखटाया भी गया होगा तो इनकी अनुपस्थिति में माँ एवं पत्नी द्वारा आवाज नहीं सुनी गयी होगी।

यह आरोप पूर्णतः श्री संजय तिवारी के द्वारा मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर को दी गयी सूचना पर आधारित है। उसी स्थिति में आरोपी के कथन को स्वीकार योग्य मानने अथवा नहीं मानने से पूर्व श्री तिवारी से मंतव्य प्राप्त किया जाना उचित था परन्तु आरोपी द्वारा कहा गया है कि श्री तिवारी से प्रतिपरीक्षण नहीं कराया गया अथवा नहीं से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है परन्तु मुख्य अभियंता का कथन कि दिनांक–22.07.2016 के 6:00 बजे सुबह तक कार्यपालक अभियंता स्थल पर नहीं पहुँचे थे जबकि आरोपी का कथन कि वे 5.09 बजे सुबह बराज पर उपस्थिति थे/स्वीकार योग्य नहीं है।

आरोप (3) :– दिनांक–22.07.2016 को गेट संचालन में हुई गंभीर चूक से यह स्थापित होता है कि आपके द्वारा समय–समय पर निरीक्षण पदाधिकारी के रूप में कार्य स्थल का निरीक्षण नहीं किया गया है और न ही अधीनस्थ के कार्यकलाप पर नियंत्रण रखा गया। जो इनकी कर्त्तव्य उपेक्षा के कारण एक विनाशकारी दुर्घटना की परिस्थिति उत्पन्न हुई एवं इनकी पूर्ण अक्षमता को प्रमाणित करता है से संबंधित है।

इन दोनों पदाधिकारी द्वारा कहा गया है कि गेटों के संचालन से संबंधित याँत्रिक प्रभाग के स्थल आदेश पंजी में निरंतर गेटों के संचालन व्यवस्था एवं गेटों की खराबी संबंधी टिप्पणी दिनांक–15.05.2016 से लगातार दर्ज करते हुए मामले को प्रकाश में लाया गया। इसके अतिरिक्त बेतार संवाद संख्या–65 दनांक–13.07.2016 एवं 134 दिनांक–19.07.2016 से गेटों की खामियाँ एवं संचालन संबंधित कर्मियों को ठीक करने हेतु लिखा गया है, जिसके क्रम में अभियंता प्रमुख अपने बेतार संवाद 154 दिनांक–13.07.2016 एवं 201 दिनांक–27.07.2016 से याँत्रिक प्रभाग को आवश्यक दिशा–निदेश देते हुए स्काडा सिस्टम ठीक करने का निदेश दिया गया। उक्त कथन की पुष्टि संचिका में रक्षित अभिलेख से होती है। आरोपी द्वारा यह भी कहा गया है कि प्रमंडल में स्वीकृत बल 13 अदद कनीय अभियंता के पद में से तीन कनीय अभियंता के पदस्थापित रहते हुए भी मुख्य अभियंता द्वारा उसमें से दो कनीय अभियंता को बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बगहा में प्रतिनियुक्त कर दिया गया। संचिका में रक्षित मुख्य अभियंता के पत्रांक–1 दिनांक–18.06.2016 से स्पष्ट है कि शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर के सहायक अभियंता, श्री विरेन्द्र कुमार एवं कनीय अभियंता श्री हरेराम ठाकुर एवं मो० इरशाद अहमद की प्रतिनियुक्ति बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बगहा के अधीन अपने कार्यों के अतिरिक्त किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा बराज का निरीक्षण पूर्व के दिनों में की गयी है परन्तु आरोपी पदाधिकारी द्वारा कनीय अभियंता की कमी की स्थिति में गठित पाली ड्यूटी का सुचारू रूप से संचालित एवं आपात स्थिति से निपटने के लिये कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गयी है। ताकि आपात स्थिति में ससमय वस्तुस्थिति की जानकारी उच्च पदाधिकारी को दिया जा सके। जबकि मुख्य अभियंता द्वारा अपने पत्रांक–297 दिनांक–18.0.2016 से बराज के गेटों एवं बाँधों की सुरक्षा विशेष रूप से सुनिश्चित करने का हिदायत दिया गया था। अतएव बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है।

आरोप (4) :– कार्य के पर्यवेक्षण को नजर अंदाज किये जाने के कारण गंडक बराज का एक गेट पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया एवं व्यवस्था की अन्य अव्यव भी काफी क्षतिग्रस्त हुए, जिसका क्षतिपूर्ति में एक बहुत बड़ी राशि का व्यय होना परिलक्षित है। यह व्यय एक Avoidable Expenditure होने से संबंधित है।

इनके द्वारा कहा गया है कि गेटों का रख–रखाव एवं संचालन का दायित्व यॉंत्रिक प्रभाग एवं उनके द्वारा अनुबंधित संवेदक की थी। चुकि उक्त तिथि दिनांक–21.07.2016 के पूर्व गेटों में पायी गयी कमियों को ठीक कराने हेतु आरोपी द्वारा लगातार यॉंत्रिक प्रभाग एवं उच्चाधिकारियों एवं विभाग से अनुरोध करने के बावजूद गेटों के संचालन हेतु स्काडा सिस्टम को यॉंत्रिक प्रभाग द्वारा ठीक नहीं कराया गया तथा जेनरेटर के संचालन हेतु ऑटोमेटिक भोलटेज रेगुलेटर नहीं लगाने के कारण गेट का उठाव शीघ्र नहीं हो सका एवं गेट संख्या–33 में पेड़ फस जाने के कारण उक्त गेट क्षतिग्रस्त हुआ है। ऐसी स्थिति में क्षतिग्रस्त गेट की मरम्मति पर होने वाले व्यय के लिये यॉंत्रिक प्रभाग को जिम्मेवार माना जा सकता है। परन्तु मुख्य अभियंता के पत्रांक–297 दिनांक–18.07.2016 के अनुपालन में पर्याप्त संख्या में श्रमबल का नियोजन किया जाता तो संभव था कि आपात स्थिति में गेटों का उठाव हो जाता एवं गेट सं०–33 क्षतिग्रस्त नहीं होता, जो इनके विफलता को दर्शाता है। अतएव बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है।

समीक्षोपरांत श्री राम विनय शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, चन्द्रायन, सहरसा के पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकार करते हुए पूर्व में विभागीय अधिसूचना संख्या–1346 दिनांक 04.07.19 द्वारा संसूचित दण्डादेश को विभागीय अधिसूचना सं0–1144 दिनांक 16.09.2020 द्वारा यथावत रखा गया।

दण्डादेश के क्रियान्वयन के संबंध में प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0) का कार्यालय बिहार, पटना से प्राप्त पत्र में कहा गया है कि श्री राम विनय शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध अधिरोपित दण्ड **"तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक"** का दण्ड दिनांक 04.07.2019 को निर्गत किया गया। जिस कारण उनकी अगली वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2020, 01.07.2021 एवं 01.07.2022 को स्थायी रूप से रोकना है। जबकि श्री शर्मा दिनांक 30.11.2021 को सेवानिवृत हो रहे हैं। अतः दण्डादेश के निर्गत से सेवानिवृति तक मात्र दो ही वेतन वृद्धि आदेय है। जिसे रोक दिया गया है, इस प्रकार उक्त दण्ड के क्रियान्वयन के संबंध में विभागीय निर्णय/प्रतिस्थानी दण्डादेश से अवगत कराने का अनुरोध विभाग से किया गया।

महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राप्त पत्र के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–28 में निहित प्रावधान के आलोक में मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई समीक्षोपरांत श्री राम विनय शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, चन्द्रायण के विरूद्ध पूर्व में विभागीय अधिसूचना सं0–1346 दिनांक 04.07.2019 द्वारा अधिरोपित दण्ड यथा **"तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक"** का पूर्णरूपेण क्रियान्वयन संभव नहीं होने के कारण उक्त दण्डादेश को निरस्त करते हुए प्रतिस्थानी शास्ति के रूप में निम्न दण्ड दिये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है :–

"कालमान वेतनमान में दो वेतन प्रक्रम पर स्थायी रूप से अवनति। भावी वेतनवृद्धि देय नहीं होगी"।

अतएव सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में श्री राम विनय शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, चन्द्रायण के विरूद्ध पूर्व में विभागीय अधिसूचना सं0–1346 दिनांक 04.07.2019 द्वारा अधिरोपित दण्ड यथा **"तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक"** का पूर्णरूपेण क्रियान्वयन संभव नहीं होने के कारण उक्त दण्डादेश को निरस्त करते हुए प्रतिस्थानी शास्ति के रूप में निम्न दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :–

"कालमान वेतनमान में दो वेतन प्रक्रम पर स्थायी रूप से अवनति। भावी वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

29 जून 2021

सं0 22/नि०सि०(ल०सिं0)–05–05/2018/539—श्री बालकृष्ण गुप्ता, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिना विभागीय स्वीकृति के एक करोड़ रुपये से अधिक राशि जिला परिषद औरंगाबाद से नियम के विपरीत प्राप्त करने, वित्तीय नियमों का उल्लंघन कर, एक अग्रिम का समायोजन कराए बिना लगातार अग्रीम स्वीकृत करने एवं कर्त्तव्य में घोर लापरवाही बरतने आदि विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए लघु जल संसाधन विभाग के आदेश सं०–252–सह– ज्ञापांक–5162 दिनांक–18.10.2003 द्वारा निलंबित करते हुए संकल्प ज्ञापांक–5998 दिनांक–15.12.2003 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

लघु जल संसाधन विभाग द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत आदेश सं०–132–सह– ज्ञापांक–2491 दिनांक–27.06.2005 द्वारा श्री बालकृष्ण गुप्ता, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, औरंगाबाद (सेवानिवृत्ति की तिथि–31.05.2004) को बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–43(बी) के तहत निम्न दंड संसूचित किया गया :–

1. पेंशन एवं उपादान पर सदा के लिए शत प्रतिशत रोक।

2. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त शेष राशि देय नहीं होगी।

3. रुपये 80,300/– मात्र की वसूली।

उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री गुप्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक रिट याचिका CWJC No. 10040/2007 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–25.04.2012 को याचिका निरस्त कर दिया गया। पुनः श्री गुप्ता द्वारा अपील वाद LPA No.1596/2012 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–29.01.2016 को न्याय–निर्णय पारित किया गया। **पारित न्याय निर्णय में पुनः नये संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति कर विभागीय कार्यवाही को निष्पादित करने का आदेश दिया गया, साथ ही अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निर्गत दंड अधिरोपण संबंधी आदेश तथा अपीलीय प्राधिकार द्वारा निर्गत अपील आवेदन अस्वीकृत किये जाने से संबंधित आदेश को निरस्त (Set-Aside) कर दिया गया।**

उक्त न्याय–निर्णय के आलोक में लघु जल संसाधन विभाग द्वारा श्री बाल कृष्ण गुप्ता के विरूद्ध लघु जल संसाधन विभागीय संकल्प सं०–1889 दिनांक–29.04.2016 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन (जिसमें आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित एवं प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया) की प्रति श्री गुप्ता को उपलब्ध कराते हुए लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा अपने पत्रांक–4978 दिनांक–28.11.2017 से श्री गुप्ता को लिखित अभ्यावेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

चूँकि श्री गुप्ता तत्कालीन कार्यपालक अभियंता की सेवानिवृत्ति की तिथि 31.05.2004 संवर्ग विभाजन के पूर्व का है। अतएव श्री गुप्ता के सेवांत लाभ सहित स्थापना विषयक अन्य मामलों का निष्पादन उनके पैतृक विभाग, जल संसाधन विभाग से किए जाने एवं एल०पी०ए० सं०–1596/2012 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–29.01.2016 को पारित न्याय–निर्णय के आलोक में लघु जल संसाधन विभाग के आदेश सं०–197–सह– पठित ज्ञापांक–3894 दिनांक–14.09.2018 द्वारा आदेश सं०– 132–सह– पठित ज्ञापांक–2491 दिनांक–27.06.2015 को निरस्त करते हुए लघु जल संसाधन विभाग के पत्रांक–1962 दिनांक–23.05.2018 द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु मामले को जल संसाधन विभाग को प्रेषित किया गया। जिसके आलोक में मामले की सम्यक समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना सं०–1411 दिनांक–08.07.2019 द्वारा **''पेशन से 15 (पन्द्रह) प्रतिशत की स्थायी रूप से कटौती''** का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

श्री बाल कृष्ण गुप्ता के द्वारा उक्त दंण्डादेश के विरूद्ध पुर्नविलोकन अर्जी दिया गया है, जिसमें उल्लिखित तथ्य निम्नवत् है :–

(i) जाँच पदाधिकारी/संचालन पदाधिकारी ने कोई वित्तीय गबन का आरोप प्रमाणित नहीं किया है। केवल चावल की प्राप्ति और निर्गत से संबंधित अभिलेख को अद्यतन नहीं करना, समय पर लेखाकार को नहीं भेजना, बीस सूत्री कार्यक्रम में भाग नहीं लेना, उच्च पदाधिकारियों के आदेश का अवहेलना करना एवं मनमाने ढ़ंग से राशि का अग्रिम देकर अकर्मव्यता एवं कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने का दोषी पाया गया है। इसके लिए ''पेशन से 15 (पन्द्रह) प्रतिशत की स्थायी रूप से कटौती'' न्यायोचित नहीं है।

(ii) जहाँ तक चावल की प्राप्ति एवं निर्गत से संबंधित अभिलेख का संबंध है, उनके यहाँ चावल की प्राप्ति ही नहीं हुई तो अभिलेख कैसे रखा जा सकता है। बीस सूत्री कार्यक्रम में भाग लेन का आदेश उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था।

(iii) उनके द्वारा एफ०आई०आर० विवेक से एवं तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। इसमें उनका कोई दोष नहीं था। बल्कि उनके द्वारा केवल यही लिखा गया है कि कैशियर के पास दो लाख रुपये कम हो रहा है, जिसकी जाँच पड़ताल की जाय।

समीक्षा :– श्री बाल कृष्ण गुप्ता, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध नये सिरे से संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा कतिपय आरोपों को प्रमाणित माना गया है। श्री गुप्ता द्वारा वित्त विभाग के नियम के विरूद्ध बैंक में खाता रखा गया, मुआवजा के राशि को 3 माह तक डिपोजिट शीर्ष से बाहर रखना, अपनी गलती को छिपाने एवं दुराग्रह से प्रेरित होकर गलत ढ़ंग से प्राथमिकी दर्ज करना, मनमाने ढ़ंग से राशि का अग्रिम देकर गबन करने की मंशा रखना इत्यादि प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय समीक्षोपरांत ''पेशन से 15 (पन्द्रह) प्रतिशत की स्थायी रूप से कटौती'' का दंड संसूचित किया गया है।

श्री गुप्ता द्वारा अपने पुनर्विलोकन अर्जी में कोई नया तथ्य नहीं दिया गया है। बल्कि उन्हीं तथ्यों को दुहराया गया है, जिसका उल्लेख इनके द्वारा लिखित अभ्यावेदन/इसी कारण पृच्छा में किया गया था और जिसके समीक्षोंपरांत इन्हें ''पेशन से 15 (पन्द्रह) प्रतिशत की स्थायी रूप से कटौती'' का दंड संसूचित किया गया था। इनके द्वारा दी गई अर्जी में कोई नये तथ्य का समावेशन नहीं है, जिसपर पुनर्विचार किया जा सके।

अतएव उपर्युक्त वर्णित स्थिति में सरकार के स्तर पर सम्यक समीक्षोपरांत, श्री बाल कृष्ण गुप्ता, तत0 कार्यपालक अभियंता का पुनर्विलोकन अर्जी में कोई नया तथ्य अथवा साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त निर्णय के आलोक में श्री बाल कृष्ण गुप्ता, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृत से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए अधिसूचना सं0–1411 दिनांक 08.07.2019 द्वारा संसूचित दण्ड **"पेशन से 15 (पन्द्रह) प्रतिशत की स्थायी रूप से कटौती"** को यथावत रखा जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

29 जून 2021

सं0 22 / नि०सि०(ल०सिं0)–05–02 / 2018 / 540––श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध मधुबनी जिला अन्तर्गत 50 अद्द उद्वह सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार एवं पुनर्स्थापन कार्य में पूर्व के अधिकाई भुगतान का विपत्र से कटौती नहीं करने, मापी की जाँच नहीं करने तथा एकरारित कार्य मद के दर को बढ़ाकर पुनरिक्षित प्राक्कलन तैयार करने एवं गलत ढंग से प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी के द्वारा अंकित टिप्पणी के बावजूद पूरक एकरारनामा कर संवेदक को लाभ पहुँचाने के आरोप के लिये लघु जल संसाधन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–2582 दिनांक–28.06.2017 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–43(बी) के तहत विधिवत विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं०–1345 दिनांक–04.07.2019 द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया :–

"शत प्रतिशत पेंशन की स्थायी कटौती"।

उक्त अधिरोपित दण्ड के आलोक में श्री श्रीवास्तव तत्कालीन कार्यपालक अभियंता संप्रति सेवानिवृत द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन दिया गया है, जिसमें निम्नांकित तथ्य वर्णित है :–

आरोप :–

(i) मधुबनी जिलान्तर्गत 50 अदद् उद्वह सिंचाई योजनाओं के जिर्णोद्धार एवं पुनर्स्थापन के तहत पंचम चालू विपत्र से 8वें चालू विपत्र तक कुल 9,78,56,256 / – रुपये का भुगतान दि० 28.12.13 तक किया गया। जिसमें सर्ज टैंक में पूर्व से किये गये अधिकाई भुगतान की कटौती नहीं की गयी एवं आपके द्वारा मापी की जाँच नहीं की गयी। जिससे विभाग को कुल 3,53,751 / – रूपये की क्षति हुई।

(ii) आपके द्वारा दि० 03.10.13 को कुल 1135.55 लाख का पुनरीक्षित प्राक्कलन बनाया गया, जबकि निर्धारित समय 31.03.13 तक कार्य पूर्ण नहीं होने पर कार्य Resign की कारवाई करनी चाहिए थी, जो नहीं किया गया। उल्टे पुनरीक्षित प्राक्कलन बनाकर गलत ढंग से पूरक एकरारनामा कर तथा दर में बढ़ोत्तरी कर संवेदक को कुल 1,66,90,979 / – रूपये का भुगतान किया गया। जिससे सरकारी राजस्व की क्षति हुई। जबकि दि० 18.10.13 को पूरक एकरारनामा करने के पूर्व महालेखाकार के लेखा पदाधिकारी ने संचिका में टिप्पणी अंकित किया है कि मुख्य अभियंता द्वारा विभिन्न दरों में संशोधन करते हुए पूरक एकरारनामा करने का निदेश दिया गया है जो SBD के कंडिका का विरोधाभाषी है। उक्त सुझाव का पालन नहीं करने के कारण सरकार को भारी आर्थिक क्षति हुई। जिसके लिये आप दोषी है।

बचाव बयान :–

आरोप–1 :– सर्जटैंक का प्राक्कलन जो न तो उड़नदस्ता के जाँच प्रतिवेदन में संलग्न है एवं न ही संचालन पदाधिकारी के समक्ष लघु सिंचाई विभाग द्वारा कभी प्रस्तुत किया गया, को तोड़–मरोड़कर प्रस्तुत किया गया है। जब 3mm मुटाई के सर्जटैंक के निर्माण की प्राक्कलित राशि 64832.00 रूपये है तो फिर 8mm मोटाई के प्लेट वाले सर्जटैंक की प्राक्कलित राशि 62500.00 कैसे हो सकता है और यदि है तो प्राक्क्लन विभाग द्वारा क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया। 8mm मुटाई वाले लोहे के प्लेट से बने सर्जटैंक की राशि 3mm मोटाई के लोहे के प्लेट से बने सर्जटैंक से सस्ती कैसे हो सकती है। वस्तुतः 3mm के जिस प्राक्कलन को आधार मानकर 53975.00 रूपये की प्राक्कलित राशि की गणना की गयी है ऐसा कोई राशि का प्राक्कलन कभी अस्तित्व में ही नहीं था। वास्तव में BOQ के मद के टंकण भूल से यह परिस्थिति उत्पन्न हुई है। जिसका सम्यक समीक्षा नहीं हुई है। बिना साक्ष्य के संदेह के आधार पर आरोप प्रमाणित माना जा सकता है, कहकर सबसे बड़ा दण्ड दिया गया है।

इस मामले में संबंधित अन्य अभियंताओं के विरूद्ध लघु जल संसाधन विभाग में भी विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी तथा दण्डादेश निर्गत किया गया, अथवा आरोप मुक्त किया गया है। प्रहलाद सिंह सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता को पेंशन से 10 प्रतिशत 5 वर्षो के लिये कटौती, श्री संजीव कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता को आरोप मुक्त किया गया है।

यहाँ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा श्री विरेन्द्र प्रसाद सिंह बनाम बिहार सरकार 1992 (l) PLJ-104 में यह व्यवस्था दी गयी है कि A finding can be arrived at only on the basis of evidence Produced before the enquiry officer. The Charge sheet and show cause notice cannot be said to be evidence for the purpose of arriving at a finding in a departmental enquiry.

यहाँ नन्द किशोर प्रसाद बनाम बिहार सरकार (AIR 1976 SC-1277(1978)-3 SCC 366(1978)2 PLJR-84) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निदेश सर्वथा प्रासंगिक है। जिसमें कहा गया है कि the disciplinary Authority must act without bias and predilection and must pass speaking order discussing evidance or report compliance with rule of natural justice is necessary

आरोप–2 :– इस मामले में अपनी वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के पूर्व यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह आरोप दो अन्य कार्यपालक अभियंता पर भी लगाये गये थे, जिसमें एक को आरोप मुक्त किया गया है, दूसरे कार्यपालक अभियंता श्री प्रहलाद सिंह को पेंशन पर 5 वर्षो के लिये 10 प्रतिशत पेंशन के रोक का दण्ड लगाया गया है।

संवेदक को जिस अनुचित लाभ को पहुँचाने का आरोप लगाया गया है। वह प्राक्कलन प्रमंडल द्वारा अधीक्षण अभियंता को जाँच एवं आवश्यक निदेश हेतु भेजा गया था। उस समय अधीक्षण अभियंता, दरभंगा के पद पर श्री नंदन राम पदस्थापित थे। श्री राम को लघु सिंचाई विभागीय, कार्यवाही संस्थित करते हुए 5 वर्षों तक पेंशन से 10 प्रतिशत के रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया है एवं श्री रामआश पाण्डेय सेवानिवृत सहायक अभियंता तत्कालीन कनीय अभियंता को आरोप मुक्त किया गया है तथा इन्हीं आरोपों के लिये श्री भोलानाथ चौधरी तत्कालीन सहायक अभियंता को भी आरोप मुक्त कर दिया गया है।

अधीक्षण अभियंता, दरभंगा द्वारा अनुशंसित प्राक्कलन मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर द्वारा जाँचा गया। उस समय श्री विन्देश्वरी राम, तकनीकी सचिव, मुख्य अभियंता (उत्तर) लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित थे। यही आरोप उन पर लगाया गया तथा लघु जल संसाधन विभाग द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित करने के उपरान्त एक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक तथा दि० 20.12.13 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया।

जिसने प्राक्कलन तैयार किया उसे कोई दण्ड नहीं, जिसने प्राक्कलन समर्पित किया उसे शत प्रतिशत पेंशन पर सदा के लिये रोक, जिसने प्राक्कलन के औचित्य की जाँच की उन्हें 10 प्रतिशत पेंशन पर 5 वर्षो के लिये रोक, जिन्होंने इस प्राक्कलन को अनुमोदित करने का प्रस्ताव दिया उनको एक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक। इनके बाद पदस्थापित कार्यपालक अभियंता श्री प्रहलाद सिंह को 10 प्रतिशत पेंशन पर 5 वर्षो के लिये रोक तथा अन्य कार्यपालक अभियंता तथा दो सहायक अभियंता आरोप मुक्त। यह दण्डादेश ही बताता है कि इन्हें जो दण्ड दिया गया है वह समानुपातिक नहीं है।

कंडिका 3 (vii) से (ix) तक में माननीय न्यायलयों द्वारा पारित न्याय निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि अधिरोपित दण्ड किसी भी दृष्टिकोण से यथोचित नहीं है।

जहाँ तक आरोप सं० 2 का प्रश्न है प्रथमतः कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा स्थल की आवश्यकता के आलोक में प्राक्कलन तैयार किया गया। इनके द्वारा उसे अधीक्षण अभियंता, दरभंगा को प्रस्तुत किया गया। अधीक्षण अभियंता द्वारा जाँचोपरान्त प्राक्कलन मुख्य अभियंता को भेजा गया। मुख्य अभियंता कार्यालय में पदस्थापित सहायक अभियंता ने उसकी समीक्षा एवं जाँच की तथा तकनीकी सचिव को समीक्षा एवं जाँच हेतु उपस्थापित किया गया। जब प्राक्कलन तकनीकी रूप से सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत हो गया तो ये भला कौन है कि पूरक एकरारनामा नहीं करते। इसकी प्रति सभी संबंधित को भेजी गयी। यह विभाग के संज्ञान में है। इससे संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा विभाग से आवंटन हेतु अधियाचना पत्र भेजा गया एवं कार्यो के एकरारित राशि 1189.90 लाख रूपये, वर्ष 2013–14 तक 1074.15 लाख का व्यय तथा आवंटन की राशि 115.75 लाख अंकित है। इस प्रकार रू० 1,66,90,978/– रूपये के भुगतान में इनकी कोई भूमिका नहीं है क्योंकि यह विभाग द्वारा किये गये समीक्षा के उपरान्त मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर की अधियाचना पर विभाग से प्राप्त आवंटन के विरूद्ध नियमानुसार हुआ है।

प्रमंडलीय लेखापाल की टिप्पणी के संदर्भ में कहा गया है कि यदि प्रमंडलीय लेखापाल को कोई आपत्ति थी तो उसे बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता के नियम 23 में यथा प्रावधानित प्रपत्र 60 में भरकर अपना प्रतिरोध समर्पित करना था, जिसे इनके हस्ताक्षर के उपरान्त मासिक लेखा के साथ महालेखाकार को भेजते परन्तु ऐसा नहीं किया गया। लेखापाल ने सभी विपत्रों एवं चेकों पर बिना कोई असहमति जताए हस्ताक्षर किया। इस प्रकार झूठ–मूठ किसी बात को बार–बार कहने से सत्य नहीं हो जाता। विभाग भी मानता है कि प्रपत्र 60 प्रमंडलीय लेखापाल ने भरकर समर्पित नहीं किया है तो उसे साक्ष्य के रूप में कैसे प्रस्तुत किया गया।

कंडिका 7 से 10 तक में विभिन्न न्यायलयों द्वारा पारित आदेश का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि बिना साक्ष्य के मनगढ़ंत रूप से आरोप प्रमाणित मानना उचित नहीं है।

समीक्षा :–

आरोप–1 :– आलोच्य योजना के तहत पंचम चालू विपत्र से 8वें चालू विपत्र तक कुल 9,78,56,256/– रूपये का भुगतान दिनांक 28.12.13 तक किया गया जिसमें सर्ज टैंक अधिष्ठापन मद में पूर्व में ही ज्यादा भुगतान होने के बावजूद उसकी कटौती नहीं करने के कारण कुल 3,53,751/– रूपये की हानी होने एवं मापी जाँच नहीं करने से संबंधित है।

इस आरोप के संदर्भ में श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा न तो कोई नया तथ्य ही दिया गया, न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है मात्र कहा गया है कि वस्तुतः 3mm के जिस प्राक्कलन को आधार मानकर 53,975/– रूपये की प्राक्कलित राशि की गणना की गयी है ऐसा कोई राशि का प्राक्कलन कभी अस्तित्व में हीं नहीं था। वास्तव में BOQ के मद पर टंकण भूल से यह परिस्थिति उत्पन्न हुई है एवं बिना साक्ष्य के संदेह के आधार पर आरोप प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है, स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन के पेज सं० 3 से 5 में उड़नदस्ता द्वारा सर्ज टैंक के अधिष्ठापन कार्य में अनियमित भुगतान की राशि की गणना एकरारनामा के अनुसार 8mm thicks MS Plate से प्रावधानित सर्जटैंक निर्माण को मानते हुए, के जगह पर स्थल निरीक्षण में पाये गये 3mm thick MS Plate से निर्मित सर्जटैंक के आधार पर किया गया है। इस योजना के तहत श्रीवास्तव के द्वारा पंचम चालू विपत्र से 8वें चालू विपत्र तक कुल 41 सर्जटैंक का भुगतान किये जाने के आलोक में कुल 3,53,751.00 रूपये की अधिकाई भुगतान होना बताया गया है।

संचालन पदाधिकारी के द्वारा उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन तथा आरोपी पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान उपलब्ध कराये गये बचाव बयान तथा उस पर संबंधित विभाग द्वारा दिये गये मंतव्य के समीक्षोपरान्त आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है। **उपरोक्त कथन के अतिरिक्त इस आरोप के संदर्भ में कोई नया तथ्य एवं साक्ष्य नहीं दिया गया है। मात्र अधिरोपित दण्ड को समानुपातिक नहीं होना कहा गया है। उपरोक्त तथ्यों के अलोक में श्रीवास्तव का बचाव बयान स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।**

आरोप–2 :– आलोच्य योजना के कार्यान्वयन में कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि दि० 31.03.13 तक होने के बावजूद कार्य को न तो Resign किया गया न ही संवेदक के विरूद्ध दण्डात्मक कारवाई की गयी। उल्टे इनके द्वारा दिनांक 03.10.13 को एकरारित कार्य मद के दर को बढ़ाकर कुल 1133.55 लाख का पुनरिक्षित प्राक्कलन समर्पित किया गया एवं गलत ढंग से पूरक एकरारनामा कर एवं दर में बढ़ोत्तरी कर संवेदक को कुल 1,66,90,979/– रूपये का लाभ दिया गया। जबकि दि० 18.11.13 को पूरक एकरारनामा के पूर्व प्रमंडलीय लेखापाल द्वारा संचिका में टिप्पणी अंकित किया कि विभिन्न दर में संशोधित किया गया, जो SBD के कंडिका का विरोधाभाषी है। उक्त सुझाव का पालन नहीं करने के कारण सरकार को वित्तीय क्षति होने से संबंधित है।

इनके द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में कार्य को Resign करने एवं दण्डात्मक कारवाई नहीं करने के संदर्भ में कोई तथ्य नहीं दिया गया है। मात्र पुनरीक्षित प्राक्कलन के संदर्भ में कहा गया है कि प्राक्कलन कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा स्थल की आवश्यकता के अनुरूप तैयार किया गया है जिसे इनके द्वारा अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, दरभंगा को भेजा गया। अधीक्षण अभियंता, दरभंगा द्वारा प्राक्कलन के जाँचोपरान्त मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग को स्वीकृति हेतु भेजा गया। तत्पश्चात मुख्य अभियंता कार्यालय में पदस्थापित सहायक अभियंता द्वारा उसकी समीक्षा एवं जाँच की गई तथा तकनीकी सचिव के समीक्षा एवं अनुशंसा के साथ उपस्थापित किया गया। जब प्राक्कलन तकनीकी रूप से सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत हो गया तो ये भला कौन होते है एकरारनामा नहीं वाले उल्लेखनीय है कि किसी भी कार्य में संलग्न कनीय अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता तक के पदाधिकारी का अपना–अपना दायित्व PWD Code में निर्धारित है। **प्रश्नगत मामले में इनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि सहायक अभियंता से प्राप्त प्राक्कलन को स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियंता को भेजा गया ऐसी स्थिति में श्री श्रीवास्तव तत्कालीन कार्यपालक अभियंता का दायित्व था कि प्राक्कलन भेजने के पहले सभी पहलू पर सम्यक समीक्षा करते कि पुनरीक्षित प्राक्कलन विभागीय नियमानुकूल एवं PWD Code के अनुरूप है अथवा नहीं एकरारनामा के किसी भी कार्य मद का कार्य के कार्यान्वयन के दौरान प्रावधानित दर में बढ़ोत्तरी करने का कोई प्रावधान नहीं है। PWD Code के अनुसार पूरक एकरारनामा एकरारित मद से हटकर कर किसी मद का कार्य कराने पर ही किया जाना है।**

इनके द्वारा यह भी कहा गया है कि इन्हें गलत भुगतान के लिये जिम्मेवार माने जाने का कोई न तो आधार है और न ही औचित्य है। इस प्रकार 1,66,90,978/– रूपये के भुगतान में इनकी कोई भूमिका नहीं है। क्योंकि यह विभाग द्वारा किये गये समीक्षा के उपरान्त मुख्य अभियंता की अधियाचना पर विभाग से प्राप्त आवंटन के विरूद्ध नियमानुसार हुआ है, **स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है क्योंकि किसी कार्य के कार्यान्वयन के दौरान कराये गये कार्य का नियमानुसार भुगतान करना है न कि आवंटन के विरूद्ध बिना कार्य कराये ही भुगतान करना है।**

इनके द्वारा कहा गया है कि प्रमंडलीय लेखापाल को कोई आपत्ति थी तो उसे बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता के नियम के 23 में प्रावधानित प्रपत्र 60 में भरकर अपना प्रतिरोध समर्पित करना था, जिसे इनके हस्ताक्षर के उपरान्त मासिक लेखा के साथ महालेखाकार को भेजते परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेखापाल ने सभी विपत्रों एवं चेकों पर बिना कोई आपत्ति जताये हस्ताक्षर किया गया। इस कथन कि सभी विपत्रों एवं चेकों पर प्रमंडलीय लेखापाल द्वारा हस्ताक्षर किया गया है से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। जबकि प्रमंडलीय लेखापाल द्वारा पूरक एकारारनामा के पूर्व संचिका में की गयी टिप्पणी, की मुख्य अभियंता के द्वारा 50 अदद् सिंचाई उद्वह सिंचाई योजना के अन्तर्गत पूरक एकारारनामा करने हेतु दिये गये निदेश एवं SBD के कंडिका का विरोधाभाषी है। अतएव साक्ष्यविहिन बचाव बयान स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त श्री श्रीवास्तव द्वारा माननीय न्यायलयों द्वारा विभिन्न मामले एवं विभिन्न तिथियों में पारित आदेश का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि अधिरोपित दण्ड समानुपातिक नहीं है।

अतएव उपर्युक्त वर्णित स्थिति में सरकार के स्तर पर सम्यक समीक्षोपरांत, श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता का पुनर्विलोकन अर्जी में कोई नया तथ्य अथवा साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त निर्णय के आलोक में श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए अधिसूचना सं0–1345 दिनांक 04.07.2019 द्वारा संसूचित दण्ड **"शत प्रतिशत पेंशन की स्थायी कटौती"** को यथावत रखा जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

29 जून 2021

सं0 22/नि0सि0(मोति0)08–02/2018–541—श्री रत्नेश कुमार (आई0डी0–3985), तत्कालीन सहायक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण नगर विकास एवं आवास विभाग, मोतिहारी के विरूद्ध UIDSSMT चकिया योजनाओं के कार्यान्वयन में बरती गई अनियमितता संबंधी निम्न आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–21 दिनांक 02.01.2019 द्वारा

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गई :–

(i) जिला पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण मोतिहारी के पत्रांक–327 दिनांक 19.09.17 द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार नगर पंचायत चकिया द्वारा संचालित UIDSSMT के 17 योजनाओं में STONE METAL GRADE-II 200mm एवं SMG-III 76mm कुल 276mm का प्रावधान था परन्तु जाँच के क्रम में दोनों प्रकार के लेयर मिलाकर 250mm मोटाई पाया गया जो विशिष्टि के अनुसार 26mm कम है।

(ii) किसी भी योजना में विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं किये जाने पर उक्त कार्य को रिजेक्ट किया जाना चाहिए था अथवा उसे विशिष्टि के अनुरूप सुधार कराकर कार्य कराना चाहिए था किन्तु उक्त 17 योजनाओं में कार्य विशिष्टि के अनुरूप नहीं कराये जाने का मुख्य कारण योजना से संबंधित पदाधिकारी की शिथिलता तथा उनके द्वारा पर्यवेक्षण नहीं किया जाना है। फलस्वरूप श्री रत्नेश कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, मोतिहारी उक्त योजना से संबंधित होने एवं कार्यों में शिथिलता बरतने एवं पर्यवेक्षण नहीं करने के लिये दोषी है।

(iii) इसी प्रकार जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि नगर पंचायत, चकिया द्वारा संचालित UIDSSMT के 4 योजनाओं में P.C.C. का उपरी सतह क्षतिग्रस्त है। उक्त योजनाओं का Concrete Mix विशिष्टियों के अनुकूल नहीं है अथवा उसमें प्रोपर क्यूरिंग नहीं किया गया है।

उक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि श्री रत्नेश कुमार द्वारा नियमित तकनीकी पर्यवेक्षण नहीं करने, गुणवत्ता की जाँच एवं कार्य पर नियंत्रण की कमी के कारण उक्त त्रुटियाँ हुई है, जिसके लिए वे दोषी हैं।

श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन (पत्रांक–445 दिनांक–27.11.2019) में निम्न मंतव्य अंकित किया गया :–

आरोप–1– अनुश्रवण की कमी के लिये सहायक अभियंता को आंशिक रूप से जिम्मेवार माना जा सकता है।

आरोप–2– गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं कराने एवं राजस्व की क्षति होने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

आरोप–3– उत्तरदायित्वों एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं करने एवं अनियमितता किये जाने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा में निम्न तथ्य पाये गये :–

आरोप 1 एवं 2 –UIDSSMT के 17 योजनाओं में स्टोन मेटल ग्रेड–II एवं III की मोटाई 276mm के विरूद्ध 250mm पाया जाना एवं विशिष्टि से 26mm कम पाये जाने से कार्यों के कार्यान्वयन के दौरान कार्यों का सही ढंग से पर्यवेक्षण नहीं करने एवं कार्य में शिथिलता बरतने से संबंधित है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इन योजनाओं के कार्यान्वयन में श्री कुमार की अनुश्रवण में कमी परिलक्षित होती है यद्यपि सभी 96 योजनाओं पर व्यक्तिगत रूप से अपने सामने कार्य कराया जाना एक सहायक अभियंता के लिये व्यवहारिक नहीं है। स्थलीय जाँच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि यदि कनीय अभियंता खड़ा रहकर काम करायेंगे तो त्रुटियों की संभावना नहीं होगी। सहायक अभियंता को इतने बडे कार्यक्षेत्र में सभी जगह उपस्थित होकर कार्य का अनुश्रवण किया जाना व्यवहारिक नही है अतः इन कार्यों में कमी के अनुश्रवण में कमी की जवाबदेही मूल रूप से कनीय अभियंता की मानी जायेगी। अतः अनुश्रवण में कमी के लिये सहायक अभियंता श्री कुमार को आंशिक रूप से जिम्मेवार माना जा सकता है।

अभिलेखों एवं जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि स्थलीय जाँच में 17 योजनाओं में मेटल की मुटाई में 25mm की कमी पायी गयी है एवं जाँच प्रतिवेदन में कहा गया है कि कार्य में पायी गयी त्रुटियों का कार्यों के कार्यान्वयन के क्रम में कार्यों का अनुश्रवण नहीं किया जा सका है। जबकि कार्यों का भुगतान माप पुस्त में योजनाओं के अन्तर्गत राशि के आधार पर किया गया। कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, मोतिहारी के पत्र तथा नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, चकिया के पत्रांक–1372 दिनांक 04.07.17 के अनुसार मेटल की मोटाई 250mm का ही भुगतान किया गया है अर्थात कार्य में 25mm की पायी गयी कमी का भुगतान नहीं किया गया है। परन्तु सही ढंग से कार्यों का पर्यवेक्षण नहीं करने के कारण प्रश्नगत कार्य प्रावधान के अनुरूप कराया जाना परिलक्षित नहीं होता है।

इस प्रकार श्री कुमार प्रश्नगत योजना के कार्यान्वयन के दौरान कार्य का सही ढंग से पर्यवेक्षण नहीं करने तथा दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करने के लिए दोषी प्रतीत होते हैं।

आरोप 3–नगर पंचायत, चकिया द्वारा संचालित UIDSSMT के 4 योजनाओं में पी0सी0सी0 के उपरी सतह क्षतिग्रस्त पाये जाने का मुख्य कारण कंक्रीट मिक्स विशिष्टि के अनुरूप नहीं है अथवा प्रोपर क्यूरिंग नहीं किये जाने से संबंधित है।

संचालन पदाधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि योजनाओं में मुख्य अवयवों यथा ब्रीक एवं पी0सी0सी0 की Crushing Strength से संबंधित गुणवत्ता प्रतिवेदन कार्य पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया है जिसके अनुसार उक्त कार्य में प्रत्युक्त ईट एवं पी0सी0सी0 (M20) का Compresive Strength मानक के अनुरूप पाये जाने, साथ ही कार्य कराये जाने के दौरान किसी भी कार्य की गुणवत्ता पर प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज नहीं रहने के आलोक में कार्य की गुणवत्ता में कमी नहीं होने के आधार पर आरोप प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया है।

संचालन पदाधिकारी ने जाँच प्रतिवेदन के साथ संलग्न गुणवत्ता प्रतिवेदन को सारणीबद्ध किया गया है। उक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्रश्नगत कार्य में ईट एवं पी0सी0सी0 की गुणवत्ता मानक के अनुरूप पाया गया है। अतएव माना जा सकता है कि कार्य प्रावधान के अनुरूप कराया गया है एवं गुणवत्ताविहीन कार्य कराने का आरोप बनता प्रतीत नहीं होता हैं।

वर्णित समीक्षा के आलोक में आरोप 1 एवं 2 का आंशिक भाग यथा कार्य प्रावधानित मोटाई से कम मोटाई में कार्य कराने एवं कार्यों का सही ढंग से पर्यवेक्षण नहीं करने, कार्य में शिथिलता बरतने का आरोप प्रमाणित माना जा सकता है परन्तु आरोप–3 यथा कार्य विशिष्टि के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं कराने का आरोप बनता प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आरोप सं0–1 एवं 3 के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए एवं आरोप सं0–2 पर दिए गए मंतव्य से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक–572 दिनांक 21.04.2020 द्वारा श्री कुमार से संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) की मांग की गई।

उक्त आलोक में श्री कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता से प्राप्त अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) दिनांक–01.07.2020 का मुख्य अंश निम्नवत है :–

लोक निर्माण संहिता की कंडिका–50 के अनुसार सहायक अभियंता के सहायतार्थ उनके अधीन कनीय अभियंता का पदस्थापन होता है जो अपने कार्य प्रशाखा में विशिष्टि के अनुरूप कार्य के कार्यान्वयन के लिये सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के प्रति जिम्मेवार होते हैं। F2 एकरारनामा के क्लाउज (10) के अनुसार संवेदक को एकरारनामा की शर्तों के अनुसार एवं निर्धारित विशिष्टि के अनुरूप कार्य करने की विधिक बाध्यता है।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत चकिया के पत्रांक–1372 दिनांक 04.07.2017 में प्रतिवेदित है कि सारी योजनाएं उपयोगी है एवं इस पर किया गया व्यय सार्थक है, योजना का भुगतान नियमानुसार किया गया है, क्षतिग्रस्त सतह का निराकरण तत्कालीन सहायक अभियंता एवं कार्यपालक पदाधिकारी ने करवाया है, 25mm कम मोटाई के कार्य का भुगतान नहीं किया गया है।

नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–5399 दिनांक 29.10.2008 के द्वारा इनका पदस्थापन जिला शहरी विकास अभिकरण मोतिहारी में किये जाने के पश्चात जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी के पत्रांक–232 दिनांक 17.11.2008 द्वारा इन्हें जिलान्तर्गत सभी नगर निकायों के अधीन चल रहे विकास कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने का आदेश दिया गया। साथ ही नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिसूचना सं०–3335 दिनांक–12.08.2009 द्वारा नगर परिषद, रक्सौल के नगर कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति किया गया। इन सभी कार्यों को कराने हेतु वे पूर्ण रूप से पदस्थापित थे।

96 योजनाओं के कार्यान्वयन में 17 योजनाओं में मेटल की मुटाई 275mm के विरूद्ध 250mm पाया गया एवं 4 योजनाओं का सतह क्षतिग्रस्त पाया गया। यद्यपि 25mm की कमी के कारण पूरा कार्य अनुपयोगी नहीं हुआ। 4 योजनाओं के क्षतिग्रस्त सतह का तत्कालीन सहायक अभियंता एवं कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा मरम्मति कराकर सुधार कर लिया गया। सभी 96 योजनाओं पर व्यक्तिगत रूप से अपने सामने कार्य कराया जाना एक सहायक अभियंता के लिये संभव नहीं था। सहायक अभियंता का इतने बड़े कार्यक्षत्र में सभी जगह उपस्थित होकर कार्यों का अनुश्रवण किया जाना व्यवहारिक नहीं है। इन कार्यों के अनुश्रवण में कमी की जवाबदेही मूल रूप से कनीय अभियंता की मानी जायेगी।

संबंधित 17 + 4 = 21 योजनाओं का गुण नियंत्रण जाँच प्रतिवेदन के आधार पर ब्रीक एवं P.C.C का Crushing strength से संबंधित गुणवता प्रतिवेदन मानक के अनुरूप पाया गया है। कार्य कराये जाने के दौरान किसी भी कार्य का गुणवता के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज नहीं है एवं कार्य अनुपयोगी नहीं है।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत चकिया के पत्रांक–1372 दिनांक–04.07.2017 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में क्रमांक–4.1 पर दर्शाया गया है कि योजना का भुगतान नियमानुसार किया गया है। मेटल में पाये गये 25mm कम मोटाई का भुगतान नहीं किया गया है एवं क्रमांक–3.3 की अभ्युक्ति पर दर्शाया गया है कि सारी योजनाएँ उपयोगी है एवं व्यय सार्थक है।

अत्यधिक कार्य बोझ यथा अन्य निकायो के कार्यों का पर्यवक्षण के साथ ही सीमावर्त्ती शहर नगर परिषद, रक्सौल का नगर कार्यपालक पदाधिकारी का दायित्व सम्भालते हुए सहायक अभियंता के रूप में अपेक्षित दायित्वों का निर्वहन निष्ठा पूर्वक करते हुए इतनी बड़ी संख्या में योजनाओं का कार्यान्वयन भी विशिष्टि एवं गुणवता के अनुरूप सम्पन्न कराया गया।

श्री कुमार से प्राप्त अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा बचाव बयान) एवं उपलब्ध अभिलेखों के समीक्षा में निम्न तथ्य पाये गये :–

आरोप–1 एवं 2 का मुख्य अंश प्रश्नगत जिलान्तर्गत UIDSS MT के तहत कराये गये याजनाओं में से 17 योजनाओं में स्टोन मेटल ग्रेड–II एवं III की मोटाई 275mm के स्थान पर 250mm पाया गया, जो विशिष्टि से 26mm कम पाये जाने से कार्यों के कार्यान्वयन के दौरान कार्यां का सही ढ़ंग से पर्यवेक्षण नहीं करने एवं कार्य में शिथिलता एवं लापरवाही बरतने से संबंधित है।

संचालन पदाधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि इस योजनाओं के कार्यान्वयन में श्री कुमार की अनुश्रवण में कमी परिलक्षित होती है। यद्यपि सभी 96 अदद् योजनाओं पर व्यक्तिगत रूप से अपने सामने कार्य कराया जाना एक सहायक अभियंता के लिये व्यवहारिक नहीं है।स्थलीय जाँच प्रतिवेदन में भी उल्लेख है कि यदि कनीय अभियंता स्थल पर खड़ा रहकर कार्य करायेगें तो ही त्रुटियों की संभावना नहीं होगी। साथ ही कार्य की मोटाई में पायी गयी कमी के लिये मुख्य रूप से संवेदक को दोषी माना गया है। सहायक अभियंता को इतने बड़े कार्यक्षेत्र में सभी जगह उपस्थित होकर कार्य का अनुश्रवण किया जाना व्यवहारिक नहीं है। अतः अनुश्रवण के लिये श्री कुमार को आंशिक रूप से जिम्मेवार माना गया है।

श्री कुमार द्वारा कहा गया है कि लोक निर्माण विभाग संहिता की कंडिका–50 के अनुसार सहायक अभियंता के सहायतार्थ उनके अधीन कनीय अभियंता का पदस्थापन होता है, जो अपने कार्य प्रशाखा में विशिष्टि के अनुरूप कार्य के कार्यान्वयन के लिये सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के प्रति जिम्मेवार होते है, आंशिक रूप से स्वीकार योग्य

प्रतीत होता है क्योंकि लोक निर्माण संहिता की कंडिका–49 के अनुसार अपने अपने अनुमंडल के अन्तर्गत निर्माण के प्रबंध एवं निष्पादन के लिये सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता तथा मुख्य अभियंता के प्रति जिम्मेवार है। ऐसे भी किसी कार्य के कार्यान्वयन के दौरान कार्यों का प्रबंधन करना तथा मापी की जाँच करने का दायित्व सहायक अभियंता की होती है।

इनके द्वारा नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत चकिया के स्थल जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–1372 दिनांक–04.07.2017, नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–5399 दिनांक–29.10.2008 पत्रांक–3335 दिनांक–12.08.2009 तथा जिला पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण मोतिहारी के पत्रांक–232 दिनांक–17.11.2008 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इन्हें जिला अन्तर्गत नगर निकायो के अधीन चल रहे कार्यों एवं नगर परिषद रक्सौल के नगर कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति किये जाने से अत्यधिक कार्य बोझ बढ़ जाने से इन सभी कार्यों को कराने हेतु पूर्णकालिक रूप से समय दे पाना संभव नहीं हो सका, कुछ हद तक स्वीकार योग्य माना जा सकता है।

श्री कुमार द्वारा यह भी कहा गया है कि मेटल की मोटाई में 25mm कमी से कार्य पूरा होने पर भी कार्य अनुपयोगी नहीं हुआ है। 4 योजनाओं के क्षतिग्रस्त सतह की मरम्मति करा दी गई है। उक्त कथन की पुष्टि नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, चकिया के जाँच प्रतिवेदन (पत्रांक–1372 दिनांक 04.07.2017) से होती है।

इनके द्वारा यह भी कहा गया है कि योजनाओं का मुख्य अवयवों यथा ब्रीक एवं P.C.C का Crushing strength से संबंधित गुणवता प्रतिवेदन के अनुसार Crushing Strength मानक के अनुरूप पाया गया है। उक्त कथन की पुष्टि संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से होती है।

श्री कुमार द्वारा यह भी कहा गया है कि नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत चकिया के पत्रांक–1372 दिनांक–04.07.2017 के अनुसार योजना का भुगतान नियमानुसार किया गया है। मेटल में 25mm कम मोटाई का भुगतान नहीं किया गया है एवं सभी योजनाएँ उपयोगी है एवं किया गया व्यय सार्थक है। उक्त कथन की पुष्टि नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, चकिया के जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–1372 दिनांक 04.07.2017 से होती है।

उपलब्ध अभिलेख एवं जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि स्थलीय जाँच में 17 योजनाओं में मेटल की मोटाई में 25mm की कमी पायी गयी है, अर्थात कार्यों के कार्यान्वयन के क्रम में सही ढंग से अनुश्रवण नहीं किया जाना परिलक्षित होता है। जबकि कार्यों का भुगतान मापपुस्त में योजनाओं के अन्तर्गत राशि के आधार पर प्रावधान के अनुरूप 275mm के जगह पर 250mm मेटल का भुगतान किया जाना परिलक्षित है। अर्थात कार्य में 25mm की पायी गयी कमी का भुगतान नहीं किया गया है। फलतः अधिकाई भुगतान का मामला नहीं बनता है परन्तु कार्यों का सही ढ़ंग से पर्यवेक्षण नहीं करने के कारण प्रश्नगत सभी 17 योजनाओं के कार्य प्रावधान के अनुरूप कराया जाना परिलक्षित नहीं होता है, जिसके लिए इन्हें दोषी माना जा सकता है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री रत्नेश कुमार तत्कालीन सहायक अभियंता को प्रश्नगत 17 योजनाओं का कार्य प्रावधान के अनुरूप मेटल की मोटाई में 25mm की कमी पाये जाने के लिए दोषी पाया गया, परन्तु अनियमित भुगतान का मामला नहीं बनता है क्योंकि मेटल का भुगतान प्रावधानित मोटाई 275mm के जगह पर 250mm का ही होना परिलक्षित है।

मामले की समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री रत्नेश कुमार (आई0डी0–3985) तत्कालीन सहायक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग, मोतिहारी के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है :–

"एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"।

अनुशासनिक प्राधिकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री रत्नेश कुमार (आई0डी0–3985) तत्कालीन सहायक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग सम्प्रति कार्यपालक अभियंता (निलंबित) मुख्य अभियंता का कार्यालय, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, गया के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित करते हुए उन्हें संसूचित किया जाता है :–

"एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

1 जुलाई 2021

सं0 22 / नि0सि0(सह0)26–01 / 2018–550––श्री राजेन्द्र प्रसाद केसरी (आई0डी0–3531) तत्कालीन सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध निम्न आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–958 दिनांक 18.04.18 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई –

(i) अपने पदस्थापन की अवधि में एन0आर0ई0पी0 एवं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनाओं के भुगतान हेतु 69,56,685 (उनहत्तर लाख छप्पन हजार छः सौ पचासी) रूपये अस्थाई अग्रिम के रूप में पारित प्रमाणक के विरूद्ध प्राप्त किया गया। इस राशि का समायोजन आपके द्वारा अद्यतन नहीं किया गया। इनका यह कृत्य सरकारी राशि का अनियमित एवं गबन की श्रेणी में है।

(ii) आप दिनांक 13.05.15 से दिनांक 21.05.15 तक बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के अनधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहे तथा इस संबंध में आपसे स्पष्टीकरण पूछे जाने पर आपके द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं किया गया। आपका यह कार्य वरीय पदाधिकारी के आदेश का उल्लंघन एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

श्री केसरी, तत0 सहायक अभियंता से प्राप्त जवाब की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री केसरी द्वारा उल्लेख किया गया है कि सभी अग्रिम का समायोजन हो चुका है। इसलिए Revised LPC में उनके नाम पर अग्रिम शून्य है। किन्तु साक्ष्य स्वरूप Revised LPC की छायाप्रति स्पष्टीकरण के साथ संलग्न नहीं है। उक्त के आलोक में श्री केसरी से विभागीय पत्रांक–1628 दिनांक 27.07.18 द्वारा साक्ष्य की मांग की गई। श्री केसरी को दो स्मार प्रेषित किया गया। परन्तु श्री केसरी द्वारा साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

श्री केसरी द्वारा जवाब अप्राप्त रहने की स्थिति को देखते हुए उक्त आरोप के लिए श्री केसरी के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0–2653 दिनांक 24.12.2018 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री केसरी से विभागीय पत्रांक–417 दिनांक 28.02.20 द्वारा अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) की मांग की गई।

श्री केसरी द्वारा अभ्यावेदन का जवाब समर्पित किया गया जिसमें मुख्य रूप से निम्न का उल्लेख किया गया –

NREP योजना का प्रथम अग्रिम का कार्य पूर्ण कर स्थल निरीक्षणोपरांत द्वितीय अग्रिम दिया गया। पूर्व प्राप्त अग्रिम का मापीपुस्त/प्रमाणक समर्पण के पश्चात ही अगला अग्रिम प्रदत किया गया। समायोजन की कार्रवाई में स्वयं उपस्थित होकर त्रुटि का निराकरण कर दिया गया। परन्तु समायोजन की सूचना नहीं देकर अग्रिम के बाद पुनः समायोजनोपरांत अग्रिम बीस बार दिया जाता रहा तथा स्थानांतरण के पश्चात बकाया अंतर वेतन/अद्यतन मासिक वेतन भुगतान किया गया। कार्यपालक अभियंता द्वारा द्वेष भावना से अपनी प्रोन्नति हेतु LPC में समायोजन राशि का लंबित अग्रिम दर्ज कर भेजा गया।

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की अग्रिम राशि समायोजनोपरांत अवशेष राशि मात्र 618000/– के जगह पर 4786118 रूपये LPC में दर्ज कर प्रेषित किया गया। Revised LPC नहीं प्रेषित होने के कारण आरोपित किया गया। वर्तमान में प्रदत्त अग्रिम H/R (हस्तपावति) पर कनीय अभियंता को प्रदत्त अग्रिम से कार्य पूर्ण के लिए पुनः बिना इनकी सहमति के NOC नियम विरूद्ध सीधे प्रमंडल द्वारा दिया गया। संविदा के कनीय अभियंता को अग्रिम प्रदत्त की वसूली करना है। स्थायी कनीय अभियंता श्री सिंह द्वारा तीन लाख रूपये वापस कर दी गयी परन्तु संविदा के कनीय अभियंता श्री रजक एवं श्री गौरव द्वारा वापस नहीं की गयी। स्थल पर माननीय सांसद के साथ निरीक्षण निदेश के अनुपालन में इन्हें मुख्यालय से अनधिकृत स्पष्टीकरण से संतुष्टि के पश्चात ही पूर्ण वेतन भुगतान किया गया।

श्री केसरी से प्राप्त जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में मुख्य रूप से निम्न तथ्य पाये गये –

आरोप–1–NREP एवं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कुल 2170567/– एवं 4786118/– अर्थात कुल 6956685/– रूपये अस्थायी अग्रिम के रूप में पारित प्रमाणक के रूप में प्राप्त किया गया, परन्तु इस राशि का समायोजन स्मारित करने के बावजूद नहीं किये जाने के कारण सरकारी राशि के गबन होने से संबंधित है।

संचालन पदाधिकारी ने आरोपित पदाधिकारी द्वारा निबंधित पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराये गये बचाव बयान अस्पष्ट तथा सिलसिलेवार नहीं होने की स्थिति में इस आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है।

श्री केसरी द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा (अभ्यावेदन) में इस आरोप के संदर्भ में कहा गया है कि NREP योजना हेतु प्राप्त अग्रिम के समायोजन के कार्रवाई में स्वयं उपस्थित होकर त्रुटियों का निराकरण कर दिया गया तथा स्थानान्तरण मधुबनी से सहरसा के पश्चात बकाया अंतर वेतन/अद्यतन मासिक वेतन भुगतान किया गया एवं द्वेष भावना से कार्यपालक अभियंता अपनी प्रोन्नति हेतु LPC में समायोजित राशि को लंबित अग्रिम दर्ज कर भेजा गया। श्री केसरी द्वारा उक्त कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। अतएव साक्ष्य विहीन कथन स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त अग्रिम के समायोजन के संदर्भ में कहा गया है कि अग्रिम राशि समायोजनोपरांत अवशेष राशि मात्र 6,18000/– के जगह 4786118/– रूपये LPC में दर्ज कर प्रेषित किया गया। जिसमें श्री सिंह, कनीय अभियंता द्वारा तीन लाख वापस कर दी गई। परन्तु संविदा के कनीय अभियंता श्री रजक एवं श्री गौरव द्वारा वापस नहीं किया गया। गबन का मामला कनीय अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध बनता है। श्री केसरी द्वारा उक्त कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए आरोप सं0–1 प्रमाणित माना जा सकता है।

आरोप–2–दिनांक 13.05.15 से 21.05.15 तथा दिनांक 04.01.16 से 23.01.16 तक अनधिकृत रूप से बिना सक्षम प्राधिकार से सहमति प्राप्त किये ही मुख्यालय से अनुपस्थित रहने से संबंधित है।

संचालन पदाधिकारी के द्वारा बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी श्री केसरी न तो स्वयं उपस्थित हुए न ही प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपना पक्ष रखने तथा आरोप से संदर्भित कोई ठोस तथ्य/साक्ष्य नहीं दिये जाने के आलोक में इस आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है। श्री केसरी द्वारा कहा गया है कि स्थल पर माननीय सांसद के साथ स्थल निरीक्षण निदेश के अनुपालन में इन्हें मुख्यालय से अनधिकृत स्पष्टीकरण से संतुष्ट होकर पूर्ण वेतन भुगतान किया गया है

परन्तु उक्त कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। अतएव साक्ष्यविहीन कथन को स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है एवं स्वेच्छा से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप बनता प्रतीत होता है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री राजेन्द्र प्रसाद केसरी, तत0 सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध दोनों आरोप को प्रमाणित पाते हुए विभागीय अधिसूचना सं0–05 दिनांक 05.01.2021 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया –

"पचास प्रतिशत (50%) पेंशन पर स्थायी रोक"

उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री केसरी, तत0 सहायक अभियंता द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया। जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में मुख्य रूप से निम्न तथ्य पाये गये –

(1) आरोप सं0–1 के संदर्भ में आरोपित पदाधिकारी द्वारा आरोप के संदर्भ में कोई नया तथ्य नहीं दिया गया, केवल कहा गया कि राशि का समायोजन हो चुका है। संदर्भित कोई साक्ष्य नहीं देने के कारण तथ्यों को स्वीकार योग्य नहीं माना गया है।

(2) आरोप सं0–2 के संदर्भ में आरोपित पदाधिकारी द्वारा आरोप के संदर्भ में कोई नया तथ्य नहीं दिया गया है, केवल कहा गया है कि मुख्यालय से अनुपस्थिति से संबंधित स्पष्टीकरण के पश्चात अवरूद्ध वेतन भुगतान प्रमंडल द्वारा किये जाने के फलस्वरूप आरोप नही बनता है। संदर्भित कोई साक्ष्य नहीं देने के कारण तथ्यों को स्वीकार योग्य नहीं माना गया है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री राजेन्द्र प्रसाद केसरी, तत0 सहायक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा दिये गये पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकार करने का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री राजेन्द्र प्रसाद केसरी, तत0 सहायक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा दिये गये पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

6 जुलाई 2021

सं0 22 / नि0सि0(मोति0)08–03 / 2013(अंश–2)–570––श्री रविन्द्र चौधरी (आई0डी0–4626) तत0 उप निदेशक (कार्यपालक अभियंता), शोध प्रमंडल, वाल्मीकिनगर, शिविर–मोतिहारी अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं गुण नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी के विरूद्ध नेपाल हितकारी योजना–2009 गंडक परियोजना के तहत मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल, वाल्मीकिनगर के अधीन कराये गये नहर पुनर्स्थापन कार्य में एकरारनामा के विपरीत स्थानीय सामग्री का उपयोग होने के बावजूद गुणवत्ता जाँचफल में उक्त अनियमित कृत्य को रेखांकित नहीं किये जाने संबंधी निम्न आरोप के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1680 दिनांक 20.09.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गई :–

नेपाल हितकारी योजना 2009 गंडक प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल, वाल्मीकिनगर के अन्तर्गत मुख्य पश्चिमी नहर के पुनर्स्थापन कार्य में बरती गयी अनियमितता की जाँच तकनीकी परीक्षक कोषांग निगरानी विभाग, पटना द्वारा किया गया। जाँच में पाया गया कि एकरारनामा के विरूद्ध कार्य में स्थानीय सामग्री यथा स्टोन मेटल का उपयोग होने के बावजूद भी सामग्री ढुलाई मद में वास्तविक लीड के बजाय एकरारित दर से अनियमित भुगतान किया गया। फलस्वरूप सरकार को एक बड़ी राशि की क्षति हुई।

उनके द्वारा कार्यों के कार्यान्वयन के दौरान स्थल के प्रत्युक्त सामग्रियों का नमूना संग्रह करते हुए सामग्री की जाँच प्रयोगशाला में की गयी। जाँचोपरांत जाँचफल विभिन्न तिथियों में कार्य प्रमंडल को प्रेषित किया गया है, जिसमें स्थानीय सामग्री के प्रयोग के अनियमित कृत्य को रेखांकित नहीं किया गया। जबकि कार्य में स्थानीय सामग्री का प्रयोग स्पष्ट रूप से परिलक्षित था। मुख्य अभियंता, वाल्मीकिनगर द्वारा भी अनेक पत्रों के माध्यम से कार्य में स्थानीय सामग्री के अनियमित उपयोग होने का उद्घोषणा बार–बार किया जाता रहा। यहाँ तक की उनके द्वारा बिना सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के नमूना संग्रह किया गया है जिसे नियमानुकूल नहीं माना जायेगा। जाँच प्रतिवेदन की कंडिका 4.0.0 में भी उद्धित है कि स्थल निरीक्षण से स्पष्ट परिलक्षित था कि शेखपुरा से भिन्न स्थानीय पत्थर का इस्तेमाल कार्य में किया गया है। अतएव वे भली–भाँति अवगत थे कि कार्य में स्थानीय सामग्री का प्रयोग हो रहा है। इन सब तथ्यों की अनदेखी करते हुए कार्य में प्रयुक्त हो रहे स्थानीय सामग्री को छिपाकर जाँचफल में उक्त अनियमित कृत्य को रेखांकित नहीं किया गया। फलतः अनियमित भुगतान हुआ जिसके लिए वे दोषी हैं।

उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में निम्न मंतव्य दिया गयाः–

(1) उप निदेशक, शोध प्रमंडल, वाल्मीकिनगर, शिविर–मोतिहारी के पद पर पदस्थापित रहते हुए कार्य स्थल से सामग्री का संग्रहण का कार्य नहीं किया गया था परन्तु दिनांक 30.09.2011 के पश्चात कुछ काल तक कार्यपालक अभियंता, आयोजन एंव गुण नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी के रूप में रहते हुए कार्य स्थल से सामग्री संग्रहण की जिम्मेदारी इन्हें थी। अतः इस बिन्दू पर श्री चौधरी दोषी प्रतीत होते हैं।

(2) कार्य में प्रयुक्त हो रहे सामग्री की गुणवत्ता की सूचना इन्हें नहीं थी। अतः इस बिन्दू पर लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होते है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक–27 दिनांक 03.01.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन से निम्न तथ्यों के आधार पर सहमत/असहमत होते हुए श्री चौधरी से अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) की माँग की गयी :–

संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप से संदर्भित तथ्य दिनांक 30.09.2011 के पश्चात कुल अवधि तक कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं गुण नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी के रूप में रहते हुए कार्यस्थल से सामग्री संग्रहण की जिम्मेदारी उनको थी। इस बिन्दू पर आरोप प्रमाणित होते है, से सहमत हुआ जा सकता है तथा कार्य में प्रयुक्त स्थानीय सामग्री की सूचना इन्हें नहीं थी, अतएव आरोप प्रमाणित नहीं होता है से असहमत हुआ जा सकता है क्योंकि अभिलेखों से स्पष्ट रूप से परिलक्षित है कि दिनांक 30.09.2011 के पश्चात श्री चौधरी, शोध प्रमंडल, वाल्मीकिनगर के साथ आयोजन एवं गुण नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी के अतिरिक्त प्रभार में रहे है। अतएव दिनांक 30.09.2011 के पश्चात श्री चौधरी नमूना संग्रह करने/कराने तथा उसका प्रयोगशाला जाँच में प्रभारी रहे हैं। इनके द्वारा ही दिनांक 30.09.2011 के बाद कई बार स्वयं स्थल से नमूना संग्रह कर प्रयोगशाला जाँच के पश्चात जाँचफल कार्य प्रमंडल को निर्गत किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस तिथि तक मुख्य अभियंता द्वारा स्पष्ट रूप से कार्य में स्थानीय सामग्री का उपयोग होने तथा अनियमित भुगतान होने की उद्घोषणा पत्रों के माध्यम से किया जा चुका था। यहाँ तक की आयोजन एवं गुण नियंत्रण प्रमंडल को एकरारनामा की प्रति उपलब्ध कराया गया था। इसके बावजूद इनके स्तर से निर्गत गुणवत्ता जाँचफल में उक्त अनियमित कृत्य का कोई जिक्र नहीं किया गया। जो परिलक्षित करता है कि इनके द्वारा जानबूझ कर उक्त तथ्यों को छिपाते हुए जाँचफल निर्गत किया गया। जिसके कारण उक्त जाँचफल के आधार पर कार्य प्रमंडल द्वारा अनियमित भुगतान किया गया है। जिसके लिए श्री चौधरी दोषी हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से आरोप के प्रथम अंश से सहमत एवं द्वितीय अंश से असहमत होते हुए आरोप के सम्पूर्ण अंश को प्रमाणित माना जा सकता है।

विभागीय पत्रांक–27 दिनांक 03.01.2019 के आलोक में श्री चौधरी द्वारा समर्पित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) का मुख्य अंश निम्नवत है :–

विभाग द्वारा उन पर आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा नमूने का संग्रह अतिरिक्त प्रभार में रहने के क्रम में कराया गया। उनके द्वारा अपने कार्यकाल में एक भी नमूना संग्रह नहीं किया गया था। अगर उनके द्वारा स्वयं यह कार्रवाई की गयी है तो नियमानुसार साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराया जाना है, जो उपलब्ध नहीं कराया गया। जहाँ तक दिनांक 30.09.2011 के बाद कुछ काल के लिए वे प्रभारी थे, के संबंध है में कहना आवश्यक है कि उप निदेशक की नमूनें संग्रह की जवाबदेही नहीं है परन्तु गुण नियंत्रण ईकाई के कनीय पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी थी कि स्थल से नमूना का संग्रह कर जाँच हेतु प्रयोगशाला में लाते। ऐसी परिस्थति में नमूना संग्रह से संबंधित आरोप का कोई वैद्यानिक औचित्य मुझ पर नहीं बनता है। जहाँ तक प्रयोगशाला जाँच के प्रभारी का प्रश्न है इस क्रम में कहना है कि नमूना संग्रह के पश्चात प्रयोगशाला में जाँचोपरांत प्राप्त जाँचफल उनके हस्ताक्षर से भेजा जाता था। यह जाँच भी शोध प्रमंडल के कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा की जाती है।

श्री चौधरी द्वारा समर्पित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा), संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेख की समीक्षा में निम्न तथ्य पाये गये :–

श्री चौधरी द्वारा समर्पित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) में लगभग वही तथ्य उद्धित किया गया है जो उनके द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण एवं विभागीय कार्यवाही के दौरान संचालन पदाधिकारी को दिया गया है। जिसकी समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत/असहमत होते हुए उनसे विभागीय पत्रांक–27 दिनांक 03.01.2019 द्वारा अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) की माँग की गयी थी। श्री चौधरी द्वारा मुख्य रूप से कहा गया है कि उनके द्वारा स्वयं के स्तर से एक भी नमूना स्थल से संग्रह नहीं किया गया है, स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि श्री चौधरी द्वारा स्वयं कार्यपालक अभियंता आयोजन एवं गुण नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी के प्रभार में रहते हुए स्थल निरीक्षणोपरांत स्थल से कार्य में प्रयुक्त सामग्री का नमूना संग्रह करते हुए उसकी जाँच शोध प्रमंडल को भेजा गया है तथा उनके स्वयं के प्रयोगशाला में शोध सहायक के सहयोग से जाँचोपरांत उनके द्वारा जाँचफल संबंधित प्रमंडल को भेजा गया है। उक्त किसी भी जाँचफल में स्थानीय सामग्री के उपयोग होने संबंधित तथ्य को उद्धित नहीं किया गया है एवं उसी जाँचफल के आधार पर कार्य प्रमंडल द्वारा अनियमित भुगतान किया जाना परिलक्षित है।

उल्लेखनीय है कि तत्कालीन मुख्य अभियंता, वाल्मीकिनगर द्वारा स्पष्ट रूप से कार्य में स्थानीय सामग्री का उपयोग होने तथा अनियमित भुगतान होने की उद्घोषणा कई पत्रों के माध्यम से किया गया है। यहाँ तक की कार्य प्रमंडल द्वारा एकरारनामा की प्रति गुण नियंत्रण प्रमंडल को भी उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त श्री चौधरी द्वारा आरोप से संदर्भित न तो कोई नया तथ्य ही दिया गया है, न ही कोई साक्ष्य ही उपलब्ध कराया गया है। ऐसी स्थिति में श्री चौधरी का अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री चौधरी के विरूद्ध गठित आरोप यथा आलोच्य कार्य में एकरारनामा के विपरीत स्थानीय सामग्री का उपयोग होने के बाबजूद उक्त अनियमित कृत्य को जानबूझ कर जाँचफल में रेखांकित नहीं करने का आरोप प्रमाणित पाया गया।

मामले के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रमाणित आरोप के लिए श्री रविन्द्र चौधरी के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–938 दिनांक–03.07.2020 द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित किया गयाः–

"कालमान वेतनमान में एक वेतन प्रक्रम पर स्थायी रूप से अवनति। भावी वेतनवृद्धि देय नहीं होगी"।

उक्त संसूचित दण्ड के विरूद्ध श्री चौधरी द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है :–

इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया कि उपनिदेशक, शोध प्रमंडल, वाल्मीकिनगर शिविर मोतिहारी के पद पर पदस्थापित रहते हुए कार्य स्थल से सामग्री का नमूना संग्रहण कार्य नहीं किया गया था। परन्तु दिनांक–30.09.2011 के पश्चात कुछ काल तक कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं गुण नियंत्रण प्रमंडल, मातिहारी के रूप में रहते हुए कार्य स्थल से सामग्री संग्रहण की जिम्मेवारी इनकी थी, इस बिन्दु पर दोषी प्रतीत होते है। दूसरा बिन्दू यह कि कार्य मे प्रयुक्त हो रहे सामग्री की गुणवत्ता की सूचना इन्हें नहीं थी। अतः इस बिन्दु पर लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होता है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक–27 दिनांक–03.01.2019 द्वारा संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत कहा गया कि इनके द्वारा वही तथ्य रखा गया है, जो इनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण एवं विभागीय कार्यवाही के क्रम में संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखा गया था एवं इनके द्वारा उक्त के संदर्भ में कोई नया तथ्य नहीं दिया गया और ना ही कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया गया है। अतः द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता।

दण्डादेश संबंधी अधिसूचना में कहा गया है कि इनके द्वारा दिये गये तथ्य, की इनके स्तर से एक भी नमूना स्थल से संग्रह नहीं किया गया है, स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि इनके द्वारा स्वयं कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं गुण नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी के प्रभार में रहते हुए स्थल निरीक्षणोंपरांत स्थल से कार्य में प्रयुक्त सामग्री का नमूना संग्रह करते हुए उसकी जाँच हेतु शोध प्रमंडल को भेजा गया एवं इनके स्वयं के प्रयोगशाला में शोध सहायक के सहयोग से जाँचोपरांत जाँचफल संबंधित प्रमंडल को भेजा गया। उक्त किसी जाँचफल में स्थानीय सामग्री के उपयोग होने का तथ्य उद्धृत नहीं किया गया था। पत्र में यह भी कहा गया है कि कार्य प्रमंडल द्वारा एकरारनामा की प्रति गुण नियंत्रण प्रमंडल में उपलब्ध था। इस संबंध में संचालन पदाधिकारी द्वारा स्वयं लिखा गया है कि शोध प्रमंडल, वाल्मीकिनगर कार्यालय के शोध कार्यालय के पदाधिकारी को एकरारनामा की प्रति उपलब्ध नहीं थी, जो इनके बचाव–बयान से परिलक्षित होती है। एकरारनामा की प्रति उपलब्ध नहीं रहने के कारण गुणवत्ता के बारे में रेखांकण करना संभव प्रतीत नहीं होता है। इससे स्वतः स्पष्ट है कि एकरारनामा की प्रति शोध कार्यालय में नहीं थी। ऐसी स्थिति में प्रासंगिक पत्र में कहा जाना कि एकरारनामा की प्रति शोध कार्यालय में थी साक्ष्य विहिन है। यह कहा जाना कि इनके द्वारा नमूना का संग्रह किया गया था। साक्ष्य आधारित नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा नमूना संग्रह नहीं किया गया था।

श्री चौधरी द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी के समीक्षोपरांत निम्न तथ्य पाये गये :–

श्री चौधरी के विरूद्ध आरोप है कि प्रश्नगत कार्य में एकरारनामा के विपरीत स्थानीय श्रोत से कोर्स एग्रीगेट प्राप्त कर कार्य में उपयोग होने के बावजूद कार्य स्थल से नमूना संग्रहण कर नमूनों की जाँच प्रयोगशाला में की गयी एवं इनके स्तर से निर्गत किसी भी जाँचफल में उक्त अनियमित कृत्य को रेखांकित नहीं किया गया। जबकि मुख्य अभियंता द्वारा भी कई पत्रों के माध्यम से कार्य में स्थानीय समग्री के उपयोग होने की उद्घोषणा की जाती रही है। यहाँ तक की इनके द्वारा स्वयं के स्तर से स्थल से नमूना संग्रह किया गया था। अतएव इन सब तथ्यों को अनदेखी करते हुए कार्य में प्रयुक्त हो रहे स्थानीय सामग्री को जाँचफल में रेखांकित नहीं किया गया। फलस्वरूप सामग्री ढुलाई मद में अनियमित भुगतान होना परिलक्षित है।

श्री चौधरी द्वारा आरोप के संदर्भ में लगभग वही तथ्य दिया गया है जो उनके द्वारा पूर्व में ही द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब एवं विभागीय कार्यवाही के दौरान संचालन पदाधिकारी को दिया गया है, इनके द्वारा मुख्य रूप से कहा गया है कि इनके द्वारा स्वयं के स्तर से स्थल से कोई भी नमूना संग्रह नहीं किया गया है स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। संचिका में उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि श्री चौधरी द्वारा कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं गुण नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी के प्रभार में रहते हुए स्वयं स्थल निरीक्षणोपरांत कार्य में प्रयुक्त सामग्री का नमूना संग्रह करते हुए उसकी जाँच हेतु शोध प्रमंडल को भेजा गया है तथा स्वयं के प्रयोगशाला में शोध सहायक के सहयोग से जाँचोपरांत जाँचफल कार्य प्रमंडल को भेजा गया है। उक्त किसी भी जाँचफल में कार्य में एकरारनामा के विपरीत स्थानीय सामग्री के उपयोग होने से संबंधित तथ्य को रेखांकित नहीं किया गया है।

श्री चौधरी के द्वारा यह भी कहा गया है कि शोध प्रमंडल में कार्य के एकरारनामा की प्रति नहीं रहने के कारण उक्त तथ्य को रेखांकित किया जाना संभव नहीं हो सका। प्रश्न है कि जब इन्हें एकरारनामा की प्रति उपलब्ध नहीं थी तो किस आधार पर जाँचफल निर्गत किया गया एवं एकरारनामा की प्रति प्राप्ति हेतु इनके स्तर से कौन सी कार्रवाई की गयी, के संबंध में कोई तथ्य उद्धित नहीं किया गया है। अतएव इनका कथन स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री रविन्द्र चौधरी (आई०डी०–4626), तत्कालीन उप निदेशक (कार्यपालक अभियंता), शोध प्रमंडल, वाल्मीकिनगर अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं गुण नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं०–938 दिनांक–03.07.2020 द्वारा संसूचित दंड यथा **''कालमान वेतनमान में एक वेतन प्रक्रम पर स्थायी रूप से अवनति एवं भावी वेतन वृद्धि देय नहीं होगी''** के विरूद्ध समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री रविन्द्र चौधरी (आई०डी०–4626), तत्कालीन उप निदेशक (कार्यपालक अभियंता), शोध प्रमंडल, वाल्मीकिनगर अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं गुण नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं०–938 दिनांक–03.07.2020 द्वारा संसूचित दंड के विरूद्ध समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत

करते हुए उक्त अधिसूचना द्वारा संसूचित दण्ड यथा **''कालमान वेतनमान में एक वेतन प्रक्रम पर स्थायी रूप से अवनति एवं भावी वेतन वृद्धि देय नहीं होगी''** को यथावत् रखा जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

14 जुलाई 2021

सं0 22/नि0सि0(वीर)07–05/2017–604––श्री नुतेश कुमार (आई0डी0–5064), तत0 सहायक अभियंता, पूर्वी तटबंध अवर प्रमंडल, सहरसा को सुपौल उपशाखा नहर के वि0दू0 26.00 पर निर्मित सी0डी0 संरचना के कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–1336 दिनांक 19.06.18 द्वारा निलंबित किया गया एवं तत्पश्चात विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1419 दिनांक 02.07.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत सरकार द्वारा श्री कुमार को निलंबन से मुक्त करते हुए कतिपय दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री नुतेश कुमार, सहायक अभियंता (निलंबित) को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है एवं दण्ड संबंधित आदेश पृथक से निर्गत किया जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

14 जुलाई 2021

सं0 22/नि0सि0(सम0)02–12/2014–605––श्री प्रदीप कुमार मंडल (आई0डी0–जे0 7576), तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बेगुसराय सम्प्रति बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, सैदपुर, पटना–800004 के पदस्थापन अवधि में खगड़िया टाउन प्रोटेक्शन से संबंधित तटबंध निर्माण कार्य में अधिकाई भुगतान के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए विभागीय अधिसूचना सं0–1159 दिनांक 11.06.2019 द्वारा निलंबित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2580 दिनांक 13.12.2019 द्वारा श्री मंडल के विरूद्ध अनुलग्न अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत निम्न आरोप के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी :–

"खगड़िया शहर सुरक्षा योजना भाग–1 के तहत निर्माणाधीन तटबंध के निर्माण कार्य में मात्र 3.285 कि0मी0 लंबाई में कार्य किया गया, जबकि भुगतान 3.72 कि0मी0 लंबाई में किया गया, जो आपके द्वारा जानबूझ कर सरकारी राशि की क्षति पहुँचाई गयी है।"

विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत आरोप को आंशिक प्रमाणित पाया गया। तत्पश्चात आंशिक प्रमाणित आरोप के लिए श्री मंडल, तत0 सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बेगुसराय सम्प्रति निलंबित से विभागीय पत्रांक–178 दिनांक 08.02.2021 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। तदालोक में श्री मंडल द्वारा अपना बचाव बयान दिया गया जो निम्नवत है :–

बचाव बयान :–

"उक्त सुरक्षा तटबंध निर्माण हेतु एकरारनामा कर दिनांक 01.02.2012 को कार्यादेश दिया गया। तद्नुसार भू–अर्जन हेतु आवश्यक कागजातों को कार्यालय एवं उच्च पदाधिकारियों के सहयोग से जिला भू–अर्जन कार्यालय, बेगुसराय में समर्पित कराया गया। यह तटबंध बाढ़ सुरक्षा तटबंध होने के कारण एवं उच्च पदाधिकारियों द्वारा शीघ्र कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण करने के दबाव के चलते तत्कालीन अंचलाधिकारी, बखरी एवं तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बेगुसराय के साथ कार्य स्थल पर विभिन्न तिथियों में ग्रामीणों से वार्त्ता की गयी। अंततः बाढ़ सुरक्षा तटबंध निर्माण हेतु बिना भू–अर्जन की प्रक्रिया पूरी किये ग्रामीणों द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की सहमति दी गयी। तदनुसार चेनेज 9.69 कि०मी० अप स्ट्रीम में कार्य प्रारम्भ हो सका। इस बीच सरकार के स्तर पर भू–अर्जन मुआवजा की नयी नीति एवं दर के अनुसार प्राक्कलन का पुनरीक्षण कर नये दर के अनुसार जिला भू–अर्जन कार्यालय को अतिरिक्त वांछित राशि उपलब्ध करायी गयी। भू–अर्जन की प्रक्रिया के अधीन 10 मौजा में से 5 मौजा हेतु कारवाई पंचाट निर्माण स्तर तक पहुँच गया था। परन्तु जिला भू–अर्जन कार्यालय द्वारा एक भी किसान को मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया था। भू–अर्जन कार्य का वांछित प्रगति न होने के कारण विभाग स्तर पर लिये गये निर्णय के अनुसार जिला भू–अर्जन कार्यालय बेगुसराय में जमा किये गये प्रस्ताव व राशि, वापस लेकर विशेष भू–अर्जन कार्यालय कोशी प्रोजेक्ट, दरभंगा में जमा किया गया है। पुनः विभागीय आदेश के आलोक में भू–अर्जन प्रक्रिया, जिला भू–अर्जन कार्यालय, बेगुसराय से कराने हेतु प्रस्ताव एवं राशि समर्पित किया गया। उक्त कथन को कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बेगुसराय द्वारा भी प्रतिवेदित किया गया है, जिसकी मूल प्रति विभाग में समर्पित है।

इस प्रकार भू–अर्जन की प्रक्रिया दिनांक 28.05.2020 तक पूर्ण नहीं हो पाया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भू–अर्जन की प्रक्रिया हेतु आवश्यक कागजातों एवं राशि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बेगुसराय में समर्पित किये जाने के उपरान्त तत्कालीन उच्च पदाधिकारियों के निदेश एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बेगुसराय के सहमति पर ही उक्त तटबंध

का निर्माण प्रारम्भ कराया गया था। ताकि दोनो एक्टिभिटी साथ–साथ चल सके। भवदीय भी सहमत होंगे कि सिर्फ एक सहायक अभियंता चाहकर भी बिना भू–अर्जन की प्रक्रिया के पूर्ण हुए कार्य प्रारम्भ नहीं करा सकता है।

अतः भू–अर्जन की प्रक्रिया अपूर्ण रहने के कारण उत्पन्न हुई स्थिति के लिये दोषी माना जाना कदापी उचित नहीं है।

श्री प्रदीप मंडल से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा (बचाव–बयान) के जवाब की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी जो निम्नवत है :–

समीक्षा :–

श्री मंडल से बिना भू–अर्जन की प्रक्रिया समाप्त किये ही कार्य प्रारम्भ करने के कारण किसानों द्वारा आंशिक निर्मित तटबंध के कुछ भाग को काटकर समतल किये जाने के लिये द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी।

इनके द्वारा कहा गया है कि भू–अर्जन की आवश्यक कागजातों को कार्यालय एवं उच्च पदाधिकारियों के सहयोग से जिला भू–अर्जन कार्यालय, बेगुसराय में समर्पित कराया गया है। उक्त तटबंध के, बाढ़ सुरक्षा तटबंध होने के कारण एवं उच्च पदाधिकारी द्वारा शीघ्र कार्य प्रारम्भ व पूर्ण करने के दबाव के चलते तत्कालीन अंचलाधिकारी, बखरी एवं तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी बेगुसराय के साथ कार्य स्थल पर विभिन्न तिथियों में ग्रामीणों से वार्त्ता की गयी। अंततः बाढ़ सुरक्षात्मक तटबंध की आवश्यकता एवं उपयोगिता बताते हुए मुआवजा भुगतान किये जाने के आश्वासन पर उक्त प्रस्तावित तटबंध के निर्माण हेतु बिना भू–अर्जन की प्रक्रिया पूरी किये ही किसानों की सहमति से कि०मी० 9.69 के U/S में कार्य प्रारम्भ किया गया। परन्तु जिला भू–अर्जन कार्यालय द्वारा एक भी किसान को भू–अर्जन मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया। इसी बीच भू–अर्जन मुआवजा की नयी निति एवं दर के अनुसार प्राक्कलन को पुनरीक्षण कर नये दर के अनुसार जिला भू–अर्जन कार्यालय में अतिरिक्त वांछित राशि उपलब्ध करायी गयी। भू–अर्जन की प्रक्रिया के वांछित प्रगति नहीं होने की स्थिति में विभाग स्तर पर लिये गये निर्णय के आलोक में जिला भू–अर्जन कार्यालय बेगुसराय से प्रस्ताव एवं राशि वापस लेकर विशेष भू–अर्जन कार्यालय कोशी प्रोजेक्ट दरभंगा में जमा किया गया। पुनः विभागीय आदेश के आलोक में भू–अर्जन प्रक्रिया जिला भू–अर्जन कार्यालय बेगुसराय से कराने हेतु प्रस्ताव एवं राशि समर्पित किया गया। इस प्रकार भू–अर्जन की प्रक्रिया दि० 28.05.2020 तक पूर्ण नहीं हो पाया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आरोपी द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु भू–अर्जन की प्रक्रिया सम्पन्न होने के लिये काफी प्रयास किया गया है तथा भू–अर्जन की प्रक्रिया के प्रत्याशा में बाढ़ सुरक्षा से संबंधित कार्य को उच्च पदाधिकारी के निदेश के आलोक में किसानों की सहमति से प्रश्नगत कार्य को प्रारम्भ किया गया है। ततपश्चात भू–अर्जन मुआवजा का भुगतान नहीं होने के कारण कार्य की प्रगति रूक गयी एवं लम्बी अविध तक उक्त कार्य के बन्द रहने के कारण उक्त तटबंध में कई स्थानों पर टो की मिट्टी एवं कृत कार्य बीचों–बीच एवं अंतिम सिरे में तटबंध के कुछ भाग को ग्रामीणों द्वारा समतल कर खेत में मिला लिया जाना परिलक्षित होता है उक्त कथन की पुष्टि उड़नदस्ता जाँच दल द्वारा कि०मी० 8.0 से 8.10 एवं कि०मी० 7.62 से 7.65 के बीच किसानों द्वारा तटबंध को काटकर NSL पर समतल कर लिये जाने संबंधी टिप्पणी से होती है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थलों पर ग्रामीणों द्वारा तटबंध यथा 5.97 कि०मी० से 6.22 कि०मी० एवं 9.6 कि०मी० से 9.69 कि०मी० के बीच तथा मध्य भाग में 6.29 कि०मी० से 6.63 कि०मी० के बीच काटकर समतल किये जाने संबंधि दावा सही प्रतीत होता है।

स्थल निरीक्षण के क्रम में लेखा परीक्षक दल द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित प्रतिवेदन में उल्लेख है कि लगभग 2 कि०मी० की लम्बाई में पूर्ण सेक्सन एवं लगभग 2 कि०मी० की लम्बाई में आंशिक सेक्सन में कार्य सम्पन्न हुआ है (पृ० 361/प०द्र०)।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उच्च पदाधिकारी के निदेश के आलोक में बाढ़ सुरक्षा जैसी अति आवश्यक कार्य के मद्देनजर बिना भू–अर्जन की प्रक्रिया कराये ही कार्य प्रारंभ किया गया। इस प्रकार श्री मंडल के विरूद्ध बिना भू–अर्जन की प्रक्रिया सम्पन्न कराये ही कार्य प्रारंभ करने का आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया है। इस प्रकार श्री मंडल का द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के संदर्भ में श्री प्रदीप कुमार मंडल, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बेगुसराय को निलंबन मुक्त करते हुए आंशिक प्रमाणित आरोप के लिए **"एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"** का दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। उक्त दण्ड निर्णय पर माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

सरकार के स्तर पर लिये गये निर्णय के आलोक में श्री प्रदीप कुमार मंडल, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बेगुसराय को निलंबन मुक्त करते हुए निम्न दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :–

"एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

16 जुलाई 2021

सं0 22/नि0सि0(पू0)–01–03/2015–633––श्री ललन प्रसाद सिंह (आई0डी0–जे–7512), तत्कालीन कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, मुरलीगंज को मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियाँ के अधीन पूर्वी कोशी नहर पुनर्स्थापन कार्य से संबंधित योजना में प्राक्कलन की विशिष्टियों एवं गुणवत्ता का ध्यान नहीं रख कर न्यून विशिष्टि का कार्य कराने, पक्की संरचनाओं में सीमेंट की मात्रा कम होने, कराये गये मिट्टी कार्य में सेटलमेंट मद में मिट्टी की मात्रा की कटौती किये

बगैर संवेदक को भुगतान करने, बिना सर्वेक्षण किये ही स्थल के अनुरूप DPR प्राक्कलन में प्रावधान नहीं करने, कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने, पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने इत्यादि अन्य आरोपों के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप सरकार के स्तर पर लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0–1598 दिनांक 25.07.2018 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2462 दिनांक 28.11.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में ही श्री सिंह दिनांक 28.02.2021 को सेवानिवृत हो गये। श्री सिंह के सेवानिवृति के उपरांत दिनांक 28.02.2021 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री ललन प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता को दिनांक 28.02.2021 के प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

———

19 जुलाई 2021

सं0 22/नि०सि०(मुक०)पू0–19–33/2011(पार्ट)/635––श्री शंभु शरण सिन्हा (आई०डी०–3192), तत्कालीन (प्रभारी उप समाहर्त्ता) सहायक अभियंता, राजस्व सिंचाई प्रमंडल, पूर्णियाँ के विरूद्ध रोकड़बही में हेरफेर कर सरकारी राशि का गबन करने के आरोप के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–811 दिनांक–16.07.2005 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी तथा आरोप को प्रमाणित पाते हुए विभागीय अधिसूचना सं0–1052 दिनांक–12.10.2009 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड दिया गया। दण्डादेश के विरूद्ध श्री सिन्हा द्वारा ॅ्श्र६ छव.11259/2010 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–01.12.2011 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में उक्त विभागीय अधिसूचना को निरस्त करते हुए श्री सिन्हा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं गबन के आरोप को प्रमाणित पाते हुए विभागीय अधिसूचना सं0–356 दिनांक–15.03.2013 द्वारा पुनः सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री सिन्हा द्वारा पुनः माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 8280/2014 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–13.04.2018 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0–356 दिनांक–15.03.2013 को निरस्त करते हुए श्री सिन्हा के विरूद्ध नये सिरे से विभागीय संकल्प सं0–2076 दिनांक–14.09.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में श्री सिन्हा, सहायक अभियंता दिनांक–31.01.2021 को सेवानिवृत हो गए। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(5), 6(क) में स्पष्ट उल्लेखित है कि जहाँ सरकारी सेवक पर सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृति की अधिरोपित शास्ति किसी न्यायालय के किसी आदेश के द्वारा निरस्त कर दी जाती है या के परिणाम स्वरूप शून्य घोषित होती है या शून्य हो जाती है और अनुशासनिक प्राधिकार मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात, ऐसी परिस्थिति में यदि न्यायालय ने मामले के गुणावगुण पर विचार किए बिना मात्र तकनीकी आधार पर आदेश पारित किया हो, सरकारी सेवक के विरूद्ध ऐसे आरोपों जिन पर सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृति की शास्ति मूलतः अधिरोपित की गई थी, की पुनः जाँच करने का विनिश्चय करता है, वहाँ सरकारी सेवक सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृति के मूल आदेश की तिथि से नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निलंबित किया हुआ समझा जाएगा और अगले आदेश तक निलंबनाधीन रहेगा। इस नियम के अधीन किया गया अथव किया हुआ समझा गया कोई निलंबनादेश तब तक प्रवृत रहेगा जब तक सक्षम प्राधिकार द्वारा उसे संशोधित न किया जाय या वापस न लिया जाय।

उक्त नियम के आलोक में श्री शंभु शरण सिन्हा, सहायक अभियंता दिनांक–12.10.2009 से दिनांक–30.01.2021 सेवानिवृति की तिथि तक निलंबित समझे जायेंगे।

चूँकि श्री शंभु शरण सिन्हा, सहायक अभियंता दिनांक–31.01.2021 को सेवानिवृत हो गये हैं, को उनकी सेवानिवृति तिथि दिनांक–31.01.2021 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री सिन्हा को उनकी सेवानिवृति तिथि दिनांक–31.01.2021 के प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

———

28 जुलाई 2021

सं0 22/नि0सि0(वीर0)–07–04/2021–679––श्री महेश प्रसाद सिंह (आई0डी0 सं०–जे 7703), अवर प्रमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली, सुपौल के विरूद्ध पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली के अन्तर्गत डगमारा मार्जिनल बाँध के कि0मी0 1.50 के समीप हुए बाँध के टूटान में बरती गई लापरवाही के मामले में सरकार के स्तर पर सम्यक समीक्षोपरांत लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री महेश प्रसाद सिंह, अवर प्रमंडल पदाधिकारी का मुख्यालय मुख्य अभियंता का कार्यालय, सिंचाई सृजन जल संसाधन विभाग, डिहरी निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री महेश प्रसाद सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

28 जुलाई 2021

सं0 22 / नि0सि0(वीर0)–07–04 / 2021–680––श्री सतीश कुमार (आई0डी0 सं०–4045), कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली, सुपौल के विरूद्ध पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली के अन्तर्गत डगमारा मार्जिनल बाँध के कि0मी0 1.50 के समीप हुए बाँध के टूटान में बरती गई लापरवाही के मामले में सरकार के स्तर पर सम्यक समीक्षोपरांत लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री सतीश कुमार, कार्यपालक अभियंता का मुख्यालय मुख्य अभियंता का कार्यालय, सिंचाई सृजन जल संसाधन विभाग, डिहरी निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री सतीश कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

30 जुलाई 2021

सं0 22 / नि0सि0(सिवान)11–21 / 2011–705––श्री जनार्दन प्रसाद (आई0डी0–2007) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा शिविर–गोपालगंज (प्रतिनियुक्त) सम्प्रति सेवानिवृत को विभागीय उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में वर्ष 2011 में सारण तटबंध के 142.70 कि0मी0 से 152.00 कि0मी0 के बीच गंडक नदी में पायलट चैनल का निर्माण कार्य में कतिपय अनियमितता बरतने संबंधी प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–1348 दिनांक 03.11.2011 द्वारा निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1437 दिनांक 22. 11.11 द्वारा निम्नांकित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानो के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया :–

"बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा शिविर–गोपालगंज में प्रतिनियुक्ति अवधि में सारण तटबंध के 142.70 कि0मी0 से 152.00कि0मी0 के बीच पायलट चैनल का निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं एकरारनामा में प्रावधानित कार्यमद "Removal of silt/shoal/earth by dredging from channel including fixing of pipelines. Floaters & floating pipeline for disposing of water slurry consisting of silt and sand etc. including levelling our dredged materials in the disposal area. it Includes the cost of labour, material, cost of consumable POL, cost of spare parts (minor & major repairs) & accessories required to keep dredger in smooth running condition even after completion of job. Maintenance of dredger T&P etc. Complete as directed by EIC including earth work in excavation by means of earth moving machines including transportation with all lead and lift for disposal beyond 1 K.M. The Job includes cleaning of sites, all site surveys for actual assessment of quantum of work, methodology and type of dredger to be employed and maintenance dredging for one year." के अनुरूप कार्य कराया जाना था परन्तु आपके द्वारा कार्य मद से हटकर केवल राजस्थानी ट्रैक्टर से Required bed level से उपर का कार्य कराया गया जिसका दर 59.80 प्रति घनमीटर है। संपादित कार्य का विपत्र एकरारित कार्यमद एवं दर के अनुरूप रू0 202.00 प्रति घनमीटर से तैयार किया गया जबकि कार्यस्थल पर ड्रेजिंग मशीन आया ही नहीं। जिसके फलस्वरूप प्रथम विपत्र के माध्यम से संपादित कार्य 115755 घनमीटर के विरूद्ध रू0 16694186.00 का विपत्र के अनियमित राशि भुगतान हेतु अनुशंसा की गयी। जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये है।"

श्री जनार्दन प्रसाद के दिनांक 30.06.12 को सेवानिवृत हो जाने की स्थिति में विभागीय अधिसूचना सं0–958 दिनांक 05.09.12 द्वारा उन्हें निलंबन मुक्त करते हुए उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के अन्तर्गत सम्परिवर्तित किया गया।

उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत सक्षम प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री जनार्दन प्रसाद के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–1852 दिनांक 19.08.2015 द्वारा निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया गया :–

(क) "दस प्रतिशत पेंशन की तीन वर्षों तक कटौती।"

(ख) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं, परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जाएगी।"

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री जनार्दन प्रसाद द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया। मामले की समीक्षा में पाया गया कि गंडक नदी में पायलट चैनल कार्य में शर्त्तों का उल्लंघन कर अधिकाई व्यय का मामला समाने आने पर

इसकी जांच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी। उड़नदस्ता प्रतिवेदन में कहा गया है कि संवेदक द्वारा एकरारनामा के अनुरूप कार्य नहीं करने, निविदा की शर्त्तो का उल्लंघन करने आदि के कारण अधिकाई व्यय का मामला बनता है। इन विसंगतियों की जांच तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग से भी करायी गयी। तकनीकी परीक्षक कोषांग के प्रतिवेदन में निविदा के अनुरूप कार्य नहीं होने तथा संवेदक को अधिकाई भुगतान होने का उल्लेख किया गया। विभागीय उड़नदस्ता एवं तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा अनियमित भुगतान की राशि का निर्धारण मुख्य अभियंता, सिवान के पत्रांक–2430 दिनांक 20.07.2011 के आधार पर जल स्तर के उपर कराये गये मिट्टी कार्य का दर 59.80 रू0 प्रति घनमीटर के आधार पर किया गया है। इससे संबंधित मामले को विभागीय पत्रांक–113 दिनांक 13.08.14 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में लोक लेखा समिति द्वारा निष्पादित कर दिया गया। अतएव ड्रेजिंग के दर में विसंगतियों को देखते हुए विभागीय आदेश सं0–46 दिनांक 22.4.16 द्वारा चार सदस्यीय जाँच टीम का गठन किया गया। उक्त जाँच टीम में निम्नलिखित सदस्य थे :–(1) श्री गुंजालाल राम, मुख्य अभियंता, सिवान–अध्यक्ष (2) श्री कैलु सरदार, मुख्य अभियंता, वाल्मीकिनगर–सदस्य (3) श्री राम विनय शर्मा, अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल, पटना–सदस्य (4) श्री वासुकीनाथ प्रसाद, अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, गोपालगंज –सदस्य सचिव (बाद में श्री प्रसाद के अवकाश में रहने के कारण इनके स्थान पर तत्कालीन प्रभारी अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, गोपालगंज को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया। उक्त जाँच समिति के प्रतिवेदन के निष्कर्ष में समिति ने मत दिया कि ड्रेजिंग की दर 202 रू0 प्रति घनमीटर माना जा सकता है।

सम्पूर्ण तथ्यों की विभागीय समीक्षा में पाया गया कि पानी की सतह के नीचे ड्रेजर एवं इसके पाईप लाईन के सहायता से 1 कि0मी0 से बाहर Slurry के disposal करने की दर अनुसूचित दर पुस्तिका में उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त दोनों कार्य मद को समेकित कर रूपये 202 रू0 प्रति घनमीटर दर निर्धारित किया गया और इसी दर पर संवेदक के साथ एकरारनामा किया गया। प्राक्कलन में कहीं भी 59.80 रू0 प्रति घनमीटर का दर निर्धारित नहीं है बल्कि विभाग द्वारा स्वीकृत दर 202 रू0 प्रति घनमीटर की दर से एकरारनामा करते हुए संवेदक को इसी दर से भुगतान किया गया। अतएव यह मामला अधिकाई भुगतान का नहीं है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में मामले की सम्यक समीक्षोपरांत श्री जनार्दन प्रसाद (आई0डी0–2007) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा शिविर–गोपालगंज (प्रतिनियुक्त) द्वारा उक्त संसूचित दण्ड के विरूद्ध समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को स्वीकार योग्य पाया गया है एवं उनके विरूद्ध अधिरोपित शास्ति को निरस्त करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

अतः सक्षम प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री जनार्दन प्रसाद (आई0डी0–2007) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा शिविर–गोपालगंज (प्रतिनियुक्त) द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को स्वीकार योग्य पाते हुए उनके विरूद्ध उक्त विभागीय अधिसूचना सं0–1852 दिनांक 19.08.15 द्वारा अधिरोपित दण्ड को निरस्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

30 जुलाई 2021

सं0 22/नि0सि0(सिवान)11–21/2011–706—श्री रवीन्द्र कुमार जायसवाल (आई0डी0–2012) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा शिविर–गोपालगंज को विभागीय उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में वर्ष 2011 में सारण तटबंध के 117.05 कि0मी0 से 124.25 कि0मी0 के बीच गंडक नदी में पायलट चैनल का निर्माण कार्य में कतिपय अनियमितता बरतने संबंधी प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–1346 दिनांक 03.11.2011 द्वारा निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1435 दिनांक 22.11.11 द्वारा निम्नांकित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानो के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गयाः–

"बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा शिविर–गोपालगंज की पदस्थापन अवधि में सारण तटबंध के 117.05 कि0मी0 से 124.25कि0मी0 (सिकटिया–बधवारा गाँव) के बीच पायलट चैनल का निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं एकरारनामा में प्रावधानित कार्यमद "Removal of silt/shoal/earth by dredging from channel including fixing of pipelines. Floaters & floating pipeline for disposing of water slurry consisting of silt and sand etc. including levelling our dredged materials in the disposal area. it Includes the cost of labour, material, cost of consumable POL, cost of spare parts (minor & major repairs) & accessories required to keep dredger in smooth running condition even after completion of job. Maintenance of dredger T&P etc. Complete as directed by EIC including earth work in excavation by means of earth moving machines including transportation with all lead and lift for disposal beyond 1 K.M. The Job includes cleaning of sites, all site surveys for actual assessment of quantum of work, methodology and type of dredger to be employed and maintenance dredging for one year." के अनुरूप कार्य कराया जाना था परन्तु आपके द्वारा कार्य मद से हटकर केवल राजस्थानी ट्रैक्टर से Required bed level से उपर का कार्य कराया गया जिसका दर 59.80 प्रति घनमीटर है। संपादित कार्य का भुगतान एकरारित कार्य मद के अनुरूप एकरारित दर रू0 202.00 प्रति घनमीटर से किया गया जबकि कार्यस्थल पर ड्रेजिंग

मशीन आया ही नहीं। इस प्रकार कार्यमद के अनुरूप कार्य कराये बगैर आपके द्वारा प्रथम विपत्र के माध्यम से संपादित कार्य 49975.35 घनमीटर के विरूद्ध रू0 7106494.00 का अनियमित भुगतान किया गया है। जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये है।"

उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री रवीन्द्र कुमार जायसवाल को विभागीय अधिसूचना सं0–536 दिनांक 27.02.2015 द्वारा निलंबन मुक्त किया गया एवं उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–1853 दिनांक 19.08.2015 द्वारा निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया गया :–

(क) "कालमान वेतन के पाँच वेतन प्रक्रम नीचे पाँच वर्षों के लिए अवनति।"

(ख) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं, परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जाएगी।"

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री रवीन्द्र कुमार जायसवाल द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया। मामले की समीक्षा में पाया गया कि गंडक नदी में पायलट चैनल कार्य में शर्त्तों का उल्लंघन कर अधिकाई व्यय का मामला समाने आने पर इसकी जांच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी। उड़नदस्ता प्रतिवेदन में कहा गया है कि संवेदक द्वारा एकरारनामा के अनुरूप कार्य नहीं करने, निविदा की शर्त्तो का उल्लंघन करने आदि के कारण अधिकाई व्यय का मामला बनता है। इन विसंगतियों की जांच तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग से भी करायी गयी। तकनीकी परीक्षक कोषांग के प्रतिवेदन में निविदा के अनुरूप कार्य नहीं होने तथा संवेदक को अधिकाई भुगतान होने का उल्लेख किया गया। विभागीय उड़नदस्ता एवं तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा अनियमित भुगतान की राशि का निर्धारण मुख्य अभियंता, सिवान के पत्रांक–2430 दिनांक 20.07.2011 के आधार पर जल स्तर के उपर कराये गये मिट्टी कार्य का दर 59.80 रू0 प्रति घनमीटर के आधार पर किया गया है। इससे संबंधित मामले को विभागीय पत्रांक–113 दिनांक 13.08.14 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में लोक लेखा समिति द्वारा निष्पादित कर दिया गया। अतएव ड्रेजिंग के दर में विसंगतियों को देखते हुए विभागीय आदेश सं0–46 दिनांक 22.4.16 द्वारा चार सदस्यीय जाँच टीम का गठन किया गया। उक्त जाँच टीम में निम्नलिखित सदस्य थे :–(1) श्री गुंजालाल राम, मुख्य अभियंता, सिवान–अध्यक्ष (2) श्री कैलु सरदार, मुख्य अभियंता, वाल्मीकिनगर–सदस्य (3) श्री राम विनय शर्मा, अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल, पटना–सदस्य (4) श्री वासुकीनाथ प्रसाद, अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, गोपालगंज –सदस्य सचिव (बाद में श्री प्रसाद के अवकाश में रहने के कारण इनके स्थान पर तत्कालीन प्रभारी अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, गोपालगंज को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया। उक्त जाँच समिति के प्रतिवेदन के निष्कर्ष में समिति ने मत दिया कि ड्रेजिंग की दर 202 रू0 प्रति घनमीटर माना जा सकता है।

सम्पूर्ण तथ्यों की विभागीय समीक्षा में पाया गया कि पानी की सतह के नीचे ड्रेजर एवं इसके पाईप लाईन के सहायता से 1 कि0मी0 से बाहर Slurry के disposal करने की दर अनुसूचित दर पुस्तिका में उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त दोनों कार्य मद को समेकित कर रूपये 202 रू0 प्रति घनमीटर दर निर्धारित किया गया और इसी दर पर संवेदक के साथ एकरारनामा किया गया। प्राक्कलन में कहीं भी 59.80 रू0 प्रति घनमीटर का दर निर्धारित नहीं है बल्कि विभाग द्वारा स्वीकृत दर 202 रू0 प्रति घनमीटर की दर से एकरारनामा करते हुए संवेदक को इसी दर से भुगतान किया गया। अतएव यह मामला अधिकाई भुगतान का नहीं है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में मामले की सम्यक समीक्षोपरांत श्री रवीन्द्र कुमार जायसवाल (आई0डी0–2012) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा शिविर–गोपालगंज द्वारा उक्त संसूचित दण्ड के विरूद्ध समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को स्वीकार योग्य पाया गया है एवं उनके विरूद्ध अधिरोपित शास्ति को निरस्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री रवीन्द्र कुमार जायसवाल (आई0डी0–2012) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा शिविर–गोपालगंज द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को स्वीकार योग्य पाते हुए उनके विरूद्ध उक्त विभागीय अधिसूचना सं0–1853 दिनांक 19.08.15 द्वारा अधिरोपित दण्ड को निरस्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

30 जुलाई 2021

सं0 22 / नि0सि0(सिवान)11–21 / 2011–707––श्री सुदामा राय (आई0डी0–3273) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा शिविर–गोपालगंज के विरूद्ध विभागीय उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में वर्ष 2011 में सारण तटबंध के 117.05 कि0मी0 से 124.25 कि0मी0 के बीच गंडक नदी में पायलट चैनल का निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने संबंधी निम्नांकित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1434 दिनांक 22.11.11 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानो के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया :–

"**आरोप–1–**बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा शिविर–गोपालगंज में सारण तटबंध के 117.05 कि0मी0 से 124. 25कि0मी0 (सिकटिया–बधवारा गाँव) के बीच पायलट चैनल का निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं एकरारनामा में प्रावधानित कार्यमद "Removal of silt/shoal/earth by dredging from channel including fixing of pipelines. Floaters & floating pipeline for disposing of water slurry consisting of silt and sand etc. including levelling our dredged materials in the disposal area. it Includes the cost of labour, material, cost

of consumable POL, cost of spare parts (minor & major repairs) & accessories required to keep dredger in smooth running condition even after completion of job. Maintenance of dredger T&P etc. Complete as directed by EIC including earth work in excavation by means of earth moving machines including transportation with all lead and lift for disposal beyond 1 K.M. The Job includes cleaning of sites, all site surveys for actual assessment of quantum of work, methodology and type of dredger to be employed and maintenance dredging for one year." के अनुरूप कार्य कराया जाना था परन्तु आपके द्वारा कार्य मद से हटकर केवल राजस्थानी ट्रैक्टर से Required bed level से उपर का कार्य कराया गया जिसका दर 59.80 प्रति घनमीटर है। संपादित कार्य का भुगतान एकरारित कार्य मद के अनुरूप एकरारित दर रू0 202.00 प्रति घनमीटर से किया गया जबकि कार्यस्थल पर ड्रेजिंग मशीन आया ही नहीं। इस प्रकार कार्यमद के अनुरूप कार्य कराये बगैर आपके द्वारा प्रथम विपत्र के माध्यम से संपादित कार्य 217522.32 घनमीटर के विरूद्ध रू0 30931673.00 का अनियमित भुगतान किया गया है। जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये है।

आरोप–2–पायलट चैनेल के ड्रेजिंग कार्य में निविदा की शर्त्तों के Mode of payment में स्पष्ट प्रावधान है कि "Payment for even number and final bills will be made after verification of measurement by Ocean Department of IIT, Madras/Bombay/Kharagpur" का Gross violation कर द्वितीय चालू विपत्र का भुगतान आपके द्वारा किया गया जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये।

आरोप–3–अभियंता प्रमुख के पत्रांक–1865 दिनांक 09.07.11 जिसकी प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, सिवान द्वारा आपको दी गयी थी में स्पष्ट निदेश दिया गया है कि पायलट चैनेल कार्य में जुलाई माह के प्रथम सप्ताह तक ड्रेजिंग कार्य मशीन द्वारा शुरू नहीं करने तथा ससमय कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के आलोक में संवेदक के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाए परन्तु आपके द्वारा संवेदक के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने के बजाय द्वितीय विपत्र का भुगतान किया गया जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये।"

तदोपरांत उपर्युक्त मामले में विभागीय अधिसूचना सं0–1532 दिनांक 15.12.11 द्वारा श्री सुदामा राय को निलंबित किया गया।

उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सुदामा राय को विभागीय अधिसूचना सं0–541 दिनांक 27.02.2015 द्वारा निलंबन मुक्त किया गया एवं उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–1812 दिनांक 17.08.2015 द्वारा निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया गया :–

(क) "पाँच वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।"

(ख) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं, परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जाएगी।"

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री सुदामा राय द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया। मामले की समीक्षा में पाया गया कि गंडक नदी में पायलट चैनल कार्य में शर्त्तों का उल्लंघन कर अधिकाई व्यय का मामला समाने आने पर इसकी जांच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी। उड़नदस्ता प्रतिवेदन में कहा गया है कि संवेदक द्वारा एकरारनामा के अनुरूप कार्य नहीं करने, निविदा की शर्त्तो का उल्लंघन करने आदि के कारण अधिकाई व्यय का मामला बनता है। इन विसंगतियों की जांच तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग से भी करायी गयी। तकनीकी परीक्षक कोषांग के प्रतिवेदन में निविदा के अनुरूप कार्य नहीं होने तथा संवेदक को अधिकाई भुगतान होने का उल्लेख किया गया। विभागीय उड़नदस्ता एवं तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा अनियमित भुगतान की राशि का निर्धारण मुख्य अभियंता, सिवान के पत्रांक–2430 दिनांक 20.07.2011 के आधार पर जल स्तर के उपर कराये गये मिट्टी कार्य का दर 59.80 रू0 प्रति घनमीटर के आधार पर किया गया है। इससे संबंधित मामले को विभागीय पत्रांक–113 दिनांक 13.08.14 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में लोक लेखा समिति द्वारा निष्पादित कर दिया गया। अतएव ड्रेजिंग के दर में विसंगतियों को देखते हुए विभागीय आदेश सं0–46 दिनांक 22.4.16 द्वारा चार सदस्यीय जाँच टीम का गठन किया गया। उक्त जाँच टीम में निम्नलिखित सदस्य थे :–(1) श्री गुंजालाल राम, मुख्य अभियंता, सिवान–अध्यक्ष (2) श्री कैलु सरदार, मुख्य अभियंता, वाल्मीकिनगर–सदस्य (3) श्री राम विनय शर्मा, अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल, पटना–सदस्य (4) श्री वासुकीनाथ प्रसाद, अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, गोपालगंज –सदस्य सचिव (बाद में श्री प्रसाद के अवकाश में रहने के कारण इनके स्थान पर तत्कालीन प्रभारी अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, गोपालगंज को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया। उक्त जाँच समिति के प्रतिवेदन के निष्कर्ष में समिति ने मत दिया कि ड्रेजिंग की दर 202 रू0 प्रति घनमीटर माना जा सकता है।

सम्पूर्ण तथ्यों की विभागीय समीक्षा में पाया गया कि पानी की सतह के नीचे ड्रेजर एवं इसके पाईप लाईन के सहायता से 1 कि0मी0 से बाहर Slurry के disposal करने की दर अनुसूचित दर पुस्तिका में उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त दोनों कार्य मद को समेकित कर रूपये 202 रू0 प्रति घनमीटर दर निर्धारित किया गया और इसी दर पर संवेदक के साथ एकरारनामा किया गया। प्राक्कलन में कहीं भी 59.80 रू0 प्रति घनमीटर का दर निर्धारित नहीं है बल्कि विभाग द्वारा स्वीकृत दर 202 रू0 प्रति घनमीटर की दर से एकरारनामा करते हुए संवेदक को इसी दर से भुगतान किया गया। अतएव यह मामला अधिकाई भुगतान का नहीं है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में मामले की सम्यक समीक्षोपरांत श्री सुदामा राय (आई0डी0–3273) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा शिविर–गोपालगंज द्वारा उक्त संसूचित दण्ड के विरूद्ध समर्पित

पुनर्विलोकन अर्जी को स्वीकार योग्य पाया गया है एवं उनके विरूद्ध अधिरोपित शास्ति को निरस्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सुदामा राय (आई0डी0–3273) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा शिविर–गोपालगंज द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को स्वीकार योग्य पाते हुए उनके विरूद्ध उक्त विभागीय अधिसूचना सं0–1812 दिनांक 17.08.15 द्वारा अधिरोपित दण्ड को निरस्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

30 जुलाई 2021

सं0 22 / नि0सि0(सिवान)11–21 / 2011–712––श्री मृत्युंजय प्रसाद सिंह (आई0डी0–जे 5215) तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा, शिविर–गोपालगंज को विभागीय उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में वर्ष 2011 में सारण तटबंध के 117.05 कि0मी0 से 124.25 कि0मी0 के बीच गंडक नदी में पायलट चैनल का निर्माण कार्य में कतिपय अनियमितता बरतने संबंधी प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–1350 दिनांक 03.11.2011 द्वारा निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1436 दिनांक 22.11.11 द्वारा निम्नांकित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानो के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया :–

"सारण तटबंध के 117.05 कि0मी0 से 124.25 कि0मी0 (सिकटिया–बधवारा गाँव) के बीच पायलट चैनल का निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं एकरारनामा में प्रावधानित कार्यमद "Removal of silt/shoal/earth by dredging from channel including fixing of pipelines. Floaters & floating pipeline for disposing of water slurry consisting of silt and sand etc. including levelling our dredged materials in the disposal area. It includes the cost of labour, material, cost of consumable POL, cost of spare parts (minor & major repairs) & accessories required to keep dredger in smooth running condition even after completion of job. Maintenance of dredger T&P etc. Complete as directed by EIC including earth work in excavation by means of earth moving machines including transportation with all lead and lift for disposal beyond 1 K.M. The Job includes cleaning of sites, all site surveys for actual assessment of quantum of work, methodology and type of dredger to be employed and maintenance dredging for one year." के अनुरूप कार्य कराया जाना था परन्तु आपके द्वारा कार्य मद से हटकर केवल राजस्थानी ट्रैक्टर से Required bed level से उपर का कार्य कराया गया जिसका दर 59.80 प्रति घनमीटर है। संपादित कार्य का विपत्र एकरारित कार्यमद एवं एकरारित दर रू0 202.00 प्रति घनमीटर के अनुरूप तैयार किया गया जबकि कार्यस्थल पर ड्रेजिंग मशीन आया ही नहीं। इस प्रकार कार्यमद के अनुरूप कार्य कराये बगैर आपके द्वारा प्रथम एवं द्वितीय विपत्र के माध्यम से संपादित कार्य 267497.69 घनमीटर के विरूद्ध रू0 38037167.00 का अनियमित राशि का विपत्र के भुगतान हेतु अनुशंसा की गयी। जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये।"

उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मृत्युंजय प्रसाद सिंह को विभागीय अधिसूचना सं0–537 दिनांक 27.02.2015 द्वारा निलंबन मुक्त किया गया एवं उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–1870 दिनांक 20.08.2015 द्वारा निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया गया :–

(क) "कालमान वेतन के पाँच वेतन प्रक्रम नीचे पाँच वर्षों के लिए अवनति।"

(ख) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं, परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जाएगी।"

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री मृत्युंजय प्रसाद सिंह द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया। मामले की समीक्षा में पाया गया कि गंडक नदी में पायलट चैनल कार्य में शर्त्तों का उल्लंघन कर अधिकाई व्यय का मामला समाने आने पर इसकी जांच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी। उड़नदस्ता प्रतिवेदन में कहा गया है कि संवेदक द्वारा एकरारनामा के अनुरूप कार्य नहीं करने, निविदा की शर्त्तो का उल्लंघन करने आदि के कारण अधिकाई व्यय का मामला बनता है। इन विसंगतियों की जांच तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग से भी करायी गयी। तकनीकी परीक्षक कोषांग के प्रतिवेदन में निविदा के अनुरूप कार्य नहीं होने तथा संवेदक को अधिकाई भुगतान होने का उल्लेख किया गया। विभागीय उड़नदस्ता एवं तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा अनियमित भुगतान की राशि का निर्धारण मुख्य अभियंता, सिवान के पत्रांक–2430 दिनांक 20. 07.2011 के आधार पर जल स्तर के उपर कराये गये मिट्टी कार्य का दर 59.80 रू0 प्रति घनमीटर के आधार पर किया गया है। इससे संबंधित मामले को विभागीय पत्रांक–113 दिनांक 13.08.14 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में लोक लेखा समिति द्वारा निष्पादित कर दिया गया। अतएव ड्रेजिंग के दर में विसंगतियों को देखते हुए विभागीय आदेश सं0–46 दिनांक 22.4.16 द्वारा चार सदस्यीय जाँच टीम का गठन किया गया। उक्त जाँच टीम में निम्नलिखित सदस्य थे :–(1) श्री गुंजालाल राम, मुख्य अभियंता, सिवान–अध्यक्ष (2) श्री कैलु सरदार, मुख्य अभियंता, वाल्मीकिनगर–सदस्य (3) श्री राम विनय शर्मा, अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल, पटना–सदस्य (4) श्री वासुकीनाथ प्रसाद, अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल,

गोपालगंज –सदस्य सचिव (बाद में श्री प्रसाद के अवकाश में रहने के कारण इनके स्थान पर तत्कालीन प्रभारी अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, गोपालगंज को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया। उक्त जाँच समिति के प्रतिवेदन के निष्कर्ष में समिति ने मत दिया कि ड्रेजिंग की दर 202 रू0 प्रति घनमीटर माना जा सकता है।

सम्पूर्ण तथ्यों की विभागीय समीक्षा में पाया गया कि पानी की सतह के नीचे ड्रेजर एवं इसके पाईप लाईन के सहायता से 1 कि0मी0 से बाहर Slurry के disposal करने की दर अनुसूचित दर पुस्तिका में उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त दोनों कार्य मद को समेकित कर रूपये 202 रू0 प्रति घनमीटर दर निर्धारित किया गया और इसी दर पर संवेदक के साथ एकरारनामा किया गया। प्राक्कलन में कहीं भी 59.80 रू0 प्रति घनमीटर का दर निर्धारित नहीं है बल्कि विभाग द्वारा स्वीकृत दर 202 रू0 प्रति घनमीटर की दर से एकरारनामा करते हुए संवेदक को इसी दर से भुगतान किया गया। अतएव यह मामला अधिकाई भुगतान का नहीं है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में मामले की सम्यक समीक्षोपरांत श्री मृत्युंजय प्रसाद सिंह (आई0डी0–5215) तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा शिविर–गोपालगंज द्वारा उक्त संसूचित दण्ड के विरूद्ध समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को स्वीकार योग्य पाया गया है एवं उनके विरूद्ध अधिरोपित शास्ति को निरस्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मृत्युंजय प्रसाद सिंह (आई0डी0–5215) तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा शिविर–गोपालगंज द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को स्वीकार योग्य पाते हुए उनके विरूद्ध उक्त विभागीय अधिसूचना सं0–1870 दिनांक 20.08.15 द्वारा अधिरोपित दण्ड को निरस्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

30 जुलाई 2021

सं0 22 / नि0सि0(सिवान)11–21 / 2011–713––श्री रत्नेश्वर कुमार सिंह (आई0डी0–जे 4612) तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा शिविर–गोपालगंज (प्रतिनियुक्त) सम्प्रति सेवानिवृत को विभागीय उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में वर्ष 2011 में सारण तटबंध के 142.70 कि0मी0 से 152.00 कि0मी0 के बीच गंडक नदी में पायलट चैनल का निर्माण कार्य में कतिपय अनियमितता बरतने संबंधी प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–1347 दिनांक 03.11.2011 द्वारा निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1438 दिनांक 22. 11.11 द्वारा निम्नांकित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानो के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया :–

"बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा शिविर–गोपालगंज में प्रतिनियुक्ति अवधि में सारण तटबंध के 142.70 कि0मी0 से 152.00कि0मी0 के बीच पायलट चैनल का निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं एकरारनामा में प्रावधानित कार्यमद "Removal of silt/shoal/earth by dredging from channel including fixing of pipelines. Floaters & floating pipeline for disposing of water slurry consisting of silt and sand etc. including levelling our dredged materials in the disposal area. it Includes the cost of labour, material, cost of consumable POL, cost of spare parts (minor & major repairs) & accessories required to keep dredger in smooth running condition even after completion of job. Maintenance of dredger T&P etc. Complete as directed by EIC including earth work in excavation by means of earth moving machines including transportation with all lead and lift for disposal beyond 1 K.M. The Job includes cleaning of sites, all site surveys for actual assessment of quantum of work, methodology and type of dredger to be employed and maintenance dredging for one year." के अनुरूप कार्य कराया जाना था परन्तु आपके द्वारा कार्य मद से हटकर केवल राजस्थानी ट्रैक्टर से Required bed level से उपर का कार्य कराया गया जिसका दर 59.80 प्रति घनमीटर है। संपादित कार्य का विपत्र एकरारित कार्यमद एवं दर के अनुरूप रू0 202.00 प्रति घनमीटर से तैयार किया गया जबकि कार्यस्थल पर ड्रेजिंग मशीन आया ही नहीं। जिसके फलस्वरूप प्रथम विपत्र के माध्यम से संपादित कार्य 115755 घनमीटर के विरूद्ध रू0 16694186.00 का विपत्र के अनियमित राशि भुगतान हेतु अनुशंसा की गयी। जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये है।"

श्री रत्नेश्वर कुमार सिंह के दिनांक 31.12.11 को सेवानिवृत हो जाने की स्थिति में विभागीय अधिसूचना सं0–230 दिनांक 29.02.12 द्वारा उन्हें निलंबन मुक्त करते हुए उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के अन्तर्गत सम्परिवर्तित किया गया।

उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत सक्षम प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री रत्नेश्वर कुमार सिंह के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–1884 दिनांक 21.08.2015 द्वारा निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया गया :–

(क) "दस प्रतिशत पेंशन की तीन वर्षों तक कटौती।"

(ख) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं, परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जाएगी।"

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री रत्नेश्वर कुमार सिंह द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया। मामले की समीक्षा में पाया गया कि गंडक नदी में पायलट चैनल कार्य में शर्त्तों का उल्लंघन कर अधिकाई व्यय का मामला समाने आने पर इसकी जांच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी। उड़नदस्ता प्रतिवेदन में कहा गया है कि संवेदक द्वारा एकरारनामा के अनुरूप कार्य नहीं करने, निविदा की शर्त्तो का उल्लंघन करने आदि के कारण अधिकाई व्यय का मामला बनता है। इन विसंगतियों की जांच तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग से भी करायी गयी। तकनीकी परीक्षक कोषांग के प्रतिवेदन में निविदा के अनुरूप कार्य नहीं होने तथा संवेदक को अधिकाई भुगतान होने का उल्लेख किया गया। विभागीय उड़नदस्ता एवं तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा अनियमित भुगतान की राशि का निर्धारण मुख्य अभियंता, सिवान के पत्रांक–2430 दिनांक 20.07.2011 के आधार पर जल स्तर के उपर कराये गये मिट्टी कार्य का दर 59.80 रू0 प्रति घनमीटर के आधार पर किया गया है। इससे संबंधित मामले को विभागीय पत्रांक–113 दिनांक 13.08.14 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में लोक लेखा समिति द्वारा निष्पादित कर दिया गया। अतएव ड्रेजिंग के दर में विसंगतियों को देखते हुए विभागीय आदेश सं0–46 दिनांक 22.4.16 द्वारा चार सदस्यीय जाँच टीम का गठन किया गया। उक्त जाँच टीम में निम्नलिखित सदस्य थे :–(1) श्री गुंजालाल राम, मुख्य अभियंता, सिवान–अध्यक्ष (2) श्री कैलु सरदार, मुख्य अभियंता, वाल्मीकिनगर–सदस्य (3) श्री राम विनय शर्मा, अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल, पटना–सदस्य (4) श्री वासुकीनाथ प्रसाद, अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, गोपालगंज –सदस्य सचिव (बाद में श्री प्रसाद के अवकाश में रहने के कारण इनके स्थान पर तत्कालीन प्रभारी अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, गोपालगंज को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया। उक्त जाँच समिति के प्रतिवेदन के निष्कर्ष में समिति ने मत दिया कि ड्रेजिंग की दर 202 रू0 प्रति घनमीटर माना जा सकता है।

सम्पूर्ण तथ्यों की विभागीय समीक्षा में पाया गया कि पानी की सतह के नीचे ड्रेजर एवं इसके पाईप लाईन के सहायता से 1 कि0मी0 से बाहर Slurry के disposal करने की दर अनुसूचित दर पुस्तिका में उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त दोनों कार्य मद को समेकित कर रूपये 202 रू0 प्रति घनमीटर दर निर्धारित किया गया और इसी दर पर संवेदक के साथ एकरारनामा किया गया। प्राक्कलन में कहीं भी 59.80 रू0 प्रति घनमीटर का दर निर्धारित नहीं है बल्कि विभाग द्वारा स्वीकृत दर 202 रू0 प्रति घनमीटर की दर से एकरारनामा करते हुए संवेदक को इसी दर से भुगतान किया गया। अतएव यह मामला अधिकाई भुगतान का नहीं है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में मामले की सम्यक समीक्षोपरांत श्री रत्नेश्वर कुमार सिंह (आई0डी0–जे 4612) तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा शिविर–गोपालगंज द्वारा उक्त संसूचित दण्ड के विरूद्ध समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को स्वीकार योग्य पाया गया है एवं उनके विरूद्ध अधिरोपित शास्ति को निरस्त करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

अतः सक्षम प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री रत्नेश्वर कुमार सिंह (आई0डी0–जे 4612) तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा शिविर–गोपालगंज द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को स्वीकार योग्य पाते हुए उनके विरूद्ध उक्त विभागीय अधिसूचना सं0–1884 दिनांक 21.08.15 द्वारा अधिरोपित दण्ड को निरस्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं
19 अगस्त 2021

सं0 1/रा॰स्था॰निजी–37/2020 सह॰–2191––बिहार लोक सेवा आयोग की 60वीं से 62वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/समकक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा के उपरान्त विभागीय अधिसूचना संख्या–2770 दिनांक–01.08.2019 द्वारा श्री गुंजन कुमार (आयोग की वरीयता क्रमांक–304) की नियुक्ति जिला सहकारिता पदाधिकारी–सह–सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, शिवहर के पद पर की गई तथा नव नियुक्त पदाधिकारियों को 15 दिनों के अन्दर नव पदस्थापित पद/कार्यालय में योगदान देने का निदेश दिया गया।

श्री गुंजन कुमार द्वारा निर्धारित अवधि में योगदान न देते हुए योगदान हेतु अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया। विभागीय पत्रांक–3778 दिनांक–18.10.2019 द्वारा श्री कुमार को दिनांक–31.10.2019 तक इस शर्त्त के साथ योगदान देने हेतु अनुमति दिया गया कि उक्त निर्धारित अवधि में योगदान नहीं देने पर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी। तदोपरान्त भी श्री कुमार द्वारा नव पदस्थापित पद पर योगदान न देकर पुनः अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया। श्री कुमार आई॰बी॰, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत हैं।

इस बीच आई॰बी॰, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह सूचित किया गया कि श्री गुंजन कुमार को कई अवसरों पर आदतन अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण दिनांक–12.02.2018 के प्रभाव से 3 वर्षों तक वेतनमान में एक स्तर की कटौती की गई है जिसका प्रभाव दिनांक–12.02.2021 को समाप्त होगा इसके पश्चात वेतनमान में एक स्तर की कटौती फिर होगी जो दिनांक–12.02.2024 को समाप्त होगा। एक अन्य पत्र में आई॰बी॰, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह सूचित किया गया कि श्री कुमार के विरूद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1965 के नियम–14 के तहत एक नया विभागीय कार्रवाई शुरू किया गया है। उक्त के आलोक में आई॰बी॰, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सहकारिता विभाग के अधीन श्री कुमार की नियुक्ति संबंधी उपयुक्तता पर विचार करने का भी अनुरोध किया जाता रहा है।

श्री कुमार द्वारा यह सूचित किया जाता रहा है कि उनके वर्त्तमान पद से विरमन की प्रक्रिया अन्तिम चरण में है अतएव उन्हें नवपदस्थापित पद/कार्यालय में योगदान देने हेतु अवधि विस्तार किया जाय। लगभग 1 वर्ष 8 माह बीत जाने के बाद भी श्री कुमार द्वारा योगदान नहीं दिया गया है। श्री कुमार के नियुक्ति रद्द करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से परामर्श प्राप्त किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि बिहार सरकार में नियुक्ति के पूर्व चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन का प्रावधान है जिसका उद्देश्य यह है कि अनुषासित, सुयोग्य एवं स्वच्छ चरित्र के व्यक्ति ही राज्य सरकार की सेवा में आ सके। श्री कुमार की सेवा उनकी पिछली सेवा में स्वच्छ नहीं रही हैं। अतः श्री कुमार के योगदान की अवधि विस्तार के अनुरोध को अस्वीकृत करते हुए नियुक्ति के 1 वर्ष 8 माह बाद भी योगदान नहीं करने के कारण नियुक्ति रद्द करने का परामर्श सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिया गया है।

अतः श्री गुंजन कुमार की सहकारिता विभाग के अधीन सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/समकक्ष के पद पर विभागीय अधिसूचना संख्या–2770 दिनांक–01.08.2019 द्वारा की गई नियुक्ति एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी–सह–सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, शिवहर के पद पर किये गये पदस्थापन को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ऋचा कमल, उप–सचिव।

————————

19 अगस्त 2021

सं0 01/रा॰स्था॰स्थाना॰–40/2021 सह॰–2184––श्री सैयद सरवर हुसैन, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (खादी), बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक, धु॰र॰द॰ एवं प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट कॉप॰ टुबैको ग्रोवर्स प्र॰ लि॰ का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से दिया जाता है।

2 . इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ऋचा कमल, उप–सचिव।

————————

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं

22 जुलाई 2021

सं0 1/अ0–1008/2021–सा0प्र0–7398––श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा, भा0प्र0से0(2006), विशेष सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम–12,13 एवं 20 के अधीन दिनांक– 15.03.2021 से दिनांक 01.06.2021 तक कुल 79 दिनों के रुपांतरित अवकाश (158 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

————————

23 जुलाई 2021

सं0 1/सी0–03/2012(खण्ड)–सा0प्र0–7485––भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अपर सचिव स्तर, वेतनमान –लेवल–12–रु.78,800–2,09,200/–) में प्रोन्नति दी जाती है:–

क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन	प्रोन्नति की तिथि
1	श्री खुर्शीद आलम खॉ (2005)	सेवानिवृत्त	01.01.2014 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के पश्चात् भा0प्र0से0 का पदग्रहण किये जाने की तिथि से, जो बाद में हो।
2	श्री संजय कुमार पंसारी (2011)	मुख्य महाप्रबंधक, बिहार विकास मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ।	दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से
3	श्री संजीव कुमार (2012)	निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार –संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग)।	दिनांक 01.01.2021 के प्रभाव से
4	श्री राजेश मीणा(2012)	निबंधक, सहयोग समितियॉ, सहकारिता विभाग ।	दिनांक 01.01.2021 के प्रभाव से
5	श्री श्रीकान्त शास्त्री (2012)	नगर आयुक्त, मुंगेर नगर निगम, मुंगेर ।	दिनांक 01.01.2021 के प्रभाव से

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

27 जुलाई 2021

सं0 1/पी–1004/2021–सा0प्र0–7656––श्री मनोज कुमार,भा0प्र0से0 (2007), विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–कार्यपालक निदेशक, बिहार एड्स नियंत्राण सोसाइटी, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी–1004/2021–सा0प्र0–7657––श्री संजय कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (2007), राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना (अतिरिक्त प्रभार–विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री संजय कुमार सिंह अगले आदेश तक कार्यपालक निदेशक, बिहार एड्स नियंत्राण सोसाइटी, पटना और कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं0 1/पी–1004/2021–सा0प्र0–7658––श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, भा0प्र0से0 (2007), विशेष सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी–1004/2021–सा0प्र0–7659––श्री गिरिवर दयाल सिंह, भा0प्र0से0 (2008), विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, युवा कल्याण एवं खेल निदेशालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी–1004/2021–सा0प्र0–7660––डॉ0 रणजीत कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (जी जे :2008), निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, पंचायती राज, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी–1004/2021–सा0प्र0–7661––डॉ0 संजय सिन्हा, भा0प्र0से0(2008), निदेशक, युवा कल्याण एवं खेल निदेशालय, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी–1004/2021–सा0प्र0–7662––श्री श्रीकान्त शास्त्राी, भा0प्र0से0 (2012), नगर आयुक्त, मुंगेर नगर निगम, मुंगेर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री शास्त्राी अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 1/पी–1004/2021–सा0प्र0–7663––श्री दिलीप कुमार, आई0आर0टी0एस0 (2000) (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में प्रतिनियुक्ति के आधार पर योगदान देकर पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक विशेष सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी–1004/2021–सा0प्र0–7664––श्री सन्नी सिन्हा, आई0आर0एस0एस0 (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में प्रतिनियुक्ति के आधार पर योगदान देकर पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक अपर सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

---

29 जुलाई 2021

सं0 1/पी–1004/2021–सा0प्र0–7799––श्री गिरिवर दयाल सिंह, भा0प्र0से0 (2008), विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, युवा कल्याण एवं खेल निदेशालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किए जाने संबंधी विभागीय अधिसूचना संख्या–1/पी–1004/2021–सा0प्र0 –7659 दिनांक 27.07.2021 को निरस्त करते हुए श्री गिरिवर दयाल सिंह को विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पद से स्थानांतरित कर अगले आदेश तक ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी–1004/2021–सा0प्र0–7800––डॉ0 संजय सिन्हा, भा0प्र0से0(2008), निदेशक, युवा कल्याण एवं खेल निदेशालय, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किए जाने की विभागीय अधिसूचना संख्या–1/पी–1004/2021–सा0प्र0 –7661 दिनांक 27.07.2021 एतद् द्वारा निरस्त की जाती है।

2. उपर्युक्त निरस्तीकरण के आलोक में डॉ0 सिन्हा वर्तमान धारित पद पर पूर्ववत् बने रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

---

30 जुलाई 2021

सं0 1/अ0नि0प्र0–1004/2014–सा0प्र0–7884––विभागीय पत्रांक–7879 दिनांक 30.07.2021 द्वारा श्री राहुल रंजन महिवाल, भा0प्र0से0 (एम एच : 2005), आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया (अतिरिक्त प्रभार– आयुक्त,कोसी प्रमण्डल, सहरसा) को लाल बहादुर शास्त्राी राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दिनांक 02.08.2021 से 27.08.2021 तक प्रस्तावित अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण–IV में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गयी है।

2. श्री महिवाल की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया के अतिरिक्त प्रभार में श्री प्रेम सिंह मीणा, भा0प्र0से0 (बी एच : 2000), आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर (अतिरिक्त प्रभार–आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर) तथा आयुक्त, कोसी प्रमण्डल, सहरसा के अतिरिक्त प्रभार में श्री मनीष कुमार भा0प्र0से0 (बी एच : 2005), आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

3 अगस्त 2021

सं0 1/पी0–1025/2011–सा0प्र0–8043––श्री आलोक कुमार, पी0 एण्ड टी0बी0 डब्ल्यू0एस0 (आई0ई0एस–96), प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत निगम, पटना (अतिरिक्त प्रभार– निदेशक, ब्रेडा पटना), जो भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक–414–18/2016–पी ई आर एस. आई दिनांक 10.08.2018 द्वारा दिनांक 10.08.2018 के अपराह्न से विरमित किये जाने के बाद बिहार राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवारत हैं, की वर्तमान प्रतिनियुक्ति अवधि को उनके पैतृक संस्थान– भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त सहमति के आलोक में दिनांक 11.08.2021 के प्रभाव से दिनांक 10.08.2023 तक विस्तारित की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

---

9 अगस्त 2021

सं0 1/एल0–65/2000–सा0प्र0–8514––श्री नर्मदेश्वर लाल, भा0प्र0से0 (98), सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम–10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 06.09.2021 से 15.09.2021 तक कुल 10 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

---

9 अगस्त 2021

सं0 1/अ0–1010/2021–सा0प्र0–8515––श्री एम0 रामचंद्रुडु, भा0प्र0से0 (2009), अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम–10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 03.08.2021 से 31.08.2021 तक कुल 29 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

---

12 अगस्त 2021

सं0 1/पी–1001/2020–सा0प्र0–8818––श्री राम अनुग्रह नारायण सिंह भा0प्र0से0 (2007), संयुक्त सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्राण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी–1001/2020–सा0प्र0–8819––श्री अरविन्द कुमार चौधरी, आई0टी0एस0 (कार्मिक संख्या–20911) (प्रतिनियुक्ति के आधार पर योगदान देकर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक विशेष सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

---

13 अगस्त 2021

सं0 1/पी–1020/2014–सा0प्र0–8862––श्री संतोष कुमार मल्ल, भा0प्र0से0 (1997), सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार– प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन/ सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना/जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) अगले आदेश तक स्थानिक आयुक्त का कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली में विशेष कार्य पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

---

17 अगस्त 2021

सं0 1/अ0–422/2007–सा0प्र0–9055––श्री बालामुरूगन डी0, भा0प्र0से0(2005), सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार– परियोजना निदेशक, बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन परियोजना/राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीवकोपार्जन मिशन–सह–आयुक्त स्व–रोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम–10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 17.08.2021 से 31.08.2021 तक कुल 15 दिनों के उपार्जित की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

---

23 अगस्त 2021

सं0 1/अ0–1008/2013–सा0प्र0–9323––श्री पंकज कुमार, भा0प्र0से0(97), सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ विकास निगम, पटना/जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम–10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक –13.08.2021 को एक दिन की उपार्जित की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

26 अगस्त 2021

सं0 1/पी–1020/2014–सा0प्र0–9456––श्री मनोज कुमार,भा0प्र0से0 (2007), निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना अगले आदेश तक विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

सं0 1/प्रो0–1001/2021–सा0प्र0–9603
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

चंचल कुमार, भा0प्र0से0
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 27 अगस्त, 2021

विषयः– **चल एवं अचल सम्पति तथा दायित्वों की विवरणी संबंधित पंचांग वर्ष की 28/29 फरवरी तक समर्पित नहीं किये जाने पर अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित किये जाने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा राज्य के विभागों/कार्यालयों/लोक उपक्रमों (यथा बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद, परिषद् इत्यादि) में सेवारत (प्रतिनियुक्ति आधारित सेवा सहित) अखिल भारतीय सेवा/केन्द्रीय सिविल सेवा/अन्य केन्द्रीय सेवाओं के सभी पदाधिकारियों तथा राज्य के समूह 'क' 'ख' एवं 'ग' के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी किसी पंचाग वर्ष के 31 दिसम्बर के उपरान्त आगामी पंचांग वर्ष की 28/29 फरवरी तक समर्पित करते हुए उसे संबद्ध विभागों के वेबसाइट पर सार्वजनिक करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रत्येक वर्ष निदेशित किया जाता है।

परन्तु, प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि कतिपय पदाधिकारियों/ कार्मिकों/कर्मियों द्वारा या तो वांछित चल–अचल सम्पत्ति विवरणी समर्पित ही नहीं की जाती है अथवा निर्धारित समय सीमा के बाद समर्पित की जाती है। जबकि, इस हेतु बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–19 के उपनियम–8 में उपबंध है कि किसी पंचाग वर्ष के 31 दिसम्बर के बाद समय पर **(अर्थात् आलोच्य नियमावली के नियम–19 के उप नियम–प के आलोक में संबंधित पंचाग वर्ष के 28/29 फरवरी तक)** वांछित विवरणी समर्पित नहीं करने वाले सरकारी सेवक के वेतन का भुगतान रोका जा सकेगा और ऐसे व्यवहार/आचरण को गंभीर कदाचार मानते हुए संबंधित पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन अपेक्षित होगा। उपनियम–8 का मूल भाग निम्नवत् हैः–

"वांछित विवरणी समय पर नहीं समर्पित करने वाले सरकारी सेवक का वेतन भुगतान, सरकार या विहित प्राधिकारी विवरणी समर्पित करने तक रोक सकेंगे। समय पर विवरणी नहीं समर्पित किया जाना, अपने सरकारी कर्त्तव्य पालन में गंभीर कदाचार माना जाएगा जिसके लिए वह विभागीय कार्यवाही का दायी होगा।"

2. यथा वर्णित तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि –

(i) जिन पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा पंचाग वर्ष 2020 की सम्पत्ति विवरणी अब तक समर्पित नहीं की गयी है, उनसे वांछित विवरणी के असमर्पित रहने के संबंध में एक माह का समय देते हुए स्पष्टीकरण पूछा जाए और उक्त अवधि में भी वांछित विवरणी अप्राप्त रहने पर संबंधित पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध सरकारी आदेश के उल्लंघन का विधिवत् आरोप–पत्रा निर्गत करते हुए विभागीय कार्यवाही आरंभ की जाए।

(ii) आगामी पंचांग वर्षों (पंचांग वर्ष 2021 और उसके बाद के वर्ष) के लिए सभी विभागीय प्रधान/कार्यालय प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि वे स्वयं और उनके अधीनस्थ पदाधिकारी/कर्मी संबंधित पंचांग वर्ष के 28/29 फरवरी तक चल–अचल सम्पत्ति एवं दायित्वों की विवरणी विहित प्रपत्रा में अवश्य समर्पित कर देंगे अन्यथा फरवरी माह और उसके बाद के वेतन का आहरण/भुगतान तबतक नहीं होगा, जबतक की वांछित विवरणी समर्पित नहीं कर दी जाती है;

और दिनांक 28/29 फरवरी तक जो पदाधिकारी/कर्मी वांछित विवरणी समर्पित नहीं करेंगे, उन्हें एक माह के अन्दर कारण स्पष्ट करते हुए विवरणी समर्पित करने हेतु निदेशित किया जाएगा तथा एक माह की उक्त अवधि में भी विवरणी के असमर्पित रहने पर संबंधित पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध विधिवत् आरोप–पत्रा निर्गत करते हुए विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाएगी।

(iii) प्रत्येक विभागीय/कार्यालय प्रधान संबंधित पंचांग वर्ष (जिसके लिए विषयगत विवरणी का समर्पण वांछित हो) में 28/29 फरवरी तक वांछित विवरणी समर्पित करने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों की सूची सहित उनकी सम्पत्ति विवरणियाँ एवं उसकी एक सी0डी0 आधिकारिक वेबसाइट पर डालने हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना को अवश्य उपलब्ध करा देंगे। तत्पश्चात्, विवरणी समर्पित नहीं करने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही और प्रत्येक

छः माह पर उसके फलाफल का विवरण सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को हार्ड और सॉफ्ट प्रति में उपलब्ध करा देंगे।

विश्वासभाजन,
(ह0) अस्पष्ट प्रधान सचिव।

Office of the Commissioner, Magadh Division, Gaya

Order

The 1st September 2021

No. II–स्था०–46 / 2017–2738––In the light of proposal received from Collector, Jehanabad vide letter no. 145, dated- 06.08.2021 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases us 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl.	Officer Name	Designation	Remarks
1	Sri Aman Prit Singh	SDC, Jehanabad	For Jehanabad District
2	Sri Pankaj Kumar Ghosh	SDC, Jehanabad	For Jehanabad District
3	Miss Margan Sinha	SDC, Jehanabad	For Jehanabad District
4	Smt. Ratna Priydarsni	SDC, Jehanabad	For Jehanabad District
5	Sri Babu Raja	DCO, Jehanabad	For Jehanabad District
6	Sri Nitesh Kumar	Circle Officer, Modanganj	For Modanganj Circle Level
7	Sri Arvind Kumar Chaudhary	Circle Officer, Hulasganj	For Hulasganj Circle Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt. 22.08.2021

By Order,
Sd./Illegible, Secrectary to Commissioner.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 21—571+10-डी0टी0पी0।
Website : http : / / egazette . bih . nic . in

भाग–2

बिहार–राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

वित्त विभाग

आदेश

शुद्धि –पत्र

3 सितम्बर 2021

सं0 01/स्था0(ले0से0)–15/2021–5866/वि0––भविष्य निधि कार्यालय, अररिया/अरवल/बांका/बक्सर/जमुई/कैमुर/किशनगंज/लखीसराय/शेखपुरा/शिवहर/एवं सुपोल में स्थापित नहीं होने के कारण विभागीय निर्गत आदेश संख्या–01/स्था0 (ले0से0)–15/2021–5084 दिनांक–11.08.2021 को उक्त कार्यालयों के लिए प्रभारी सौपने संबंधी आदेश को विलोपित समझा जाय।

आदेश से,
गोरख नाथ, विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 21—571+10-डी0टी0पी0।
Website : http : //egazette . bih . nic . in

भाग–9–ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

सं0 845––मैं अनिमेष, पिता–मुकेश, माता–सुनिता कुमारी, निवास–61, न्यू रामपुर, थाना–बहादुरपुर, पटना–800006, शपथ–पत्र संख्या–10028, दिनांक 12.08.2021 से अब मैं अनिमेष श्रीवास्तव के नाम से जाना जाऊँगा।

अनिमेष।

No. 845—I, ANIMESH, S/O Mukesh, Mother-Sunita Kumari, R/O-61, New Rampur, P.S.-Bahadurpur, Patna-800006, Declare vide affidavit No. 10028, Dated 12.08.2021 that I will be known as Animesh Srivastava.

ANIMESH.

————————

No. 846—**I,** Vandana Kumari W/o Nitish K Ranjan, R/o-East Gola Road, P.S-Danapur, Patna Vide Affi No-3518 Dt-28.6.21 Shall be Known as Vandna Kashyap for all purposes.

Vandana Kumari.

————————

No. 847— I, (Ritik), S/O-Binay Prasad Verma, Q No 422/B, Railway Colony, Samastipur-848101, by changing my name from (Ritik) to (Ritik Verma), for all purposes vide affidavit AC 913953 dated (09/06/2021).

Ritik.

————————

No. 848—I, Chandrakiran, East Patel Nagar, Patna Declare my willing to change my daughter's name Aditi to Aditi Shree Vide Aff. No.-13860, Dated 12.08.2021.

Chandrakiran.

————————

No. 859—I, **AYUSH** s/o Uday Prakash Singh Moh.-Flat no.-303, Block-B, Dasrath Regency Bahadurpur Housing colony Sector 8E, PS-Agamkuan, Patna-26. In my Educational certificate my name written as Ayush which is true & in Aadhar card Ayush Kumar which is wrong Vide afd. No. 9428 dated 26.07.21 shall be known as Ayush Aryan for all Purposes.

AYUSH.

————————

No. 860— I, Md. (Mohamad) Moim Mian, S/o Abdul Salim, R/o Rasalpura, P.S.-Narhat (Sitamarhi) Distt.-Nawadah at present resident at Railway Quarter No. 375 A, Loco Colony, P.S.-Delha, Dsitt.-Gaya solemnly and firmly vide affidavit no. 15261, dated 21.10.19 declare that I belong to an illiterate and poor family and my real name is Md. Moin but in my matriculation certificateit is written as Md. Moim Mian which is wrong. This happened because the person who got me admitted in school wrote my name like that. The wrong name continued in my other

certificates and my service book also. I declare that Md. Moim Mian and Md. Moin are the name of the same person and I would be known as Md. Moin in my service book also.

Md. (Mohamad) Moim Mian.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 21—571+10-डी0टी0पी0।
Website : http : / / egazette . bih . nic . in

बिहार गजट

का

पूरक (अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 27/आरोप–01–20/2021–सा0प्र0–8960
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
16 अगस्त 2021

राज्य सूचना आयोग में दायर वाद संख्या– ।8888ध्2018 (श्री जगदीश आर्य बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/लोक सूचना पदाधिकारी) में राज्य सूचना आयोग द्वारा दिनांक 11.11.2020 को पारित आदेश की प्रति एवं कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक–504 दिनांक 18.02.2021 संलग्न कर इस विभाग को उपलब्ध कराया गया।

उक्त आदेश में सूचना आवेदक को सूचना दो वर्ष आठ माह विलम्ब से दिये जाने के लिये दोषी अधिकारियों पर आवश्यक कार्रवाई हेतु इस प्रकरण को अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संज्ञान में लाये जाने का निदेश दिया गया।

कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक–504 दिनांक 18.02.2021 द्वारा सूचित किया गया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना में बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के श्री मनोज कुमार, (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 910/11, विशेष कार्य पदाधिकारी, लोक सूचना पदाधिकारी के पद पर वर्ष 2018 से अब तक कार्यरत हैं।

उक्त सूचना के आलोक में विभागीय पत्रांक–3439 दिनांक 10.03.2021 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार के पत्रांक–926 दिनांक–01.04.2021 द्वारा अपना स्पष्टीकरण इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

श्री कुमार के अनुसार ये विज्ञापन संख्या–0411, पद कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) के विज्ञापन प्रभारी थे। इस विज्ञापन से संबंधित परीक्षा दिनांक 15.12.2018 को निर्धारित थी। यह परीक्षा पूर्व में दो बार आयोजित की गयी थी, लेकिन दोनों बार विभिन्न कारणों से रद्द करना पड़ा था। यह परीक्षा पिछले छः वर्षो से लंबित थी। इसके अलावा ये अन्य विज्ञापनों से संबंधित परीक्षाओं के लिये हर स्तर पर तैयारी में व्यस्त रहे इसी बीच ये सूचना के अधिकार से संबंधित संचिकाओं का निष्पादन भी कर रहे थे। फलतः श्री जगदीश आर्य से प्राप्त सूचना आवेदन का ससमय निष्पादन नहीं हो सका। श्री कुमार के अनुसार कतिपय विज्ञापनों से संबंधित अनेक मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय/ माननीय पटना उच्च न्यायालय में लगातार सुनवाई पर होने के कारण तथा विगत वर्ष में कोरोना संक्रमण एवं लॉकडाउन के कारण भी सूचना के अधिकार से संबंधित कार्य प्रभावित हुआ है। श्री कुमार द्वारा इसकी पुनरावृति नहीं होने की बात भी अंकित की गयी है।

श्री कुमार के स्पष्टीकरण में यह स्वीकार किया गया है कि लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में संदर्भित मामले में सूचना देने में उनके स्तर से विलम्ब हुआ है। विलम्ब के लिये उनके द्वारा कई कारण गिनाये गये हैं। लेकिन उनके द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि इन व्यस्तताओं के बीच भी उनके द्वारा सूचना के अधिकार से संबंधित संचिकाओं का निष्पादन किया जा रहा था।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत श्री कुमार के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुये विचाराधीन मामले में सूचना देने में 2 वर्ष 8 माह के विलम्ब के लिये उन्हें दोषी मानते हुये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के अंतर्गत **"एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड"** देने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया।

9. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मनोज कुमार, (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 910/11, विशेष कार्य पदाधिकारी, लोक सूचना पदाधिकारी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के अंतर्गत **"एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड"** अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जय शंकर प्रसाद, संयुक्त सचिव।

सं0 27/आरोप–01–50/2020–सा0प्र0–9068
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
17 अगस्त 2021

मो. बलागुद्दीन, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–569/11, अपर समाहर्त्ता, बेगुसराय के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, बेगुसराय के पत्रांक–1411 दिनांक 10.06.2020 इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। मो. बलागुद्दीन के विरूद्ध अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने संबंधी शिकायत/आरोप प्रतिवेदित है।

2. प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय पत्रांक–9172 दिनांक 05.10.2020 द्वारा मो. बलागुद्दीन से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। मो. बलागुद्दीन के पत्रांक–2646 दिनांक 17.10.2020 द्वारा अपना स्पष्टीकरण इस विभाग को उपलब्ध कराया गया।

3. मो. बलागुद्दीन द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–12140 दिनांक 18.12.2020 द्वारा जिला पदाधिकारी, बेगुसराय से मंतव्य की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, बेगुसराय के पत्रांक–1640 दिनांक 13.07.2021 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर मंतव्य इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। जिला पदाधिकारी, बेगुसराय द्वारा समर्पित मंतव्य का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

4. मो. बलागुद्दीन जिला स्तरीय कई शाखाओं के प्रभार में हैं। इन शाखाओं की संचिका निष्पादित करने में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है। संबंधित शाखा के सहायक/प्रभारी पदाधिकारी द्वारा इनके कार्यकलाप के संबंध में कई बार शिकायत भी की गयी है कि कार्यालय टिप्पणी पर बिना कुछ लिखे संचिकाओं को वापस कर दिया जाता है। कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। जिला पदाधिकारी द्वारा कार्यकलाप में सुधार लाने हेतु इन्हें निदेश दिया गया, परन्तु इनके कार्यकलाप में कोई सुधार नहीं हो रहा है।

5. जिला पदाधिकारी द्वारा इनके स्पष्टीकरण पर दिये गये कंडिकावार मंतव्य में उक्त शिकायतों के लिये इनके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को असंतोषजनक बताया गया है। यह भी अंकित किया गया है कि अपर समाहर्त्ता, बेगुसराय के पदस्थापन के समय से ही इनका सरकारी कार्यों और संचिका के निष्पादन में असहयोगात्मक रवैया रहा है।

6. जिला पदाधिकारी, बेगुसराय द्वारा मो. बलागुद्दीन के स्पष्टीकरण पर दिये गये मंतव्य से यह स्पष्ट है कि जिला पदाधिकारी, बेगुसराय द्वारा इनके स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं माना गया है।

7. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं मो. बलागुद्दीन द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत मो. बलागुद्दीन के स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के संगत प्रावधान के तहत **"निन्दन (वर्ष 2020–21) का दण्ड"** देने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया।

8. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार मो. बलागुद्दीन, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–569/11, अपर समाहर्त्ता, बेगुसराय के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के संगत प्रावधान के तहत **"निन्दन (वर्ष 2020–21) का दण्ड"** अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जय शंकर प्रसाद, संयुक्त सचिव।

सं0 27/आरोप–01–22/2020–सा0प्र0–7201
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
16 जुलाई 2021

मो. कबीर, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 984/2011, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई.सी.डी.एस.), मुजफ्फरपुर के विरूद्ध समाज कल्याण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–1430 दिनांक 26.02.2020 द्वारा आरोप इस विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

3. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–3040 दिनांक 04.03.2021 एवं पत्रांक–4612 दिनांक 07.04.2021 द्वारा मो. कबीर से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। मो. कबीर द्वारा दिनांक 15.04.2021 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा कंडिकावार/आरोपवार स्थिति स्पष्ट की गयी।

4. समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं मो. कबीर द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत मो. कबीर के स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुये तथा प्रतिवेदित आरोपों के लिये उन्हें दोषी मानते हुये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित के नियम–14 के अंतर्गत लघु दंड के अंतर्गत **"(i) एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने एवं (ii) निन्दन"** का दण्ड देने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया।

5. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार मो. कबीर, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 984/2011, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई.सी. डी.एस.), मुजफ्फरपुर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित के नियम–14 के अंतर्गत लधु दंड के अंतर्गत **"(i) एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने एवं (ii) निन्दन"** का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जय शंकर प्रसाद, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 21—571+10–डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in